



एण्ड्रू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

वार्षिक प्रतिवेदन
2024-2025



1863 से भारत की सेवा कर रहे हैं



कॉर्पोरेट जानकारी

निदेशक मंडल

श्री अनंत मोहन सिंह [डीआईएन: 03594804]
 श्री संजय वर्मा [डीआईएन: 10373225]
 श्री विजय मित्तल [डीआईएन: 09548096]
 श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव: 09835338]
 श्री सुन्दर पाल सिंह [डीआईएन: 09438081]
 सुश्री स्वप्ना त्रिपाठी [डीआईएन: 11206098]

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- निदेशक (वित्त)
- नामित निदेशक, भारत सरकार
- नामित निदेशक, भारत सरकार [प्रभावी 14 जुलाई 2025 से]
- गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक [प्रभावी 2 अप्रैल 2025 से]
- गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक [प्रभावी 22 जुलाई 2025 से]

लेखा परीक्षण समिति

श्री सुन्दर पाल सिंह, अध्यक्ष
 श्री अनंत मोहन सिंह
 सुश्री स्वप्ना त्रिपाठी

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

श्री सुन्दर पाल सिंह, अध्यक्ष
 श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
 सुश्री स्वप्ना त्रिपाठी

हितधारक संबंध समिति

श्री सुन्दर पाल सिंह, अध्यक्ष
 श्री अनंत मोहन सिंह
 श्री संजय वर्मा

जोखिम प्रबंधन समिति

श्री अनंत मोहन सिंह, अध्यक्ष
 श्री संजय वर्मा
 श्री सुन्दर पाल सिंह

कार्यात्मक निदेशकों की समिति

श्री अनंत मोहन सिंह, अध्यक्ष
 श्री संजय वर्मा

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री संजय वर्मा

कंपनी सचिव

श्रीमती सुचारिता दास
 (सदस्यता संख्या: F5159)

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
 383, लेक गार्डन्स, प्रथम तल, कोलकाता - 700 045
 दूरभाष: (033) 4072 4051/4052/4053
 फैक्स: (033) 4072 4050
 ईमेल: mcssta@rediffmail.com

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स एन सी बनर्जी एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट,
 "कॉमर्स हाउस",
 2, गणेश चंद्र एवेन्यू, प्रथम तल, कक्ष संख्या 9,
 कोलकाता - 700013

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स जे के दास एंड एसोसिएट्स
 कंपनी सचिव
 दास विल, प्लॉट संख्या 883,
 बिजन कानन, ब्रह्मपुर,
 बांसद्रणी, कोलकाता - 700 096

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स,
 लागत लेखाकार
 64, बी. बी. गांगुली स्ट्रीट (द्वितीय तल),
 कोलकाता - 700 012

बैंकर्स

इंडियन बैंक
 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
 पंजाब नेशनल बैंक
 आईसीआईसीआई बैंक
 करूर वैश्य बैंक

पंजीकृत कार्यालय

"यूल हाउस"
 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता - 700 001
 दूरभाष: (033) 2242 8210 / 8550
 फैक्स: (033) 2242 9770
 वेबसाइट: www.andrewyule.com
 ईमेल: com.sec@andrewyule.com
 सीआईएन -
 L63090WB1919GOI003229

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय

404, गुरु अंगद भवन,
 71, नेहरू प्लेस,
 नई दिल्ली - 110 019

नोट: इस रिपोर्ट में कहीं भी नरिदष्टि किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम, उसके नाम के सामने उल्लिखित निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या सदस्यता संख्या के साथ पढ़ा जाएगा।

दृष्टि

निरंतर सुधार और नवाचार के माध्यम से "यूल" को एक अग्रणी ब्रांड के रूप में स्थापित करना।

उद्देश्य

- एवाईसीएल को वित्तीय वर्ष 2027 तक 700 करोड़ रुपये की कंपनी बनाना।
- सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु नए बाज़ार में प्रवेश करना।
- समय पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध कराना।

निदेशक मंडल

कार्यकारी निदेशक



श्री अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

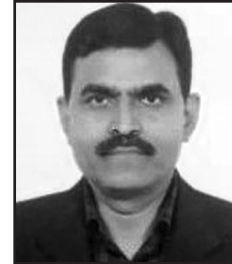


श्री संजय वर्मा
निदेशक (वित्त)

सरकार द्वारा नामित निदेशक

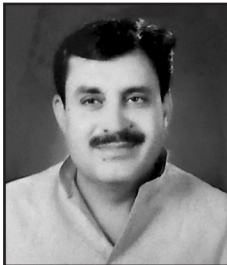


श्री विजय मित्तल
संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय



श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशक



श्री सुन्दर पाल सिंह



सुश्री स्वप्ना त्रिपाठी

विषय सूची	पृष्ठ
अध्यक्ष का वक्तव्य	5
सदस्यों को सूचना	7
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	22
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	39
निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अन्य परिशिष्ट	45
व्यापार दायित्व एवं सततता रिपोर्ट	56
निगम शासकीय रिपोर्ट	82
स्वतंत्र वित्तीय विवरण	
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	104
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	120
वित्तीय विवरण हेतु टिप्पणियाँ	122
बैलेंस शीट	136
लाभ एवं हानि का विवरण	137
नकदी प्रवाह का विवरण	138
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	140
वित्तीय विवरण हेतु अन्य टिप्पणियाँ	141
समेकित वित्तीय विवरण	
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	171
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	184
वित्तीय विवरण हेतु टिप्पणियाँ	187
बैलेंस शीट	201
लाभ एवं हानि का विवरण	202
नकदी प्रवाह का विवरण	203
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	205
वित्तीय विवरण हेतु अन्य टिप्पणियाँ	206
कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अंतर्गत प्रपत्र एओसी-1 में विवरण	234



अध्यक्ष का वक्तव्य



श्री अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारकों,

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 का 77वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें कंपनी के वित्तीय, परिचालन एवं सामाजिक प्रदर्शन को रेखांकित किया गया है।

वित्तीय प्रदर्शन (वित्तीय वर्ष 2024-25):

- स्टैंडअलोन:
शुद्ध बिक्री बढ़कर 308.95 करोड़ रुपये हुई (वित्तीय वर्ष 2023-24 में 305.28 करोड़ रुपये)।
कुल आय बढ़कर 375.27 करोड़ रुपये हुई (वित्तीय वर्ष 2023-24 में 348.53 करोड़ रुपये)।
कर पूर्व लाभ वित्तीय वर्ष 2024-25 में (28.49) करोड़ रुपये रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह (73.18) करोड़ रुपये था।
- समेकित:
शुद्ध बिक्री 308.95 करोड़ रुपये रही (वित्तीय वर्ष 2023-24 में 305.28 करोड़ रुपये)।
अवधि का लाभ (2.84) करोड़ रुपये रहा [वित्तीय वर्ष 2023-24 में (47.47) करोड़ रुपये] और कुल व्यापक आय (टीसीआई) (0.38) करोड़ रुपये रही [वित्तीय वर्ष 2023-24 में (45.28) करोड़ रुपये]।

परिचालन प्रदर्शन:

विद्वत प्रभाग (चेन्नई):

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रमुख उपलब्धियाँ

- रिकॉर्ड आंतरिक उत्पादन: 755 एमवीए का अब तक का सर्वोच्च उत्पादन हासिल किया।
- भौगोलिक विस्तार और पैन-इंडिया ग्राहक आधार: एकल ग्राहक/राज्य मॉडल से बहु-ग्राहक, पैन-इंडिया उपस्थिति में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आदेश प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश से 50 करोड़ रुपये का पहला आदेश प्राप्त कर एक नए क्षेत्रीय बाज़ार में प्रवेश किया।
- सर्वोच्च आदेश बुकिंग: वित्तीय वर्ष 2024-25 में 153.85 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड आदेश बुकिंग की।
- उत्पाद परीक्षण उपलब्धि: सीपीआरआई में 3 ट्रांसफार्मर रेटिंग (10 एमवीए, 12.5 एमवीए, और 31.5 एमवीए) पर गतिशील शॉर्ट सर्किट परीक्षण पूरा किया। प्रकार परीक्षण 5 वर्षों के लिए मान्य है और इन ट्रांसफार्मरों की श्रेणी में निविदा प्रक्रिया में सहायक होगा।
- गुणवत्ता आश्वासन प्रगति: परीक्षण प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल मान्यता प्रक्रिया पूरी की।

इंजीनियरिंग प्रभाग:

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रमुख उपलब्धियाँ

- रिकॉर्ड आदेश बुकिंग: एक वित्तीय वर्ष में 64.33 करोड़ रुपये की अब तक की सर्वोच्च आदेश बुकिंग हासिल की।
- अवसंरचना विकास: दक्षिण-पूर्वी रेलवे, खड़गपुर में प्रतिदिन 2 मिलियन गैलन जल शोधन संयंत्र का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया।
- नया व्यवसाय प्रवेश: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से विद्वत वाहन चार्जिंग अवसंरचना खंड में प्रवेश किया। पहला विद्वत वाहन चार्जिंग केंद्र अगले 6 महीनों में चालू होने की संभावना है।
- आधुनिकीकरण अभियान: शेड 6 में सीएनसी कटिंग मशीन स्थापित की गई, जिससे 100 मिमी मोटाई तक की प्लेटों की सटीक कटाई संभव हो सकी।

- सुविधा उन्नयन: शेड 6 को वर्षभर कार्य हेतु उन्नत किया गया।

चाय प्रभाग

- श्रमिकों की कमी, बढ़ती लागत एवं मजदूरी, प्रतिकूल जलवायु और थोक नीलामी से खराब मूल्य प्राप्ति के कारण चाय प्रभाग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हालाँकि, समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाए गए हैं, जिनमें असम और पश्चिम बंगाल के उद्यानों में उत्पादित चाय की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट प्रशासन

कंपनी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित शासन मानकों का पालन करती है, जिससे उच्च स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति वर्तमान में प्रगति पर है। एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए डीपीई से 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त हुई और वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी समान रेटिंग की आशा है।

आभार:

मैं हमारे हितधारकों, निदेशक मंडल और भारी उद्योग मंत्रालय का उनके अमूल्य सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हम निरंतर प्रोत्साहन की अपेक्षा करते हैं ताकि सतत विकास और मूल्य सृजन की दिशा में हमारी यात्रा आगे बढ़ती रहे।

स्थान: कोलकाता

तिथि: 10 सितम्बर, 2025

अनंत मोहन सिंह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएन: L63090WB1919GOI003229

पंजीकृत कार्यालय: "यूल हाउस", 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता - 700 001

दूरभाष: (033) 2242-8210/8550; फैक्स: (033) 2242-9770

ईमेल: com.sec@andrewyule.com; वेबसाइट: www.andrewyule.com

सदस्यों को सूचना

सूचित किया जाता है कि एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड की 77वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 10 सितम्बर, 2025 को प्रातः 11.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य आडियो-ट्रश्य माध्यमों के द्वारा भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी नियामकीय प्रावधानों एवं परिपत्रों के अनुरूप आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी:

साधारण कार्य:

- कंपनी के वित्तीय विवरणों को अंगीकृत करना**
इस पर विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने हेतु:
"संकल्प लिया गया कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित, एतद्वारा प्राप्त किए जाएँ, उन पर विचार किया जाए और उन्हें अपनाया जाए।"
- श्री विजय मित्तल (डीआईएन: 09548096), अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित) की नियुक्ति की निरंतरता, जो सेवानिवृत्ति द्वारा रोटेशन के अधीन होंगे**
इस पर विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने हेतु:
"निश्चय किया गया कि सदस्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि श्री विजय मित्तल (डीआईएन: 09548096), अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित) की नियुक्ति की निरंतरता इस वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्ति द्वारा रोटेशन के अधीन रहेगी, जैसा कि कंपनियों अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार है, और यह भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No. 10-10/9/2018-PE.I दिनांक 28 मार्च, 2022 तथा इस संबंध में जारी किए गए अन्य आदेशों (यदि कोई हों) की शर्तों और नियमों के अधीन होगा।"
- श्री संजय वर्मा (डीआईएन: 10373225), निदेशक (वित्त) की नियुक्ति की निरंतरता, जो सेवानिवृत्ति द्वारा रोटेशन के अधीन होंगे**
इस पर विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने हेतु:
"निश्चय किया गया कि सदस्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि श्री संजय वर्मा (डीआईएन: 10373225), निदेशक (वित्त) की नियुक्ति की निरंतरता इस वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्ति द्वारा रोटेशन के अधीन रहेगी, जैसा कि कंपनियों अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार है, और यह भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No. 10-10(1)/2020-PE.I/CPSE.I दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 तथा इस संबंध में जारी किए गए अन्य आदेशों (यदि कोई हों) की शर्तों और नियमों के अधीन होगा।"
- कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारण**
इस पर विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने हेतु:
"निश्चय किया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई नियुक्ति एवं निर्देशों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करें।"

विशेष कार्य:

- श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव (डीआईएन: 09835338) की अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में नियुक्ति की निरंतरता**
इस पर विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने हेतु:
"निश्चय किया गया कि सदस्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव (डीआईएन: 09835338) की अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में निदेशक मंडल में नियुक्ति की निरंतरता कंपनियों अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश क्रमांक F.No. 7(3)/98-PE.IV दिनांक 14 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी और आगे आदेश जारी होने तक, यदि कोई हों, बनी रहेगी।"
"आगे निश्चय किया गया कि कंपनी का निदेशक मंडल इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सभी कार्य, कृत्य, विषय एवं कदम उठाने हेतु अधिकृत है।"



6. **श्री सुन्दर पाल सिंह (डीआईएन: 09438081) की गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की निरंतरता**

इस पर विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने हेतु:

“निश्चय किया गया कि स्वीकृति प्रदान की जाती है कि श्री सुन्दर पाल सिंह (डीआईएन: 09438081) की गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की निरंतरता कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 149 के साथ अनुसूची चतुर्थ तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 एवं 25 के अनुसार भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश क्रमांक F.No. 10(33)/2010-PE.I दिनांक 2 अप्रैल, 2025 से 1 वर्ष की अवधि हेतु, या आगे आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, बनी रहेगी।”

“आगे निश्चय किया गया कि कंपनी का निदेशक मंडल इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सभी कार्य, कृत्य, विषय एवं कदम उठाने हेतु अधिकृत है।”

7. **सुश्री स्वप्ना त्रिपाठी (डीआईएन: 11206098) की गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की निरंतरता**

इस पर विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने हेतु:

“निश्चय किया गया कि सदस्यों की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि सुश्री स्वप्ना त्रिपाठी (डीआईएन: 11206098) की गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की निरंतरता कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 149 के साथ अनुसूची चतुर्थ तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 एवं 25 के अनुसार भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश क्रमांक F.No. 10(33)/2010-PE.I दिनांक 11 जुलाई, 2025 से 3 वर्षों की अवधि हेतु, या आगे आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, बनी रहेगी।”

“आगे निश्चय किया गया कि कंपनी का निदेशक मंडल इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सभी कार्य, कृत्य, विषय एवं कदम उठाने हेतु अधिकृत है।”

8. **कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति**

इस पर विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने हेतु:

“निश्चय किया गया कि कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 204 एवं 179(3) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए कंपनियाँ (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24A (सहित कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन), तथा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार और कंपनी के निदेशक मंडल की स्वीकृति के आधार पर, एम/एस. टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव (फर्म पंजीकरण संख्या: P2007WB067100) को कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार 5 वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा करेंगे, जिनका पारिश्रमिक प्रति वर्ष 15,000 रुपये (केवल पंद्रह हजार रुपये) और लागू वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त होगा।”

“आगे निश्चय किया गया कि कंपनी का निदेशक मंडल इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सभी कार्य, कृत्य, विषय एवं कदम उठाने हेतु अधिकृत है।”

9.9. **कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुमोदन**

इस पर विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने हेतु:

“निश्चय किया गया कि कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 148 एवं अन्य लागू प्रावधानों (सहित कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन) तथा कंपनियाँ (लागत अभिलेख एवं लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार, मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या: 000041), जिन्हें कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कंपनी के लागत अभिलेख की लेखा परीक्षा के लिए लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया है, का पारिश्रमिक 75,000 रुपये (केवल पचहत्तर हजार रुपये) तथा लागू कर अतिरिक्त, अनुमोदित किया जाता है।”

“आगे निश्चय किया गया कि कंपनी का निदेशक मंडल इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सभी कार्य, कृत्य, विषय एवं कदम उठाने हेतु अधिकृत है।”

पंजीकृत कार्यालय:

“यूल हाउस”

8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी,

कोलकाता - 700 001

तिथि: 14 अगस्त, 2025

निदेशक मंडल के आदेश से
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

सुचारिता दास

कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या: FCS5159



टिप्पणियाँ:

1. कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार वार्षिक आम बैठक में पारित किए जाने वाले विशेष कार्य से संबंधित स्पष्टीकरणात्मक विवरण संलग्न है।
2. समय-समय पर भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप, कंपनी की 77वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य आडियो-दृश्य माध्यमों द्वारा आयोजित की जाएगी। वार्षिक आम बैठक का रिकार्डेड प्रतिलेख कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। वार्षिक आम बैठक का आभासी स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा अर्थात यूल हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता-700001।
3. एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। अतः इस वार्षिक आम बैठक में प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसीलिए (क) प्रॉक्सी प्रपत्र, (ख) उपस्थिति पर्ची तथा (ग) मार्ग नक्शा इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं। तथापि, निगम निकाय अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य आडियो-दृश्य माध्यमों द्वारा वार्षिक आम बैठक में सम्मिलित होने और ई-मतदान द्वारा मतदान करने हेतु नियुक्त कर सकते हैं।
4. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण रजिस्टर 4 सितम्बर, 2025 (गुरुवार) से 10 सितम्बर, 2025 (बुधवार) तक, दोनों दिन सम्मिलित, बंद रहेगा।
5. वे कॉर्पोरेट सदस्य जो अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य आडियो-दृश्य माध्यमों द्वारा वार्षिक आम बैठक में सम्मिलित होने और ई-मतदान द्वारा मतदान करने हेतु भेजना चाहते हैं, वे निदेशक मंडल के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति अपने पंजीकृत ईमेल पते से कंपनी को com.sec@andrewyule.com पर भेजें।
6. भारत के राष्ट्रपति के अधिकृत प्रतिनिधि किसी अन्य व्यक्ति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य आडियो-दृश्य माध्यमों द्वारा वार्षिक आम बैठक में सम्मिलित होने और ई-मतदान द्वारा मतदान करने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं।
7. सदस्य वार्षिक आम बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य आडियो-दृश्य माध्यमों द्वारा निर्धारित समय से 30 मिनट पहले दिए गए प्रक्रिया का पालन करके जुड़ सकते हैं। इस सुविधा का लाभ प्रथम 1000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। इसमें बड़े शेयरधारक (जिनके पास 2 प्रतिशत या अधिक शेयरधारिता है), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि सम्मिलित नहीं होंगे, जिन्हें बिना किसी प्रतिबंध के वार्षिक आम बैठक में सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
8. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य आडियो-दृश्य माध्यमों द्वारा वार्षिक आम बैठक में सम्मिलित सदस्यों की उपस्थिति कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना हेतु मानी जाएगी।
9. मेसर्स. एमसीएस शेयर अंतरण अभिकर्ता लिमिटेड, 383 लेक गार्डन्स, प्रथम तल, कोलकाता - 700045 को कंपनी का पंजीकृत एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता नियुक्त किया गया है।
10. नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप इस वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिन्होंने अपने ईमेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत किए हैं। सदस्य यह भी ध्यान दें कि यह सूचना और वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध रहेगा।
11. कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ धारा 142(1) के अनुसार सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है और उनका पारिश्रमिक वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा तय किया जाता है। शेयरधारक निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु उपयुक्त पारिश्रमिक तय करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं।
12. वे सदस्य जिनके पास एक जैसे नाम क्रम में एक से अधिक फोलियो में भौतिक स्वरूप में शेयर हैं, वे अपने इन विवरणों को कंपनी या कंपनी के पंजीकृत अभिकर्ता को भेजें ताकि इन होल्डिंग्स को एक ही फोलियो में एकीकृत किया जा सके।
13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के तहत अनुमत भौतिक रूप में अपनी शेयरधारिता के संबंध में नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19(1) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र SH-13 और SH-14 आरटीए कार्यालय में जमा करें।
14. जिन सदस्यों के शेयर डीमैट स्वरूप में हैं, वे अपने बैंक विवरण, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस), इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) आदेश, नामांकन, पावर ऑफ अटॉर्नी, पता परिवर्तन, नाम परिवर्तन, ईमेल पता, संपर्क नंबर आदि से संबंधित सभी बदलाव अपने

डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को सूचित करें। डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को दी गई जानकारी स्वतः कंपनी के अभिलेखों में प्रदर्शित हो जाएगी, जिससे कंपनी और कंपनी के पंजीकृत अभिकर्ता बेहतर सेवाएँ प्रदान कर सकेंगे। जिन सदस्यों के शेयर भौतिक स्वरूप में हैं, वे बदलाव कंपनी या पंजीकृत अभिकर्ता को सूचित करें।

15. यदि संयुक्त धारक बैठक में सम्मिलित होते हैं, तो केवल वही संयुक्त धारक जो नाम क्रम में ऊपर होगा, मतदान के लिए पात्र होगा।
16. 'हरित पहल' का समर्थन करने हेतु वे सदस्य जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे कंपनी के साथ पंजीकृत करें ताकि सभी संचार जैसे वार्षिक प्रतिवेदन, सूचनाएँ, परिपत्र आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त कर सकें।
17. धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन को रोकने हेतु सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और यथाशीघ्र कंपनी को पते में बदलाव अथवा किसी सदस्य की मृत्यु की सूचना दें। सदस्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खाते लंबे समय तक निष्क्रिय न रखें। संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से समय-समय पर होल्डिंग का विवरण प्राप्त करें और अपनी होल्डिंग की समय-समय पर पुष्टि करें।
18. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांक 3 नवम्बर, 2021 (संशोधित) के अनुसार भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों हेतु पैन, केवाईसी विवरण (जैसे, 1. संपर्क विवरण, 2. मोबाइल नंबर, 3. बैंक खाता विवरण, 4. हस्ताक्षर) तथा नामांकन का विकल्प पंजीकृत करना अनिवार्य किया गया है। आगे, जो सदस्य भौतिक स्वरूप में शेयर रखते हैं और जिनके फोलियो उपरोक्त विवरणों से अद्यतन नहीं हैं, उन्हें 1 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा। इस संबंध में संचार उन सभी भौतिक धारकों को भेजा गया है जिनके फोलियो नवीनतम पते/ईमेल पते पर केवाईसी अनुपालक नहीं हैं। सदस्यों से पुनः अनुरोध है कि वे निवेशक सेवा अनुरोध (आईएसआर) प्रपत्र, जैसे आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3/एसएच-13, आवश्यकतानुसार पूर्ण कर, हस्ताक्षरित कर कंपनी के पंजीकृत अभिकर्ता को प्रस्तुत करें। आईएसआर प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com पर उपलब्ध हैं।
19. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार, केवल पुनः अभिलेखित करने हेतु एक विशेष खिड़की खोली जाएगी, जो स्थानांतरण विलेख 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व प्रस्तुत किए गए थे और दस्तावेज़/प्रक्रिया की कमी अथवा अन्य कारणों से अस्वीकृत/लौटाए गए/निराकृत नहीं हुए। यह सुविधा 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक 6 माह की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। इस अवधि में पुनः अभिलेखित प्रतिभूतियाँ केवल डीमैट स्वरूप में जारी की जाएँगी। ऐसी स्थानांतरण-सहित-डीमैट अनुरोधों हेतु नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
20. कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) तथा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 (संशोधित) के अनुसार, जिन लाभांशों और शेयरों के संबंध में लाभांश का दावा लगातार 7 वर्षों या उससे अधिक समय तक नहीं किया गया है, उन्हें कंपनी द्वारा भारत सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरण करना आवश्यक है। उपर्युक्त के अनुसार, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश और वे शेयर जिनके संबंध में लाभांश हकदारी अदावाकृत नहीं है, केन्द्र सरकार के निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।
21. 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए दावा न किए गए लाभांश और वे शेयर जिनके संबंध में लाभांश पात्रता लगातार सात वर्षों तक दावा न की गई हो, उन्हें अधिनियम की धारा 124 के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 के अनुसार क्रमशः 2 नवंबर, 2025 और 6 अक्टूबर, 2030 को केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाएगा।
सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए दावा न किए गए लाभांश का दावा जल्द से जल्द किया जाए ताकि शेयरों को आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित होने से बचाया जा सके। यह ध्यान देने योग्य है कि एक बार दावा न किए गए लाभांश और शेयर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, केंद्र सरकार को स्थानांतरित कर दिए जाने के बाद, उन पर कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। कंपनी ने 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के पास पड़ी अवैतनिक और दावा न की गई राशि का विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.andrewyule.com) और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है।
22. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्तावित निदेशकों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी इस सूचना का अभिन्न अंग है।
23. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (संशोधित) के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों का अंतरण केवल डीमैट स्वरूप में किया जाएगा। अतः भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को डीमैट स्वरूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में सहायता हेतु कंपनी अथवा कंपनी के पंजीकृत अभिकर्ता एमसीएस शेयर अंतरण अभिकर्ता लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।



24. कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अंतर्गत रखे जाने वाले निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का रजिस्टर तथा उनकी शेयर होल्डिंग, धारा 189 के अंतर्गत रखे जाने वाले निदेशकों की रुचि वाले अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर तथा इस सूचना में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज़ वार्षिक आम बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।
25. इस सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज़ वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इस सूचना के प्रसार की तिथि से बिना किसी शुल्क के सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे। ऐसे दस्तावेज़ों का निरीक्षण चाहने वाले सदस्य कंपनी को com.sec@andrewyule.com पर ईमेल भेज सकते हैं।
26. अनिवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के पंजीकृत अभिकर्ता को तुरंत सूचित करें:
 - (क) भारत लौटकर स्थायी निवास लेने पर अपने आवासीय स्थिति में परिवर्तन।
 - (ख) भारत में रखे गए अपने बैंक खाते का विवरण, जिसमें बैंक का पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार, खाता संख्या तथा बैंक का पता पिन कोड सहित सम्मिलित हो, यदि पहले से उपलब्ध न कराया हो।
27. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 द्वारा संशोधित, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक (एसएस2) और सेबी परिपत्रों के साथ पठित एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को 77वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में विचार किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है और कारोबार ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से किया जा सकता है। सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी।

दूरस्थ ई-मतदान हेतु निर्देश इस प्रकार हैं:

दूरस्थ ई-मतदान की अवधि रविवार, 7 सितम्बर, 2025 (प्रातः 9.00 बजे) से प्रारम्भ होकर मंगलवार, 9 सितम्बर, 2025 (सायं 5.00 बजे) तक रहेगी। इसके पश्चात एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल मतदान हेतु अक्षम कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम सदस्यों/लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में अभिलेख तिथि (कट-ऑफ तिथि) अर्थात् 3 सितम्बर, 2025 तक अंकित हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मत प्रदान कर सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार उनकी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा जैसा कि कट-ऑफ तिथि 3 सितम्बर, 2025 को है।

एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने का तरीका “दो चरणों” में है, जो नीचे वर्णित है:

चरण 1: एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली तक पहुँच

(क) डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों हेतु ई-मतदान की लॉगिन विधि:

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 के परिपत्र के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-मतदान सुविधा के अंतर्गत, डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को अपने डिपॉजिटरी एवं डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ रखे गए डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-मतदान सुविधा का उपयोग करने हेतु अपने डीमैट खातों में मोबाइल नंबर और ईमेल पता अद्यतन कर लें।

डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों हेतु लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
व्यक्तिगत शेयरधारक जो एनएसडीएल के साथ डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं।	1. यदि आप पहले से एनएसडीएल आईडीयस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवाएँ वेबसाइट पर जाएँ। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलकर यह यूआरएल टाइप करें: https://eservices.nsdl.com/ । जैसे ही ई-सेवाएँ का मुखपृष्ठ खुलता है, "आईडीयस" खंड के अंतर्गत उपलब्ध "लाभकारी स्वामी" चिह्न पर क्लिक करें। एक नया पृष्ठ खुलेगा। आपको अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद आप ई-मतदान सेवाएँ देख पाएँगे। ई-मतदान सेवाओं के अंतर्गत "ई-मतदान तक पहुँच" पर क्लिक करें और आप ई-मतदान पृष्ठ देख पाएँगे। कंपनी के नाम अथवा ई-मतदान सेवा प्रदाता – एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आप दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मत देने हेतु एनएसडीएल ई-मतदान वेबसाइट पर पुनः निर्देशित हो जाएँगे। 2. यदि उपयोगकर्ता आईडीयस ई-सेवाओं हेतु पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आईडीयस हेतु ऑनलाइन पंजीकरण" पोर्टल चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाएँ। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलकर यह यूआरएल टाइप करें: https://www.evoting.nsdl.com/ । जैसे ही ई-मतदान प्रणाली का मुखपृष्ठ खुलता है, "शेयरधारक/सदस्य" खंड के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगिन" चिह्न पर क्लिक करें। एक नया पृष्ठ खुलेगा। आपको अपना उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात् आपका 16 अंकों का डीमैट खाता संख्या जो एनएसडीएल के साथ है), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद आप एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित होंगे जहाँ आप ई-मतदान पृष्ठ देख सकेंगे। कंपनी के नाम अथवा ई-मतदान सेवा प्रदाता – एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आप दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मत देने या बैठक में वर्चुअल रूप से सम्मिलित होकर मतदान करने हेतु एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर पुनः निर्देशित हो जाएँगे। 4. शेयरधारक/सदस्य नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल एप "एनएसडीएल स्पीड" सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे उन्हें निर्बाध मतदान अनुभव प्राप्त होगा। NSDL Mobile App is available on  App Store  Google Play  
व्यक्तिगत शेयरधारक जो सीडीएसएल के साथ डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं।	1. वे मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईजी / ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। उन्हें बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के सीधे ई-मतदान पृष्ठ तक पहुँचने का विकल्प उपलब्ध होगा। ईजी / ईजीएस्ट हेतु लॉगिन करने का यूआरएल है: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com और वहाँ "न्यू सिस्टम माईईजी" पर क्लिक करें। 2. ईजी/ईजीएस्ट में सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई-मतदान मेनू भी देख पाएँगे। इस मेनू में ई-मतदान सेवा प्रदाताओं के लिंक होंगे, जैसे एनएसडीएल। मतदान करने हेतु एनएसडीएल पर क्लिक करें। 3. यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता सीधे ई-मतदान पृष्ठ तक www.cdslindia.com के मुखपृष्ठ पर दिए गए लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन संख्या प्रदान करके पहुँच सकते हैं। प्रणाली उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर ओटीपी भेजकर करेगी, जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है। सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी, अर्थात् एनएसडीएल, के लिंक प्रदान किए जाएँगे जहाँ ई-मतदान चल रहा है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (जो डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं।	आप अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (जो एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है) के माध्यम से अपने डीमैट खाते की लॉगिन जानकारी का उपयोग कर ई-मतदान सुविधा हेतु लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आप ई-मतदान विकल्प देख पाएँगे। जैसे ही आप ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करेंगे, सफल प्रमाणीकरण के बाद आप एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित हो जाएँगे, जहाँ आप ई-मतदान सुविधा देख पाएँगे। कंपनी के नाम अथवा ई-मतदान सेवा प्रदाता – एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आप दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मत देने या बैठक में वर्चुअल रूप से सम्मिलित होकर मतदान करने हेतु एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर पुनः निर्देशित हो जाएँगे।

महत्वपूर्ण टिप्पणी: जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता आईडी भूल गए" और "पासवर्ड भूल गए" विकल्प का उपयोग करें।



डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों हेतु लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सहायता कक्ष, अर्थात् डिपॉजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल।

लॉगिन का प्रकार	सहायता कक्ष
व्यक्तिगत शेयरधारक जो एनएसडीएल के साथ डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य एनएसडीएल सहायता कक्ष से संपर्क कर सकते हैं, इसके लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजें या 022 - 4886 7000 पर कॉल करें।
व्यक्तिगत शेयरधारक जो सीडीएसएल के साथ डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य सीडीएसएल सहायता कक्ष से संपर्क कर सकते हैं, इसके लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजें या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क करें।

ख) उन शेयरधारकों हेतु लॉगिन विधि जो व्यक्तिगत शेयरधारक नहीं हैं और डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं तथा वे शेयरधारक जो भौतिक स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं:

1. एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाएँ। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलकर यह यूआरएल टाइप करें: <https://www.evoting.nsdl.com/>।
2. जैसे ही ई-मतदान प्रणाली का मुखपृष्ठ खुलता है, "शेयरधारक/सदस्य" खंड के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगिन" चिह्न पर क्लिक करें।
3. एक नया पृष्ठ खुलेगा। आपको अपना उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।
वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाओं अर्थात् आईडीयस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप <https://eservices.nsdl.com/> पर अपने मौजूदा आईडीयस लॉगिन से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विवरण का उपयोग करने के बाद जब आप एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉगिन करेंगे, तब "ई-मतदान" पर क्लिक करें और चरण 2 अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत डालने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएँ।
4. आपके उपयोगकर्ता आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर रखने का तरीका अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका उपयोगकर्ता आईडी है:
क) वे सदस्य जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 अक्षर का डीपी आईडी जिसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी होता है। उदाहरण के लिए यदि आपका डीपी आईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12***** है तो आपका उपयोगकर्ता आईडी IN30012*** होगा।
ख) वे सदस्य जो सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	16 अंकों का लाभार्थी आईडी। उदाहरण के लिए यदि आपका लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपका उपयोगकर्ता आईडी 12***** होगा।
ग) वे सदस्य जो भौतिक स्वरूप में शेयर रखते हैं।	ईवीईएन संख्या जिसके बाद कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या होती है। उदाहरण के लिए यदि फोलियो संख्या 001*** है और ईवीईएन 101456 है तो उपयोगकर्ता आईडी 101456001*** होगा।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों हेतु पासवर्ड का विवरण नीचे दिया गया है:
 - क) यदि आप पहले से ई-मतदान हेतु पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं।
 - ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको वह 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त करना होगा जो आपको भेजा गया था। एक बार जब आप 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको उसे दर्ज करना होगा और प्रणाली आपको पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगी।
 - ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?
 - (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर भेजा गया है। अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल से भेजा गया ईमेल देखें। ईमेल खोलें और उसमें संलग्न पीडीएफ फाइल खोलें।

.पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वालों के लिए फोलियो संख्या होगा। इस .पीडीएफ फाइल में आपका 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होगा।

- (ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए बताए गए चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।
6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आपको प्राप्त नहीं हुआ है अथवा आपने अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
 - क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?" (यदि आपके शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल के डीमैट खाते में हैं) विकल्प पर क्लिक करें।
 - ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "भौतिक उपयोगकर्ता पासवर्ड रीसेट?" (यदि आपके शेयर भौतिक स्वरूप में हैं) विकल्प पर क्लिक करें।
 - ग) यदि उपरोक्त दोनों विकल्पों से भी आप पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं और अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपना पैन, अपना नाम और पंजीकृत पता आदि उल्लेख करें।
 - घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली पर मतदान हेतु ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स का चयन कर "नियम और शर्तें" स्वीकार करें।
8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-मतदान का मुखपृष्ठ खुल जाएगा।

चरण 2: एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत डालें:

1. चरण 1 में सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों के "ईवीईएन" देख पाएंगे जिनमें आपके पास शेयर हैं और जिनकी मतदान प्रक्रिया सक्रिय है।
2. उस कंपनी का "ईवीईएन" चुनें जिसके लिए आप दूरस्थ ई-मतदान अवधि में अपना मत देना चाहते हैं।
3. जैसे ही मतदान पृष्ठ खुलता है, आप ई-मतदान के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्प चुनकर अपना मत डालें, जैसे समर्थन या असहमति, उन शेयरों की संख्या की पुष्टि/संशोधन करें जिनके लिए आप मतदान करना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें तथा जब पूछा जाए तो "कन्फर्म" भी करें।
5. पुष्टि करने पर संदेश प्रदर्शित होगा – "मतदान सफलतापूर्वक पूरा हुआ"।
6. आप पुष्टि पृष्ठ पर उपलब्ध प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए मतों की प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।
7. एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपने मत की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों हेतु सामान्य दिशा-निर्देश:

- i. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तिगत, हिन्दू अविभाजित परिवार, अनिवासी भारतीय आदि को छोड़कर) को यह आवश्यक है कि वे निदेशक मंडल का प्रस्ताव/अधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) जिसमें विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरी के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर हों, ईमेल द्वारा परीक्षक को aklabhcs@gmail.com पर भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl.com पर भी अंकित करें। वे अपने निदेशक मंडल के प्रस्ताव/पावर ऑफ अटॉर्नी/अधिकार पत्र आदि को अपने लॉगिन में "ई-मतदान" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड रेज़ोल्यूशन/ऑथोरिटी लेटर" पर क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं।
- ii. कोई भी व्यक्ति जो भौतिक स्वरूप में शेयर रखता है तथा गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक है और जिसने इस सूचना के ईमेल से भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर अर्जित किए हैं और 3 सितम्बर, 2025 की अभिलेख तिथि तक सदस्य बन गया है, वह लॉगिन आईडी और पासवर्ड evoting@nsdl.com या जारीकर्ता/पंजीकृत अभिकर्ता को अनुरोध भेजकर प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि आप पहले से एनएसडीएल के साथ दूरस्थ ई-मतदान हेतु पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर मतदान कर सकते हैं। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए" या "भौतिक उपयोगकर्ता पासवर्ड रीसेट" विकल्प का उपयोग करके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। जिन व्यक्तिगत शेयरधारकों ने डीमैट स्वरूप में कंपनी के शेयर



अर्जित किए हैं और 3 सितम्बर, 2025 की अभिलेख तिथि तक सदस्य बन गए हैं, वे वार्षिक आम बैठक की सूचना में चरण 1 “एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली तक पहुँच” में उल्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं।

- iii. यह दृढ़ता से अनुशंसित है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और उसे गोपनीय बनाए रखने हेतु पूर्ण सावधानी बरतें। यदि सही पासवर्ड डालने के 5 असफल प्रयास होते हैं, तो ई-मतदान वेबसाइट का लॉगिन अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध “उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए” या “भौतिक उपयोगकर्ता पासवर्ड रीसेट” विकल्प का उपयोग कर पासवर्ड रीसेट करना होगा।
- iv. दूरस्थ ई-मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत की स्थिति में, सदस्य एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट www.evoting.nsdl.com के ‘डाउनलोड्स’ खंड में शेयरधारकों हेतु प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों हेतु दूरस्थ ई-मतदान उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या एनएसडीएल के सहायक प्रबंधक श्री प्रीतम दत्ता से 022-4886 7000 पर या ईमेल आईडी evoting@nsdl.com / pritam-d@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं।
- v. श्री अतुल कुमार लभ, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस-4848/सीपी-3238), एम/एस ए. के. लभ एंड कंपनी, कंपनी सचिव, को 77वीं वार्षिक आम बैठक और दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से जांचने हेतु परीक्षक नियुक्त किया गया है।
- vi. 77वीं वार्षिक आम बैठक में ई-मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और जो सदस्य दूरस्थ ई-मतदान द्वारा पहले ही मतदान नहीं कर चुके हैं, वे संबंधित बैठक में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे।
- vii. परीक्षक, सामान्य बैठक में मतदान समाप्त होते ही, पहले बैठक में डाले गए मतों की गणना करेंगे और तत्पश्चात कंपनी के रोजगार में न होने वाले कम से कम 2 गवाहों की उपस्थिति में दूरस्थ ई-मतदान द्वारा डाले गए मतों को अनब्लॉक करेंगे और बैठक की समाप्ति के अधिकतम 2 कार्य दिवसों के भीतर, डाले गए कुल मतों (पक्ष और विपक्ष) की समेकित रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेंगे, जो उस पर हस्ताक्षर कर मतदान का परिणाम तत्काल घोषित करेंगे।
- viii. जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व दूरस्थ ई-मतदान द्वारा मतदान कर लिया है, वे वार्षिक आम बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य आडियो-दृश्य माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु वे पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- ix. कंपनी के वे सदस्य जिनके पास 3 सितम्बर, 2025 को शेयर हैं, वे दूरस्थ ई-मतदान अथवा 77वीं वार्षिक आम बैठक में मतदान का विकल्प चुन सकते हैं।
- x. परीक्षक की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के तुरंत बाद उपलब्ध करा दिया जाएगा और इसे बीएसई लिमिटेड (बीएसई), जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भी सूचित किया जाएगा।

उन शेयरधारकों हेतु प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं और इस सूचना में उल्लिखित संकल्पों पर ई-मतदान हेतु उपयोगकर्ता आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना एवं ईमेल आईडी पंजीकृत करना है:

1. यदि शेयर भौतिक स्वरूप में रखे गए हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (सामने और पीछे), पैन (स्वयं द्वारा सत्यापित पैन कार्ड की स्कैन प्रति), आधार (स्वयं द्वारा सत्यापित आधार कार्ड की स्कैन प्रति) ईमेल द्वारा com.sec@andrewyule.com पर भेजें।
2. यदि शेयर डीमैट स्वरूप में रखे गए हैं तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (स्वयं द्वारा सत्यापित पैन कार्ड की स्कैन प्रति), आधार (स्वयं द्वारा सत्यापित आधार कार्ड की स्कैन प्रति) com.sec@andrewyule.com पर भेजें।
3. यदि आप डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि लॉगिन विधि चरण 1 (क) अर्थात् डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों हेतु ई-मतदान की लॉगिन विधि देखें।
4. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य evoting@nsdl.com पर उपर्युक्त दस्तावेज़ भेजकर ई-मतदान हेतु उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु अनुरोध भेज सकते हैं।
5. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-मतदान सुविधा के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के 9 दिसम्बर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को अपने डिपॉजिटरी एवं डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ रखे गए डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही-सही अद्यतन करना आवश्यक है ताकि वे ई-मतदान सुविधा का उपयोग कर सकें।

वार्षिक आम बैठक के दिन ई-मतदान हेतु सदस्यों के लिए निर्देश:

1. वार्षिक आम बैठक के दिन ई-मतदान की प्रक्रिया वही होगी जो ऊपर दूरस्थ ई-मतदान हेतु बताई गई है।
2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक जो वार्षिक आम बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य आडियो-व्हॉइस माध्यम से उपस्थित होंगे और जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना मत नहीं दिया है तथा ऐसा करने से अन्यथा वंचित नहीं हैं, वे वार्षिक आम बैठक में ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-मतदान द्वारा मतदान किया है, वे वार्षिक आम बैठक में सम्मिलित हो सकेंगे। हालांकि, वे वार्षिक आम बैठक में पुनः मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. वार्षिक आम बैठक के दिन ई-मतदान सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत हेतु वही व्यक्ति संपर्क योग्य होगा जिसका उल्लेख दूरस्थ ई-मतदान हेतु किया गया है।

वार्षिक आम बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य आडियो-व्हॉइस माध्यम से सम्मिलित होने हेतु सदस्यों के लिए निर्देश:

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में सम्मिलित होने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली तक पहुँच हेतु ऊपर बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद आप "सामान्य बैठक में सम्मिलित हों" मेन्यू के अंतर्गत कंपनी के नाम के सामने उपलब्ध "वीसी/ओएवीएम लिंक" देख पाएँगे। आपसे अनुरोध है कि इस लिंक पर क्लिक करें। यह लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी का ईवीईएन प्रदर्शित होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-मतदान हेतु उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या जिन्होंने उसे भूल गए हैं, वे इस सूचना में दिए गए दूरस्थ ई-मतदान निर्देशों का पालन करके उसे प्राप्त कर सकते हैं ताकि अंतिम समय की समस्या से बचा जा सके।
2. सदस्यों को बेहतर अनुभव हेतु बैठक में लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए सदस्यों को कैमरा चालू रखने और अच्छे इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट से लैपटॉप जोड़ने वाले प्रतिभागियों को नेटवर्क उतार-चढ़ाव के कारण आडियो/वीडियो में समस्या हो सकती है। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें।
5. वे सदस्य जो बैठक में वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे 3 सितम्बर, 2025 (सायं 5:00 बजे) तक अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/फोलियो संख्या, पैन और मोबाइल नंबर उल्लेख करते हुए com.sec@andrewyule.com पर अनुरोध भेजकर पूर्व-पंजीकरण कर सकते हैं और अपने प्रश्न अग्रिम में भेज सकते हैं। कंपनी द्वारा उन पर उपयुक्त रूप से उत्तर दिया जाएगा।
6. केवल वे शेयरधारक जिन्हें वक्ता के रूप में पूर्व-पंजीकृत किया गया है, वे ही बैठक में अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे/प्रश्न पूछ सकेंगे।
7. जब कोई पूर्व-पंजीकृत वक्ता बैठक में बोलने हेतु आमंत्रित किया जाए और वह उत्तर न दे, तो अगले वक्ता को आमंत्रित किया जाएगा। इसलिए सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि वे अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ वीडियो/कैमरा युक्त उपकरण से जुड़े रहें।
8. कंपनी वार्षिक आम बैठक के सुचारु संचालन हेतु प्रश्नों और वक्ताओं की संख्या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
9. जो सदस्य वार्षिक आम बैठक से पूर्व अथवा बैठक के दौरान सहायता चाहते हैं, वे एनएसडीएल के सहायक प्रबंधक श्री प्रीतम दत्ता से evoting@nsdl.com / pritamd@nsdl.com पर या 022 - 4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं।

पंजीकृत कार्यालय:
"यूल हाउस"
8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी,
कोलकाता - 700 001
तिथि: 14 अगस्त, 2025

निदेशक मंडल के आदेश से
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

सुचारिता दास
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: FCS5159



व्याख्यात्मक विवरण
कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार

विषय संख्या 5

भारत सरकार ने आदेश संख्या F. No. 7(3)/98-PE.IV दिनांक 14 जुलाई, 2025, जो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, के अंतर्गत श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव (डीआइएन: 09835338) को कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में 14 जुलाई, 2025 से प्रभावी तथा आगे आदेश जारी होने तक नियुक्त किया है। तदनुसार, श्री श्रीवास्तव को कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अंतर्गत 14 जुलाई, 2025 से प्रभावी अतिरिक्त निदेशक के रूप में निदेशक मंडल में सम्मिलित किया गया।

श्री श्रीवास्तव, जिन्होंने भौतिकी में स्नातकोत्तर एवं मानव संसाधन प्रबंधन में एमबीए किया है, को सरकारी सेवा में नीति निर्माण, क्रियान्वयन, संचालन, मानव संसाधन, वित्त और संसदीय विषयों में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने भारी उद्योग, नागरिक उड्डयन, विदेश, गृह और इस्पात मंत्रालयों तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

सरकारी नामित होने के कारण वे कंपनी से पारिश्रमिक नहीं लेते, कंपनी में कोई शेयर नहीं रखते और अन्य निदेशकों, प्रबंधक या कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से उनका कोई संबंध नहीं है। उनकी नियुक्ति 14 जुलाई, 2025 से प्रभावी होने के कारण उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसी भी निदेशक मंडल की बैठक में भाग नहीं लिया।

लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, वे आगामी वार्षिक आम बैठक तक पद पर बने रहेंगे और नियुक्ति के पात्र हैं। कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक वैध सूचना प्राप्त हुई है। निदेशक मंडल उनकी नियुक्ति को कंपनी के हित में मानता है और सूचना के विषय संख्या 5 में उल्लिखित प्रस्ताव को सदस्यों की स्वीकृति हेतु साधारण प्रस्ताव के रूप में अनुशंसा करता है।

श्री श्रीवास्तव को छोड़कर, जो नियुक्त हो रहे हैं, कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके संबंधियों का इस प्रस्ताव से कोई आर्थिक या अन्य प्रकार का सरोकार अथवा हित नहीं है।

विषय संख्या 6

भारत सरकार ने आदेश संख्या F No.10(33)/2010-PE.I दिनांक 2 अप्रैल, 2025, जो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, के अंतर्गत श्री सुन्दर पाल सिंह (डीआइएन: 09438081) को कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 1 वर्ष की अवधि अथवा आगे आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, 2 अप्रैल, 2025 से प्रभावी नियुक्त किया है। तदनुसार, श्री सिंह को कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अंतर्गत 2 अप्रैल, 2025 से प्रभावी अतिरिक्त निदेशक के रूप में निदेशक मंडल में सम्मिलित किया गया।

श्री सिंह, बी.ए. और एलएलबी, कानून, प्रशासन, प्रबंधन, संचार एवं सामाजिक सेवा में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनका ग्रामीण प्रबंधन और कृषि, विशेषकर गन्ना खेती में उत्कृष्ट कार्य रिकॉर्ड है और वे जिला न्यायालय बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में अग्रणी विधि व्यवसायी हैं।

स्वतंत्र निदेशक होने के नाते, श्री सिंह बोर्ड एवं इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क पाने के हकदार हैं। वे कंपनी में कोई शेयर नहीं रखते और अन्य निदेशकों, प्रबंधक या कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से उनका कोई संबंध नहीं है। उनकी नियुक्ति 2 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होने के कारण उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसी भी निदेशक मंडल की बैठक में भाग नहीं लिया।

लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, श्री सिंह आगामी वार्षिक आम बैठक तक पद पर बने रहेंगे और नियुक्ति के पात्र हैं। कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक वैध सूचना प्राप्त हुई है। श्री सिंह ने यह घोषणा भी प्रस्तुत की है कि वे कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 16 में निर्दिष्ट स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। निदेशक मंडल इस बात से संतुष्ट है कि वे स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की शर्तें पूरी करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

निदेशक मंडल उनकी नियुक्ति को कंपनी के सर्वोत्तम हित में मानता है और सूचना के विषय संख्या 6 में उल्लिखित प्रस्ताव को सदस्यों की स्वीकृति हेतु विशेष प्रस्ताव के रूप में अनुशंसा करता है।

श्री सिंह को छोड़कर, जो नियुक्त हो रहे हैं, कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके संबंधियों का इस प्रस्ताव से कोई आर्थिक या अन्य प्रकार का सरोकार अथवा हित नहीं है।

विषय संख्या 7

भारत सरकार ने आदेश संख्या F No.10(33)/2010-PE.I दिनांक 11 जुलाई, 2025, जो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, के अंतर्गत सुश्री स्वप्ना त्रिपाठी (डीआइएन: 11206098) को कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 3 वर्ष की अवधि अथवा आगे आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है। तदनुसार, सुश्री त्रिपाठी को कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अंतर्गत 22 जुलाई, 2025 (जिस तिथि को उनका डीआइएन प्राप्त हुआ) से प्रभावी अतिरिक्त निदेशक के रूप में निदेशक मंडल में सम्मिलित किया गया।

सुश्री त्रिपाठी ने उत्कल विश्वविद्यालय, ओडिशा से सामाजिक कार्य (एमएसडब्ल्यू) में एमए तथा उत्कल विश्वविद्यालय, ओडिशा से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की

है। उन्हें परामर्श एवं जागरूकता, योजना, निगरानी और गैर-सरकारी संगठनों की क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में विविध अनुभव प्राप्त है।

स्वतंत्र निदेशक होने के नाते, सुश्री त्रिपाठी बोर्ड एवं इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क पाने की हकदार हैं। वे कंपनी में कोई शेयर नहीं रखतीं और अन्य निदेशकों, प्रबंधक या कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से उनका कोई संबंध नहीं है। उनकी नियुक्ति 22 जुलाई, 2025 से प्रभावी होने के कारण उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसी भी निदेशक मंडल की बैठक में भाग नहीं लिया।

लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सुश्री त्रिपाठी आगामी वार्षिक आम बैठक तक पद पर बनी रहेंगी और नियुक्ति की पात्र हैं। कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए एक वैध सूचना प्राप्त हुई है। सुश्री त्रिपाठी ने यह घोषणा भी प्रस्तुत की है कि वे कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 16 में निर्दिष्ट स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। निदेशक मंडल इस बात से संतुष्ट है कि वे स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की शर्तें पूरी करती हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

निदेशक मंडल उनकी नियुक्ति को कंपनी के सर्वोत्तम हित में मानता है और सूचना के विषय संख्या 7 में उल्लिखित प्रस्ताव को सदस्यों की स्वीकृति हेतु विशेष प्रस्ताव के रूप में अनुशंसा करता है।

सुश्री त्रिपाठी को छोड़कर, जो नियुक्त हो रही हैं, कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके संबंधियों का इस प्रस्ताव से कोई आर्थिक या अन्य प्रकार का सरोकार अथवा हित नहीं है।

विषय संख्या 8

कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक दिनांक 29 मई, 2025 को, लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24ए (संशोधित) के अनुसार, एम/एस टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, को कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त करने की स्वीकृति दी है, जो 5 (पाँच) लगातार वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक सचिवीय लेखा परीक्षा करेंगे। इनके लिए पारिश्रमिक प्रति वर्ष 15,000/- रुपये (केवल पंद्रह हजार रुपये) तथा लागू वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त होगा, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन है। एम/एस टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स, एक पीयर रिव्यूड फर्म है, जिसके पास 19 वर्षों से अधिक का अनुभव है और इसमें अनुभवी तथा योग्य कंपनी सचिवों की टीम है।

एम/एस टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स ने कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने की सहमति दी है और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24ए तथा 31 दिसम्बर, 2024 के सेबी परिपत्र के अनुसार निर्धारित शर्तों के अनुपालन की पुष्टि भी की है।

निदेशक मंडल इस नियुक्ति को कंपनी के हित में मानता है और सूचना के विषय संख्या 8 में उल्लिखित प्रस्ताव को सदस्यों की स्वीकृति हेतु साधारण प्रस्ताव के रूप में अनुशंसा करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके संबंधियों का इस प्रस्ताव से कोई आर्थिक या अन्य प्रकार का सरोकार अथवा हित नहीं है।

विषय संख्या 9

कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी 273वीं बैठक दिनांक 14 अगस्त, 2025 को एम/एस बंधोपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 000041), को कंपनी के लागत अभिलेखों की वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु लेखा परीक्षा करने के लिए लागत लेखा परीक्षक नियुक्त करने की स्वीकृति दी है। इनके लिए पारिश्रमिक 75,000/- रुपये (केवल पचहत्तर हजार रुपये) तथा लागू कर अतिरिक्त होगा।

अधिनियम की धारा 148 तथा कंपनियाँ (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक का अनुमोदन कंपनी के सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

तदनुसार, निदेशक मंडल सूचना के विषय संख्या 9 में उल्लिखित प्रस्ताव को सदस्यों की स्वीकृति हेतु साधारण प्रस्ताव के रूप में अनुशंसा करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा उनके संबंधियों का इस प्रस्ताव से किसी भी प्रकार का आर्थिक या अन्य प्रकार का सरोकार अथवा हित नहीं है।

पंजीकृत कार्यालय:

"यूल हाउस"

8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी,

कोलकाता - 700 001

तिथि: 14 अगस्त, 2025

निदेशक मंडल के आदेश से
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड हेतु

सुचारिता दास

कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या: FCS5159



77वीं वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का विवरण, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) (संशोधित) तथा सचिवीय मानक - II (सामान्य बैठकों पर) के अनुसार:

निदेशक का नाम	श्री विजय मित्तल	श्री संजय वर्मा	श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव	श्री सुन्दर पाल सिंह	सुश्री स्वप्ना त्रिपाठी
संक्षिप्त प्रोफाइल	श्री मित्तल ने उत्तराखंड के पंतनगर स्थित प्रौद्योगिकी महाविद्यालय से विद्वत् अभियांत्रिकी में बी.टेक किया है तथा ऊर्जा और सतत विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईएसडी) प्राप्त किया है। उन्होंने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली से लोक प्रशासन में मास्टर्स डिप्लोमा (एमडीपीए) भी किया है। वे भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (आईओएफएस: 1991) से संबंधित हैं और भारी उद्योग मंत्रालय में शामिल होने से पूर्व वे रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के रक्षा उत्पादन विभाग के आयुध निदेशालय में उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे।	श्री वर्मा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं। वे निरंतर सीखने में विश्वास रखते हैं और उन्होंने अपने कौशल को एनआईएफएम, फरीदाबाद से वित्तीय प्रबंधन में पीजीईपी, आईसीएआई से फॉरेक्स एवं ट्रेजरी प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम तथा आईआईएम बैंगलोर से प्रबंधन कौशल में प्रशिक्षण द्वारा और उन्नत किया है। श्री वर्मा को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में समृद्ध अनुभव प्राप्त है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, श्री वर्मा ने भेल और एनएचएआई में वित्तीय कार्यों के विभिन्न पहलुओं में सुधारों की शुरुआत की, जिससे परिचालन की दक्षता और कंपनी की वित्तीय स्थिति में व्यापक सुधार हुआ और साथ ही जोखिमों को कम करने में भी मदद मिली।	श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव भौतिकी में स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने मानव संसाधन प्रबंधन में एमबीए किया है। श्री श्रीवास्तव को 32 वर्षों से अधिक का विविध सरकारी सेवा का अनुभव है, जिसमें नीति निर्माण, क्रियान्वयन, संचालन, मानव संसाधन, वित्त और संसदीय विषय शामिल हैं। उन्होंने भारी उद्योग, नागरिक उड्डयन, विदेश, गृह और इस्पात मंत्रालयों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया है।	श्री सिंह ने बी.ए. और एलएलबी किया है। उन्हें कानून, प्रशासन, प्रबंधन, संचार और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है। श्री सिंह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनका ग्रामीण प्रबंधन और कृषि में सिद्ध अनुभव है, विशेषकर गन्ना खेती में विशेषज्ञता। वे बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालय में अग्रणी विधि व्यवसायी भी हैं।	सुश्री त्रिपाठी ने सामाजिक कार्य (एमएसडब्ल्यू) में एमए और एलएलबी किया है। सुश्री त्रिपाठी को परामर्श एवं जागरूकता, योजना, निगरानी तथा गैर-सरकारी संगठनों की क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में विविध अनुभव प्राप्त है।
जन्म तिथि (आयु वर्षों में)	2 अगस्त, 1967 (58 वर्ष)	3 नवंबर, 1969 (56 वर्ष)	1 जनवरी, 1968 (57 वर्ष)	1 जुलाई, 1965 (60 वर्ष)	2 जनवरी, 1971 (54 वर्ष)
निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	09548096	10373225	09835338	09438081	11206098
नियुक्ति की तिथि	28 मार्च, 2022	29 नवंबर, 2023	14 जुलाई, 2025	2 अप्रैल, 2025	22 जुलाई, 2025

नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति की शर्तें और नियम, जिसमें पारिश्रमिक सम्मिलित है	भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार।				
योग्यता	बी. टेक (विद्वत्), ऊर्जा और सतत विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईएसडी), लोक प्रशासन में मास्टर्स डिप्लोमा (एमडीपीए), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली से	चार्टर्ड अकाउंटेंट, वाणिज्य में स्नातकोत्तर, ए न आ ई ए फ ए म फरीदाबाद से वित्तीय प्रबंधन में पीजीईपी।	भौतिकी में स्नातकोत्तर, मानव संसाधन प्रबंधन में एमबीए	बीए, एलएलबी	सामाजिक कार्य में एमए, एलएलबी
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	ग्रामीण विकास, स्वच्छता, विभिन्न इकाइयों में महत्वपूर्ण रक्षा सामग्रियों का उत्पादन और स्वदेशीकरण तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ नए हथियार प्रणालियों का अधिग्रहण और प्रबंधन संबंधी कार्य।	वित्त, संचालन प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, नेतृत्व और टीम निर्माण	नीति निर्माण, क्रियान्वयन, संचालन, मानव संसाधन, वित्त, संसदीय विषय	कानून, प्रशासन, प्रबंधन, संचार और सामाजिक सेवा	परामर्श, योजना, निगरानी, क्षमता निर्माण, सामाजिक सेवा, प्रशासन
स्वतंत्र निदेशकों के मामले में, भूमिका हेतु आवश्यक कौशल और क्षमताएँ तथा जिस प्रकार प्रस्तावित व्यक्ति ऐसे आवश्यकताओं को पूरा करता है कंपनी में शेयरधारण (या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा लाभकारी आधार पर)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	चूँकि एवाईसीएल भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सीपीएसई है, इसलिए सभी स्वतंत्र निदेशक भारत सरकार द्वारा चयनित और नियुक्त किए जाते हैं। निदेशक मंडल के प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु आवश्यक मूलभूत कौशल, विशेषज्ञता और क्षमताएँ, जिन व्यावसायिक क्षेत्रों में एवाईसीएल कार्य करता है उनके संदर्भ में, इन निदेशकों के चयन की सरकारी प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होती हैं।	
कंपनी में शेयरधारण (या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा लाभकारी आधार पर)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं की सूची जिनमें निदेशक पद धारण किया गया है	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	वेबफिल लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य
पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं से इस्तीफा दिया गया उनकी सूची	वीडोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सभी अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में, जिनमें वह निदेशक हैं, निदेशक मंडल की समितियों में अध्यक्ष / सदस्य शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कंपनी के निदेशक मंडल की समितियों में अध्यक्ष / सदस्य	शून्य	सदस्य: - हितधारक संबंध समिति - जोखिम प्रबंधन समिति - कार्यात्मक निदेशकों की समिति	सदस्य: नामांकन और पारिश्रमिक समिति	अध्यक्ष: - लेखापरीक्षा समिति - नामांकन और पारिश्रमिक समिति - हितधारक संबंध समिति सदस्य: - जोखिम प्रबंधन समिति	सदस्य: - लेखापरीक्षा समिति - नामांकन और पारिश्रमिक समिति
निदेशकों के आपस में तथा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण	निदेशकों के बीच कोई संबंध साझा नहीं किया गया। कंपनी के किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ कोई संबंध साझा नहीं किया गया है।				

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के परिचालन पर 77वीं वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं :

1. वित्तीय मुख्य बिंदु :

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय प्रदर्शन के प्रमुख बिंदुओं का सारांश इस प्रकार है :

(रुपये लाख में)

विवरण	एकल		समेकित	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
परिचालन और अन्य परिचालन आय से राजस्व	31170.97	30985.40	31170.97	30985.40
अन्य आय	6356.41	3867.26	6356.41	3867.28
कुल राजस्व	37527.38	34852.66	37527.38	34852.68
कुल खर्च	40376.54	42170.75	40377.96	42172.06
असाधारण/असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ/(हानि)	(2849.16)	(7318.10)	(2850.59)	(7319.39)
असाधारण/असाधारण वस्तुएँ	--	--	--	--
लाभ/(हानि) असाधारण/असाधारण मदों के बाद और कर से पहले	(2849.16)	(7318.10)	(2850.59)	(7319.39)
कम: कर व्यय	(295.76)	(957.16)	(295.76)	(957.16)
असाधारण/असाधारण मदों के बाद और कर के बाद लाभ/(हानि)	(2553.40)	(6360.94)	(2554.83)	(6362.23)
कर के बाद बंद किए गए संचालन से लाभ/(हानि)	--	(61.15)	--	(61.15)
समूह कंपनियों से लाभ/(हानि) का हिस्सा	--	--	2270.99	1675.94
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	(2553.40)	(6422.09)	(283.83)	(4747.44)
अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	245.88	219.29	245.88	219.30
इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय	(2307.52)	(6202.79)	(37.95)	(4528.15)

कंपनी के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड-एस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिन्हें कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनियाँ (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम :

- निवल बिक्री वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपये 305.28 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपये 308.95 करोड़ हो गई।
- कुल आय वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपये 348.53 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपये 375.27 करोड़ रही।
- कर से पूर्व लाभ वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपये (73.18) करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपये (28.49) करोड़ रहा।

समेकित वित्तीय परिणाम :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपये 308.95 करोड़ की निवल बिक्री दर्ज की (वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपये 305.28 करोड़)।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, अवधि हेतु लाभ रुपये (2.84) करोड़ रहा [वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपये (47.47) करोड़] और कुल व्यापक आय (टीसीआई) रुपये (0.38) करोड़ रही [वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपये (45.28) करोड़]।

2. परिचालन मुख्य बिंदु

एवाईसीएल एक बहु-उत्पाद, बहु-इकाई, बहु-स्थान कंपनी है, जिसमें 3 (तीन) परिचालन प्रभाग/इकाइयाँ हैं – इलेक्ट्रिकल डिवीजन (चेन्नई), इंजीनियरिंग डिवीजन और टी डिवीजन, तथा 1 (एक) सेवा प्रभाग – जनरल डिवीजन।



2.1. इलेक्ट्रिकल डिवीजन (चेन्नई)

उत्पाद श्रृंखला :

- जनरेटर ट्रांसफार्मर 40 एमवीए, 132 केवी तक।
- पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 5 एमवीए, 33 केवी से लेकर 63 एमवीए, 132/33 केवी और 12.5 एमवीए, 220/11 केवी तक।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रमुख उपलब्धियाँ :

- रिकॉर्ड इन-हाउस उत्पादन : अब तक का सबसे अधिक 755 एमवीए उत्पादन।
- भौगोलिक विस्तार : उत्तर प्रदेश से पहली बार रुपये 50 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त कर नए क्षेत्रीय बाज़ार में प्रवेश।
- पैन-इंडिया ग्राहक आधार : एकल ग्राहक/राज्य मॉडल से बहु-ग्राहक, पैन-इंडिया उपस्थिति में सफलतापूर्वक बदलाव, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से ऑर्डर प्राप्त।
- सर्वाधिक ऑर्डर बुकिंग : रुपये 153.85 करोड़ की रिकॉर्ड ऑर्डर बुकिंग।
- उत्पाद परीक्षण उपलब्धि : सीपीआरआई में 3 ट्रांसफार्मर रेटिंग (10 एमवीए, 12.5 एमवीए और 31.5 एमवीए) पर डायनामिक शॉर्ट सर्किट टेस्ट पूरा किया। यह प्रकार परीक्षण रिपोर्ट 5 वर्षों के लिए मान्य है।
- गुणवत्ता आश्वासन प्रगति : परीक्षण प्रयोगशाला हेतु एनएबीएल प्रत्यायन प्रक्रिया पूरी, प्रमाणन अगस्त 2025 तक अपेक्षित।

वित्तीय प्रदर्शन सारांश :

इकाई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपये 80.22 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपये 90.62 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया। विशेष रूप से, कर से पूर्व लाभ (पीबीटी) वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर रुपये 20.76 करोड़ हो गया, जिसमें चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड से प्राप्त रुपये 19.60 करोड़ का मुआवजा शामिल है। यह लाभप्रदता में वृद्धि को दर्शाता है।

2.2. इंजीनियरिंग डिवीजन :

उत्पाद श्रृंखला

- 'यूल' सेंट्रीफ्यूगल फैन
- 'यूल' वायु प्रदूषण नियंत्रण
- 'यूल' जल प्रदूषण नियंत्रण
- वेस्ट गैस फैन इम्पेलर का नवीनीकरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रमुख उपलब्धियाँ

- रिकॉर्ड ऑर्डर बुकिंग : वित्तीय वर्ष में अब तक की सर्वाधिक रुपये 64.33 करोड़ की ऑर्डर बुकिंग।
- अवसंरचना विकास : दक्षिण पूर्व रेलवे, खड़गपुर में प्रतिदिन 2 मिलियन गैलन जल शोधन संयंत्र का सफल कमीशनिंग।
- नया व्यवसाय प्रवेश : सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से ईवी चार्जिंग अवसंरचना खंड में प्रवेश। पहला ईवी चार्जिंग हब आगामी 6 महीनों में चालू होने की उम्मीद।
- आधुनिकीकरण : शेड 6 में सीएनसी कटिंग मशीन स्थापित, जो 100 मिमी मोटाई तक की प्लेटों की सटीक कटिंग सक्षम करती है।
- सुविधा उन्नयन : शेड 6 की मौजूदा छत शीट्स को नई गैल्वाल्यूम शीट्स से बदला गया ताकि टिकाऊपन और मौसम प्रतिरोध बढ़ सके।

वित्तीय प्रदर्शन सारांश

इकाई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपये 61.14 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपये 61.39 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। कर से पूर्व लाभ (पीबीटी) वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपये 12.46 करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपये 10.63 करोड़ रहा। लाभप्रदता में कमी के बावजूद, इकाई ने समग्र परिचालन दक्षता और स्थिर राजस्व सृजन बनाए रखा।

2.3. टी डिवीजन:

उत्पाद श्रृंखला :

कंपनी विभिन्न प्रकार की चाय का उत्पादन करती है, जिनमें शामिल हैं :

- सीटीसी चाय : असम और डुआर्स की उच्च गुणवत्ता वाली सीटीसी चाय, जो अपने तीव्र स्वाद और चमकीले रंग के लिए प्रसिद्ध है।
- ऑर्थोडॉक्स चाय : असम और डुआर्स की प्रीमियम ऑर्थोडॉक्स चाय, जिनकी समृद्ध सुगंध और विशिष्ट स्वाद प्रोफ़ाइल होती है।
- सुपरफाइन ग्रीन टी : डुआर्स की चयनित ग्रीन टी, जो स्वास्थ्य-केंद्रित पेय पदार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करती है।
- दार्जिलिंग ऑर्थोडॉक्स चाय : दार्जिलिंग की मिम टी एस्टेट में उत्पादित विशिष्ट जैविक और पारंपरिक ऑर्थोडॉक्स चाय, जो अपने नाजुक स्वाद और सुगंध के लिए व्यापक रूप से सराही जाती है।

वित्तीय प्रदर्शन सारांश :

इकाई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपये 163.27 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपये 156.24 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। हालांकि, कर से पूर्व लाभ (पीबीटी) वित्तीय वर्ष 2023-24 में रुपये (99.72) करोड़ से सुधरकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपये (73.35) करोड़ रहा, जो कम राजस्व के बावजूद बेहतर लागत प्रबंधन को दर्शाता है।

टी एस्टेट्स में हानि के पीछे मुख्य कारण

- श्रमिकों की कमी :

चरम अवधि के दौरान श्रमिकों की कमी और कुशल श्रमिकों का अन्य बागानों में पलायन, जो मुख्य रूप से वेतन भुगतान में देरी और सीमित श्रमिक सहभागिता के कारण हुआ। इसका परिणाम नियमित श्रमिकों की कमी में हुआ, जिससे फसल की समयबद्धता, गुणवत्ता और मात्रा पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

- बढ़ती इनपुट लागत :

उर्वरक, कीटनाशक, ईंधन और ऊर्जा जैसी प्रमुख इनपुट की लागत में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिससे परिचालन मार्जिन पर दबाव पड़ा और पूर्व लागत संरचनाओं को बनाए रखना कठिन हो गया।

- श्रमिक लागत में वृद्धि :

वेतन और वैधानिक लाभ प्रतिवर्ष बढ़ते रहे हैं; हालाँकि, उत्पादकता या चाय की कीमतों में कोई समानुपाती सुधार नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, श्रमिक व्यय परिचालन दबाव का प्रमुख कारण बन गया।

- जलवायु चुनौतियाँ :

अनिश्चित मौसम परिस्थितियाँ, जिनमें अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान शामिल हैं, फसल पर दबाव डाल रही हैं, जिससे उत्पादित चाय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हुई हैं।

- बाज़ार अस्थिरता और कम मूल्य प्राप्ति :

नीलामी मंचों पर थोक बिक्री की प्रचलन, अधिक आपूर्ति और तीव्र प्रतिस्पर्धा ने कीमतों को दबा दिया है, विशेष रूप से अविभेदित चाय के लिए, जिससे समग्र लाभप्रदता में कमी आई है।

3. लाभांश

कंपनी की अपर्याप्त मुक्त नकदी स्थिति के कारण, आपके निदेशक वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु किसी भी लाभांश की अनुशंसा करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं।

4. लाभांश वितरण नीति :

कंपनी ने प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") के विनियमन 43ए की आवश्यकताओं के अनुपालन में लाभांश वितरण नीति बनाई हुई है।

यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है : http://www.andrewyule.com/pdf/policies/Dividend_Distribution_Policy.pdf

5. आरक्षित निधि में अंतरण :

समीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी ने रुपये (-)25.46 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण किया। 31 मार्च, 2025 को कंपनी की आरक्षित निधि और अधिशेष रुपये 3.44 करोड़ पर था।

6. अप्रमाणित लाभांश :

कंपनी ने 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के पास पड़ी अप्राप्त और अवितरित राशियों का विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.andrewyule.com) और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया है।

पूर्व में कंपनी द्वारा घोषित और वितरित अप्राप्त और अवितरित लाभांश का विवरण भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंतर्गत दिया गया है।

7. पूंजीगत व्यय :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने पूंजीगत व्यय पर रुपये 8.24 करोड़ खर्च किए।

8. व्यापार उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्ट :

संशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 34(2)(फ) के अंतर्गत, पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन दृष्टिकोण से कंपनी द्वारा उठाए गए पहलों का वर्णन करने वाली व्यापार उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।



9. सचिवीय मानकों के अंतर्गत अनुपालन :

कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी और कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित सभी लागू सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणाली विकसित की है। ऐसी प्रणालियाँ समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी में पर्याप्त और प्रभावी रूप से परिचालित रहीं।

10. ऋण मूल्यांकन :

अक्यूइटे रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड, जो कि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) में पंजीकृत एक पूर्ण-सेवा ऋण मूल्यांकन एजेंसी है, ने एवाईसीएल की रुपये 114.64 करोड़ की बैंक सुविधाओं पर दीर्घकालिक रेटिंग 'अक्यूइटे बी' और रुपये 40.36 करोड़ की बैंक सुविधाओं पर अल्पकालिक रेटिंग 'अक्यूइटे ए4' दी है।

11. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट :

समीक्षा वर्ष हेतु प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, जैसा कि सेबी सूचीबद्धता विनियम के अंतर्गत निर्धारित है, निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट-1 के रूप में एक पृथक खंड में प्रस्तुत की गई है।

12. कॉरपोरेट गवर्नेंस :

सेबी सूचीबद्धता विनियम के अंतर्गत निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट, अनुपालन की पुष्टि करने वाले एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र सहित, संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

13. सहायक और सहयोगी कंपनी का प्रदर्शन (कंपनियाँ (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(1) के अंतर्गत आवश्यक) :

31 मार्च, 2025 तक कंपनी की 2 (दो) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ हैं – यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और 1 (एक) सहयोगी कंपनी – वीडोल कॉरपोरेशन लिमिटेड [पूर्व में टाइड वाटर ऑयल कंपनी (आई) लिमिटेड]।

कंपनियाँ अधिनियम की धारा 129(3) के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक सहायक/सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण फॉर्म एओसी-1 में कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किया गया है और कंपनी द्वारा ऑनलाइन ई-फॉर्म एओसी-1 में दाखिल किया जाना आवश्यक है। कंपनी का कोई संयुक्त उपक्रम नहीं है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 136 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण, संबंधित दस्तावेजों और सहायक कंपनियों के पृथक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com पर उपलब्ध हैं।

14. समेकित वित्तीय विवरण :

सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण, 31 मार्च, 2025 तक भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किए गए और वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित, वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में परिलक्षित हैं।

15. शेयर पूंजी में परिवर्तन :

31 मार्च, 2025 को भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी रुपये 97,79,01,956/- थी, जिसे रुपये 2/- प्रत्येक के 48,89,50,978 सामान्य शेयरों में विभाजित किया गया, जो पूर्णतः चुकता थे। समीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी ने न तो कोई सामान्य शेयर जारी किए और न ही किसी भिन्न मतदान अधिकार वाले शेयर, न ही कोई स्टॉक विकल्प दिए और न ही स्वेट इक्विटी जारी की।

16. निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में राशि और शेयरों का अंतरण :

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 124 और निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और वापसी) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 तथा समय-समय पर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, उन सभी शेयरों को जिन पर लाभांश सात लगातार वर्षों तक अवितरित या अप्राप्त रहा है, कंपनी द्वारा निर्धारित समयसीमा में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईपीएफ) में विधिवत अंतरण कर दिया गया है।

वे सदस्य या दावेदार, जिनके शेयर और/या अप्राप्त लाभांश आईपीएफ डिमैट खाते या कोष में अंतरण किए गए हैं, कंपनी से अधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद फॉर्म आईपीएफ-5 (<http://www.iepf.gov.in> पर उपलब्ध) के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करके अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और आईपीएफ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागू शुल्क जमा करना आवश्यक है।

उन शेयरधारकों की सूची, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 से शुरू होकर सात लगातार वर्षों तक अपना लाभांश दावा नहीं किया है और जिनके शेयर आईपीएफ में अंतरण हेतु उत्तरदायी हैं, कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत संचार भेजा गया है और प्रमुख समाचारपत्रों में सार्वजनिक सूचना भी जारी की गई है। अप्राप्त लाभांश राशि, संचार अभिलेख और समाचारपत्र विज्ञापनों की प्रतियाँ http://www.andrewyule.com/unpaid_dividend.php पर उपलब्ध हैं।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अप्राप्त लाभांश का दावा शीघ्र करें ताकि ऐसी राशि और संबंधित शेयरों का अंतरण आईईपीएफ में होने से बच सके।

17. वार्षिक रिटर्न :

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनियाँ (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट https://www.andrewyule.com/annual_return2.php पर रखा गया है।

18. निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी के निदेशक मंडल की 7 (सात) बैठकें हुईं। निदेशक मंडल की बैठकों और उपस्थिति से संबंधित विवरण कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिए गए हैं। दो बैठकों के बीच का अंतर कंपनियाँ अधिनियम, 2013 और संशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर था।

19. ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण :

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार, समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों, दी गई गारंटियों या प्रतिभूतियों और किए गए निवेश का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकटीकृत किया गया है।

20. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ, यदि हुई हों, जो वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तिथि के बीच हुई हों तथा व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि हुआ हो :

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हुईं।

वीडोल कॉरपोरेशन लिमिटेड [पूर्व में टाइड वाटर ऑयल कंपनी (आई) लिमिटेड], सहयोगी कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री (स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से ओएफएस द्वारा शेयरों की बिक्री) :

भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की स्वीकृति से, कंपनी ने 10 जून, 2025 और 11 जून, 2025 (क्रमशः टी-डे और टी+1 डे) को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से ओएफएस द्वारा वीडोल के 3,37,598 शेयर (वीडोल की शेयर पूंजी का 1.94%) बेचे हैं। वर्तमान में कंपनी की वीडोल में हिस्सेदारी 24.29% है।

21. सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति :

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 177, कंपनियाँ (निदेशक मंडल की बैठकें और उनकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 7 तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, कंपनी ने लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है। यह नीति अनैतिक आचरण, संदिग्ध धोखाधड़ी, अथवा आचार संहिता और नैतिकता के उल्लंघन की रिपोर्टिंग को सक्षम बनाती है, जिसमें प्रताड़ना से बचाव और अपवादात्मक मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच का प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति को ऐसी पहुँच से वंचित नहीं किया गया है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

22. निदेशक :

भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने अपने पत्रों/आदेशों के माध्यम से निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति/कार्यकाल की समाप्ति की है :

- श्री अरुण कुमार दीवान, निदेशक, एमएचआई को 27 फरवरी, 2025 से कंपनी का अंशकालिक सरकारी पदेन निदेशक (सरकारी नामित) नियुक्त किया गया, जिन्होंने श्री आदित्य कुमार घोष, अवर सचिव, एमएचआई का स्थान लिया, जिन्हें कंपनी का अंशकालिक सरकारी पदेन निदेशक (सरकारी नामित) नियुक्त किया गया था।
- श्री सुंदर पाल सिंह को 2 अप्रैल, 2025 से कंपनी का अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया।
- सुश्री स्वप्ना त्रिपाठी को 22 जुलाई, 2025 से कंपनी का गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। [यद्यपि एमएचआई ने सुश्री स्वप्ना त्रिपाठी को 11 जुलाई, 2025 से नियुक्त किया था, परंतु उनका कार्यकाल 22 जुलाई, 2025 से प्रभावी हुआ जब उन्होंने उस दिन अपना डीआईएन प्राप्त किया।]
- श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, उप सचिव, एमएचआई को 14 जुलाई, 2025 से कंपनी का अंशकालिक सरकारी पदेन निदेशक (सरकारी नामित) नियुक्त किया गया, जिन्होंने श्री अरुण कुमार दीवान, निदेशक, एमएचआई का स्थान लिया, जिन्हें कंपनी का अंशकालिक सरकारी पदेन निदेशक (सरकारी नामित) नियुक्त किया गया था।
- श्री राजिंदर सिंह मनकू 1 जुलाई, 2025 से सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने पर कंपनी के निदेशक (योजना) पद से मुक्त हो गए।

vi. श्री आदित्य कुमार घोष 27 फरवरी, 2025 से एमएचआई आदेश दिनांक 27 फरवरी, 2025 के अनुसार कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

vii. श्री अरुण कुमार दीवान 14 जुलाई, 2025 से एमएचआई आदेश दिनांक 14 जुलाई, 2025 के अनुसार कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

निदेशक मंडल कंपनी के साथ उनके कार्यकाल के दौरान श्री राजेंद्र सिंह मांकू, श्री आदित्य कुमार घोष और श्री अरुण कुमार दीवान द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवाओं और मार्गदर्शन के प्रति अपनी गहरी सराहना दर्ज करता है।

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 152(6)(ग) और कंपनी के उपबंधों के अनुसार, कंपनी के निदेशक श्री विजय मित्तल और श्री संजय वर्मा आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।

उपयुक्त प्रस्ताव, जिनमें श्री विजय मित्तल, श्री संजय वर्मा, श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुंदर पाल सिंह और सुश्री स्वप्ना त्रिपाठी की निदेशक के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की माँग की गई है, कंपनी की 77वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में सम्मिलित है।

श्री विजय मित्तल, श्री संजय वर्मा, श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुंदर पाल सिंह और सुश्री स्वप्ना त्रिपाठी से संबंधित संक्षिप्त विवरण/जानकारियाँ कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न टिप्पणियों में दी गई हैं।

सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, यह प्रकटीकरण किया जाता है कि कोई भी निदेशक आपस में किसी प्रकार का संबंध साझा नहीं करता।

23. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, श्री अनंत मोहन सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री संजय वर्मा, निदेशक (वित्त) और श्रीमती सुचरिता दास, कंपनी सचिव कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

24. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा :

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) और सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 25(8) के अनुसार, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों से घोषणाएँ प्राप्त की हैं, जिनमें यह पुष्टि की गई है कि उन्होंने निर्धारित स्वतंत्रता मानदंडों का अनुपालन किया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई परिस्थिति मौजूद नहीं है जो उनके स्वतंत्र निर्णय को प्रभावित कर सके और उन्होंने कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 150 के अंतर्गत आईआईसीए डाटाबेस में पंजीकरण कराया है। निदेशक मंडल का मानना है कि स्वतंत्र निदेशकों के पास आवश्यक योग्यताएँ, विशेषज्ञता और ईमानदारी है। वर्ष के दौरान, उनके पास बैठक उपस्थिति शुल्क और बैठक से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति को छोड़कर कंपनी के साथ कोई मौद्रिक संबंध नहीं था। अभिज्ञान कार्यक्रम का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

25. नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक नीति :

केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति और प्रदर्शन मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा तय और संचालित किया जाता है। कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक की शर्तें भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होती हैं। गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क पाने के हकदार हैं। अंशकालिक सरकारी (सरकारी नामित) निदेशक बोर्ड या किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क पाने के हकदार नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों को निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों से कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अंतर्गत छूट दी है।

निदेशक मंडल के नीचे के स्तर के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक और अन्य अधिकारियों का पारिश्रमिक सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तय किया जाता है। अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक उनके संघ के साथ किए गए वेतन समझौते के अनुसार तय होता है। कर्मचारियों की नियुक्तियाँ/पदोन्नति आदि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित भर्ती और पदोन्नति नीति के अनुसार की जाती हैं।

26. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना :

आपकी कंपनी ने कोई भी कर्मचारी स्टॉक विकल्प उपलब्ध नहीं कराया है, इसलिए कंपनियाँ (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 12(9) और नियम 16(4) के अंतर्गत ईएसओपी से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकता लागू नहीं होती।

27. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :

कंपनी के निदेशक मंडल ने उद्देश्यों, फोकस क्षेत्रों, शासन संरचना, निगरानी और रिपोर्टिंग ढाँचे आदि को शामिल करते हुए सीएसआर और सततता नीति बनाई है।

सीएसआर और सततता नीति का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे इस लिंक पर देखा जा सकता है – http://www.andrewyule.com/pdf/policies/CSR_and_Sustainability_Policy.pdf

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार की गई गणनाओं के अनुसार, कंपनी का वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सीएसआर बजट आवंटन “शून्य” था।

28. जोखिम प्रबंधन :

कंपनी ने जोखिम तत्वों की पहचान के लिए जोखिम प्रबंधन ढाँचा विकसित और कार्यान्वित किया है, जिन्हें निदेशक मंडल की राय में निकट से जाँच की आवश्यकता है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति समय-समय पर जोखिम प्रबंधन ढाँचे की समीक्षा करती है, महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान करती है और सुनिश्चित करती है कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी, मूल्यांकन और उन्हें कम करने हेतु उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ लागू हों, जो निदेशक मंडल की राय में कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती हैं। जोखिम प्रबंधन नीति कंपनी की वेबसाइट www.andrewyule.com पर भी अपलोड की गई है।

29. लेखा परीक्षा समिति :

कंपनी में कंपनियाँ अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 18 के अनुसार निदेशक मंडल स्तर पर लेखा परीक्षा समिति गठित है, जिसका विवरण कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है। सभी मुद्दों पर लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में, जो नियमित अंतराल पर आयोजित होती हैं, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चर्चा की जाती है। लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के विचार और सुझावों को सकारात्मक रूप से ध्यान में रखा जाता है और कंपनी की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है। आगे, ऐसा कोई उदाहरण नहीं रहा है जहाँ निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार न किया हो।

30. निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ :

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी सूचीबद्धता विनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित विभिन्न अन्य समितियों का विवरण कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है और यह इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

31. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण :

समीक्षा वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी के पास कोई ऐसा संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं था जिसके लिए शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो।

समीक्षा वर्ष के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं हुआ है, जो कंपनी के हितों से संभावित टकराव पैदा करता हो। लेखा मानक (एएस-18) के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है। अतः कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एच) के साथ पढ़े जाने वाले कंपनियाँ (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार एओसी-2 फॉर्म में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

अधिनियम और सेबी सूचीबद्धता विनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप, कंपनी ने संबंधित पक्ष लेन-देन पर एक नीति बनाई है, जिसमें संबंधित पक्ष लेन-देन की भौतिकता का निर्धारण और संबंधित पक्षों के साथ व्यवहार शामिल है। इस नीति में सेबी सूचीबद्धता विनियमों में किए गए विनियामक संशोधनों को भी सम्मिलित करने हेतु संशोधन किया गया है। यह अद्यतन नीति कंपनी की वेबसाइट पर इस लिंक पर उपलब्ध है – http://www.andrewyule.com/pdf/policies/Materiality_Related_Party_Transactions.pdf

32. कंपनियाँ (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5) के अंतर्गत प्रकटीकरण :

- i. वित्तीय सारांश या मुख्य बिंदु : 'वित्तीय प्रदर्शन' शीर्षक के अंतर्गत विस्तृत।
- ii. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई : नहीं।
- iii. निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का विवरण, जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त/इस्तीफा/सेवानिवृत्त किया गया :

ए. नियुक्त निदेशक	:	श्री अरुण कुमार दीवान को 27 फरवरी, 2025 से अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामित) नियुक्त किया गया।
बी. इस्तीफा देने वाले निदेशक	:	कोई नहीं
सी. निदेशक पद से मुक्त	:	श्री आदित्य कुमार घोष 27 फरवरी, 2025 से मंत्रालय आदेश दिनांक 27 फरवरी, 2025 के अनुसार कंपनी के निदेशक नहीं रहे।
डी. नियुक्त प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	:	कोई नहीं
ई. इस्तीफा देने वाले प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	:	कोई नहीं
एफ. सेवानिवृत्त प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	:	कोई नहीं



- iv. उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान सहायक, संयुक्त उपक्रम या सहयोगी कंपनी बनीं या नहीं रहीं : वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई भी कंपनी सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं बनी और न ही ऐसी स्थिति से बाहर हुई।
- v. जमा संबंधी विवरण : वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के जनता से कोई स्थायी जमा शेष नहीं था। वर्ष के दौरान कोई स्थायी जमा स्वीकार नहीं किया गया और न ही जमा राशि की वापसी में कोई चूक हुई।
- vi. ऐसा कोई जमा नहीं रहा, जो कंपनियाँ अधिनियम, 2013 के अध्याय V की आवश्यकताओं के अनुपालन में न हो।
- vii. किसी भी नियामक, न्यायालय या अधिकरण द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की भविष्य की संचालन स्थिति और सततता को प्रभावित करता हो।
- viii. कंपनी को कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत अभिलेखों का संधारण करना आवश्यक है और तदनुसार ऐसे खाते और अभिलेख बनाए और संधारित किए गए तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक एम/एस डीजीएम एंड एसोसिएट्स द्वारा लेखापरीक्षित किए गए।
- ix. वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था के साथ एकमुश्त समझौते का कोई मामला नहीं रहा और तदनुसार, बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय की गई मूल्यांकन राशि और एकमुश्त समझौते के समय की गई मूल्यांकन राशि के बीच अंतर के प्रकटीकरण की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती।

33. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता :

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है और उनके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन समय-समय पर कंपनी की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा किए जाते हैं। लेखा परीक्षा समिति की टिप्पणियाँ और अवलोकन निदेशक मंडल के समक्ष संदर्भ हेतु रखे जाते हैं।

34. प्रतिवेदन योग्य धोखाधड़ी :

समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा कोई धोखाधड़ी प्रतिवेदित नहीं की गई।

35. कंपनियाँ (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2016 के नियम 5(1) के अनुसार प्रकटीकरण :

केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, कंपनी कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) तथा कंपनियाँ (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2016 के नियम 5(1) के अंतर्गत पारिश्रमिक और अन्य विवरण से संबंधित प्रकटीकरण करने से मुक्त है। अतः इस संबंध में इस रिपोर्ट में कोई जानकारी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

36. कर्मचारी का विवरण – कंपनियाँ (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2016 के नियम 5(2) और 5(3) :

आपकी कंपनी ने ऐसा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है जिससे नियम 5(2) और 5(3) के प्रावधान लागू हों। अतः इस संबंध में इस रिपोर्ट में कोई जानकारी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

37. मानव संसाधन :

कंपनी का मानव संसाधन 31 मार्च, 2025 को :

कोटि	अधिकारी	गैर-कार्यकारी	कुल
पुरुष	163	6936	7099
महिला	04	6829	6833
ट्रांसजेंडर	--	--	--
कुल	167	13765	13932

38. समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण :

कंपनी कारखाना अधिनियम, 1948 और बागान श्रम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत विधिक कल्याण प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। 31 मार्च, 2025 तक कर्मचारियों की संरचना इस प्रकार थी – अनुसूचित जाति : 8.52%, अनुसूचित जनजाति : 27.50%, और अन्य पिछड़ा वर्ग : 55.87%। कंपनी प्रत्यक्ष भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, रियायतें और रियायतों से संबंधित राष्ट्रपति निर्देशों और सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करती है।

39. महिला सशक्तिकरण :

समाज का विकास महिलाओं के विकास से गहराई से जुड़ा है, इसलिए महिलाओं को सशक्त और प्रोत्साहित करना हमारे सभी कार्यक्रमों के केंद्र में है। विभिन्न पहल और कार्यक्रम महिलाओं को व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ने के लिए सहयोगी और पोषणकारी वातावरण प्रदान करते हैं। वेतन भुगतान, कार्य समय, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण पहलू और मातृत्व लाभ जैसी समस्याओं में महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम/विधिक प्रावधानों का पालन कंपनी द्वारा किया जा रहा है।

31 मार्च, 2025 तक महिला कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार थी :

प्रबंधकीय – 04 (चार)

गैर-प्रबंधकीय (अनियमित और बागान श्रमिकों सहित) – 6829 (छह हजार आठ सौ उनतीस)

महिला कर्मचारियों की कुल संख्या – 6833 (छह हजार आठ सौ तैंतीस)

40. स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण :

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरणीय दृष्टि से जिम्मेदार कार्यस्थल बनाए रखने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। कंपनी कर्मचारियों, ठेकेदारों, आगंतुकों और आस-पास के समुदायों के लिए सभी गतिविधियों को पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से संचालित करते हुए बिना चोट और बीमारी वाला वातावरण प्राप्त करने का प्रयास करती है।

मुख्य पहल और अनुपालन उपाय

- कार्यस्थल सुरक्षा और प्रशिक्षण :
 - सभी इकाइयों के कर्मचारी सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल पर नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।
 - कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाता है।
- आईएसओ और प्रबंधन प्रणाली :
 - इंजीनियरिंग प्रभाग को गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन हेतु आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 प्रमाणन प्राप्त है।
 - इंजीनियरिंग प्रभाग में आईएसओ 45001 – व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन सक्रिय जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
- सतत ऊर्जा उपयोग :
 - इंजीनियरिंग प्रभाग की प्रशासनिक इमारत में 10 किलोवाट सौर ऊर्जा प्रणाली वित्तीय वर्ष 2018-19 से परिचालन में है, जिससे औसतन 5000 किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा वार्षिक औद्योगिक कार्यों में उपयोग की जाती है, जो सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा आदेश के अनुरूप है।
- बागानों में प्रमाणन :
 - सभी बागानों को आईएसओ 22000 (खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) जैसे मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्राप्त हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सततता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं। सभी एंड्रयू यूल बागानों को ट्रस्ट टी प्रमाणन प्राप्त है और मिम बागान तथा असम के सभी बागानों को रेन फॉरेस्ट प्रमाणन प्राप्त है।

पर्यावरणीय अनुपालन और संरक्षण उपाय :

- प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र या जल निकायों का विनाश संचालन में अनुमति नहीं है।
- प्लास्टिक और खतरनाक वस्तुओं के जलाने पर प्रतिबंध; रासायनिक कंटेनरों का निपटान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार किया जाता है।
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन और निपटान मानक पर्यावरणीय नियमों के अनुसार किया जाता है।
- बागान श्रमिकों और स्थानीय समुदाय के लिए निरंतर पर्यावरण जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।
- प्रत्येक परिचालन राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और श्रमिक कल्याण :

- एंड्रयू यूल के बागान गैर-खतरनाक कार्य वातावरण हैं। फिर भी कार्यबल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
- उच्च जोखिम समूहों जैसे स्प्रे करने वालों का नियमित चिकित्सकीय परीक्षण किया जाता है।
- पूर्ण रूप से कार्यरत बागान अस्पताल श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं।

प्रमाणन – विद्वत (चेन्नई संचालन) :

- विद्वत-चेन्नई संचालन को आईएसओ 9001 प्रमाणन प्राप्त है।
 - 10 एमवीए, 12.5 एमवीए, 20 एमवीए और 31.5 एमवीए ट्रांसफार्मर उत्पाद केंद्रीय विद्वत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) से प्रमाणित हैं, जो उच्च सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।
- एंड्रयू यूल सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने और बिना चोट और बीमारी वाला कार्यस्थल प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।



41. **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटीकरण :**
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी में यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत या आरोप प्राप्त नहीं हुआ है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त/निपटाए गए/लंबित यौन उत्पीड़न शिकायतों का सारांश :

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	:	शून्य
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	:	शून्य
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	:	शून्य
90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	:	शून्य

42. **प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन :**
कंपनी ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसमें लागू किसी भी राज्य-विशिष्ट नियमों का पालन किया है।

43. **शिकायत निवारण तंत्र :**
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सभी लोक शिकायतों का शीघ्र निपटारा किया और यदि लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा अग्रेषित की गई थी, तो उसकी प्रतिलिपि नियंत्रण मंत्रालय को भेजी गई।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लोक शिकायतों की स्थिति इस प्रकार रही :

शिकायत का प्रकार	शिकायतें बकाया 01.04.2024 तक	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या 31.03.2025 तक
लोक शिकायतें	शून्य	15 (पंद्रह)	15 (पंद्रह)	शून्य

44. **औद्योगिक संबंध :**
समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी में सभी इकाइयों/विभागों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे, सिवाय कुछ चाय बागानों के। पश्चिम बंगाल और असम स्थित कंपनी के कुछ चाय बागानों में मजदूरी और वेतन के भुगतान में देरी के कारण समय-समय पर श्रमिकों/कर्मचारियों/उपकर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया गया।

45. **समझौता ज्ञापन (एमओयू) :**
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एमओयू रेटिंग “संतोषजनक” आंकी गई।
 - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर मंत्रालय द्वारा छूट दिए गए।
 - वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर मंत्रालय द्वारा छूट दिए गए।

46. **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन :**
कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन करती है और सूचना चाहने वालों को लोक सूचना अधिकारियों द्वारा संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जाती है। कंपनी द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है कि आवेदन का शीघ्र निपटारा हो।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/निपटाए गए आवेदनों की संख्या इस प्रकार रही :

प्राप्त आवेदन	:	31 (इकत्तीस)
स्वीकृत आवेदन	:	31 (इकत्तीस)
अस्वीकृत आवेदन	:	शून्य
निपटाए गए आवेदन	:	31 (इकत्तीस)

47. **सतर्कता :**
क. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा निगरानी की गई विभिन्न गतिविधियों की स्थिति इस प्रकार रही :

ई-शासन : कंपनी ने मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी विभागों में 2 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि के लिए ई-क्रय नीति, ई-भुगतान और ई-निविदा/ई-नीलामी लागू कर दी है। कंपनी के सामान्य विभाग में ई-ऑफिस प्रणाली पहले ही लागू की जा चुकी है। निजी

चाय बिक्री हेतु ऑनलाइन पोर्टल अप्रैल 2024 से चालू हुआ। ऑनलाइन सतर्कता शिकायत पोर्टल एवाईसीएल की वेबसाइट पर सक्रिय है।

संरचित बैठक : सीवीओ और सीएमडी के बीच त्रैमासिक संरचित बैठकें समय पर आयोजित की जाती हैं और कार्यवृत्त सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित किए जाते हैं।

दिशानिर्देश पुस्तिकाओं का अद्यतन : एवाईसीएल क्रय पुस्तिकाएँ अर्थात् (क) वस्तुओं (ख) कार्यों और (ग) परामर्श तथा अन्य सेवाओं के क्रय की पुस्तिका, वित्त विभाग की पुस्तिकाओं के अनुसार निदेशक मंडल की स्वीकृति के बाद कंपनी में लागू की गई हैं।

संवेदनशील पद : सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार पी एंड ए विभाग ने 69 संवेदनशील पदों (53 प्रबंधकीय और 16 गैर-संघ पर्यवेक्षी) की पहचान की। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इन पदों के लिए सभी आवश्यक स्थानांतरण पूरे किए गए।

ख. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों की स्थिति इस प्रकार रही :

(क) प्रणाली सुधार :

सतर्कता विभाग ने प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए :

i. ब्रांड-विशिष्ट क्रय :

स्टील प्लेटों की खरीद, जिसमें किसी विशेष ब्रांड का उल्लेख हो, जबकि समान सामान्य विनिर्देशों की सामग्री उपलब्ध हो, तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से स्पष्ट स्वीकृति आवश्यक हो।

ii. सूक्ष्म, लघु उद्योग और स्टार्टअप क्रय नीति का अनुपालन :

निविदाओं में सूक्ष्म और लघु उद्योगों तथा स्टार्टअप के लिए पूर्व कारोबार और पूर्व अनुभव आवश्यकताओं से छूट की धारा सम्मिलित होनी चाहिए, जैसा कि एवाईसीएल क्रय प्रक्रिया में निर्दिष्ट है। निविदा खुलने के बाद शर्तों में कोई रियायत या संशोधन सख्ती से टाला जाना चाहिए।

iii. बिलिंग और निविदा प्रक्रिया सुधार :

- ईआरपी आधारित बिल प्रक्रिया : सभी बिल कंपनी की अपनी ईआरपी प्रणाली "यूल सॉफ्ट" के माध्यम से अनिवार्य रूप से उत्पन्न और संसाधित होंगे, ताकि पारदर्शिता, स्थिरता और अनुरक्षण सुनिश्चित हो सके।
- निविदाओं में वस्तुनिष्ठ योग्यता मानदंड : निविदा दस्तावेजों में अधिक वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी योग्यता मानदंड अपनाना उचित होगा, ताकि नए और उभरते विक्रेताओं की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन मिले।

iv. संविदात्मक श्रमिकों की नियुक्ति में अनुपालन :

संविदात्मक आधार पर श्रमिकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्ती से होनी चाहिए। यह कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी भी प्रक्रिया त्रुटि से बचने के लिए आवश्यक है।

v. विक्रेता विकास पहल :

जिन वस्तुओं के लिए सूचीबद्ध विक्रेताओं की संख्या केवल 2 या 3 है, उनके लिए सभी इकाइयों को एक संरचित विक्रेता विकास अभ्यास करना चाहिए। इससे विक्रेता आधार का विस्तार होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आपूर्ति श्रृंखला जोखिम घटेगा।

(ख) सतर्कता जागरूकता सप्ताह : "सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2024" एवाईसीएल में 28.10.2024 से 03.11.2024 तक "राष्ट्र की समृद्धि हेतु सत्यनिष्ठा की संस्कृति" विषय पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत कंपनी की सभी इकाइयों और विभागों में निम्नलिखित पहल की गई :

• **सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा :**

28.10.2024 को कंपनी की सभी इकाइयों और विभागों में सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाई गई ताकि नैतिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया जा सके।

• **प्रशिक्षण एवं संवादात्मक सत्र (संकर प्रारूप) :**

प्रमुख विषयों जैसे सार्वजनिक क्रय, नैतिकता और शासन, साइबर सुरक्षा और स्वच्छता, तथा कंपनी की प्रणालियाँ और प्रक्रियाओं पर अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में सतर्कता विभाग ने प्रणालीगत सुधार हेतु सुझाव भी दिए।



- **जागरूकता अभियान :**
सभी विभागों और चाय बागानों में विक्रेताओं, कर्मचारियों और आम जनता के बीच पर्चे वितरित किए गए ताकि भ्रष्टाचार-विरोधी प्रयासों में जागरूकता और भागीदारी बढ़ाई जा सके।
- **भ्रष्टाचार-विरोधी तंत्र पर जनसंपर्क :**
सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान असम और पश्चिम बंगाल स्थित एवाईसीएल के सभी चाय बागानों में ग्राम सभाएँ आयोजित की गईं। इन संवादों में श्रमिकों और उनके परिजनों को लोकहित प्रकटीकरण और सूचना दाताओं की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) तंत्र के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया समझाई गई ताकि वे किसी भी भ्रष्टाचार के मामले की निडर और सुरक्षित रिपोर्टिंग कर सकें।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सतर्कता मामलों का विवरण इस प्रकार है :

01.04.2024 को प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निपटाए गए	31.03.2025 तक शेष
2 (दो)	11 (ग्यारह)	12 (बारह)	1 (एक)

48. हिन्दी का प्रगतिशील उपयोग:

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप, एवाईसीएल ने सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रगतिशील उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं:

- **तकनीकी सक्षमता:** कम्पनी के अधिकांश कम्प्यूटरों में यूनिकोड प्रणाली लागू की गई है तथा हिन्दी भाषा का सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया है। कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्यों में हिन्दी के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- **क्षमता निर्माण एवं प्रोत्साहन:** राजभाषा अधिनियम, 1963 के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने हेतु कम्पनी नियमित रूप से हिन्दी प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं का आयोजन करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान:
 - 24 सितम्बर 2024 को हिन्दी कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजित की गई।
 - 27 सितम्बर 2024 को हिन्दी नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई।
 - 26 जून 2024, 25 सितम्बर 2024, 27 दिसम्बर 2024 और 6 मार्च 2025 को हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।
- **बाहरी सहभागिता को प्रोत्साहन:** कर्मचारियों को अन्य संस्थानों और सरकारी निकायों द्वारा आयोजित हिन्दी प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- **द्विभाषी शासन:** कम्पनी की बोर्ड बैठकें और बोर्ड समिति की बैठकें अब हिन्दी में भी आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों के कार्यसूची नोट्स और कार्यवृत्त भी हिन्दी में तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कम्पनी की द्विभाषी कार्यप्रणाली को मज़बूती मिली है।

49. स्वच्छता पखवाड़ा:

एवाईसीएल ने 16 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक सभी स्थानों पर सक्रिय सहभागिता और उत्साह के साथ स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। इस पखवाड़े के प्रमुख आकर्षण इस प्रकार थे:

- **स्वच्छता प्रतिज्ञा:**
सभी इकाइयों के कर्मचारियों ने स्वच्छता प्रतिज्ञा ली और स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
- **जागरूकता अभियान:**
"स्वच्छ भारत" के बैनर कम्पनी के विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता से लगाए गए ताकि स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।
- **स्वच्छता अभियान:**
कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, कारखानों और चाय बागानों सहित प्रतिष्ठानों के आसपास के क्षेत्रों की पूरी तरह सफाई की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत किया और इन अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- **कार्यशालाएँ एवं बैठकें:**
स्वच्छता और स्वास्थ्य पर शैक्षिक कार्यशालाएँ एवं बैठकें सभी स्थानों पर आयोजित की गईं। इन सत्रों में स्वच्छ एवं स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए रखने के महत्व पर बल दिया गया और कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता मिली।
- **जनजागरूकता पहल:**
अधिकारियों ने सक्रिय प्रचार किया और कर्मचारियों व आस-पास की समुदायों के बीच संदेश को सुदृढ़ करने हेतु स्वच्छता पर पर्चे वितरित किए।

50. कम्पनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट:

कम्पनी www.andrewyule.com वेबसाइट संचालित करती है, जहाँ कम्पनी की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

51. कम्पनी की अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) सुविधाएँ:

कम्पनी की आंतरिक आरएण्डडी सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य मौजूदा उत्पादों का निरंतर उन्नयन करना है ताकि घरेलू बाज़ार की माँगों को पूरा किया जा सके तथा निर्यात बाज़ार में अवसरों का लाभ उठाया जा सके। कम्पनी के विभिन्न प्रभागों द्वारा की गई कुछ आरएण्डडी गतिविधियाँ इस प्रकार थीं:

क. चाय प्रभाग:

हम चाय उद्योग में चाय अनुसंधान संघ (टीआरए) के सदस्य होने के नाते सभी अद्यतन अनुसंधान निष्कर्ष प्राप्त करते हैं जिन्हें मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में मासिक परिषद बैठकों में चर्चा की जाती है। टीआरए एक स्वायत्त निकाय है जो चाय उद्योग के अनुसंधान और विकास के लिए अत्यधिक समर्पित है। इससे हमें भूमि उत्पादकता और चाय की गुणवत्ता में सुधार करने में हमेशा मदद मिली है।

ख. इंजीनियरिंग प्रभाग:

(i) **तेल स्नेहित हाउजिंग:** इंजीनियरिंग प्रभाग ने सीमेंट, इस्पात और ऊर्जा क्षेत्रों में प्रयुक्त सेंट्रीफ्यूगल पंखों के लिए बलपूर्वक तेल स्नेहन एसआर-200 प्रकार की बेयरिंग हाउजिंग का सफलतापूर्वक विकास और कार्यान्वयन किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकसित की गई यह एसआर-200 बेयरिंग हाउजिंग वित्तीय वर्ष 2023-24 में सफलतापूर्वक लागू की गई। इसके सफल प्रदर्शन के बाद पुनः आदेश प्राप्त हुए। इस नवाचार से प्रति बेयरिंग हाउजिंग सेट ₹2 लाख की लागत में कमी हुई और अनुप्रयोग चक्र समय एक माह कम हुआ।

(ii) **प्रौद्योगिकी विकास – मोटी सील रिंग:** पहले मोटी सील रिंग का निर्माण एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी जिसमें कटाई, मोड़ना और रेडियोग्राफिक वेल्डिंग शामिल थे, जिससे मानव-घंटों की खपत अधिक होती थी। इंजीनियरिंग प्रभाग ने अब विक्रेताओं से एकल-टुकड़ा फोर्ज्ड मोटी सील रिंग की खरीद की ओर रुख किया है। इससे लंबे निर्माण चरण समाप्त हो गए और कुल लागत में उल्लेखनीय कमी आई।

52. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसात, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय:

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसात, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से सम्बन्धित विवरण, जिन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(m) के प्रावधानों तथा कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(3) के साथ पढ़ने पर प्रकटीकरण हेतु आवश्यक है, परिशिष्ट-द्वितीय में प्रस्तुत किए गए हैं और यह इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

53. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से खरीद:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की आवश्यकताओं तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुरूप, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अपनी कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से करना अनिवार्य है। इस 25% में से कम से कम 4% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों से खरीदना है, जबकि न्यूनतम 3% महिला स्वामित्व वाले उद्यमों से खरीदना है।

उपरोक्त अनुपालन में कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनिवार्य लक्ष्य 25% के विरुद्ध 71% खरीद सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से की। कुल सूक्ष्म एवं लघु उद्यम खरीद में से 6% अनुसूचित जाति/जनजाति स्वामित्व वाले उद्यमों से और 4% महिला स्वामित्व वाले उद्यमों से की गई।

कम्पनी अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की भागीदारी को समर्थन एवं प्रोत्साहन देने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला तंत्र में प्रतिबद्ध बनी हुई है। इस सम्बन्ध में लक्ष्य और उपलब्धियाँ वार्षिक रिपोर्ट में विधिक आवश्यकताओं के अनुरूप दर्ज की जाती हैं।

54. जेम (GeM) के माध्यम से खरीद:

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) एक सरकारी संचालित ई-कॉमर्स पोर्टल है। यह विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आसान ऑनलाइन खरीद को सुगम और सक्षम बनाने के लिए एकमात्र मंच है। एवाईसीएल के सभी कार्य केंद्र जेम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और केवल जेम के माध्यम से उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एवाईसीएल ने कुल ₹135.14 करोड़ की खरीद की, जिसमें से ₹134.88 करोड़ की खरीद जेम के माध्यम से की गई, जो कम्पनी की कुल खरीद का 99.81% के बराबर थी।

55. प्रशिक्षण कार्यक्रम:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 7 (सात) ऑनलाइन आंतरिक प्रशिक्षण और 1 (एक) ऑनलाइन बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 76 (छिहत्तर) प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

56. वैधानिक लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा रिपोर्ट:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा एम/एस एन. सी. बनर्जी एंड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आपकी कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में कोई आपत्ति नहीं जताई है।

57. सचिवीय लेखा परीक्षा और अनुपालन रिपोर्ट:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा करने हेतु एम/एस जे. के. दास एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिवों को नियुक्त किया।

तदनुसार, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा की और सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रपत्र संख्या एमआर-3 में प्रस्तुत की, जिसे यहाँ पर परिशिष्ट-तृतीय के रूप में संलग्न किया गया है और यह निदेशक मंडल की रिपोर्ट का हिस्सा है।

सचिवीय लेखा परीक्षक के अवलोकनों के साथ प्रबंधन की व्याख्या नीचे सारणीबद्ध की गई है।

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा योग्यताएं	प्रबंधन स्पष्टीकरण
1.	कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ-साथ सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। विशेष रूप से, यह अनुपालन न होना कम्पनी के निदेशक मंडल और उसकी समितियों में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने से संबंधित है। नियम 17(1) – निदेशक मंडल की संरचना (जिसमें महिला निदेशक की नियुक्ति भी शामिल है) नियम 18(1) – लेखा परीक्षा समिति का गठन नियम 19(1)/(2) – नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नियम 20(2)/(2ए) – हितधारकों संबंध समिति का गठन नियम 21(2) – जोखिम प्रबंधन समिति का गठन	एण्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) होने के कारण, इसके निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक, सरकार नामित निदेशक, महिला निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशक भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कम्पनी के सभी 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 3 (तीन) वर्ष पूरा होने पर 2 नवम्बर, 2024 से समाप्त हो जाने के परिणामस्वरूप 2 नवम्बर, 2024 से कम्पनी के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था और इस कारण कम्पनी निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के उपबंधों का पालन नहीं कर सकी, जिसमें महिला निदेशक की नियुक्ति, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति का गठन शामिल है।
2.	न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारण मानदंड के अनुपालन न होने की स्थिति, संदर्भित नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 38 के अनुसार। हालाँकि, वित्त मंत्रालय ने परिपत्र दिनांक 19 जुलाई, 2024 के माध्यम से अनुपालन की समयसीमा को 1 अगस्त, 2026 तक बढ़ा दिया है।	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश दिनांक 19 जुलाई, 2024 सं.सं. 1/14/2018-पीएम के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी, जैसा कि प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम 1957 (एससीआरआर, 1957) में परिभाषित है, जिसकी सार्वजनिक शेयरधारिता 25 प्रतिशत से कम है, उसे एससीआरआर, 1957 के नियम 19ए में निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को न्यूनतम 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए 1 अगस्त, 2026 तक छूट प्राप्त होगी।

आगे, सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 8 फरवरी, 2019 तथा सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 24ए के अनुसार, एम/एस जे.के. दास एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिवों द्वारा वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हेतु कम्पनी को एक वार्षिक सचिवीय अनुपालन प्रतिवेदन जारी किया गया है, जो कि प्रतिभूति और विनियम बोर्ड भारत द्वारा जारी सभी लागू विनियमों, परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों के अनुपालन से संबंधित है। उक्त प्रतिवेदन विधिवत बीएसई लिमिटेड को प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन की प्रति कम्पनी की वेबसाइट पर वेबलैंक <https://www.andrewyule.com/pdf/ASCR%202024-25.pdf> पर उपलब्ध है।

लेखा परीक्षा समिति की संस्तुति पर और सदस्यों की स्वीकृति के अधीन, निदेशक मंडल ने एम/एस टी चटर्जी एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव (फर्म पंजीकरण सं. पी2007डब्ल्यूबी067100) को कम्पनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति दी है, ताकि वे 5 (पाँच) लगातार वित्तीय वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 से लेकर वित्तीय वर्ष 2029-30 तक सचिवीय लेखा परीक्षा कर सकें। एम/एस टी चटर्जी एण्ड

एसोसिएट्स की नियुक्ति हेतु आपकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उचित प्रस्ताव कम्पनी की 77वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना के मद सं. 8 में प्रस्तुत है।

58. लागत लेखा परीक्षक एवं लागत लेखा प्रतिवेदन:

मेसर्स. डीजीएम एण्ड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 000038) ने कम्पनी के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की लागत लेखा परीक्षा की।

कम्पनी निर्धारित समयावधि के भीतर अपना लागत लेखा प्रतिवेदन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करती है।

मेसर्स. बंद्योपाध्याय भौमिक एण्ड कम्पनी, लागत लेखाकारों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कम्पनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका पारिश्रमिक सूचना से संलग्न विवरणात्मक वक्तव्य के मद सं. 9 में निर्धारित है, जो आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों की पुष्टि के अधीन होगा।

59. भारत के महालेखाकार एवं लेखा परीक्षक के अभिमत:

भारत के महालेखाकार एवं लेखा परीक्षक (सीएजी) ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एण्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय प्रतिवेदन वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त के लिए पूरक लेखा परीक्षा की। कम्पनी के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के महालेखाकार एवं लेखा परीक्षक के अभिमत इस प्रतिवेदन का अंग है।

सीएजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया स्वतंत्र एवं समेकित वित्तीय परिणामों के संबंध में नीचे सारणीबद्ध की गई है।

क्रम संख्या	वित्तीय स्थिति पर सीएजी की टिप्पणियाँ (एकल)	प्रबंधन उत्तर
1.	बैलेंस शीट अधिकार एवं देयताएँ वर्तमान देयताएँ प्रावधान (टिप्पणी 27): ₹2988.41 लाख उपरोक्त में ₹177.66 लाख सम्मिलित नहीं है, जो राज्य सरकार द्वारा कम्पनी के साथ तीन चाय बागानों के पट्टा अनुबंध के विस्तार हेतु माँगा गया है। इससे प्रावधान तथा वर्ष के लाभ (ऋणात्मक शेष) दोनों में ₹177.66 लाख प्रत्येक की कमी दर्शाई गई है।	डुआर्स स्थित तीन चाय बागानों की भूमि पट्टा नवीनीकरण हेतु पश्चिम बंगाल सरकार (जीओडब्ल्यूबी) ने ₹177.66 लाख सलामी की माँग की। एवाईसीएल ने इस माँग से छूट के लिए स्थानीय राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ कोलकाता स्थित उच्च सरकारी अधिकारियों से भी अनुरोध किया। चूँकि यह मामला सरकार एवं अर्द्धसरकारी/स्वायत्त निकाय (जहाँ लागू हो) से संबंधित है और कम्पनी के छूट हेतु किए गए आवेदन अस्वीकार कर दिए गए थे, एवाईसीएल ने पुनः 15.05.2025 के पत्र द्वारा जीओडब्ल्यूबी के समक्ष यह विषय प्रस्तुत किया है, जिसमें “पट्टा अधिकार का विक्रय द्वारा हस्तांतरण” बनाम “विलय” के अंतर का औचित्य प्रस्तुत किया गया है, जो कि इस विवादित सलामी छूट मामले का मुख्य मुद्दा है और वर्तमान में लंबित है। इसके अतिरिक्त एवाईसीएल ने एक प्रतिष्ठित विधि-फर्म से अनुकूल विधिक अभिमत प्राप्त किया है और कम्पनी के पक्ष में निपटान की आशा रखती है, जिसका संकेत एवाईसीएल के अन्य एक बागान के पट्टा नवीनीकरण से भी मिलता है, जहाँ बिना सलामी भुगतान के नवीनीकरण किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ₹177.66 लाख की कुल राशि को कम्पनी के वित्तीय परिणामों के टिप्पणी सं. 40 में उल्लिखित “कम्पनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया” में शामिल किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित है। हालाँकि, सीएजी की टिप्पणी के अनुसार, अत्यधिक सावधानी बरतते हुए उपयुक्त प्रावधान कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय परिणामों में किया जाएगा।

क्रम संख्या	वित्तीय स्थिति पर कैग की टिप्पणियाँ (समेकित)	प्रबंधन का उत्तर
1.	बैलेंस शीट अधिकार और देयताएँ वर्तमान देयताएँ प्रावधान (टिप्पणी 27): ₹2988.41 लाख उपरोक्त में ₹177.66 लाख सम्मिलित नहीं है, जो राज्य सरकार द्वारा कम्पनी से तीन चाय बागानों के पट्टा अनुबंध के विस्तार हेतु माँगा गया है। इससे प्रावधान तथा वर्ष के लाभ (ऋणात्मक शेष) दोनों में ₹177.66 लाख प्रत्येक की कमी प्रदर्शित हुई है।	डुआर्स के तीन चाय बागानों की भूमि पट्टा नवीनीकरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार (जीओडब्ल्यूबी) ने ₹177.66 लाख सलामी की माँग की। एवाईसीएल ने इस माँग से छूट पाने हेतु स्थानीय राज्य सरकारी अधिकारियों तथा कोलकाता स्थित उच्च सरकारी अधिकारियों से अनुरोध किया। चूँकि यह मामला सरकार एवं अर्द्धसरकारी/स्वायत्त निकाय (जहाँ लागू हो) से संबंधित है और कम्पनी के छूट हेतु किए गए आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए थे, एवाईसीएल ने पुनः 15.05.2025 के पत्र द्वारा जीओडब्ल्यूबी के समक्ष यह विषय प्रस्तुत किया है। इसमें “पट्टा अधिकार का विक्रय द्वारा हस्तांतरण” और “विलय” के बीच अंतर का औचित्य प्रस्तुत किया गया है, जो इस विवादित सलामी छूट मामले का मुख्य मुद्दा है और वर्तमान में लंबित है। इसके अतिरिक्त, एवाईसीएल ने एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता फर्म से अनुकूल विधिक अभिमत प्राप्त किया है और कम्पनी के पक्ष में निपटान की आशा कर रही है, जिसका संकेत एवाईसीएल के एक अन्य बागान के पट्टा नवीनीकरण से मिलता है, जहाँ बिना सलामी भुगतान के नवीनीकरण किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ₹177.66 लाख की कुल राशि को कम्पनी के वित्तीय परिणामों के टिप्पणी सं. 40 में उल्लिखित “कम्पनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया” में शामिल किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित है। हालाँकि, सीएजी की टिप्पणी के अनुसार, अत्यधिक सावधानी बरतते हुए उपयुक्त प्रावधान कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय परिणामों में किया जाएगा।

60. दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016:

एवाईसीएल ने दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ कर से छूट के लिए एक विविध आवेदन दायर किया था, जो इसकी पूर्ववर्ती सहयोगी कम्पनी एम/एस दिसरगढ़ पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड और इसकी संयुक्त उद्यम कम्पनी एम/एस फीनिक्स यूल लिमिटेड के अंशों की बिक्री से उत्पन्न हुआ था, जैसा कि बीआईएफआर पुनरुद्धार योजना में अनुमोदित किया गया था। यह मामला सूचीबद्ध किया गया और आदेश हेतु सुरक्षित रखा गया; किन्तु, मामले की गलत लेबलिंग के कारण आदेश पारित नहीं हो सका। अतः, 28 अगस्त, 2023 को माननीय न्यायाधिकरण ने आवेदन वापसी और इसे पुनः दायर करने की अनुमति दी। इस प्रकार, एवाईसीएल ने आईबीसी की धारा 252 के अंतर्गत आवेदन को पुनः दायर करने हेतु कदम उठाया। किन्तु, एनसीएलटी वेबसाइट के ई-फाइलिंग पोर्टल में ऐसे किसी प्रावधान के न होने के कारण, रजिस्ट्रार को आवेदन किया गया है कि कम्पनी याचिका को संबंधित धारा अर्थात् दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 252 के अंतर्गत दायर करने की अनुमति दी जाए। स्थिति यथावत है।

61. मुक्तभोग / पट्टाभोग भूमि / संपत्तियों का विवरण:

भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2025 को एवाईसीएल के स्वामित्व वाली मुक्तभोग / पट्टाभोग भूमि / संपत्तियों की स्थिति परिशिष्ट-4 में संलग्न है और वार्षिक प्रतिवेदन का अंग है।

62. निदेशकों की दायित्व विवरणिका:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) सहपठित धारा 134(5) के अंतर्गत निदेशकों की दायित्व विवरणिका की आवश्यकता के अनुसार, यह पुष्टि की जाती है कि:

- वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हेतु वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसका उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;
- निदेशकों ने ऐसे लेखा नीतियाँ चयनित कीं जिन्हें निरंतर लागू किया गया तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो यथोचित और विवेकपूर्ण थे ताकि कम्पनी की वित्तीय वर्ष के अंत में स्थिति और उस अवधि के लाभ-हानि का सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत हो सके;
- निदेशकों ने कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की;

- iv. निदेशकों ने कम्पनी के वार्षिक लेखों को सतत परिचालन के आधार पर तैयार किया;
- v. निदेशकों ने कम्पनी द्वारा पालन किए जाने हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए और यह सुनिश्चित किया कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे; और
- vi. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की और यह सुनिश्चित किया कि ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी रूप से संचालित हो रही थीं।

63. सावधानी विवरण:

यह प्रतिवेदन कम्पनी के उद्देश्यों, अपेक्षाओं और प्रक्षेपणों से संबंधित भावी उन्मुख कथन सम्मिलित करता है, जो लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के अधीन है। वास्तविक परिणाम विभिन्न कारकों जैसे बाज़ार की स्थिति, इनपुट की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण, नियामकीय परिवर्तन, आर्थिक विकास, वाद-विवाद और औद्योगिक संबंधों के कारण भिन्न हो सकते हैं।

भविष्य की घटनाओं या विकासों के आलोक में इन कथनों को अद्यतन या संशोधित करने का कोई दायित्व कम्पनी नहीं लेती।

64. आभार:

निदेशक मंडल सभी स्तरों पर कर्मचारियों की निष्ठा और प्रयासों के प्रति हार्दिक सराहना दर्ज करता है। यह भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय और अन्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के मंत्रालयों से प्राप्त निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है।

निदेशक भारत के महालेखाकार एवं लेखा परीक्षक, वैधानिक, लागत, आंतरिक, सचिवीय और कर लेखा परीक्षकों तथा सभी हितधारकों के मूल्यवान सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं। निदेशक मंडल कम्पनी के शेयरधारकों, सम्मानित ग्राहकों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और भारत एवं विदेश के आपूर्तिकर्ताओं का उनके निरंतर विश्वास और सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता है।

कोलकाता,
14 अगस्त, 2025

निदेशक मंडल की ओर से
अनन्त मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन
उद्योग संरचना और विकास:

वैश्विक अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024-25 में निरंतर भू-राजनीतिक तनावों, विशेषकर रूस-यूक्रेन संघर्ष और मध्य पूर्व में अस्थिरता के कारण दबाव में रही। इन अवरोधों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और ऊर्जा बाजारों को प्रभावित किया। इसके बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने लचीलापन प्रदर्शित किया। एक प्रमुख विकास यह रहा कि कई देशों ने चीन पर निर्भरता घटाने की रणनीति अपनाई, जिससे भारत जैसे उभरते हुए अर्थतंत्रों के लिए नए विकास अवसर उत्पन्न हुए।

भारत वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक महत्वपूर्ण विकास इंजन के रूप में उभरा, जहाँ उसने 8.2% (भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार) की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर दर्ज की, जिसे मजबूत घरेलू मांग, निरंतर निवेश गतिविधियों और सरकार-प्रेरित पूँजीगत व्यय ने गति दी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.4% से 6.5% के बीच अनुमानित है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में अपने अनुमान को संशोधित कर 7.2% कर दिया है, जो आर्थिक गति का प्रतीक है।

निवेश के मोर्चे पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह 14% बढ़कर 81 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि शुद्ध एफडीआई में लगभग 96% की तीव्र गिरावट आई और यह घटकर 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जिसका प्रमुख कारण अधिक प्रत्यावर्तन और बहिर्वाह था। मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने पूरे वर्ष 6.50% रेपो दर बनाए रखी।

इन व्यापक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, भारत वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मजबूती से अग्रसर है, जो इसके लचीले आर्थिक आधार और मजबूत विकास पथ को रेखांकित करता है।

क्षेत्रवार परिदृश्य
क) चाय उद्योग:

भारतीय चाय उद्योग जलवायु परिवर्तनशीलता, बढ़ती लागत और स्थिर कीमतों से जूझ रहा है। फिर भी, प्रीमियमकरण, निर्यात अवसर और विशेष चाय की बढ़ती घरेलू खपत विकास का मार्ग प्रदान करते हैं। सतत खेती के अभ्यास और सिंचाई अवसंरचना लचीलापन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

ख) इंजीनियरिंग उद्योग:

इंजीनियरिंग उद्योग को सरकार की अवसंरचना वृद्धि नीतियों से लाभ हुआ, जिसमें सड़कों, रेलमार्गों और अक्षय ऊर्जा में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हुई। पूँजीगत वस्तुओं की बढ़ती मांग, स्थानीयकरण की पहल और "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

ग) विद्युत उद्योग:

इस क्षेत्र ने बिजली क्षेत्र सुधारों, स्मार्ट ग्रिड विकास और अक्षय ऊर्जा तथा प्रसारण अवसंरचना में बढ़ते निवेश से मजबूत मांग का अनुभव किया। "पावर फॉर ऑल" और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) जैसी सरकारी पहलें इस क्षेत्र के विस्तार को निरंतर समर्थन देती रही हैं।

व्यवसाय प्रभाग विश्लेषण
क) चाय प्रभाग: उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाना

एण्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड (एवाईसीएल) के चाय प्रभाग ने उत्पादकता सुधार और जलवायु-संबंधी चुनौतियों से निपटने हेतु लचीलापन मजबूत करने के लिए कई रणनीतिक पहलें लागू की हैं। प्रमुख उपायों में शामिल हैं:

- **सिंचाई कवरेज का विस्तार:** जल उपलब्धता बढ़ाकर जलवायु तनाव को कम करना और फसल स्वास्थ्य को बनाए रखना।
- **क्षेत्रीय संचालन का अनुकूलन:** विशेष रूप से प्रथम फलश मौसम में दक्षता और उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान।
- **गुणवत्ता संवर्धन:** प्रसंस्करण मानकों और उत्पाद गुणवत्ता को उन्नत करने की पहल।
- **बाजार विविधीकरण:** निर्यात और मूल्य संवर्धित चाय उत्पादों के विकास के माध्यम से नए बाजारों की सक्रिय खोज।

इन प्रयासों का सामूहिक उद्देश्य चाय प्रभाग की दीर्घकालिक स्थिरता और लाभप्रदता को बढ़ाना है।

ख) इंजीनियरिंग प्रभाग: क्षमता, पहुँच और गुणवत्ता के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना

एवाईसीएल का इंजीनियरिंग प्रभाग घरेलू अवसंरचना और औद्योगिक मांग का लाभ उठाकर विकास को तेज कर रहा है। प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:

- **क्षमता उपयोग में वृद्धि:** बेहतर संसाधन उपयोग के माध्यम से परिचालन दक्षता और उत्पादन में सुधार।
- **प्रक्रिया उन्नयन:** उच्च उत्पादकता और विश्वसनीयता के लिए तकनीकी और कार्यप्रवाह सुधार।
- **भौगोलिक विस्तार:** नए क्षेत्रों में प्रवेश कर ग्राहक आधार और बाजार उपस्थिति का विस्तार।
- **आदेश पुस्तिका में वृद्धि:** सक्रिय व्यवसाय विकास और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के माध्यम से मजबूत पाइपलाइन।
- **गुणवत्ता प्रगति एवं साझेदारी:** निरंतर गुणवत्ता सुधार और रणनीतिक सहयोग ने प्रभाग की बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत किया। इन पहलों ने प्रभाग को इंजीनियरिंग क्षेत्र में निरंतर प्रदर्शन और नेतृत्व हेतु सशक्त बनाया है।

ग) विदूत प्रभाग (चेन्नई): स्मार्ट ऊर्जा भविष्य हेतु क्षमता का विस्तार

विदूत प्रभाग का चेन्नई संचालन (ई-सीओ) रिकॉर्ड उत्पादन क्षमता और व्यापक बाजार पहुँच के साथ एक ऐतिहासिक वर्ष रहा। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

- **रिकॉर्ड उत्पादन उपलब्धि:** अब तक की सर्वोच्च आंतरिक उत्पादन क्षमता हासिल की, बढ़ती मांग को प्रभावी रूप से पूरा किया।
- **पैन-भारत आदेश निष्पादन:** अनेक राज्यों में आदेशों को सफलतापूर्वक पूरा किया, भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार किया।
- **परिचालन दक्षता और कार्यबल विकास:** प्रक्रियाओं को सरल बनाया और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में निवेश किया जिससे उत्पादकता और निष्पादन की गति बढ़ी।
- **डिजिटल एकीकरण:** योजना, निगरानी और वितरण की सटीकता बढ़ाने हेतु डिजिटल उपकरणों और प्रणालियों को अपनाया।
- **भविष्य के लिए तत्पर स्थिति:** भारत के ग्रिड आधुनिकीकरण, विदूतीकरण और अक्षय ऊर्जा एकीकरण पहलों को समर्थन देने के लिए रणनीतिक रूप से अनुकूलन।

इन प्रगतियों ने ई-सीओ की भूमिका को देश के सतत ऊर्जा भविष्य को आकार देने में एक प्रमुख शक्ति के रूप में सुदृढ़ किया।

स्वॉट विश्लेषण – चाय प्रभाग

सशक्तताएँ

- **स्थापित ब्रांड और सम्पदा विरासत:** चाय उत्पादन में लंबे समय से उपस्थिति, वफादार खरीदार और मान्यता प्राप्त सम्पदा नाम।
- **अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ (सामान्य वर्षों में):** असम जैसे क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाली चाय उत्पादन के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त।
- **अनुभवी कार्यबल:** कुशल पत्तियाँ तोड़ने वाले और पर्यवेक्षक, जो सम्पदा संचालन और स्थानीय कृषि प्रथाओं से परिचित हैं।
- **विविध उत्पाद पोर्टफोलियो:** ऑर्थोडॉक्स, सीटीसी, ग्रीन और विशेष चाय उत्पादन की क्षमता।
- **अवसंरचना:** सम्पदा के भीतर मौजूदा प्रसंस्करण कारखाने और लॉजिस्टिक सहयोग।

कमज़ोरियाँ

- **श्रम पर अत्यधिक निर्भरता:** विस्तार की सीमा और श्रमिकों की कमी व वेतन दबाव की संवेदनशीलता।
- **कम यंत्रीकरण स्तर:** श्रमिकों की कमी के दौरान उत्पादकता प्रभावित, उन्नयन की लागत अधिक।
- **मौसम संवेदनशीलता:** पूर्ण सिंचाई कवरेज का अभाव, सम्पदाओं को अप्रत्याशित जलवायु घटनाओं के प्रति असुरक्षित बनाता है।
- **लागत और वसूली में असमानता:** बढ़ती लागत और श्रमिक खर्च कीमतों की वसूली में वृद्धि से संतुलित नहीं हो रहे।
- **वित्तीय सीमाएँ:** सीमित कार्यशील पूँजी समय पर इनपुट खरीद और आधुनिकीकरण प्रयासों को बाधित करती है।

अवसर

- **विशेष और वेलनेस चाय की बढ़ती मांग:** मूल्य संवर्धन और जैविक उत्पादन के माध्यम से प्रीमियम वर्ग में प्रवेश की संभावना।
- **निर्यात बाजार वृद्धि:** वैश्विक बाजारों में भारतीय चाय की उच्च मांग, विशेषकर उचित प्रमाणपत्रों के साथ।
- **चाय पर्यटन और सम्पदा ब्रांडिंग:** सम्पदा की प्राकृतिक सुंदरता और विरासत का उपयोग कर विविध राजस्व स्रोत।

- **सरकारी योजनाएँ:** सिंचाई, पुनरोपण और मशीनरी उन्नयन हेतु अनुदान पाने की संभावना।
- **स्थिरता पर ध्यान:** जलवायु-अनुकूल और पर्यावरण-मित्र प्रथाओं की ओर संक्रमण, जो लाभांश और बाजार पहुँच दोनों बढ़ा सकता है।

खतरे

- **प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियाँ:** सूखा, तूफान और अनियमित वर्षा की बढ़ती घटनाएँ फसल उत्पादन को सीधे प्रभावित करती हैं।
- **वेतन वृद्धि और श्रमिक पलायन:** बढ़ते वेतन और श्रमिकों का पलायन लागत और संचालन की निरंतरता को खतरा।
- **नीलामी में मूल्य अस्थिरता:** बाजार नीलामी पर निर्भरता से कीमतों में उतार-चढ़ाव, जिससे पूर्वानुमान कठिन।
- **अन्य चाय उत्पादक देशों से प्रतिस्पर्धा:** केन्या और श्रीलंका जैसे देश निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रस्तुत करते हैं।
- **उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव:** नए पेय विकल्पों की ओर झुकाव पारंपरिक चाय की मांग को प्रभावित कर सकता है।

परिदृश्य – चाय प्रभाग

चाय प्रभाग आगामी वर्ष को चुनौतीपूर्ण किंतु अवसर-प्रधान मानता है। प्रतिकूल मौसम, बढ़ती इनपुट लागत और श्रमिकों की कमी उत्पादन और लाभांश को प्रभावित कर सकती है। किन्तु सिंचाई, यंत्रीकरण और उत्पादकता सुधार पर बढ़ते ध्यान से संचालन स्थिर होने की संभावना है।

प्रीमियम और विशेष चाय की बढ़ती मांग मजबूत बाजार क्षमता प्रस्तुत करती है। प्रभाग सम्पदा ब्रांडिंग, गुणवत्ता सुधार और लक्षित निर्यात के माध्यम से इसका लाभ उठाने का लक्ष्य रखता है। लागत नियंत्रण, समय पर इनपुट खरीद और सरकारी योजनाओं का प्रभावी उपयोग लाभप्रदता सुधार की कुंजी होंगे।

कुल मिलाकर, रणनीतिक ध्यान और परिचालन अनुशासन के साथ प्रभाग वर्तमान चुनौतियों का सामना कर अपनी बाजार उपस्थिति को मजबूत करने की स्थिति में है।

स्वॉट विश्लेषण – इंजीनियरिंग प्रभाग

सशक्तताएँ

- **मजबूत ब्रांड प्रतिष्ठा:** औद्योगिक पंखे प्रदर्शन और विश्वसनीयता के लिए प्रशंसित।
- **उच्च उत्पाद गुणवत्ता:** समक्षों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता, पूँजीगत वस्तुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
- **प्रमाणपत्र:** आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और आईएसओ 45001 धारण करता है – जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है।
- **मजबूत अवसंरचना:** सुविधाएँ उद्योग मानकों के अनुरूप, उच्चस्तरीय विनिर्माण का समर्थन करती हैं।
- **श्रेष्ठ ग्राहक आधार:** प्रमुख ग्राहक जैसे सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, एलएंडटी, एनटीपीसी और अल्ट्राटेक।
- **विस्तार क्षमता:** मामूली पूँजीगत व्यय से क्षमता को 300 से 400 इम्पेलर प्रति वर्ष तक बढ़ाने की संभावना।

कमज़ोरियाँ

- **मूल्य निर्धारण सीमाएँ:** अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और मूल्य-संवेदनशील बाजार लाभांश को सीमित करता है।
- **कम आफ्टरमार्केट हिस्सेदारी:** खंडित बाजार, जहाँ कम लागत वाले लघु स्तर के निर्माता हावी।
- **बड़े आदेशों पर निर्भरता:** इस्पात और सीमेंट जैसे मूल क्षेत्रों से चक्रीय मांग पर निर्भरता।

अवसर

- **क्षमता विस्तार:** नियोजित सुविधा उन्नयन से प्रतिवर्ष लगभग 100 पंखे अतिरिक्त जोड़ने की क्षमता, ₹20–30 करोड़ अतिरिक्त राजस्व की संभावना।
- **डब्ल्यूपीसी परियोजनाएँ:** पर्यावरणीय फोकस बढ़ने से जल प्रदूषण नियंत्रण में नए व्यावसायिक अवसर।
- **अवसंरचना वृद्धि:** इस्पात, सीमेंट और उपयोगिताओं में निवेश बढ़ने से मांग में वृद्धि।
- **प्रौद्योगिकी उन्नयन:** नया परीक्षण केंद्र, उच्च क्षमता मोटर और उन्नत डिजाइन सॉफ्टवेयर से क्षमता और ग्राहक संतुष्टि में सुधार।
- **अनुकूलन क्षमता:** अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से उच्च क्षमता वाले, विशेष अनुरूप पंखा समाधान विकसित करने की संभावना।

खतरे

- **तीव्र प्रतिस्पर्धा:** छोटे, असंगठित खिलाड़ियों द्वारा कट-थ्रो मूल्य निर्धारण से बाजार हिस्सेदारी का क्षरण।
- **कच्चे माल की अस्थिरता:** इनपुट लागत में उतार-चढ़ाव लाभान्श को प्रभावित कर सकता है।
- **परियोजना विलंब:** अवसंरचना और औद्योगिक परियोजनाओं में विलंब से आदेश प्रवाह प्रभावित हो सकता है।
- **पूँजीगत व्यय चक्र पर निर्भरता:** मांग मूल उद्योगों में पूँजी निवेश प्रवृत्तियों से जुड़ी।

परिदृश्य – इंजीनियरिंग प्रभाग

इंजीनियरिंग प्रभाग अवसंरचना विकास और औद्योगिक वृद्धि से उत्पन्न बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, विशेषकर इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों में। वित्तीय वर्ष 2025-26 से, प्रभाग राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्थिरता प्राथमिकताओं के अनुरूप जल प्रदूषण नियंत्रण (डब्ल्यूपीसी) परियोजनाओं पर भी अपना ध्यान बढ़ाएगा। नियोजित क्षमता विस्तार और सुविधाओं के आधुनिकीकरण के साथ, प्रभाग प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, आदेश प्राप्ति बढ़ाने और उच्च-विकास क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए तत्पर है।

स्वॉट विश्लेषण – विदूत प्रभाग (चेन्नई)

सशक्तताएँ

- **स्थापित ब्रांड छवि:** 8-31.5 एमवीए श्रेणी में विश्वसनीय और उच्च प्रदर्शन पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए मान्यता प्राप्त।
- **प्रमाणित उत्पाद:** गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली हेतु आईएसओ 9001 तथा प्रमुख ट्रांसफॉर्मर रेटिंग्स (132 केवी तक) हेतु सीपीआरआई प्रमाणपत्र, जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है।
- **मजबूत ग्राहक आधार:** राज्य बिजली बोर्ड (तमिलनाडु, कर्नाटक), ईपीसी ठेकेदारों और औद्योगिक ग्राहकों जैसे सेल से नियमित आदेश।
- **विनिर्माण अवसंरचना:** सुव्यवस्थित सुविधाएँ, आगे तकनीकी उन्नयन की संभावना के साथ।

कमज़ोरियाँ

- **कम बाजार हिस्सेदारी:** वर्तमान बाजार हिस्सेदारी मात्र 1.8%, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति सीमित।
- **मूल्य दबाव:** ≤132 केवी श्रेणी में उच्च मूल्य संवेदनशीलता, जहाँ अनेक छोटे प्रतिस्पर्धी कम लागत विकल्प प्रदान करते हैं।
- **सीमित उत्पाद दायरा:** संकीर्ण एमवीए/केवी खंड पर केन्द्रित, व्यापक ट्रांसफॉर्मर श्रेणियों में वृद्धि बाधित।
- **उच्च वोल्टेज श्रेणी हेतु सीमित क्षमता:** एवाईसीएल का वर्तमान संयंत्र केवल 132 केवी श्रेणी तक के ट्रांसफॉर्मर बना सकता है। 132 केवी से ऊपर वाले खंड में, जहाँ मांग और लाभप्रदता अधिक है, अवसर प्राप्त करने के लिए कम्पनी को मौजूदा सुविधा का विस्तार या नई इकाई स्थापित करनी होगी।

अवसर

- **टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीएसबी) परियोजनाओं से बढ़ती मांग:** प्रसारण अवसंरचना में वृद्धि, विशेषकर अक्षय ऊर्जा निकासी हेतु, ट्रांसफॉर्मर की मांग को बढ़ाने की संभावना।
- **अवसंरचना विस्तार:** एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, आधुनिक विश्वसनीय सुविधाएँ, वेपर फेज ड्राइंग (वीपीडी) इकाई और उन्नत वाइडिंग उपकरण स्थापित करने की योजना से गुणवत्ता, अनुपालन और उत्पादन क्षमता में सुधार।
- **प्रौद्योगिकी आधारित दक्षता:** डस्ट-फ्री एनक्लोज़र और वर्टिकल वाइडिंग मशीन अपनाने से दोष और चक्र समय घटेगा, उत्पादकता तथा आयु वृद्धि होगी।

खतरे

- **तीव्र बाजार प्रतिस्पर्धा:** अनेक असंगठित और छोटे खिलाड़ी मूल्य घटाकर लाभान्श सुधार को सीमित करते हैं।
- **राज्य बिजली बोर्ड और ईपीसी आदेशों पर निर्भरता:** निविदा-आधारित व्यवसाय पर उच्च निर्भरता परियोजना विलंब और मूल्य अस्थिरता के जोखिम ला सकती है।



- **पूँजीगत व्यय क्रियान्वयन जोखिम:** नियोजित पूँजीगत व्यय की स्वीकृति या क्रियान्वयन में विलंब क्षमता और तकनीकी उन्नयन को धीमा कर सकता है।
- **कच्चे माल की लागत अस्थिरता:** ताँबा और इस्पात जैसे प्रमुख इनपुट के दामों में उतार-चढ़ाव लागत नियंत्रण को प्रभावित कर सकते हैं।

परिदृश्य – विद्वत प्रभाग (चेन्नई)

प्रसारण अवसंरचना और टीबीसीबी परियोजनाओं में बढ़ते निवेश के साथ, 132 केवी तक के पावर ट्रांसफॉर्मरों की मांग स्थिर रहने की उम्मीद है। विद्वत प्रभाग का लक्ष्य अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को उन्नत सुविधाओं जैसे वीपीडी इकाई और उन्नत कॉयल वाइंडिंग प्रणाली के माध्यम से सुधारना है।

132 केवी से अधिक वाले खंड में उच्च लाभांश अवसरों को प्राप्त करने के लिए, प्रभाग को अपने विनिर्माण क्षमता का विस्तार संयंत्र उन्नयन या नई इकाई के माध्यम से करना होगा।

खंडवार प्रदर्शन

कम्पनी एक बहु-खंडीय कम्पनी है जैसा कि लेखों में टिप्पणी सं. 49 में बताया गया है।

जोखिम और चिंता

व्यावसायिक जोखिम किसी भी उद्यम में अंतर्निहित होते हैं। कम्पनी अपनी जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से सक्रिय रूप से आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान करती है और उपयुक्त निवारण उपाय अपनाती है। जोखिम प्रबंधन समिति नियमित रूप से जोखिम मूल्यांकन की समीक्षा करती है और न्यूनकरण रणनीतियाँ बोर्ड को अनुशंसा करती है।

लेखा परीक्षा समिति, वित्तीय जोखिमों और आंतरिक नियंत्रणों पर अतिरिक्त निगरानी के साथ, जोखिम प्रबंधन ढाँचे की समीक्षा करती है। रणनीतिक उद्देश्यों की सुरक्षा हेतु कम्पनी निरंतर प्रमुख जोखिमों की निगरानी, प्रबंधन और प्रतिवेदन करती है, जो व्यवसाय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय प्रदर्शन

कम्पनी के वित्तीय प्रदर्शन का विवरण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैलेंस शीट और लाभ-हानि विवरण में प्रस्तुत है।

मुख्य वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मुख्य वित्तीय अनुपातों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, निम्नलिखित को छोड़कर:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	टिप्पणियाँ
ब्याज कवरेज अनुपात	(-) 0.30	(-) 3.67	बेहतर ईबीआईडीटीए के कारण
डेट इक्विटी अनुपात	4.08	3.00	अन्य इक्विटी में कमी के कारण
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (%)	(-) 2.11%	(-) 18.40%	ईबीआईडीटीए में वृद्धि के कारण
शुद्ध लाभ मार्जिन (%)	(-) 8.19%	(-) 18.20%	कम नुकसान होने के कारण
नियोजित पूँजी पर रिटर्न (%)	(-) 4.34%	(-) 44.81%	कम नुकसान होने के कारण

शुद्ध संपत्ति पर प्रतिफल में परिवर्तन का विवरण तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में तथा उसका विस्तृत स्पष्टीकरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शुद्ध संपत्ति पर प्रतिफल (-)25.22% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह (-)41.02% था। इस सुधार का मुख्य कारण वर्ष के दौरान शुद्ध हानि में कमी होना है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

एवाईसीएल में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं, जो संगठन की वृद्धि और संचालन की जटिलता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नीतियों, प्रथाओं और कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। यह ढाँचा वर्तमान गतिविधियों और कॉर्पोरेट प्रोफ़ाइल से जुड़े सभी प्रकार के जोखिमों, जिनमें वाणिज्यिक और वित्तीय जोखिम शामिल हैं, की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करता है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के पास प्रबंधन प्रतिवेदन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो प्रदर्शन, रणनीति, संचालन, व्यावसायिक वातावरण, प्रक्रियाओं, वित्तपोषण, जोखिम और आंतरिक नियंत्रण की निगरानी करने में सक्षम बनाती है। आंतरिक लेखा परीक्षक वर्ष भर सभी स्थानों और कार्य क्षेत्रों में व्यापक लेखा परीक्षाएँ करते हैं और अपनी रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत करते हैं।

वार्षिक प्रतिवेदन के संबंधित खंड में प्रदत्त सीईओ और सीएफओ प्रमाणन कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता को निर्दिष्ट करता है।

मानव संसाधन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी में औद्योगिक संबंध सभी इकाइयों/प्रभागों में सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे, सिवाय कुछ चाय बागानों के। पश्चिम बंगाल और असम स्थित कम्पनी के कुछ चाय बागानों में मजदूरी और वेतन के भुगतान में देरी के कारण श्रमिकों/कर्मचारियों/उपकर्मचारियों द्वारा समय-समय पर आंदोलन हुआ।

सावधानी वक्तव्य

निदेशक मंडल की रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन में कम्पनी के उद्देश्यों, प्रक्षेपणों, अनुमानों, अपेक्षाओं, पूर्वानुमानों आदि का वर्णन करने वाले कथन लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के अंतर्गत “भावी-दृष्टि वाले वक्तव्य” हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो कम्पनी के संचालन में अंतर ला सकते हैं, उनमें माँग/आपूर्ति और मूल्य स्थितियाँ, जिन घरेलू बाजारों में कम्पनी कार्यरत है, उनमें परिवर्तन, सरकारी विनियमों, कर कानूनों, वाद-विवाद, औद्योगिक संबंधों और अन्य कानूनों तथा सहायक कारकों में परिवर्तन शामिल हैं। पाठकों को भावी-दृष्टि वाले वक्तव्यों पर अनावश्यक विश्वास न करने की सलाह दी जाती है।

कोलकाता,
14 अगस्त, 2025

निदेशक मंडल की ओर से
अनन्त मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



**ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण,
विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय**

(क) ऊर्जा संरक्षण

i) ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम अथवा उसका प्रभाव:

इंजीनियरिंग प्रभाग

क) पुराने एयर कंडीशनरों का प्रतिस्थापन

इंजीनियरिंग प्रभाग ने 2 इकाई पुराने, अधिक ऊर्जा खपत वाले विंडो प्रकार एयर कंडीशनरों को नए इन्वर्टर आधारित विंडो एसी से बदला।
ऊर्जा बचत: लगभग 1,500 किलोवॉट घंटा/वर्ष

ख) एलईडी प्रकाश व्यवस्था उन्नयन

ऊर्जा बचत कार्यक्रम के अंतर्गत, सभी पारंपरिक लैम्प, ट्यूब लाइट तथा उच्च-वॉट वाले प्रकाश उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से उच्च दक्षता वाले एलईडी बल्ब और ट्यूब से प्रतिस्थापित किया गया।

ऊर्जा बचत: लगभग 1,000 किलोवॉट घंटा/माह (अर्थात 12,000 किलोवॉट घंटा/वर्ष)

ग) पावर फैक्टर सुधार

प्रभाग ने पावर फैक्टर को लगभग 0.95 तक सुधारा, जिससे ऊर्जा दक्षता बढ़ी और डब्ल्यूबीएसईडीसीएल से मासिक छूट मिली।

आर्थिक बचत: लगभग ₹9,000/माह

घ) ईओटी क्रेन (शेड-5) हेतु वीएफडी की स्थापना

ईओटी क्रेन के लिए वेरिबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी) स्थापित किया गया ताकि उच्च प्रारंभिक धारा को कम किया जा सके और ऊर्जा उपयोग का अनुकूलन किया जा सके।

ऊर्जा बचत: लगभग 300 किलोवॉट घंटा/माह (अर्थात 3,600 किलोवॉट घंटा/वर्ष)

ङ) उच्च शक्ति वाले मानव शीतलक पंखों को हटाना

सभी 3-फेज मानव शीतलक पंखे (3 एचपी और 5 एचपी) कार्यशाला से हटाकर उनकी जगह पैडेस्टल पंखे लगाए गए, जिससे विशेषकर ग्रीष्मकाल में ऊर्जा की बचत हुई।

ऊर्जा बचत: लगभग 5,000 किलोवॉट घंटा/वर्ष

च) पंखा परीक्षण हेतु वीएफडी की स्थापना

एलटी मोटर का उपयोग कर बड़े पंखों के परीक्षण के लिए वीएफडी लगाया गया। इससे डीओएल (डायरेक्ट-ऑन-लाइन) प्रारंभ के कारण होने वाली उच्च ऊर्जा खपत में कमी आई।

लाभ: ऊर्जा उतार-चढ़ाव में कमी और परिचालन दक्षता में सुधार।

छ) ऊर्जा दक्ष पंखा डिजाइन

प्रभाग ने 3168 व्यास वाले पंखे हेतु खोखला शाफ्ट डिजाइन और लागू किया, जिससे यांत्रिक भार में कमी आई और संचालन के दौरान ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय कमी हुई।

लाभ: संचालन के दौरान ऊर्जा मांग में कमी।

ii) कम्पनी द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु उठाए गए कदम:

इंजीनियरिंग प्रभाग:

प्रभाग ने नवीकरणीय ऊर्जा समाधान को अपनाते हुए कल्याणी फैक्ट्री की प्रशासनिक इमारत पर 10 किलोवॉट क्षमता का रूफटॉप सौर प्रणाली स्थापित किया।

- यह सौर प्रणाली वित्तीय वर्ष 2018-19 से संचालित है और प्रभाग की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करती आ रही है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रदर्शन:

- प्रणाली ने वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 7,500 किलोवॉट घंटा स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग किया।
- इस पहल से पारंपरिक ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम हुई और इकाई का कार्बन पदचिह्न घटा।

iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूँजी निवेश:

इंजीनियरिंग प्रभाग: ₹62.42 लाख

- प्रभाग पारंपरिक स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम की जगह सौर स्ट्रीट लाइटें खरीदने की योजना बना रहा है। यह पहल ऊर्जा खपत को उल्लेखनीय रूप से कम करेगी और स्थिरता लक्ष्यों में योगदान देगी।
- कम ऊर्जा खपत करने वाली हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक और रोलर बेडिंग मशीन जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों की खरीद पर विचार किया जा रहा है। ये मशीनें प्रत्यक्ष उत्पादन कार्यों में उपयोग होंगी, जिससे ऊर्जा उपयोग और परिचालन लागत में बचत होगी।

(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण

i) प्रौद्योगिकी अवशोषण हेतु किए गए प्रयास:

इंजीनियरिंग प्रभाग:

- क) 2215 मि.मी. व्यास के 2 इम्पेलर-शाफ्ट असेंबली (मूल रूप से रूसी निर्माण) का सफलतापूर्वक निर्माण और आपूर्ति, जो उच्च-सटीकता निर्माण और रिवर्स इंजीनियरिंग में क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- ख) हाउडेन-यूके निर्माण का एक सिंटर वेस्ट गैस फैन इम्पेलर-शाफ्ट असेंबली की आपूर्ति, जो अंतरराष्ट्रीय विनिर्देशों को संभालने की अनुकूलता दर्शाता है।
- ग) हाउडेन-यूके निर्माण के 3 आईडी फैन इम्पेलर-शाफ्ट असेंबली का नवीनीकरण और आपूर्ति, जो आयातित उपकरणों के रखरखाव और तकनीकी उन्नयन में दक्षता दर्शाता है।
- घ) आयातित महत्वपूर्ण पंखा पुर्जों के स्थान पर एवाईसीएल-डिजाइन किए गए घरेलू विकल्पों की शुरुआत, जिससे आत्मनिर्भरता और लागत-दक्षता को बढ़ावा मिला।
- ङ) आयातित पंखा पुर्जों के एक-से-एक प्रतिस्थापन हेतु प्राप्त आदेश; डिजाइन इंजीनियरिंग चरण के दौरान इन्हें एवाईसीएल मानक डिजाइनों से प्रतिस्थापित किया गया, जिससे लागत में उल्लेखनीय कमी आई और प्रभाग की वर्षों से विकसित रेट्रोफिट विशेषज्ञता का लाभ उठाया गया।

चाय प्रभाग:

- क) चेहरे की पहचान आधारित उपस्थिति प्रणाली का कार्यान्वयन
- ख) यंत्रीकृत छँटाई की शुरुआत

ii) प्राप्त लाभ जैसे उत्पाद विकास, लागत में कमी या आयात प्रतिस्थापन:

इंजीनियरिंग प्रभाग:

क) उत्पाद विकास – तेल-स्नेहित बीयरिंग हाउजिंग (एसआर-200):

इंजीनियरिंग प्रभाग ने 200 मि.मी. व्यास शाफ्ट के लिए उपयुक्त एसआर-200 बीयरिंग हाउजिंग का सफलतापूर्वक डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति पूरी की। यह इकाई पहली बार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्य सं. 22156C के अंतर्गत एम/एस जेके लक्ष्मी सीमेंट हेतु चालू की गई। इसके प्रदर्शन और लागत-प्रभावशीलता के कारण, उसी ग्राहक से कार्य सं. 24049S के अंतर्गत पुनः आदेश प्राप्त हुआ।

लाभ:

- निर्माण चक्र समय में 1 माह की कमी
- प्रत्येक बीयरिंग हाउजिंग सेट पर ₹2.0 लाख की लागत बचत।

ख) प्रौद्योगिकी उन्नति – मोटे सील रिंग का अनुकूलन:

परंपरागत रूप से, मोटे सील रिंग कटाई, मोड़ और रेडियोग्राफिक वेल्डिंग द्वारा बनाए जाते थे, जिसमें अत्यधिक मानव घंटे और लंबी समयावधि लगती थी। बाहरी विक्रेताओं से एकल-टुकड़ा फोर्ज किए गए मोटे सील रिंग अपनाकर, प्रभाग ने जटिल निर्माण प्रक्रियाओं को समाप्त किया और उल्लेखनीय लागत एवं समय की बचत हासिल की।

विद्वत् प्रभाग (चेन्नई):

क) डिजाइन सॉफ्टवेयर का विकास और उन्नयन:

एमएस एक्सेल का उपयोग करके विकसित एक आंतरिक डिजाइन सॉफ्टवेयर ट्रांसफॉर्मर डिजाइन के लिए उपयोग किया जा रहा है। इस उपकरण को नवीनतम उद्योग रुझानों और प्रौद्योगिकी प्रगतियों के अनुरूप निरंतर उन्नत किया जा रहा है, जिससे डिजाइन की सटीकता, दक्षता और अनुकूलन क्षमता में सुधार सुनिश्चित हो सके।

चाय प्रभाग:

क) चेहरे की पहचान आधारित उपस्थिति प्रणाली का कार्यान्वयन:

चाय बागानों में कार्यबल प्रबंधन का आधुनिकीकरण करने के लिए चेहरे की पहचान उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है। इससे उपस्थिति निगरानी में सटीकता बढ़ी, मैनुअल त्रुटियाँ कम हुईं और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई।

ख) यंत्रीकृत छँटाई की शुरुआत:

चयनित चाय बागानों में यंत्रीकृत छँटाई शुरू की गई है ताकि मैनुअल श्रम पर निर्भरता घटे, छँटाई मानकों में निरंतरता आए और समग्र परिचालन दक्षता में सुधार हो।

iii) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण: शून्य

iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय: ₹138.48 लाख

(ग) विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

अर्जन : ₹1283.57 लाख

व्यय : शून्य

कोलकाता,
14 अगस्त, 2025

निदेशक मंडल की ओर से
अनन्त मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

प्रपत्र सं.-एमआर-3
वित्तीय वर्ष 31.03.2025 को समाप्त हेतु
[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कम्पनी
(प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अंतर्गत]

सेवा में,
सदस्यगण

एम/एस एण्ड यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड

(सीआईएन: L63090WB1919GOI003229)

8 डॉ राजेन्द्र प्रसाद सरणी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700001

हमने एम/एस एण्ड यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड (सीआईएन: L63090WB1919GOI003229) (आगे "कम्पनी" कहलाएगी) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा, कम्पनी सचिवों के भारतीय संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय लेखा परीक्षा पर सीएसएएस-4-लेखा परीक्षा मानक के अनुसार की गई, जिसने मुझे कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और इस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्रदान किया।

एण्ड यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड की पुस्तकों, कागजों, बैठक पुस्तकों, प्रपत्रों और दायर रिटर्न तथा कम्पनी द्वारा संधारित अन्य अभिलेखों के सत्यापन, साथ ही कम्पनी, इसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध कराई गई सूचनाओं, स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर, मैं यह प्रतिवेदन करता हूँ कि मेरी राय में कम्पनी ने, वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, नीचे उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही कम्पनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएँ और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं, जिस सीमा तक और जिस प्रकार से नीचे प्रतिवेदन किया गया है।

हमने एण्ड यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हेतु संधारित पुस्तकों, कागजों, बैठक पुस्तकों, प्रपत्रों और दायर रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की निम्न प्रावधानों के अनुसार परीक्षा की:

- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपविधियाँ;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक; (समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं);
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित विनियम और दिशा-निर्देश
 - क. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध) विनियम, 2015
 - ख. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015
 - ग. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009 (10 नवम्बर, 2018 तक) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 (11 नवम्बर, 2018 से प्रभावी) – लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में कोई रिपोर्ट योग्य घटना नहीं हुई;
 - घ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) विनियम, 1999 – लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन अवधि में कम्पनी ने कोई शेयर/विकल्प जारी नहीं किए;
 - ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008 – लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन अवधि में कम्पनी ने कोई ऋण प्रतिभूति जारी नहीं की;
 - च. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 – कम्पनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार से संबंधित;
 - छ. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2009 – लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन अवधि में कम्पनी ने अपने इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज से डीलिंग नहीं किए;
 - ज. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998 (10 सितम्बर, 2018 तक) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 (11 सितम्बर, 2018 से) – लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन अवधि में कम्पनी ने अपनी कोई भी प्रतिभूतियाँ पुनर्खरीद नहीं की।

(vi) प्रमुख अधिनियमों/कानूनों और विनियमों की सूची जो कम्पनी पर लागू हैं, निम्नलिखित हैं:

- (i) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन और सीमापार गमन) नियम, 2008
- (ii) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देश, 2010
- (iii) कारखाना अधिनियम, 1948
- (iv) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
- (v) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013
- (vi) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- (vii) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- (viii) ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000
- (ix) वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
- (x) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
- (xi) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
- (xii) उपहार भुगतान अधिनियम, 1972
- (xiii) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- (xiv) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001
- (xv) आयकर अधिनियम, 1961
- (xvi) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
- (xvii) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
- (xviii) शिक्षा अधिनियम, 1961
- (xix) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- (xx) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
- (xxi) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- (xxii) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
- (xxiii) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
- (xxiv) चाय अधिनियम, 1953
- (xxv) बागान श्रम अधिनियम, 1951 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम
- (xxvi) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
- (xxvii) चाय अपशिष्ट नियंत्रण आदेश, 1959
- (xxviii) भारतीय विदूत अधिनियम, 2003
- (xxix) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986

हमने निम्नलिखित के लागू उपबंधों के अनुपालन की भी जाँच की है:

- (i) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।
- (ii) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम 2015 तथा कम्पनी द्वारा बीएसई लिमिटेड के साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने उपरोक्त अधिनियम, नियम, विनियम, दिशा-निर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि कम्पनी ने सामान्यतः कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय/कम्पनी रजिस्ट्रार अथवा अन्य प्राधिकरणों के पास प्रपत्र और रिटर्न निर्धारित समयावधि में दायर किए हैं।

हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि कम्पनी का निदेशक मंडल विधिवत गठित नहीं था क्योंकि कम्पनी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। यह देखा गया कि 01-04-2024 से 31-03-2025 की अवधि में कम्पनी के बोर्ड में एक (1) महिला निदेशक का रिक्त स्थान रहा। आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, बोर्ड की सभी समितियाँ अर्थात् लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति इस अवधि के दौरान विधिवत गठित नहीं थीं। कम्पनी एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के कारण, कम्पनी के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में निदेशक/स्वतंत्र निदेशक/महिला निदेशक की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा की जानी है। इस अवधि में कम्पनी द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध भी किया गया।

हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि कम्पनी ने पीआईटी विनियम, 2015 की विनियम 3(5) और 3(6) के अंतर्गत अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) दर्ज करने हेतु संरचित डिजिटल डाटाबेस सॉफ्टवेयर (आगे "एसडीडी" अथवा डाटाबेस) संधारित किया है।

हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि कम्पनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों का अनुपालन तथा वित्तीय अभिलेखों और लेखों का संधारण इस लेखा परीक्षा में समीक्षा के अधीन नहीं था क्योंकि यह वैधानिक वित्तीय लेखा परीक्षकों, सीएजी लेखा परीक्षकों, कर लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन था।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों के आयोजन हेतु पर्याप्त नोटिस दिया जाता है। कार्यसूची और विस्तृत टिप्पणियाँ सामान्यतः कम से कम सात दिन पहले भेजी



जाती हैं, सिवाय उन बैठकों के जिन्हें अल्प सूचना पर बुलाया गया। कार्यसूची मर्दों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण बैठक से पहले प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु एक प्रणाली विद्यमान है।

बहुमत का निर्णय लागू किया जाता है जबकि असहमति रखने वाले सदस्य के विचार, यदि कोई हों, उन्हें दर्ज किया जाता है। हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि कम्पनी ने सभी समिति बैठकों का अनुपालन किया है और सभी समिति बैठकें विधिवत वर्ष के दौरान आयोजित हुईं जैसा कि कानून के अनुसार आवश्यक है।

हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि कम्पनी ने बीएसई और एनएसई के साथ लागू प्रकटीकरण दायर किए हैं।

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी ने उपरोक्त अधिनियम, नियम, विनियम, दिशा-निर्देश आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो आगे संलग्न परिशिष्ट में विस्तृत टिप्पणियों के अधीन है।

हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि कम्पनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा और कम्पनी सचिव/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा जारी अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर, जिन्हें निदेशक मंडल ने अपनी बैठकों में संज्ञान में लिया, मेरी राय है कि कम्पनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएँ हैं जो कम्पनी के आकार और संचालन के अनुरूप हैं तथा लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त हैं।

हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि दी गई सूचना के अनुसार कम्पनी ने विभिन्न वैधानिक/नियामकीय प्राधिकरणों से प्राप्त नोटिसों का उपयुक्त रूप से प्रत्युत्तर दिया है, जहाँ आवश्यक पाया गया वहाँ सुधारात्मक कार्रवाई भी की है।

हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि प्राप्त स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व के अनुसार, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी के मामलों पर बड़ा प्रभाव डालने वाली कोई विशेष घटना/कार्रवाई नहीं हुई।

हम आगे प्रतिवेदन करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान:

- (i) कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसने उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन में कम्पनी के मामलों पर बड़ा प्रभाव डाला हो।
- (ii) वर्ष के दौरान कोई अन्य उदाहरण नहीं हुए जैसे:
- (क) शेयर/डिबेंचर/स्वेट इक्विटी आदि का सार्वजनिक/अधिकार/विकल्प निर्गम।
- (ख) प्रतिभूतियों का मोचन/पुनर्खरीद।
- (ग) विलय/विलयन/पुनर्गठन आदि।
- (घ) विदेशी तकनीकी सहयोग।

यह प्रतिवेदन हमारे दिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो परिशिष्ट के रूप में संलग्न है और इस प्रतिवेदन का अंग है।

एम/एस जे.के. दास एण्ड एसोसिएट्स,
कम्पनी सचिव

सीएस जे.के. दास
पार्टनर
सी.पी. सं. 4250
सदस्यता सं. एफसीएस 7268
यूडीआईएन: F007268G001017741
पीयर समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 1748/2022

स्थान: कोलकाता
तिथि: 14.08.2025

सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परिशिष्ट

सेवा में,
सदस्यगण
मेसर्स. एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड

हमारा सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, जो 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु है, इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

प्रबंधन की जिम्मेदारी:

कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:

1. कम्पनी के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों का संधारण करे, उचित प्रणाली तैयार करे ताकि सभी लागू क़ानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके और यह भी सुनिश्चित हो कि प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी रूप से संचालित हो।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी:

2. हमारी जिम्मेदारी है कि कम्पनी द्वारा सचिवीय अनुपालनों के संबंध में अपनाए गए सचिवीय अभिलेखों, मानकों और प्रक्रियाओं पर अपनी राय व्यक्त करें।
3. हमारा विश्वास है कि कम्पनी के प्रबंधन से प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और सूचनाएँ हमारे लिए अपनी राय का आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।
4. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने उपरोक्त क़ानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों, दिशा-निर्देशों और घटनाओं के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. हमने कम्पनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और न ही लेखों और कागज़ों के अलावा किसी अन्य पुस्तक, सूचना या विवरण का परीक्षण किया है।
6. हमने उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य विशेष क़ानून की जाँच नहीं की है।

अस्वीकरण:

7. सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन न तो कम्पनी की भविष्य की स्थिरता के संबंध में और न ही इस बात के संबंध में आश्वासन है कि कम्पनी का प्रबंधन उसके कार्यों का संचालन कितनी कुशलता या प्रभावशीलता से कर रहा है।

एम/एस जे.के. दास एण्ड एसोसिएट्स,
कम्पनी सचिव

सीएस जे.के. दास
साझेदार
सी.पी. सं. 4250
सदस्यता सं. एफसीएस 7268
यूडीआईएन: F007268G001017741
पीयर समीक्षा प्रमाणपत्र सं.1748/2022

स्थान: कोलकाता
तिथि: 14.08.2025



अनुलग्नक बी
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक का अवलोकन

क्रम संख्या	टिप्पणियाँ
1.	कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के तहत प्रासंगिक नियमों का अनुपालन नहीं करती है। विशेष रूप से, गैर-अनुपालन स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति न करने से संबंधित है कंपनी के निदेशक मंडल और उसकी समितियों पर। विनियम 17(1) – निदेशक मंडल की संरचना (महिला निदेशक की नियुक्ति सहित) विनियम 18(1) – लेखा परीक्षा समिति का गठन विनियम 19(1)/(2) - नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन विनियमन 20(2)/(2ए) - हितधारकों का गठन संबंध समिति विनियमन 21(2) - जोखिम प्रबंधन समिति का गठन
2.	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के निर्दिष्ट नियमों और विनियम 38 के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड का अनुपालन न करना। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने 19 जुलाई, 2024 के परिपत्र के माध्यम से अनुपालन की समय सीमा 1 अगस्त, 2026 तक बढ़ा दी है।

मेसर्स. जे.के. दास एण्ड एसोसिएट्स,
कम्पनी सचिव

सीएस जे.के. दास
पार्टनर
सी.पी. सं. 4250
सदस्यता सं. एफसीएस 7268
यूडीआईएन: F007268G001017741
पीयर समीक्षा प्रमाणपत्र सं.1748/2022

स्थान: कोलकाता
तिथि: 14.08.2025

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड भूमि/संपत्तियों का सारांश

क्रम संख्या	संपत्ति का नाम	होल्डिंग की प्रकृति	डीएचआई-एलआईएस के रूप में भूमि आईडी पोर्टल	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	क्षेत्रफल का प्रतिशत अतिक्रमण (%में)	क्षेत्र अतिक्रमण/मुकदमेबाजी का विवरण (संख्या में)	उपयोग का प्रकार
1	यूल हाउस, पंजीकृत कार्यालय, 8, डॉ। आर.पी. सरानी, कोलकाता - 700001	फ्रीहोल्ड	25389	3452.66	शून्य	शून्य	ऑफिस
2	इलेक्ट्रिकल का कार्यालय और कारखाना -कोलकाता ऑपरेशन (एसडब्ल्यूजीआर यूनिट), 14, मयूरभंज रोड, कोलकाता	फ्रीहोल्ड	23476	12171.00	शून्य	शून्य	कारखाना
3	इलेक्ट्रिकल का कार्यालय और कारखाना - चेन्नई ऑपरेशन, 5/346, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, पेरुगुडी, चेन्नई	फ्रीहोल्ड	658792	15736.19 (3.88849 एकड़)	शून्य	शून्य	कारखाना
4	गेस्ट हाउस, सी-54, 1 साउथ एक्सटेंशन, पार्ट II, नई दिल्ली।	फ्रीहोल्ड	91209	232.26 (2500.00 वर्ग फुट)	शून्य	शून्य	निवास योग्य
5	इलेक्ट्रिकल कोलकाता ऑपरेशन (रासपुंजा), बखराहाट रोड, पीओ एंड विल की भूमि और भवन। रसपुंजा, कोलकाता	फ्रीहोल्ड	24829	22445.26	शून्य	शून्य	भवन के साथ भूमि
6	इलेक्ट्रिकल कोलकाता ऑपरेशन की भूमि और भवन (ठाकुरपुकुर यूनिट), एमजी रोड, ठाकुरपुकुर, कोलकाता	फ्रीहोल्ड	39183	10831.78	शून्य	शून्य	भवन के साथ भूमि
7.1	1 नहीं। गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीतला लेन, टॉलीगंज, कोलकाता में आवासीय फ्लैट (भूतल फ्लैट I-0) - 700040	फ्रीहोल्ड	28684	123.97 (1334.35 वर्ग फुट)	शून्य	शून्य	निवास योग्य
7.2	1 नहीं। गोल्फ लिंक पर आवासीय फ्लैट (भूतल फ्लैट I-1 और 4 भूतल कार पार्किंग स्पेस) अपार्टमेंट, 50, चंडीतला लेन, टॉलीगंज, कोलकाता - 700040	फ्रीहोल्ड	28684	123.97 (1334.35 वर्ग फुट)	शून्य	शून्य	निवास योग्य
7.3	1. गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीतला लेन, टॉलीगंज, कोलकाता में आवासीय फ्लैट (1 फ्लैट, फ्लैट जी-1) - 700040	फ्रीहोल्ड	28684	102.04 (1098.40 वर्ग फुट)	शून्य	शून्य	निवास योग्य
7.4	1. गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीतला लेन, टॉलीगंज, कोलकाता में आवासीय फ्लैट (1 फ्लैट, फ्लैट एच-1) - 700040	फ्रीहोल्ड	28684	102.04 (1098.40 वर्ग फुट)	शून्य	शून्य	निवास योग्य



क्रम संख्या	संपत्ति का नाम	होल्डिंग की प्रकृति	डीएचआई-एलआईएस के रूप में भूमि आईडी पोर्टल	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	क्षेत्रफल का प्रतिशत अतिक्रमण (%में)	क्षेत्र अतिक्रमण/मुकदमेबाजी का विवरण (संख्या में)	उपयोग का प्रकार
7.5	1 नहीं। गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीतला लेन, टॉलीगंज, कोलकाता में आवासीय फ्लैट (चौथा तल्ला, केएल-4) - 700040	फ्रीहोल्ड	28684	203.39 (2189.32 वर्ग फुट)	शून्य	शून्य	निवास योग्य
7.6	1.गोल्फ लिंक पर आवासीय फ्लैट (5 वां. तल्ला फ्लैट जीएच -5) अपार्टमेंट, 50, चंडीतला लेन, टॉलीगंज, कोलकाता - 700040	फ्रीहोल्ड	28684	204.15 (2195.70 वर्ग फुट)	शून्य	शून्य	निवास योग्य
7.7	1. गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, 50, चंडीतला लेन, टॉलीगंज, कोलकाता में आवासीय फ्लैट (5 वां. तल्ला केएल-5) - 700040	फ्रीहोल्ड	28684	203.40 (2189.4 वर्ग फुट)	शून्य	शून्य	निवास योग्य
8	गेस्ट हाउस, वुडलैंड सिंडिकेट (1 नो फ्लैट और 1 नो कार पार्किंग स्पेस, 8/7 अलीपुर रोड कोलकाता फ्लैट नंबर 12, 5वां तल्ला, कोलकाता - 700027	फ्रीहोल्ड	28526	315.44 (3260.40 वर्ग। फीट, फ्लैट एरिया) (135 वर्ग फुट, कार पार्किंग स्पेस)	शून्य	शून्य	निवास योग्य
9	मोनी टॉवर गेस्ट हाउस - 1 फ्लैट 31/41 जेम्स लॉन्ग सरानी: फ्लैट नंबर - 11 यूए, कोलकाता - 700038	फ्रीहोल्ड	28459	159.70 (1584.00 वर्ग। फीट, फ्लैट एरिया) (135 वर्ग फुट, कार पार्किंग स्पेस)	शून्य	शून्य	निवास योग्य
10.1	मिटो पार्क सिंडिकेट - 1 फ्लैट (6बी) 13, देबेंद्र लाल खान रोड फ्लैट नंबर-6बी, कोलकाता -700 027	फ्रीहोल्ड	28555	326.08 (3375.00 वर्ग। फीट, फ्लैट एरिया) (135 वर्ग फुट, कार पार्किंग स्पेस)	शून्य	शून्य	निवास योग्य
10.2	मिटो पार्क सिंडिकेट - 1 फ्लैट (9बी) 13, देबेंद्र लाल खान रोड फ्लैट नंबर -9 बी, कोलकाता -700 027	फ्रीहोल्ड	39202	326.08 (3375.00 वर्ग। फीट, फ्लैट एरिया) (135 वर्ग फुट, कार पार्किंग स्पेस)	शून्य	शून्य	निवास योग्य
11	पर्ल अपार्टमेंट - 1 फ्लैट 58, जोधपुर पार्क, कोलकाता - 700 068	फ्रीहोल्ड	28658	124.24 (1217.40 वर्ग। फीट, फ्लैट एरिया) (120 वर्ग फुट, कार पार्किंग स्पेस)	शून्य	शून्य	निवास योग्य
12	गोपालपुर गेस्ट हाउस बिल्डिंग 1, एचएम एस्टेट, गंजम 761002, ओडिशा	फ्रीहोल्ड	39232	147.99 (1593.00 वर्ग फुट)	शून्य	शून्य	निवास योग्य
13	हॉलिडे होम, "सीमेंट कोठी" चक्रतीर्थ रोड, पुरी - 752 002, ओडिशा	पट्टे पर	28657	1007.748	शून्य	शून्य	निवास योग्य



क्रम संख्या	संपत्ति का नाम	होलिंग की प्रकृति	डीएचआई-एलआईएस के रूप में भूमि आईडी पोर्टल	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	क्षेत्रफल का प्रतिशत अतिक्रमण (%में)	क्षेत्र अतिक्रमण/मुकदमेबाजी का विवरण (संख्या में)	उपयोग का प्रकार
14	इंजीनियरिंग डिवाजन फैक्ट्री प्लॉट 16ए एंड बी, ब्लॉकक - डी, जिला कल्याणी - 741 235, पश्चिम बंगाल	पट्टे पर	24873	90096.65	शून्य	शून्य	कारखाना
15	आनंद अपार्टमेंट - 1 फ्लैट 1/413, गरियाहाट रोड, जोधपुर पार्क, कोलकाता - 700068	पट्टे पर	28567	75.71 (815.00 वर्ग फुट)	शून्य	शून्य	निवास योग्य
16	कलिम्पोंग गेस्ट हाउस बिल्डिंग प्लॉट नंबर 72/73, डब्ल्यूआर रोड, कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल	पट्टे पर	उपलब्ध नहीं है	4087.264 0.94087.264 0.95 एकड़ (भूमि क्षेत्र) 1701.00 वर्ग किमी की दो मंजिला बंगलो इमारत। ft. Gr, Flr और 912.00 वर्ग फुट पर 1st Flr	शून्य	शून्य	निवास योग्य
17	बनारहाट टी एस्टेट पीओ: बनारहाट, जिला: जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल - 735 202	पट्टे पर	352	7917836.46 (1956.54 एकड़)	0.007%	क्षेत्र अतिक्रमण: (0.13 एकड़) मुकदमेबाजी संख्या: 1	कृषि
18	न्यू डुअर्स टी एस्टेट पीओ: बनारहाट, जिला: जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल - 735 203	पट्टे पर	40223	9683115.70 (2392.75 एकड़)	शून्य	शून्य	कृषि
19	करबल्ला टी एस्टेट पीओ: बनारहाट, जिला: जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल - 735202	पट्टे पर	22600	10339192.07 (2554.87 एकड़)	0.005%	क्षेत्र अतिक्रमण: (0.143 एकड़) मुकदमा संख्या: 4	कृषि
20	चूनाभूति टी एस्टेट पीओ: बनारहाट, जिला: जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल - 735 202	पट्टे पर	22506	5343064.53 (1320.30 एकड़)	शून्य	शून्य	कृषि
21	मिम टी एस्टेट जिला: दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल - 734 221	पट्टे पर	573	3890809.64 (961.44 एकड़)	शून्य	शून्य	कृषि
22	बासमतिया टी एस्टेट पीओ: लाहौल, जिला: डिब्रूगढ़, असम - 786 010	पट्टे पर	44885	4026096.05 (994.87 एकड़)	शून्य	शून्य	कृषि
23	देसम टी एस्टेट पीओ और टीओ: नहरकटिया, जिला: डिब्रूगढ़, असम - 786610	पट्टे पर	28570 & 28574	4777678.22 (1180.59 एकड़)	शून्य	शून्य	कृषि
24	राजगढ़ टी एस्टेट पीओ: राजगढ़, जिला: डिब्रूगढ़, असम - 786 611	पट्टे पर	24834	4472504.78 (1105.18 एकड़)	शून्य	शून्य	कृषि



क्रम संख्या	संपत्ति का नाम	होल्टिंग की प्रकृति	डीएचआई-एलआईएस के रूप में भूमि आईडी पोर्टल	कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	क्षेत्रफल का प्रतिशत अतिक्रमण (%में)	क्षेत्र अतिक्रमण/ मुकदमेबाजी का विवरण (संख्या में)	उपयोग का प्रकार
25	मुरफुलानी टी एस्टेट पी.ओ. और टी.ओ.: गोलाघाट। जिला: गोलाघाट, असम - 785 621	पट्टे पर	1984	4412732.71 (1090.41 एकड़)	शून्य	शून्य	कृषि
26	बोगीजान आउट गार्डन पी.ओ. और टी.ओ.: गोलाघाट। जिला: गोलाघाट, असम - 785 621	पट्टे पर	44938	1681671.19 (415.55 एकड़)	शून्य	शून्य	कृषि
27	खोवांग टी एस्टेट पीओ और टीओ: खोवांग जिला: डिब्रूगढ़, असम - 785 675	पट्टे पर	44803	8565535.83 (2116.59 एकड़)	0.795%	क्षेत्र अतिक्रमण: (23.577 एकड़) मुकदमा संख्या: 4	कृषि
28	भामुन आउट गार्डन पीओ और टीओ: खोवांग जिला: डिब्रूगढ़, असम - 785 675	पट्टे पर	56616	5058449.12 (1249.97 एकड़)	शून्य	शून्य	कृषि
29	हिंगरीजन आउट गार्डन पीओ और टीओ: खोवांग जिला: डिब्रूगढ़, असम - 785 675	पट्टे पर	67676	5261844.12 (1300.23 एकड़)	शून्य	शून्य	कृषि
30	टिनकोंग टी एस्टेट पीओ: तिनकोंग, जिला: डिब्रूगढ़, असम - 786 612	पट्टे पर	27759	7057596.195 (1743.97 एकड़)	शून्य	शून्य	कृषि
31	हलुंगुरी टी एस्टेट पी.ओ. और टी.ओ.: मारियानी, जिला: जोरहाट, असम - 785 634	पट्टे पर	44943 & 44945	4785448.18 (1182.51 एकड़)	शून्य	शून्य	कृषि
32.	सी-193, 9ए, साइट नंबर 1, बुलंदशहर रोड, गाजियाबाद	पट्टे पर	लागू नहीं	4052.71 (4847 वर्ग यार्ड)	शून्य	शून्य	औद्योगिक

नोट:

इलेक्ट्रिकल - कोलकाता ऑपरेशन, ब्रेंट-फोर्ड फैक्ट्री पी -25 ट्रांसपोर्ट डिपो रोड, कोलकाता - 700025	इसे 19 दिसंबर 2024 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट को सौंप दिया गया था, क्योंकि लीज समाप्त हो गई थी।
---	---



व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए

खंड ए: सामान्य प्रकटीकरण

I	सूचीबद्ध इकाई का विवरण			
1	सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN)		L63090WB1919GOI003229	
2	सूचीबद्ध इकाई का नाम		एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	
3	निगमन का वर्ष		1919	
4	पंजीकृत कार्यालय का पता		यूल हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरानी, कोलकाता – 700001	
5	कॉर्पोरेट पता		यूल हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरानी, कोलकाता – 700001	
6	ई-मेल		com.sec@andrewyule.com	
7	दूरभाष		033 2242-8210/8550	
8	वेबसाइट		www.andrewyule.com	
9	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है		2024-25	
10	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं		बीएसई लिमिटेड	
11	पेड-अप कैपिटल		97,79,01,956/- रुपये में प्रत्येक 2/- रुपये के 48,89,50,978 शेयर शामिल हैं	
12	बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किए जा सकने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता)		श्री अनंत मोहन सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक; टेलीफोन: 033 22428210/8550; ईमेल: cmd@andrewyule.com	
13	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत खुलासे एक स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं (यानी केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है)।		इस रिपोर्ट के तहत खुलासे स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं।	
14	आश्वासन प्रदाता का नाम		लागू नहीं	
15	आश्वासन प्रदाता का प्रकार		लागू नहीं	
II	उत्पाद/सेवाएं			
16	व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर का 90% के लिए लेखांकन):			
	क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का % योगदान
	1.	विनिर्माण और बिक्री	चाय, ट्रांसफार्मर, औद्योगिक प्रशंसक	100%
17	इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (इकाई के टर्नओवर का 90% हिस्सा):			
	क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का % योगदान
	1.	इंजीनियरिंग प्रभाग औद्योगिक पंखे, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, उपरोक्त उत्पादों को शामिल करने वाली टर्न-की परियोजनाओं का निर्माण और आपूर्ति करता है।	29199	19.87%



	2.	इलेक्ट्रिकल- चेन्नई ऑपरेशन 3.3 केवी से 132 केवी में 5 एमवीए से 63 एमवीए तक और 220 केवी क्लास में 20 एमवीए तक पावर ट्रांसफार्मर, 100 एमवीए 220 केवी क्लास तक ऑटो ट्रांसफार्मर और 40 एमवीए 132 केवी क्लास तक जेनरेटर ट्रांसफार्मर का निर्माण करता है।	27102	29.42%
	3.	चाय उगाना और निर्माण	01271	50.42%
	4.	व्यापार सहायक सेवा	998594	0.29%
III कार्रवाई				
18	उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या संचालन/कार्यालय स्थित हैं:			
	स्थान	प्लांट की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
	राष्ट्रीय	14	2	16
	अंतरराष्ट्रीय	0	0	0
	नोट्स विनिर्माण गतिविधियां निम्नलिखित संयंत्रों में की जाती हैं: 1. इलेक्ट्रिकल-चेन्नई ऑपरेशंस (पेरुगुडी, चेन्नई, तमिलनाडु) 2. इंजीनियरिंग डिवीजन (कल्याणी, पश्चिम बंगाल) 3. चाय प्रभाग (पश्चिम बंगाल और असम) -12 (बारह) चाय बागान के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और असम में फैले 12 संबद्ध कारखानों के साथ। 4. कार्यालयों में कोलकाता में पंजीकृत कार्यालय और नई दिल्ली में उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं।			
19	इकाई द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले बाजार:			
ए.	स्थानों की संख्या			
	स्थान	संख्या		
	राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	37 (सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में)		
	अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	कंपनी सीधे यूके और पोलैंड को निर्यात करती है		
बी.	इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्यात नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान 4.12 प्रतिशत था। चूंकि यह रिपोर्ट केवल एवाईसीएल से संबंधित है, इसलिए इस संबंध में विवरण केवल संबंधित इकाई के लिए प्रस्तुत किया गया है।		
सी.	ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त विवरण	कंपनी के इंजीनियरिंग डिवीजन के ग्राहक स्टील, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल और चीनी उद्योग हैं। इलेक्ट्रिकल चेन्नई ऑपरेशन के ग्राहक ज्यादातर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य विदुत बोर्ड, ईपीसी परियोजनाओं आदि से हैं। चाय के ग्राहक थोक खरीदार, निर्यात बाजार, खुदरा उपभोक्ता, चाय नीलामी, निजी लेबल ब्रांड, चाय प्रोसेसर और ब्लेंडर हैं।		



IV	कर्मचारियों									
20	वित्तीय वर्ष के अंत तक विवरण:				2024-25					
ए.	कर्मचारी और कर्मचारी (अलग-अलग सक्षम सहित):									
	क्र.सं.	विवरण	कुल	पुरुष		महिला				
			(ए)	संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)			
	कर्मचारी									
	1	स्थायी (डी)	167	163	97.60%	4	2.40%			
	2	स्थायी (ई) के अलावा अन्य	27	25	92.59%	2	7.41%			
	3	कुल कर्मचारी (डी+ई)	194	188	96.91%	6	3.09%			
	श्रमिक									
	4	स्थायी (एफ)	13765	6936	50.39%	6829	49.61%			
	5	स्थायी (जी) के अलावा अन्य	130	126	96.92%	4	3.08%			
	6	कुल श्रमिक (एफ + जी)	13895	7062	50.82%	6833	49.18%			
	उपरोक्त के अलावा, कार्यालयों और कारखानों के लिए तीसरे पक्ष के पेरोल के तहत कर्मचारी लगे हुए हैं।									
बी	अलग-अलग विकलांग कर्मचारी और कर्मचारी:									
	क्र.सं.	विवरण	कुल	पुरुष		महिला				
			(ए)	संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)			
	दिव्यांग कर्मचारी									
	1	स्थायी (डी)	1	1	100.00%	--	--			
	2	स्थायी (ई) के अलावा अन्य	--	--	--	--	--			
	3	कुल कर्मचारी (डी+ई)	1	1	100.00	--	--			
	दिव्यांग कार्यकर्ता									
	4	स्थायी (एफ)	41	27	65.85%	14	34.15%			
	5	स्थायी (जी) के अलावा अन्य	--	--	--	--	--			
	6	कुल श्रमिक (एफ + जी)	41	27	65.85%	14	34.15%			
21	महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व									
	विवरण			कुल	महिला					
(ए)				संख्या (बी)	% (बी/ए)					
	निदेशक मंडल			5	--	--				
	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक*			4	1	25.00%				
	* जिसमें सीईओ, सीएफओ, कंपनी सचिव और निदेशक (योजना) शामिल हैं।									
22	स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर									
	लाभ	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
	स्थायी कर्मचारी	3.59%	0.59%	4.18%	1.70%	--	1.70%	2.00%	1.00%	3.00%
	स्थायी श्रमिक	--	--	--	--	--	--	--	--	--



V होल्टिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)					
23 होल्टिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यम के नाम					
क्रम संख्या	होल्टिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यम का नाम	इंगित करें कि क्या होल्टिंग/सहायक/एसोसिएट/संयुक्त उद्यम	धारित शेयरों का % सूचीबद्ध इकाई द्वारा	क्या कॉलम ए में इंगित इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती है? (हां/नहीं)	
1	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	सहायक	100.00	वीडोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को छोड़कर किसी अन्य संस्था/संस्था ने कंपनी की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहल में भाग नहीं लिया।	
2	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	सहायक	100.00		
3	वीडोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सहयोगी	24.29		

VI सीएसआर विवरण	
24 (i)	क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां/नहीं)
	नहीं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू नहीं है। सीएसआर नेट वाली कंपनियों के लिए लागू है 500 करोड़ से अधिक का कारोबार, 1000 करोड़ से अधिक का कारोबार और 5 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ।
(ii)	टर्नओवर (करोड़ रुपये में)
	311.71 करोड़
(iii)	नेट वर्थ (करोड़ रुपये में)
	101.23 करोड़
VII पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन	
	एक पीएसयू के रूप में, इकाई पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन को प्राथमिकता देती है। इकाई सख्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का पालन करती है और समय पर और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रदान करती है। इकाई की व्हिसल ब्लोअर नीति अनेतिक प्रथाओं की गोपनीय री-पोर्टिंग सुनिश्चित करती है। इकाई सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करती है। सामाजिक जिम्मेदारी पहल का भी खुलासा किया जाता है, जो जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं और सतत विकास के प्रति इकाई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
25	उत्तरदायी पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/शिकायतें व्यावसायिक आचरण:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
		वर्ष के दौरान दायर किए गए शिकायतकर्ताओं की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर किए गए शिकायतकर्ताओं की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
निवेशक (इसके अलावा शेयरधारक)	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
शेयरधारक	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
कर्मचारी और श्रमिक	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
ग्राहक	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हाँ	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	लागू नहीं	ना	ना	लागू नहीं	ना	ना	लागू नहीं

नोट: शिकायत निवारण नीति जिसमें निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है जो सभी हितधारकों के लिए है कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर वेबलिक <http://www.andrewyule.com/grievance1.php> पर उपलब्ध है



26	इकाई की सामग्री जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के मुद्दों का अवलोकन				
	कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित सामग्री जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, उसी की पहचान करने के लिए तर्क, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इसके वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के लिए दृष्टिकोण				
करकम संख्या	सामग्री मुद्दे की पहचान की गई	इंगित करें कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	पहचान करने के लिए तर्क जोखिम/अवसर	जोखिम के मामले में, दृष्टिकोण अनुकूलन या कम करने के लिए	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
1	डाटा सुरक्षा	जोखिम	डेटा सुरक्षा हमारे लिए उच्च प्राथमिकता बनी हुई है। डेटा उल्लंघन, साइबर हमले और बाहरी कारक हो सकते हैं प्रभाव संगठन की छवि, परियोजनाओं और स्थिरता	वर्तमान प्रणालियों की समीक्षा और बेहतर प्रणालियों के कार्यान्वयन को अपनाने की प्रक्रिया में है।	नकारात्मक
2	कॉर्पोरेट प्रशासन	जोखिम	कमजोर शासन वाले संगठन सरकारी और सामाजिक मानदंडों का पालन करने में विफल रहते हैं जो संचालित करने के लिए अपने सरकारी और सामाजिक लाइसेंस को प्रभावित करते हैं	मजबूत नीति-उन्मुख शासन संरचना और कार्यान्वयन संरचना।	नकारात्मक
3	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	जोखिम	दुर्घटनाओं, दुर्घटनाओं और जीवन हानि से बचने के लिए कर्मचारियों और श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता। यह भी कर सकता है गंभीर कानूनी मुद्दों का परिणाम होता है।	इंजीनियरिंग प्रभाग ने आईएसओ45001 के अनुसार "न्यू ऑक्युपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम" (ओएचएसएमएस) लागू किया है। कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए समय-समय पर जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं।	नकारात्मक
4	मानवाधिकार और श्रम मुद्दे	जोखिम	संगठन की अखंडता को चुनौती देता है। कानूनी निहितार्थ हैं।	मानवाधिकार और श्रम कल्याण शासी नीतियों द्वारा कवर किए जाते हैं। समय-समय पर स्व-मूल्यांकन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।	सकारात्मक
5	प्रतिस्पर्धी	जोखिम	बाजार हिस्सेदारी के लिए खतरा	विभिन्न अन्य बाजार अवसरों की खोज करना।	नकारात्मक
6	उपभोग पैटर्न	मौक़ा	किसी ब्रांड या उत्पाद को उसकी बेहतर गुणवत्ता पर जोर देकर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का प्रयास करने की कार्यवाही या प्रक्रिया को बढ़ाया।	लागू नहीं	सकारात्मक
7	नई तकनीक को अपनाना	मौक़ा	पुरानी तकनीक	नए में अपग्रेड कुशल प्रौद्योगिकियां।	सकारात्मक



खंड बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में बनाई गई संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित उत्तरदायित्व व्यवसाय आचरण (एनजीआरबीसी) के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों में पी1-पी9 के रूप में उल्लिखित नौ सिद्धांतों का समर्थन किया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है

सिद्धांत 1:	सिद्धांत 2:	सिद्धांत 3:
व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से खुद का संचालन और संचालन करना चाहिए।	व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को इस तरह से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों।	व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें उनकी मूल्य श्रृंखला भी शामिल है।
सिद्धांत 4:	सिद्धांत 5:	सिद्धांत 6:
व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।	व्यवसायों को पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए सम्मान करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए।
सिद्धांत 7:	सिद्धांत 8:	सिद्धांत 9:
व्यवसायों, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो	व्यवसाय को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।	व्यवसाय को अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें जिम्मेदार तरीके से मूल्य प्रदान करना चाहिए।

नीति और प्रबंधन प्रक्रिया	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1. क) क्या आपकी इकाई नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ख) क्या नीति रही है बोर्ड द्वारा अनुमोदित? (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ग) नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	एनजीआरबीसी सिद्धांतों को आच्छादित करने वाली नीतियाँ कंपनी की कारपोरेट वेबसाइट पर उपलब्ध हैं www.andrewyule.com के नीतियाँ अनुभाग में http://www.andrewyule.com/policy.php								
2. क्या इकाई के पास है नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया। (जी हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3. सूचीबद्ध नीतियाँ करें अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तार करें? (हां/नहीं)	ऊपर उल्लिखित नीतियाँ निर्धारित एनजीआरबीसी सिद्धांतों को आत्मसात करती हैं और कंपनी पूर्व - अपने हितधारकों को अपने सभी व्यवहारों में इसका पालन करने के लिए प्रेरित करता है।								
4. राष्ट्रीय का नाम और अंतराष्ट्रीय कोड/प्रमाणपत्र/लेबल/मानक (जैसे वन प्रबंधन परिषद, फेयरट्रेड, वर्षावन गठबंधन, ट्रस्टी) मानक (जैसे एसए 8000, ओएचएसएसएस, आईएसओ, बीआईएस) आपकी इकाई द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किए गए।	- सभी चाय बागानों के पास आवश्यक प्रमाणपत्र हैं जैसे आईएसओ 22000 (खाद्य सुरक्षा प्रबंधन), ट्रस्टीया प्रमाणन। - मिम चाय सम्पदा और एवाईसीएल के सभी असम बागान रेन फॉरेस्ट प्रमाणित हैं। - इंजीनियरिंग प्रभाग के पास आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और ओएचएसएसएस आईएसओ 45001:2018 प्रमाणपत्र हैं। - इलेक्ट्रिकल चेन्नई इकाई के पास आईएसओ 9001 और सीपीआरआई प्रमाणन है 10 एमवीए, 20 एमवीए और 31.5 एमवीए के लिए।								
5. परिभाषित समयसीमा के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशेष प्रतिबद्धताएँ, लक्ष्य और उद्देश्यों, यदि कोई हों।	शून्य								

6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और के खिलाफ इकाई का प्रदर्शन लक्ष्यों को पूरा न करने की स्थिति में कारणों के साथ-साथ उन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जाता है।	लागू नहीं
शासन, नेतृत्व और निरीक्षण	
7. व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का बयान, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और पर प्रकाश डाला गया उपलब्धियां (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के प्लेसमेंट के संबंध में लचीलापन है)	एवाईसीएल में, हम लचीलापन, सांस्कृतिक परिवर्तन और दीर्घकालिक हितधारक मूल्य को चलाने के लिए पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों को अपनी मुख्य व्यावसायिक रणनीति में एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने स्वास्थ्य और सुरक्षा, जल और अपशिष्ट प्रबंधन, शासन, नैतिकता और अखंडता सहित प्रमुख सामग्री विषयों की पहचान की - जो हमारे भविष्य के कार्यों का मार्गदर्शन करेंगे। हमारा ध्यान सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपने ईएसजी प्रदर्शन का लगातार आकलन करने और बढ़ाने पर बना हुआ है।
8. सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (ies) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार।	श्री अनंत मोहन सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
9. क्या इकाई के पास बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थिरता पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है संबंधित मुद्दे? (हां नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।	नहीं
10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:	

समीक्षा के लिए विषय	इंगित करें कि क्या बोर्ड के निदेशक/समिति/ किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/छमाही/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	बोर्ड के सीईओ और सदस्य इन महत्वपूर्ण पहलुओं में सुधार के लिए व्यापक योजना बनाते हैं और प्रलेखित लक्ष्यों को जारी करते हैं। सभी इकाइयों के प्रमुख विस्तृत योजना बनाते हैं और निर्देशों के अनुसार सुधार शुरू करते हैं। इसकी सभी इकाइयों से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त होती है। इनकी समीक्षा मंडल प्रमुखों द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है। सीईओ/बोर्ड वार्षिक समीक्षा करता है और प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन देता है। सीईओ/बोर्ड किसी भी बजटीय या नीतिगत जरूरतों का ध्यान रखता है जो नियोजित सुधारों के लिए आवश्यक हैं।									प्रत्येक वर्ष								
सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	कंपनी लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में है।									आवश्यकता के अनुसार वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक विभिन्न मूर्तियों के तहत अनुपालन।								
11. क्या इकाई ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन किया है? (हां नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम प्रदान करें।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
12. दि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है अर्थात सभी सिद्धांत एक नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं।																		



प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
संस्था अपने व्यवसाय के लिए इन सिद्धांतों को महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/ नहीं)	लागू नहीं								
संस्था ऐसे चरण में नहीं है जहाँ वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ तैयार और लागू करने की स्थिति में हो (हाँ/ नहीं)									
संस्था के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/ नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हाँ/ नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेख करें)									
खंड सी: सिद्धांत वार प्रदर्शन प्रकटीकरण									
इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों का खुलासा हर उस इकाई द्वारा किए जाने की उम्मीद है जिसे इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्य किया गया है, नेतृत्व संकेतकों को स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।									

सिद्धांत 1: व्यवसायों को अपने आचरण और संचालन ईमानदारी के साथ करना चाहिए तथा ऐसा ढंग अपनाना चाहिए जो नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह हो।

आवश्यक संकेतक				
1.	वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:			
	वर्ग	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के तहत शामिल विषय/सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत
	निदेशक मंडल	बीओडी और केएमपी को अन्य बातों के साथ-साथ i. जोखिम प्रबंधन, ii. व्यापार रणनीति iii. व्यवसाय पर लागू कानूनों पर अद्यतन, iv. नई व्यावसायिक पहल।		100%
	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	वित्त वर्ष 2024-25 और अन्य पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रमों का अधिक विवरण कंपनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर वेबलिक http://www.andrewyule.com/shareholders-information.php के तहत उपलब्ध है।		
	बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्त अधिनियम, 2023 के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में संशोधन का 3डी दृष्टिकोण और ज्वलंत मुद्दे, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 पर ध्यान देने के साथ कर्मचारी भविष्य निधि, महत्वपूर्ण समाधान और व्यावसायिक सु2अक्षमता, पॉश अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला आदि शामिल हैं।		100%
	श्रमिक	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपने श्रमिकों के लिए विभिन्न विषयों को कवर करते हुए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा, प्लकिंग तकनीक, छुटाई तकनीक, यौन उत्पीड़न, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा-रासायनिक संचालक, स्वास्थ्य और स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य, एफआईआर2 सहायता, पर्यावरण-पारिस्थितिकी और जैव विविधता, स्वच्छ भारत पर जागरूकता कार्यक्रम, "उचित निपटान के साथ वा2ई पृथक्करण" के लिए अभियान पर ध्यान केंद्रित करने वाले जागरूकता सत्र शामिल हैं।		100%



2.	वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही में (इकाई अथवा निदेशकों/केएमपी द्वारा) अदा किए गए जुर्माने/दंड/सजा/पुरस्कार/समायोजन शुल्क/समझौता राशि का विवरण, निम्न प्रारूप में (टिप्पणी: इकाई को प्रकटीकरण उन बातों के आधार पर करना होगा जिन्हें सेवा (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में भीतिकता के आधार पर निर्दिष्ट किया गया है तथा जैसा कि इकाई की वेबसाइट पर प्रकटीकृत किया गया है):						
		एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (रूप में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां / नहीं)	
	वित्तीय						
	जुर्माना/ दंड	--	--	--	--	--	लागू नहीं
	सेटलमेंट	--	--	--	--	--	लागू नहीं
	कंपाउंडिंग शुल्क	--	--	--	--	--	लागू नहीं
	गैर-मौद्रिक						
	कारावास	--	--	--	--	--	लागू नहीं
	सज़ा	--	--	--	--	--	लागू नहीं
	3.	ऊपर प्रश्न 2 में प्रकट किए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में अपील/पुनरीक्षण का विवरण पसंद किया जाता है जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्यवाई की अपील की गई है।					
मामले का विवरण			नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम				
लागू नहीं			लागू नहीं				
4.	क्या इकाई के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्तखोरी विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो पालिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।						
	हां, इकाई के पास सीडीए नियम हैं जो इस तरह के अनैतिक व्यवहार में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाई का आदेश देते हैं। यह http://www.andrewyule.com/policy.php पर उपलब्ध है						
5.	निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्तखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाई की गई थी;						
		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2023-24			
	निदेशक	शून्य		शून्य			
	केएमपी	शून्य		शून्य			
	कर्मचारी	शून्य		शून्य			
	श्रमिक	शून्य		शून्य			
6.	हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:						
		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2023-24			
		संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां		
	निदेशकों के परस्पर हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतकर्ताओं की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं		
	केएमपी के अंतर-एस्ट के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतकर्ताओं की संख्या	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं		
7.	भ्रष्टाचार और अंतर टकराव के मामलों पर जुर्माना/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्यवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण प्रदान करें.						
	लागू नहीं						



नेतृत्व संकेतक	
1	क्या इकाई के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े अंतर के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां नहीं) यदि हां, तो इसका विवरण प्रदान करें। हां, एवाईसीएल ने संबंधित पक्ष लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए उचित प्रकटीकरण और आचार संहिता तैयार की है। इन नीतियों का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन के लिए एक नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को ई2 द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाना है।

सिद्धांत 2: व्यवसायों को वस्तुएँ और सेवाएँ इस प्रकार उपलब्ध करानी चाहिए कि वे सतत एवं सुरक्षित हों।

आवश्यक सूचकांक

1	कंपनी द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेशों के लिए उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत। अपने व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, आपकी कंपनी इस बात से अवगत है कि उसके उत्पादों में उत्पादन के दौरान पर्यावरणीय विंता हो सकती है। वर्षों से यह पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के उत्पादन में लगातार प्रयास कर रहा है। आपकी कंपनी पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। यूनिट/डिवीजन ऊर्जा उपयोग क्षमता में सुधार लाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। ऊर्जा के संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदमों और किए गए प्रयासों, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग, प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित किए गए खुलासे देखें जो निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा हैं।		
	वित्तीय वर्ष 2024-25 (₹.)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (₹.)	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	138.48 लाख	89.50 लाख	ए) उत्पाद विकास-तेल-चिकनाई वाले बियरिंग हाउसिंग (SR-200): इंजीनियरिंग डिवीजन ने 200 मिमी व्यास के शाफ्ट के लिए उपयुक्त SR-200 बियरिंग हाउसिंग के डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस इकाई को पहली बार वित्त वर्ष 2023-24 में मैसर्स जेके लक्ष्मी सीमेंट के लिए जॉब नंबर 22156सी के तहत शुरू किया गया था। इसके प्रदर्शन और लागत प्रभावी होने के कारण, उसी ग्राहक से जॉब नंबर 24049S के तहत एक रिपीट ऑर्डर प्राप्त हुआ था। लाभ: - विनिर्माण चक्र समय में 1 महीने की कमी - असर वाले आवास के प्रति सेट ₹2.0 लाख की लागत बचत। बी) प्रौद्योगिकी उन्नति - मोटी सील रिंग अनुकूलन: परंपरागत रूप से, मोटी सील के छल्ले काटने, झुकने और रेडियोग्राफिक वेल्डिंग के माध्यम से गढ़े जाते थे, जिसमें उच्च मानव-घंटे और विस्तारित समयसीमा शामिल होती थी। बाहरी विक्रेताओं से प्राप्त सिंगल-पीस फोर्ज मोटी सील रिंग पर स्विच करके, डिवीजन ने जटिल निर्माण चरणों को समाप्त कर दिया है और महत्वपूर्ण लागत और समय की बचत हासिल की है। सी) चाय बागानों में पनबिजली और प्राकृतिक वेंटिलेशन पहल: चाय प्रभाग के पास दार्जिलिंग में एमआईएम टीई में एक पनबिजली टरबाइन चालू है। असम में सभी चाय कारखानों में पवन संचालित टर्बो वेंटिलेटर के साथ-साथ पर्सपेक्स शीट भी लगाई गई है और वहां कारखाने के अपेक्षित स्थानों पर प्राकृतिक हवा के साथ-साथ प्रकाश भी उपलब्ध कराया गया है।
कैपेक्स	8.21 करोड़	20.27 करोड़	इंजीनियरिंग डिवीजन ने 15 पुरानी हाई पावर कंज्यूम थाइरिस्टोराइज्ड वेल्डिंग एमएमएडब्ल्यू को बदल दिया है और इस तरह प्रति माह 1500 केडब्ल्यूएच की ऊर्जा की बचत हुई है। इंजीनियरिंग डिवीजन ने नेड सीएनसी मशीन स्थापित की है और इस तरह प्रति माह 5000 केडब्ल्यूएच की ऊर्जा बचत हुई है। काटने, झुकने और रेडियोग्राफी वेल्डिंग द्वारा मोटी सील रिंग निर्माण लंबी प्रक्रिया और मानव-घंटे की भागीदारी अधिक होती है। विक्रेता से सिंगल पीस फोर्ज मोटी सील रिंग की खरीद से दोनों डिवीजनों की उपर्युक्त लंबी प्रक्रिया और पुनः कम लागत समाप्त हो जाती है। (इंजीनियरिंग के साथ-साथ इलेक्ट्रिकल)।

2	ए. क्या कंपनी के पास टिकाऊ सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? कंपनी अपने इनपुट मुख्य रूप से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्रोतों/संस्थाओं से प्राप्त करती है, जिनके बीआर दायित्वों से अच्छी तरह वाकिफ होने की उम्मीद है। यद्यपि विनिर्माण में कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख कच्चे माल ऐसी प्रकृति के होते हैं, जो आम तौर पर छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादित नहीं होते हैं, लेकिन पैकेजिंग सामग्री स्थानीय रूप से प्राप्त की जाती है, जिसमें विभिन्न एमएसएमई आपूर्तिकर्ता शामिल हैं, बशर्ते वे कंपनी की गुणवत्ता, वितरण, लागत आदि अपेक्षाओं को पूरा करते हों। बी. यदि हां, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्थायी स्रोत से प्राप्त किया गया था? 40 %
3	बिक्री के बाद और अपने उत्पादों के जीवन के अंत में सुरक्षित रूप से एकत्र करने, पुनः उपयोग करने, रीसायकल करने और निपटान करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा और (सी) अन्य कचरे के लिए। चाय बागानों में केवल पीपीसी/चाय बोर्ड द्वारा अनुमोदित कृषि रसायनों का उपयोग किया जाता है। उत्पादन के दौरान प्रसंस्करण/छंटाई के साथ-साथ चिमनी और अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है और प्रचालन के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट को अलग किया जा रहा है और फिर वैधानिक मानदंडों का पालन करने के बाद उसका निपटान किया जा रहा है। खाली रासायनिक कंटेनरों का निपटान केवल पीपीसी द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है।
4	क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों (हां/नहीं) पर लागू होता है। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो उसी के समाधान के लिए उठाए गए कदम बताएं। नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1	क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें? कंपनी ने लाइफ साइकिल असेसमेंट (एलसीए) नहीं किया है।						
	एनआईसी कोड	उत्पाद का नाम/सेवा	कुल टर्न-ओवर का % योगदान	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य मूल्यांकन किया गया था	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (हां/नहीं)	यदि हाँ, तो वेब-लिंक प्रदान करें।
	लागू नहीं						
2	यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो इसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ संक्षेप में इसका वर्णन करें। यद्यपि कंपनी के उत्पादों के संबंध में कोई औपचारिक एलसीए नहीं किया गया है, हालांकि कंपनी के अपने दृष्टिकोण के आधार पर, कुछ पर्यावरणीय पहलू, विवरण और शमन हो सकते हैं जिनके बारे में नीचे उल्लेख किया गया है: ए) सामग्री परिवहन के समय वाहनों की आवाजाही के दौरान कार्बन उत्सर्जन के कारण पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसे कम करने के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के साथ किए गए करारों में वाहन पीयूएस को बनाए रखने, नियमित अनुरक्षण आदि की अनिवार्य आवश्यकता को शामिल किया गया है। बी) उपयोग/निपटान से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय चिंताओं, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करने के लिए उपयुक्त कैटलॉग/उपयोगकर्ता मैनुअल के माध्यम से ग्राहकों/अंतिम उपयोगकर्ता को आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान किए जाते हैं। सी) उत्पाद के लिए उपयोग की जाने वाली पैकेजिंग के प्रकार के आधार पर, ग्राहक को उत्पाद लेबल के रूप में वांछनीय पैकेजिंग सामग्री निपटान विधि के बारे में सूचित किया जाता है।						
3	उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) के लिए पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत। जैसा कि पहले बताया गया है, चूंकि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन में कोई पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए, यह लागू नहीं होता है।						



सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल सभी कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1	ए. कर्मचारियों की भलाई के उपायों का विवरण:													
	वर्ग	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		प्रसवा लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं			
			संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या- (सी)	% (सी/ए)	संख्या- (डी)	% (डी/ए)	संख्या- (ई)	% (ई/ए)	संख्या- (एफ)	% (एफ/ए)		
	स्थायी कर्मचारी													
	पुरुष	163	163	100.00%	71	43.56%	--	--	--	--	--	--		
	महिला	4	4	100.00%	--	--	--	--	--	--	--	--		
	कुल	167	167	100.00%	71	43.56%	--	--	--	--	--	--		
	स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य													
	पुरुष	25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	महिला	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	कुल	27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	बी.श्रमिकों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:													
	कोटि	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		प्रसवा लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं			
			संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या- (सी)	% (सी/ए)	संख्या- (डी)	% (डी/ए)	संख्या- (ई)	% (ई/ए)	संख्या- (एफ)	% (एफ/ए)		
स्थायी कर्मचारी														
पुरुष	6936	174	2.51%	--	--	--	--	--	--	--	--			
महिला	6829	1	0.01%	--	--	--	--	--	--	--	--			
कुल	13765	175	1.27%	--	--	--	--	--	--	--	--			
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य														
पुरुष	126	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
महिला	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
कुल	130	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
2	सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण;													
	लाभ	वित्तीय वर्ष 2024-25						वित्तीय वर्ष 2023-24						
		कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	प्राधिकरण के पास कटौती और जमा (हाँ/नहीं/ लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	प्राधिकरण के साथ कटौती और गवाही दी गई (हाँ/नहीं/लागू नहीं)							
		पीएफ	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ						
		उपदान	100%	100%	हाँ	100%	100%	हाँ						
		ईएसआई (*)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं						
		अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं						
		नोट: केवल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों और श्रमिकों को ईएसआईसी लाभ प्राप्त होते हैं। उपदान (पात्र कर्मचारियों के लिए) के लिए किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित राशि को यूल ग्रुप ग्रेज्युटी फंड से वित्त पोषित किया जाता है जिसका अंशदान कंपनी द्वारा किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए कर्मचारियों या कामगारों से अलग से कोई कटौती नहीं की जाती है।												
		3 कार्यस्थलों की पहुंच												
		क्या इकाई के परिसर/कार्यालय निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 क्या है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में इकाई द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं।												
हाँ, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 इकाई के परिसर/कार्यालय अलग-अलग दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं।														



4	क्या इकाई के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें। कंपनी पीडब्ल्यूडी अधिनियम में उल्लिखित नियमों और विनियमों का पालन करती है।										
5	काम पर लौटना और माता-पिता की छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की प्रतिधारण दर।										
	लैंगिक वर्ग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कर्मचारी							
		कार्य दर पर रिटर्न	अवधारण दर	कार्य दर पर रिटर्न	अवधारण दर						
	पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं						
	महिला	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं						
	कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं						
	नोट: वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी स्थायी कर्मचारी और कर्मचारी ने माता-पिता की छुट्टी नहीं ली है।										
6	क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का विवरण संक्षेप में दें।										
	स्थायी कर्मचारी	कर्मचारियों और श्रमिकों दोनों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने और उनका समाधान करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि शिकायतों को शीघ्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संभाला जाए। कर्मचारी और कर्मचारी अपनी शिकायतों को एक निर्दिष्ट चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि शिकायत पोर्टल, ईमेल, या मानव संसाधन विभाग या नामित कर्मियों को व्यक्तिगत रूप से। यह तंत्र शिकायतों से निपटने में गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। शिकायत प्राप्त होने पर, गहन जांच की जाती है, और समस्या को हल करने के लिए उचित कार्रवाई की जाती है। संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने और आगे की चिंताओं को दूर करने के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। सम्पदा में शिकायत समितियां हैं जिनमें बगीचे से एक कार्यकारी और श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों सहित पांच श्रमिक (पुरुष और महिला) शामिल हैं। यदि शिकायत वास्तविक पाई जाती है, तो शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर शिकायत को संपत्ति के प्रबंधक को अनुरोध के लिए भेज दिया जाता है।									
	स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य										
	स्थायी कर्मचारी										
	स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य										
7	सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघ (संघों) या यूनियनों में कर्मचारियों और कार्यकर्ता की सदस्यता:										
	वर्ग	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24						
		कुल कर्मचारी / श्रमिक संबंधित श्रेणी में	संबंधित श्रेणी में ऐसे कर्मचारी / श्रमिकों की संख्या, जो संघ या यूनियन का हिस्सा हैं	% (बी/ए)	कुल कर्मचारी / श्रमिक संबंधित श्रेणी में	संबंधित श्रेणी में ऐसे कर्मचारी / श्रमिकों की संख्या, जो संघ या यूनियन का हिस्सा हैं	% (डी/सी)				
		(ए)	(बी)		(सी)	(डी)					
	कुल स्थायी कर्मचारी	167	--	--	176	--	--				
	पुरुष	163	--	--	171	--	--				
	मादा	4	--	--	5	--	--				
	कुल स्थायी कर्मचारी	13765	13765	100.00%	13993	13993	100.00%				
	पुरुष	6936	6936	100.00%	7083	7083	100.00%				
	मादा	6829	6829	100.00%	6910	6910	100.00%				
8	कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:										
	वर्ग	वित्तीय वर्ष 2024-25				वित्तीय वर्ष 2023-24					
कुल (ए)		स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)		संख्या (ई)	% (ई/डी)	संख्या (एफ)	% (एफ / डी)	
	कर्मचारी										
	पुरुष	163	14	8.59%	62	38.04%	171	7	4.09%	13	7.60%
	महिला	4	1	25.00%	3	75.00%	5	5	100.00%	1	20.00%
	कुल	167	15	8.98%	65	38.92%	176	12	6.82%	14	7.95%
	श्रमिक										
	पुरुष	6936	--	--	--	--	7083	--	--	--	--
	महिला	6829	--	--	--	--	6910	--	--	--	--
	कुल	13765	--	--	--	--	13993	--	--	--	--



9	कर्मचारियों और कार्यकर्ता के प्रदर्शन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण:						
	लाभ	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
		कुल (ए)	संख्या (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	संख्या (डी)	% (डी/सी)
	कर्मचारियों						
	पुरुष	163	163	100.00%	171	75	43.86%
	महिला	4	4	100.00%	5	5	100.00%
	कुल	167	167	100.00%	176	80	45.45%
	श्रमिक						
	पुरुष	6936	81	1.17%	7083	85	1.20%
	महिला	6829	15	0.22%	6910	16	0.23%
	कुल	13765	96	0.70%	13993	101	0.72%
10	स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:						
	ए. क्या इकाई द्वारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां नहीं)। यदि हाँ, तो कवरेज ऐसी प्रणाली?						
	हां, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियां और मैन्युअल मौजूद हैं। प्रत्येक उद्यान में ओएचएस पर प्रशिक्षण और अद्यतन करने के लिए एक समिति होती है। कंपनी के इंजीनियरिंग डिवीजन ने कल्याणी प्लांट में आईएसओ 45001 सिस्टम लागू किया है। कंपनी सिस्टम की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए प्रमाणन निकायों द्वारा आंतरिक और बाहरी मूल्यांकन और ऑडिट करती है। स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों से संबंधित अपडेट भी नियमित रूप से वरिष्ठ प्रबंधन के साथ साझा किए जाते हैं।						
	बी. कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?						
	कंपनी अधिनियम और नियमों में निर्धारित कार्य संबंधी खतरों का आकलन करती है।						
	सी. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने की प्रक्रिया है। (हाँ/नहीं)						
	हाँ।						
11	डी. क्या इकाई के कर्मचारियों/श्रमिकों के पास गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हाँ/नहीं)						
	हाँ।						
	सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:						
	सुरक्षा घटना/संख्या	कोटि		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2023-24	
	खोया हुआ समय चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारी		शून्य		शून्य	
		श्रमिक		शून्य		शून्य	
	कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य से संबंधित चोटें	कर्मचारी		शून्य		शून्य	
		श्रमिक		शून्य		शून्य	
	मौतों की संख्या	कर्मचारी		शून्य		शून्य	
		श्रमिक		शून्य		शून्य	
उच्च परिणाम काम से संबंधित चोट या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी		शून्य		शून्य		
	श्रमिक		शून्य		शून्य		
12	एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थान सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।						
	इकाई सुरक्षा नीतियों, व्यापक प्रशिक्षण, खतरे की पहचान, सुरक्षा उपकरण प्रावधान, नियमित निरीक्षण, घटना रिपोर्टिंग, स्वास्थ्य कार्यक्रमों, आपातकालीन प्रतिक्रिया तत्परता, कर्मचारी भागीदारी और नियमों के अनुपालन के माध्यम से एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करती है। उदाहरण हैं - i) चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र, ii) खतरनाक कार्यों में लगे श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच, iii) सुरक्षा गियर/पीपीई का उपयोग, iv) प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, v) चल मशीनरी की सुरक्षा उपाय, vi) अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण।						
13	कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:						
		वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
		वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	पुनः अंक	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
		काम करने की स्थिति	--	--	--	--	--
		स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	--	--	--	--	--



14	वर्ष के लिए आकलन:	
	विवरण	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)
	स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	असम और पश्चिम बंगाल में स्थित हमारे चाय बागानों में हमारा आकलन है।
	काम करने की स्थिति	असम और पश्चिम बंगाल में स्थित हमारे चाय बागानों में हमारा आकलन है।
15	सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थिति के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें	
	जब भी कोई सुरक्षा संबंधी मुद्दा उठता है, तो तुरंत पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाते हैं और नियमित अंतराल पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।	

नेतृत्व संकेतक

1	क्या इकाई (ए) कर्मचारियों (वाई/एन) (बी) श्रमिकों (वाई/एन) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है। हां। श्रमिकों सहित किसी कर्मचारी की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, कंपनी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को "डेथ इन हार्नेस" की प्रकृति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान, कंपनी ने "डेथ इन हार्नेस" सुविधा के अलावा अतिरिक्त वित्तीय मुआवजा प्रदान किया।				
2	यह सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपाय प्रदान करें कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया काट लिया गया है और जमा किया गया है। इकाई यह सुनिश्चित करती है कि सांविधिक बकाया राशि की कटौती की जाए और संविदात्मक समझौतों के माध्यम से मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा जमा किया जाए। उचित दस्तावेज़ीकरण, अधिकारियों के साथ सहयोग और उचित परिश्रम जैसे उपाय अनुपालन, पारदर्शिता और कानूनी आवश्यकताओं के पालन को बढ़ावा देंगे।				
3	उच्च परिणाम वाले कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या प्रदान करें जिन्हें उच्च परिणाम से संबंधित चोट / खराब स्वास्थ्य / मृत्यु (जैसा कि उपरोक्त आवश्यक संकेतकों की क्यू 11 में बताया गया है), जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:				
	प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या		ऐसे कर्मचारी/श्रमिकों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित कर उपयुक्त रोजगार में लगाया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में लगाया गया है		
	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	
	कर्मचारी	--	--	--	
	श्रमिक	--	61	61	
4	क्या इकाई निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर के अंत के प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां नहीं) नहीं।				
5	मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन का विवरण:				
			मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया था		
	स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं		--		
	काम करने की स्थिति		--		
6	स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और मूल्य श्रृंखला भागीदारों की कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। लागू नहीं।				

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए
आवश्यक संकेतक

1	इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें। विक्रेता पंजीकरण के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं, डीलरों, ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टर्स की पहचान की जाती है। समय-समय पर रिपोर्ट के माध्यम से निवेशकों की पहचान की जाती है। स्टैकहोल्डर सहभागिता प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उनके साथ नियमित पत्राचार और बातचीत बनाए रखी जाती है।			
2	अपनी इकाई के लिए कुंजी के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति की सूची बनाएं।			
	हितधारक समूह	क्या कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक/छमाही/ त्रैमासिक/ अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)
				इस तरह की बातचीत के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
	लागू नहीं			

नेतृत्व संकेतक

1	आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को इस तरह के परामर्शों से प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है। प्रभावी संचार चैनल बोर्ड को फीडबैक का समय पर प्रसार सुनिश्चित करते हैं, जिससे टिकाऊ और जवाबदेह व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है।
2	क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरण, और सामाजिक विषयों (हां/नहीं) की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए किया जाता है। यदि हां, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया था। नहीं।
3	कमजोर/सीमांत हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए जुड़ाव के उदाहरणों और उनके लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें। समुदायों, विशेष रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है।

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए
आवश्यक संकेतक

1

कर्मचारी और कर्मचारी जिन्हें मानवाधिकारों के मुद्दों और इकाई की नीतियों पर निम्नलिखित प्रारूप में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:						
लाभ	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारियों						
स्थायी	167	167	100.00%	176	176	100.00%
स्थायी के अलावा अन्य	27	27	100.00%	19	19	100.00%
कुल कर्मचारी	194	194	100.00%	195	195	100.00%
श्रमिक						
स्थायी	13765	13765	100.00%	13993	13993	100.00%
स्थायी के अलावा अन्य	130	130	100.00%	140	140	100.00%
कुल कर्मचारी	13895	13895	100.00%	14133	14133	100.00%

2

कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान किए गए न्यूनतम वेतन का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:										
वर्ग	वित्तीय वर्ष 2024-25					वित्तीय वर्ष 2023-24				
	कुल (ए)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (D)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)		संख्या (ई)	% (ई/डी)	संख्या (एफ)	% (एफ/डी)
कर्मचारियों										
स्थायी	167	--	--	--	--	176	--	--	--	--
पुरुष	163	--	--	163	100.00%	171	--	--	171	100.00%
महिला	4	--	--	4	100.00%	5	--	--	5	100.00%
स्थायी के अलावा अन्य	27	--	--	--	--	19	--	--	--	--
पुरुष	25	--	--	25	100.00%	19	--	--	19	100.00%
महिला	2	--	--	2	100.00%	--	--	--	--	--
श्रमिक										
स्थायी	13765	--	--	--	--	13993	--	--	--	--
पुरुष	6936	--	--	6936	100.00%	7083	--	--	7083	100.00%
महिला	6829	--	--	6829	100.00%	6910	--	--	6910	100.00%
स्थायी के अलावा अन्य	130	--	--	--	--	140	--	--	--	--
पुरुष	126	126	100.00%	--	--	136	--	--	136	100.00%
महिला	4	4	100.00%	--	--	4	--	--	4	100.00%



3	पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:				
क	औसत पारिश्रमिक/मजदूरी (लाख रुपये में)	पुरुष		महिला	
		संख्या	औसत पारिश्रमिक वेतन/मजदूरी संबंधित श्रेणी	संख्या	औसत पारिश्रमिक वेतन/मजदूरी संबंधित श्रेणी
	निदेशक मंडल (बीओडी)	5	39.83	--	--
	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	3	39.83	1	26.77
	बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	183	19.02	5	18.83
	श्रमिक	7062	1.45	6833	1.35
ख	इकाई द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान की जाने वाली सकल मजदूरी, निम्नलिखित प्रारूप में:				
		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2023-24	
	कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान किया गया सकल मजदूरी	43%		42%	
4	क्या आपके पास एक केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो मानवाधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय के कारण होने वाले या योगदान के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हां नहीं)				
	हां, मानवाधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रबंधन, उद्यान संघों और विभागीय प्रमुखों के सदस्यों की समितियां हैं।				
5	मानवाधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन कीजिए।				
	शिकायतों को दूर करने के लिए एवाईसीएल के पास नीतियां और प्रथाएं हैं। कंपनी के पास श्रमिकों के लिए उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए 'श्रमिकों की शिकायत प्रक्रिया' है। इसी प्रकार, असंतुष्ट कार्यपालक अपनी शिकायत अपने रिपोर्टग अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं और यदि मानवाधिकारों से संबंधित मामले सहित किसी भी मामले पर संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अपनी शिकायत अपने रिपोर्टग अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं और आगे अगली श्रृंखला को सौंप सकते हैं।				

6	कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:					
		वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24	
		वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान
	यौन उत्पीड़न	--	--	--	--	--
	कार्यस्थल पर भेदभाव	--	--	--	--	--
	बाल श्रम	--	--	--	--	--
	जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	--	--	--	--	--
	वेतन	--	--	--	--	--
	मानवाधिकारों से संबंधित अन्य मुद्दे	--	--	--	--	--

7	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:		
		वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश) के अंतर्गत दर्ज की गई कुल शिकायतें	शून्य	शून्य
	महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में पीओएसएच पर शिकायतें	शून्य	शून्य
	पॉश पर शिकायतों को बरकरार रखा गया	शून्य	शून्य

8	भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र। पंजीकृत कार्यालयों में यौन उत्पीड़न के मामलों को हल करने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां हैं। चाय बागान में एक शिकायत समिति, यौन उत्पीड़न विरोधी समिति, शिकायत का आकलन और समाधान, लैंगिक समानता समिति और व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति है। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं कि कर्मचारी यौन उत्पीड़न के पहलुओं और निवारण तंत्र से पूरी तरह अवगत हैं।															
9	क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां / नहीं) हां, कंपनी लागू कानूनों के अनुपालन में अपने स्वयं के कोड और प्रक्रियाओं के माध्यम से मानवाधिकारों के मुद्दों को संबोधित करती है। एवाईसीएल भारत के कानून का पालन करता है जैसे															
10	वर्ष के लिए मूल्यांकन: <table><tr><td></td><td>आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका आकलन (इकाई द्वारा या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा) किया गया</td></tr><tr><td>बाल श्रम</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>जबरदस्ती/अनैच्छिक श्रम</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>यौन उत्पीड़न</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>कार्यस्थल पर भेदभाव</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>वेतन</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें</td><td>शून्य</td></tr></table>			आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका आकलन (इकाई द्वारा या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा) किया गया	बाल श्रम	शून्य	जबरदस्ती/अनैच्छिक श्रम	शून्य	यौन उत्पीड़न	शून्य	कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	वेतन	शून्य	अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य
	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका आकलन (इकाई द्वारा या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा) किया गया															
बाल श्रम	शून्य															
जबरदस्ती/अनैच्छिक श्रम	शून्य															
यौन उत्पीड़न	शून्य															
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य															
वेतन	शून्य															
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य															
11	उपरोक्त प्रश्न 9 में आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। कोई सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकृत कार्यालयों और चाय बागानों में यौन उत्पीड़न विरोधी समितियां हैं। शिकायत समितियां, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा समितियां।															
नेतृत्व संकेतक																
1	मानवाधिकारों की शिकायतों/शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण। अन्य बातों के साथ-साथ मानवाधिकारों से संबंधित मामलों को दर्ज करने के लिए एक आचार संहिता तैयार की गई है। इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए कंपनी भर में पॉश प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।															
2	किसी भी मानवाधिकार के दायरे और कवरेज का विवरण। लागू नहीं।															
3	क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, इकाई का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है? हमारे भवन अलग-अलग दिव्यांगों के लिए सुलभ हैं और हम आधारभूत सुविधाओं में सुधार की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए।															
4	मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन पर विवरण: <table><tr><td></td><td>मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया था</td></tr><tr><td>यौन उत्पीड़न</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>कार्यस्थल पर भेदभाव</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>बाल श्रम</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>वेतन</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें</td><td>शून्य</td></tr></table>			मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया था	यौन उत्पीड़न	शून्य	कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	बाल श्रम	शून्य	जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य	वेतन	शून्य	अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य
	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया था															
यौन उत्पीड़न	शून्य															
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य															
बाल श्रम	शून्य															
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य															
वेतन	शून्य															
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य															
5	उपरोक्त प्रश्न 4 पर आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। लागू नहीं।															



सिद्धांत 6: व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा एवं पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1	कुल ऊर्जा खपत (चुटकुलों या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:		
	मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
	नवीकरणीय स्रोतों से		
	कुल बिजली की खपत (ए) किलोवाट	9474676	9783221
	कुल डीजल की खपत एलटीआर	165203	442108
	कुल पेट्रोल खपत एलटीआर	30106	31977
	कुल कोयले की खपत केजीएस	3491439	3903327
	कुल एलपीजी खपत केजीएस	4980	3731.97
	कुल गैस की खपत एससीयूएम	103351	2476612
	कुल ईंधन खपत (बी) किलोवाट	8817153	15640412
	अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी) केडब्ल्यूएच	30001	15746.52
	कुल ऊर्जा खपत (ए + बी + सी)	18321830	25439379.52
	टर्नओवर के प्रति रुपये ऊर्जा की तीव्रता (जीजे/आईएनआर) (कुल ऊर्जा की खपत/संचालन से राजस्व)	0.0059	0.0082
	भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा की तीव्रता		
	नोट: किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन नहीं दिया गया है।		
2	क्या इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (वाई/एन) यदि हां, तो खुलासा करें कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्यवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।		
	इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचाने गए कोई भी स्थल/सुविधाएं नहीं हैं।		
3	निम्नलिखित प्रारूप में पानी से संबंधित निम्नलिखित खुलासे का विवरण प्रदान करें:		
	मानदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
	स्रोत से पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
	(i) सतही जल	3821	24557
	(ii) भूजल	201983293	208773284.7
	(iii) तीसरे पक्ष का पानी	3146	8665
	(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल	--	--
	(v) अन्य	1081.16	543.16
	जल की निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + II + III + IV + V)	201991341.16	208807049.9
	पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	161768474	167106032.5
	टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (कुल पानी की खपत / टर्नओवर)	0.043	0.054

4.	छोड़े गए जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:			
	मानदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	
	गंतव्य और उपचार के स्तर द्वारा छोड़ा गया पानी (किलोलीटर में)			
	(i) सतही जल के लिए			
	- कोई इलाज नहीं	1710	1850	
	- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	--	--	
	(ii) भूजल के लिए			
	- कोई इलाज नहीं	--	1076658	
	- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	--	124150	
	(iii) समुद्री जल के लिए			
	- कोई उपचार नहीं	--	--	
	- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	--	--	
	(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया			
	- कोई उपचार नहीं	--	--	
	- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	--	--	
	(v) अन्य			
	- कोई इलाज नहीं	--	--	
	- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	--	--	
	कुल निर्वहन किया गया पानी (किलोलीटर में)		1710	1202658
	नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (वाई/एन) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं			
5	क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें। नहीं			
6	कृपया निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें			
	प्राचल	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
	नॉक्स	µg/m ³	18.35	18.42
	सॉक्स	µg/m ³	5.04	5.06
	पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)	µg/m ³	298	300
	वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	पीपीबी	0	0
	खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	एक्यूआई	57	58
	पार्टिकुलेट मैटर (PM10)	µg/m ³	78.1	79.6
	पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5)	µg/m ³	47.6	47.9
	नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (वाई/एन) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं			



7	ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित में प्रदान करें प्रारूप:			
	मानदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
	कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो जीएचजी का सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफसी ₆ , एनएफ ₃ में विखंडन)	--	CO ₂ : 129 mg/nm ³	CO ₂ : 129 mg/nm ³
	कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो जीएचजी का सीओ ₂ , सीएच ₄ , एन ₂ ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफसी ₆ , एनएफ ₃ में विखंडन)	--	CO ₂ : 132 mg/nm ³	CO ₂ : 132 mg/nm ³
	कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 टर्नओवर के प्रति रुपये उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/संचालन से राजस्व)	--	4.27 x 10 ⁻⁷	4.27 x 10 ⁻⁷
नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (वाई/एन) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं				
8	क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।			
	नहीं, इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना नहीं है।			
9	इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:			
	मानदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2023-24
	उत्पन्न कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)			
	प्लास्टिक कचरा (ए)	0.35		1035.3
	ई-कचरा (बी)	--		0.03
	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सी)	0.01		119.5
	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)	--		104.50
	बैटरी अपशिष्ट (ई)	0.15		14
	रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)	--		--
	अन्य खतरनाक अपशिष्ट। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (जी)	--		907
	उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (एच)	--		611.23
	(संरचना द्वारा ब्रेक-अप यानी क्षेत्र से संबंधित सामग्री द्वारा)			
	कुल (ए + बी + सी + डी + ई + एफ + जी + एच)	0.51		2791.56
नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (वाई/एन) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं				
10	अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।			
	खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए, इकाई ने एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) को अपनाया है, जो रोकथाम, जैविक नियंत्रण और जैविक कीटनाशकों के उपयोग पर जोर देता है, केवल अंतिम उपाय के रूप में रासायनिक कीटनाशकों का सहारा लेता है। यह टिकाऊ रणनीति पर्यावरणीय जिम्मेदारी और दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देती है। पीसीबी दिशानिर्देशों के अनुरूप, सभी खतरनाक कचरे को सुरक्षित और अनुपालन तरीके से संग्रहीत और निपटाया जाता है, जिससे पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं और नियामक अनुपालन के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। प्राकृतिक जल निकायों में खतरनाक पदार्थों के निर्वहन को कम करने के लिए कारखाने और बगीचों के आउटलेट नालियों पर एक निस्पंदन संयंत्र स्थापित किया गया है।			

11	यदि इस संस्था के पास पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जीवमंडल रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में प्रचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में ब्यौरा विनिदष्ट करें		
क्रम संख्या	संचालन/ कार्यालयों का स्थान	संचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/एन) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, तो क्या है?
	चाय बागानों के आस-पास प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है क्योंकि कुछ चाय बागान रिजर्व वन के पास स्थित हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के बारे में समय-समय पर प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान की जा रही है। बगीचे के क्षेत्र के भीतर और उसके आसपास किसी भी शिकार की अनुमति नहीं है।		

12	चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:					
	परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना सं.	दिनांक	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है (हां/ नहीं)	परिणाम में संप्रेषित सार्वजनिक डोमेन (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
	नहीं					
13	क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुरूप है: जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:					
	हां, इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम।					

चूंकि इस सिद्धांत से संबंधित नेतृत्व सूचकों के अंतर्गत निर्धारित विषयों के संदर्भ में कोई अतिरिक्त प्रकटीकरण योग्य विवरण नहीं है, अतः इसके लिए कोई पृथक अनुभाग उपलब्ध नहीं कराया गया है।

सिद्धांत 7: व्यवसाय जब सार्वजनिक एवं विनियामक नीतियों को प्रभावित करने में संलग्न हों, तो उन्हें यह कार्य जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक सूचकांक

1.	क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धताओं की संख्या।	
	6 (छह)	
	ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जो इकाई का सदस्य/संबद्ध है।	
क्रम संख्या	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की पहुँच (राज्य / राष्ट्रीय)
1	एबीआईटीए - असम शाखा भारतीय चाय संघ	राज्य
2	आईटीए - भारतीय चाय संघ	राष्ट्रीय
3	टीआरए - चाय अनुसंधान संघ	राष्ट्रीय
4	चाय बोर्ड	राष्ट्रीय
5	आईईईएमए - इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन	राष्ट्रीय
6	बीसीसी एंड आई - बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	राज्य
2	नियामक अधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।	
	प्राधिकरण का नाम	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
	मामले का संक्षिप्त विवरण	
	लागू नहीं	

नेतृत्व संकेतक					
1	इकाई द्वारा वकालत की गई सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:				
क्रम संख्या	सार्वजनिक नीति	इस तरह की वकालत के लिए विधि का सहारा लिया गया	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हाँ नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/ छमाही/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
	शून्य				



सिद्धांत 8: व्यवसाय को समावेशी विकास और समतामूलक विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1	चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।						
	लागू नहीं।						
2	उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) को निम्नलिखित प्रारूप में किया जा रहा है:						
	क्रम संख्या	परियोजना का नाम जिसके लिए अनुसंधान एवं पुनर्वास कार्य चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफ) की संख्या	पुनर्वास एवं पुनर्वास के दायरे में आने वाले पीएफ का प्रतिशत	वित्त वर्ष में पीएफ को भुगतान की गई राशि (आई एन आर में)
	लागू नहीं						
3	समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए तंत्र का वर्णन करें।						
	इकाई के पास संचार के विभिन्न तरीके हैं जहां बड़े पैमाने पर समुदाय अपने प्रश्नों और शिकायतों को उठा सकता है। इन शिकायतों या चिंताओं को ईमेल पर या कंपनी के पते पर डाक द्वारा लिखित रूप में भेजा जा सकता है। प्रक्रिया के अनुसार, यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सक्षम टीम/अधिकारी द्वारा उसकी उचित जांच की जाएगी और पीड़ित की संतुष्टि के लिए तुरंत समाधान किया जाएगा। चाय बागानों की अपनी शिकायत समितियां हैं, जहां कोई भी शिकायत और सदस्य प्रस्तुत कर सकते हैं।						
4	आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य द्वारा कुल इनपुट के लिए इनपुट):						
		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2023-24			
	सीधे एमएसएमई से प्राप्त / छोटे उत्पादक	70.75%		78.00%			
	जिले और पड़ोसी जिलों के भीतर से सीधे प्राप्त किया जाता है	46.00%		40.00%			

नेतृत्व संकेतक

1	सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):			
	नकारात्मक सामाजिक प्रभाव के विवरण की पहचान की गई		सुधारात्मक कार्रवाई की गई	
	शून्य		लागू नहीं	
2	सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए निर्दिष्ट आकांक्षी निर्देशों में आपकी इकाई द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:			
	क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (रूपए में)
	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	ए. क्या आपके पास एक अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप सीमांत/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? हां/नहीं।			
	नहीं, एवाईसीएल की कोई अधिमान्य खरीद नीति नहीं है जो किसी भी आपूर्तिकर्ता को वरीयता देती है। सामग्री कभी-कभी स्थानीय रूप से प्राप्त की जाती है, जिसमें जीईएम पोर्टल के माध्यम से विभिन्न एमएसएमई आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं।			
	बी. आप किन हाशिए पर/कमजोर समूहों से खरीद करते हैं?			
	जैसा कि पहले कहा गया है कि सामग्री के कुछ आपूर्तिकर्ता एमएसएमई श्रेणियों से संबंधित हैं। इसलिए, एमएसएमई श्रेणियों से खरीद के विरुद्ध भुगतान को प्राथमिकता दी जाती है।			
	सी. कुल खरीद का कितना प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) यह है?			
	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एमएसएमई से प्राप्त वस्तुओं की कुल खरीद 70.22 प्रतिशत थी			
4	पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई के स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपदा (चालू वित्तीय वर्ष में) से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:			
	क्र.सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहित (हां/नहीं)	साझा किया गया लाभ (हां/नहीं)
			नहीं	

5	बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्यवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।		
	प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्यवाई की गई
	लागू नहीं		
6	सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:		
	क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	नहीं। सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कमजोर वर्गों के लाभार्थियों का प्रतिशत और हाशिए पर रहने वाले समूह		लागू नहीं

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारी से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1	उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें।						
	ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों को जांच करने और उसका समाधान करने के लिए भेजा जाता है। ऐसी शिकायतों के कारण की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुधारात्मक कार्यवाई की जाती है। ग्राहकों से फीडबैक प्राप्त किया जाता है और ग्राहकों की शिकायत को कम करने के लिए एसओपी का सख्ती से पालन किया जाता है।						
2	आपके व्यवसाय के उत्पादों और सेवाओं (टर्नओवर द्वारा) का % उपभोक्ताओं के लिए प्रासंगिक जानकारी ले जाता है।						
						कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में	
	उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक पैरामीटर					100%	
	सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग					100%	
	पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान					100%	
3	निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:						
		वित्तीय वर्ष 2024-25		टिप्पणियां	वित्तीय वर्ष 2023-24		टिप्पणियां
		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
	डेटा गोपनीयता	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	विज्ञापन	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	साइबर सुरक्षा	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	आवश्यक सेवाओं का वितरण	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	अनुचित व्यापार प्रथाएं	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	अन्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
4	सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस बुलाने की घटनाओं का विवरण:						
		संख्या		याद करने के कारण			
	स्वैच्छिक रिकॉल	शून्य		शून्य			
	जबरन वापस बुलाना	शून्य		शून्य			
5	क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हां नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब-लिंक प्रदान करें।						
	हां, इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर एक ढांचा/नीति है। बोर्ड ने कंपनी के लिए एक जोखिम प्रबंधन योजना अपनाई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जोखिमों के ऐसे तत्वों की पहचान करना शामिल है जो कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं और विशेष रूप से साइबर सुरक्षा को कवर करते हैं। संरचनाएं मौजूद हैं ताकि जोखिमों की स्वाभाविक रूप से निगरानी और नियंत्रण किया जा सके। निदेशक मंडल ने जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। अन्य बातों के साथ-साथ साइबर सुरक्षा को शामिल करते हुए एक जोखिम प्रबंधन योजना तैयार की गई है जिसकी निगरानी और समीक्षा इस समिति द्वारा की जाती है। जोखिम प्रबंधन योजना को वेबसाइट में https://www.andrewyule.com/pdf/policies/Policy_Risk_Management.pdf के वेबलिंक में होस्ट किया गया है।						



6	विज्ञापन से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें, और अनिवार्य सेवाओं की डिलीवरी; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों की पुनः घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा के संबंध में नियामक प्राधिकरणों द्वारा किया गया जुर्माना/कार्रवाई। विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित कोई मामला नहीं है; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; या रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान उत्पाद वापस बुलाए जाने के मामलों की पुनः जांच की गई।
7	डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: ए. डेटा उल्लंघनों के उदाहरणों की संख्या लागू नहीं बी. ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत लागू नहीं सी. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो, लागू नहीं *नोट: प्रश्न 3 (सिद्धांत 9) में दिए गए उत्तर के अनुरूप इस खंड का उत्तर "लागू नहीं" है।

नेतृत्व संकेतक

1	ऐसे चैनल/प्लेटफॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)। हमारे सभी उत्पादों का विवरण हमारी वेबसाइट पर "व्यवसाय" शीर्षक के तहत उपलब्ध है।
2	उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम। ब्रोकर/डीलर मिलते हैं और हमारी वेबसाइट आदि पर उत्पाद प्रदर्शन के माध्यम से भी।

कॉरपोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

1. कंपनी का कॉरपोरेट प्रशासन पर दर्शन

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड ने उच्चतम मानकों के कॉरपोरेट प्रशासन को सुनिश्चित करने हेतु सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और अन्य लागू कानूनों के अनुसार एक व्यापक नीति ढांचा स्थापित किया है। यह ढांचा संगठन भर में पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और नैतिक आचरण को बनाए रखने का कार्य करता है। कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रमुख नीतियों में शामिल हैं:

- **निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता:** यह संहिता कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन से अपेक्षित नैतिक आचरण के सिद्धांतों और मानकों को निर्धारित करती है, जिससे ईमानदारी, जवाबदेही और उत्तरदायी नेतृत्व को बढ़ावा मिलता है।
- **अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु संहिता:** यह संहिता प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यूपीएसआई का त्वरित, समान और गैर-भेदभावपूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करती है।
- **इनसाइडरों द्वारा व्यापार को नियंत्रित, निगरानी और रिपोर्ट करने हेतु आचार संहिता:** यह संहिता नामित व्यक्तियों की व्यापारिक गतिविधियों की निगरानी और यूपीएसआई के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की व्यवस्था प्रदान करती है।
- **जोखिम प्रबंधन नीति:** कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है जो विभिन्न रणनीतिक, परिचालन, वित्तीय और अनुपालन से संबंधित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और न्यूनीकरण के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
- **इंटीग्रेटी पैक्ट:** व्यावसायिक लेनदेन, विशेष रूप से खरीद में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप इंटीग्रेटी पैक्ट अपनाया गया है।
- **विजिल मैकेनिज्म/व्हिसल ब्लोअर नीति:** कंपनी ने कर्मचारियों और हितधारकों को प्रतिशोध के भय के बिना अनैतिक आचरण या वास्तविक/संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित चिंताओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने हेतु यह नीति लागू की है।
- **आचरण, अनुशासन और अपील नियम:** ये नियम कर्मचारी व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और अनुशासनात्मक कार्रवाई, अपील और शिकायत निवारण तंत्र के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे कार्यस्थल पर सुव्यवस्थित आचरण सुनिश्चित होता है।
- **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सतत विकास नीति:** यह नीति सीएसआर पहलों के माध्यम से समावेशी और सतत विकास हेतु कंपनी के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।
- **संबंधित पक्ष लेनदेन की भौतिकता और उनसे निपटने की नीति:** यह नीति सुनिश्चित करती है कि सभी संबंधित पक्ष लेनदेन पारदर्शी और समान शर्तों पर किए जाएं।
- **महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण की नीति:** कंपनी ने सहायक कंपनियों को “महत्वपूर्ण” के रूप में वर्गीकृत करने के मानदंड निर्धारित करने और उन पर प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित करने हेतु यह नीति अपनाई है।
- **घटनाओं और सूचनाओं के प्रकटीकरण हेतु भौतिकता पर नीति:** यह नीति उन महत्वपूर्ण घटनाओं/सूचनाओं को निर्धारित करने के लिए ढांचा प्रस्तुत करती है जिन्हें समय पर और पर्याप्त रूप से स्टॉक एक्सचेंजों में प्रकटीकृत किया जाना आवश्यक है।
- **दस्तावेजों के संरक्षण की नीति:** यह नीति भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों और अभिलेखों के संरक्षण और वेबसाइट पर प्रकटीकरण के अभिलेखीकरण का प्रावधान करती है।
- **लाभांश वितरण नीति:** यह नीति लाभांश वितरण की अनुशंसा करते समय विचार किए जाने वाले कारकों को रेखांकित करती है, जिससे शेयरधारकों को पुरस्कृत करने में निरंतरता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

2. निदेशक मंडल

31 मार्च, 2025 को कंपनी के कुल निदेशकों की संख्या 5 (पाँच) थी जिनमें से 3 (तीन) पूर्णकालिक निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (योजना) और निदेशक (वित्त) तथा 2 (दो) अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित) थे।

निदेशक मंडल में नियुक्त निदेशकों का कार्यकाल इस प्रकार है:

- पूर्णकालिक निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 (पाँच) वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की तिथि (वर्तमान में 60 वर्ष की आयु) तक या भारत सरकार के आगे के आदेशों तक, जो भी घटना पहले घटित हो, नियुक्त किया जाता है।
- अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित), जो भारी उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारी उद्योग



मंत्रालय के आगे के आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

□ अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

ए) 31 मार्च, 2025 तक बोर्ड की संरचना का विवरण जिसमें निदेशकों की श्रेणी, विभिन्न कंपनियों की समितियों में निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पद, अध्यक्षता/सदस्यता तथा अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित निदेशक पद और उनकी श्रेणी शामिल है, इस प्रकार है:

निदेशकों का नाम	पदनाम	वर्ग	भारत में निगमित अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या	अन्य कंपनियों में समिति पदों की संख्या		सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां निदेशक पद धारण किया गया	सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की श्रेणी
				अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में		
श्री अनंत मोहन सिंह (डीआईएन: 03594804)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	एग्जीक्यूटिव	1	--	1	वीडोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड [पूर्व में टाइड वाटर ऑयल कंपनी (आई) लिमिटेड]	गैर-कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र (प्रमोटर निदेशक)
श्री राजिंदर सिंह मनकू (डीआईएन: 09706881)	निदेशक (योजना)	एग्जीक्यूटिव	4	--	--	वेबफिल लिमिटेड	निर्देशक
श्री संजय वर्मा (डीआईएन: 10373225)	निदेशक (वित्त)	एग्जीक्यूटिव	3	--	--	वेबफिल लिमिटेड	निर्देशक
श्री विजय मित्तल (डीआईएन: 09548096)	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार। नामित)	गैर-कार्यकारी	4	--	--	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	अंशकालिक अधिकारी निर्देशक (सरकार नामित)
						वीडोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड [पूर्व में टाइड वाटर ऑयल कंपनी (आई) लिमिटेड]	गैर-कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र निदेशक
श्री अरुण कुमार दीवान (डीआईएन: 10170576)	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित)	गैर-कार्यकारी	3	--	--	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	अंशकालिक अधिकारी निदेशक (सरकार नामित)

टिप्पणियाँ:

- अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पदों की संख्या में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों के निदेशक पद शामिल नहीं हैं।
- केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यताओं/अध्यक्षताओं को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 26 के अनुसार, संशोधित रूप में, माना गया है।
- इस कंपनी में धारित निदेशक पद उपर्युक्त सूचीबद्ध संस्थाओं के अतिरिक्त है।
- बोर्ड पर कोई भी निदेशक 10 (दस) से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद नहीं रखता है। इसके अलावा, कोई भी निदेशक 10 (दस) से अधिक समितियों का सदस्य या 5 (पाँच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है जिनमें वह निदेशक है।
- इसके अतिरिक्त, कोई भी स्वतंत्र निदेशक 7 (सात) से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है।
- कंपनी में वर्तमान निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों में से कोई भी इक्विटी शेयर नहीं रखता है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई भी परिवर्तनीय साधन जारी नहीं किया है।
- कंपनी के निदेशकों में से कोई भी अन्य निदेशकों के साथ आपस में संबंधित नहीं है।

viii) क्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले और पात्र होकर पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के संबंध में विवरण 77वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिया गया है।

ix) कोई भी स्वतंत्र निदेशक वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व इस्तीफा नहीं दिया है।

बी) निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या, निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति तथा 76वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष, जो 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुआ, के दौरान निदेशक मंडल की 7 (सात) बैठकें 9 मई, 2024, 29 मई, 2024, 30 जुलाई, 2024, 14 अगस्त, 2024, 20 सितम्बर, 2024, 13 नवम्बर, 2024 और 13 फरवरी, 2025 को आयोजित हुईं।

दो लगातार बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013, एमसीए परिपत्रों, सचिवीय मानकों और सेबी परिपत्रों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशकों की बोर्ड बैठकों में उपस्थिति और अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति इस प्रकार है:

निदेशकों का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या		27 सितंबर, 2024 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
	बैठकों की संख्या	भाग लिया	
कार्यकारी निदेशक:			
श्री अनंत मोहन सिंह	7	7	हाँ
श्री राजेंद्र सिंह मनकू	7	7	हाँ
श्री संजय वर्मा	7	7	हाँ
गैर-कार्यकारी निदेशक:			
श्री विजय मित्तल	7	6	नहीं
श्री आदित्य कुमार घोष	7	6	हाँ
श्री अरुण कुमार दीवान	-	-	ना
श्री ओम प्रकाश मित्तल	5	5	हाँ
श्री सुंदर पाल सिंह	5	5	हाँ
श्रीमती नमिता देवी	5	5	हाँ

टिप्पणियाँ:

i) श्री ओम प्रकाश मित्तल, श्री सुंदर पाल सिंह और श्रीमती नमिता देवी 2 नवम्बर, 2024 से निदेशक नहीं रहे। श्री आदित्य कुमार घोष 27 फरवरी, 2025 से निदेशक नहीं रहे।

ii) श्री अरुण कुमार दीवान को 27 फरवरी, 2025 से निदेशक नियुक्त किया गया।

सी) निदेशक मंडल द्वारा पहचानी गई मुख्य योग्यताएँ/विशेषज्ञता/क्षमताएँ:

एवाईसीएल, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है, अतः इसके बोर्ड पर सभी निदेशक जैसे कार्यकारी निदेशक, सरकारी नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक, प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकार द्वारा चुने और नियुक्त किए जाते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के व्यवसाय और क्षेत्र की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए उत्पादन, योजना, संचालन, विपणन, प्रबंधन, प्रशासन, मानव संसाधन और वित्त को आवश्यक मुख्य योग्यताएँ/विशेषज्ञता/क्षमताएँ के रूप में पहचाना है, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार है।

उपरोक्त सभी मुख्य योग्यताएँ/विशेषज्ञता/क्षमताएँ निदेशक मंडल में उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, श्री अनंत मोहन सिंह, श्री राजिंदर सिंह मानकू, श्री विजय मित्तल और श्री आदित्य कुमार घोष के पास उत्पादन, योजना, संचालन, मानव संसाधन, प्रबंधन, प्रशासन, विपणन आदि क्षेत्रों में व्यापक अनुभव था; श्री संजय वर्मा, श्री ओम प्रकाश मित्तल और श्री अरुण कुमार दीवान को वित्त क्षेत्र में विशेष विशेषज्ञता थी; श्री सुंदर पाल सिंह और श्रीमती नमिता देवी को मानव संसाधन, संचालन आदि क्षेत्रों में अनुभव था।

डी) निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई सूचनाएँ:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(7) को अनुसूची द्वितीय के भाग अ के साथ पढ़ते हुए तथा सरकारी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के परिशिष्ट चतुर्थ के अनुसार, सभी वैधानिक, महत्वपूर्ण और भौतिक सूचनाएँ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गईं। इससे निदेशक मंडल की जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित हुआ, जिसमें रणनीतिक पर्यवेक्षण प्रदान करना और हितधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना शामिल है।

ई) अनुपालन:

एजेंडा पत्रक तैयार करते समय, कार्यवृत्त और बोर्ड तथा समिति बैठकों का संचालन करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (संशोधित), सचिवीय मानक (एसएस-1 और एसएस-2) और अन्य प्रासंगिक कानूनों के सभी लागू प्रावधानों का पालन किया गया है। कंपनी के पास एक प्रभावी अनुपालन निगरानी ढांचा है और लागू कानूनों के अनुपालन की स्थिति का समय-समय पर समीक्षा कर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

एफ) परिचयात्मक कार्यक्रम:

कंपनी के स्वतंत्र और गैर-कार्यकारी निदेशक अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक अनुभव लेकर आते हैं। उन्हें सूचित रखने के लिए, बोर्ड और समिति बैठकों में समय-समय पर प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं जिनमें व्यावसायिक प्रदर्शन, रणनीति, जोखिम और अन्य प्रमुख विषय शामिल होते हैं। उन्हें कंपनी का व्यवसाय मॉडल और उनकी भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ समझने में सहायता हेतु वित्तीय परिणाम, आंतरिक लेखा परीक्षण निष्कर्ष, नीतियाँ और आचार संहिता भी उपलब्ध कराई जाती है। स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए परिचयात्मक कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

जी) स्वतंत्रता की पुष्टि:

निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 16(1)(ख), संशोधित, में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया और वे प्रबंधन से स्वतंत्र थे।

3. निदेशक मंडल की समितियाँ

निदेशक मंडल की समितियाँ कुछ विशेष क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें सौंपे गए अधिकार के साथ सूचित निर्णय लेती हैं। वर्तमान में, कंपनी के पास निम्नलिखित बोर्ड समितियाँ हैं:

3.1 लेखा परीक्षा समिति

i. संदर्भ की शर्तें

लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों में वे शक्तियाँ और भूमिकाएँ शामिल हैं जिनका उल्लेख सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 18, संशोधित, को अनुसूची द्वितीय के भाग-ग तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के साथ पढ़ते हुए किया गया है। कंपनी की 76वीं वार्षिक आम बैठक में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष वर्चुअल रूप से उपस्थित थे ताकि शेरधारकों के प्रश्नों का उत्तर दे सकें।

ii. बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 6 (छह) बैठकें 7 मई, 2024; 28 मई, 2024; 30 जुलाई, 2024; 14 अगस्त, 2024; 28 अक्टूबर, 2024 और 17 मार्च, 2025 को आयोजित हुईं।

iii. समिति की संरचना और उपस्थित बैठकों की संख्या

31 मार्च, 2025 को लेखा परीक्षा समिति के कुल सदस्यों की संख्या 3 (तीन) थी, अर्थात् श्री अनंत मोहन सिंह अध्यक्ष के रूप में; श्री राजिंदर सिंह मानकू और श्री संजय वर्मा सदस्य के रूप में।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:



सदस्य का नाम	वर्ग	पदनाम	2024-25 के दौरान भाग ली गई बैठकों की संख्या
श्री अनंत मोहन सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	1
श्री राजिंदर सिंह मनकू	निदेशक (योजना)	सदस्य	1
श्री संजय वर्मा	निदेशक (वित्त)	सदस्य	1
श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	5
श्रीमती नमिता देवी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	5
श्री सुंदर पाल सिंह	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	5

टिप्पणियाँ:

- ए) श्री ओम प्रकाश मित्तल, श्री सुंदर पाल सिंह और श्रीमती नमिता देवी का कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यकाल 2 नवम्बर, 2024 को पूर्ण होने के पश्चात उस तिथि से वे लेखा परीक्षा समिति के सदस्य नहीं रहे।
- बी) बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन 13 फरवरी, 2025 को मौजूदा पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात् श्री अनंत मोहन सिंह, श्री राजिंदर सिंह मानकू और श्री संजय वर्मा के साथ अस्थायी रूप से किया गया, जब तक कि भारत सरकार द्वारा बोर्ड पर आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की जाती।
- सी) लेखा परीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर हैं, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 18(1)(ग), संशोधित, में परिभाषित है और उनके पास वित्त एवं लेखांकन के क्षेत्र में प्रासंगिक अनुभव है।
- डी) निदेशक (वित्त) ने लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में, जो 7 मई, 2024; 28 मई, 2024; 30 जुलाई, 2024; 14 अगस्त, 2024 और 28 अक्टूबर, 2024 को आयोजित हुईं, स्थायी आमंत्रित के रूप में भाग लिया। किन्तु 17 मार्च, 2025 को आयोजित बैठक में निदेशक (वित्त) ने लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में भाग लिया।
- ई) कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।
- एफ) लेखा परीक्षा समिति समय-समय पर उपयुक्त समझे जाने पर कंपनी के लेखा परीक्षकों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करती है।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

i. संदर्भ की शर्तें

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका और संदर्भ की शर्तों में वे विषय शामिल हैं जो सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 19, संशोधित, को उक्त विनियमों की अनुसूची-द्वितीय के भाग-घ और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, डीपीई दिशा-निर्देशों तथा अन्य सरकारी दिशा-निर्देशों के साथ पढ़ते हुए लागू और विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल, नियुक्ति की शर्तें, प्रदर्शन मूल्यांकन, पारिश्रमिक आदि लोक उपक्रम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष कंपनी की 76वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु उपस्थित थे।

ii. बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की 3 (तीन) बैठकें 7 मई, 2024; 29 मई, 2024 और 14 अगस्त, 2024 को आयोजित हुईं।

iii. समिति की संरचना और उपस्थित बैठकों की संख्या

31 मार्च, 2025 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कुल सदस्यों की संख्या 4 (चार) थी, अर्थात् श्री विजय मित्तल अध्यक्ष के रूप में; श्री अनंत मोहन सिंह, श्री राजिंदर सिंह मानकू और श्री संजय वर्मा सदस्य के रूप में।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:



सदस्य का नाम	वर्ग	पदनाम	2024-25 के दौरान उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री विजय मित्तल	गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकारी नामित)	अध्यक्ष	--
श्री अनंत मोहन सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य	--
श्री राजिंदर सिंह मनकू	निदेशक (योजना)	सदस्य	--
श्री संजय वर्मा	निदेशक (वित्त)	सदस्य	--
श्री सुंदर पाल सिंह	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	3
श्री आदित्य कुमार घोष	गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य	3
श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	3

टिप्पणियाँ:

- ए) श्री ओम प्रकाश मित्तल और श्री सुंदर पाल सिंह का कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यकाल 2 नवम्बर, 2024 को पूर्ण होने के पश्चात उस तिथि से वे समिति के सदस्य नहीं रहे। श्री आदित्य कुमार घोष 13 फरवरी, 2025 से सदस्य नहीं रहे।
- बी) बोर्ड पर आवश्यक संख्या में गैर-कार्यकारी निदेशकों की अनुपस्थिति में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन 13 फरवरी, 2025 को मौजूदा पूर्णकालिक और सरकारी नामित निदेशकों अर्थात् श्री विजय मित्तल, श्री अनंत मोहन सिंह, श्री राजिंदर सिंह मानकू और श्री संजय वर्मा के साथ अस्थायी रूप से किया गया, जब तक कि भारत सरकार द्वारा बोर्ड पर आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की जाती।
- सी) कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

उत्तराधिकार योजना

कंपनी ने एक संरचित उत्तराधिकार योजना ढांचा लागू किया है ताकि निदेशक मंडल के सदस्यों को छोड़कर अन्य महत्वपूर्ण पदों को कंपनी की दृष्टि और व्यावसायिक रणनीतियों के अनुरूप व्यवस्थित विकास योजना द्वारा भरा जा सके।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, जो भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास निहित है।

प्रदर्शन मूल्यांकन

एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के कारण, कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों, जिनमें स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, का प्रदर्शन मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा तय और संपादित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों से छूट प्रदान की है।

पारिश्रमिक नीति

एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होता है। गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु बैठक भत्ता दिया जाता है, जबकि अंशकालिक आधिकारिक (सरकारी नामित) निदेशकों को कोई बैठक भत्ता नहीं दिया जाता।

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, वरिष्ठ प्रबंधन और अधिकारियों का पारिश्रमिक लागू सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक उनके संघ के साथ वेतन समझौता अनुबंधों पर आधारित होता है। नियुक्तियों और पदोन्नति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित भर्ती और पदोन्नति नीति के अनुसार की जाती है।

निदेशकों का पारिश्रमिक विवरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	पीएफ और अन्य फंड	प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन स्टॉक विकल्प	कुल
1.	श्री अनंत मोहन सिंह	40.93	1.16	4.91	--	47.00

2.	श्री राजिंदर सिंह मनकू	29.92	5.62	3.59	--	39.13
3.	श्री संजय वर्मा	33.83	2.63	4.06	--	40.52

नोट: कंपनी ने अपने किसी भी निदेशक को स्टॉक विकल्प प्रदान नहीं किया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पदनाम	बैठने की फीस का भुगतान किया गया (लाख रुपये में)
1.	श्री विजय मित्तल	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित)	--
2.	श्री आदित्य कुमार घोष	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित)	--
3.	श्री अरुण कुमार दीवान	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित)	--
4.	श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक	0.80
5.	श्री सुंदर पाल सिंह	स्वतंत्र निदेशक	0.78
6.	श्रीमती नमिता देवी	स्वतंत्र निदेशक	0.73

टिप्पणियाँ:

- ए) श्री विजय मित्तल, श्री आदित्य कुमार घोष और श्री अरुण कुमार दीवान अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामित) थे जिन्हें भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया था। अतः उन्हें कोई बैठक भत्ता नहीं दिया गया। श्री अरुण कुमार दीवान की 27 फरवरी, 2025 से नियुक्ति के बाद, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।
- बी) श्री ओम प्रकाश मित्तल, श्री सुंदर पाल सिंह और श्रीमती नमिता देवी 2 नवम्बर, 2024 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।
- सी) गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों के बैठक भत्ते निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।
- डी) उपरोक्त के अतिरिक्त, गैर-कार्यकारी निदेशकों का कंपनी के साथ उनकी व्यक्तिगत क्षमता में कोई वित्तीय संबंध नहीं है। इसे सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, संशोधित, की अनुसूची पंचम के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण माना जा सकता है।
- स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों के लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

3.3 हितधारक संबंध समिति

i. संदर्भ की शर्तें

हितधारक संबंध समिति की भूमिका और संदर्भ की शर्तों में वे विषय शामिल हैं जो सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 20, संशोधित, को उक्त विनियमों की अनुसूची द्वितीय के भाग-घ के खंड ब के साथ पढ़ते हुए लागू और विनिर्दिष्ट किए गए हैं। स्थानांतरण, डुप्लिकेट निर्गम आदि से संबंधित विषयों की देखरेख कार्यकारी निदेशकों की समिति (पूर्व में निदेशक मंडल की समिति कहलाती थी) द्वारा की जाती है। समिति के अध्यक्ष कंपनी की 76वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु उपस्थित थे।

ii. बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हितधारक संबंध समिति की 1 (एक) बैठक 20 सितम्बर, 2024 को आयोजित हुई।

iii. समिति की संरचना और उपस्थित बैठकों की संख्या

31 मार्च, 2025 को हितधारक संबंध समिति के कुल सदस्यों की संख्या 3 (तीन) थी, अर्थात् श्री अनंत मोहन सिंह अध्यक्ष के रूप में; श्री राजिंदर सिंह मानकू और श्री संजय वर्मा सदस्य के रूप में।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बैठक में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

सदस्य का नाम	वर्ग	पदनाम	2024-25 के दौरान उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री अनंत मोहन सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	--
श्री राजिंदर सिंह मनकू	निदेशक (योजना)	सदस्य	--



श्रीमती नमिता देवी	स्वतंत्र निदेशक	सभापति	1
श्री संजय वर्मा	निदेशक (वित्त)	सदस्य	1
श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1
श्री सुंदर पाल सिंह	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1

टिप्पणियाँ:

ए) श्री ओम प्रकाश मित्तल, श्री सुंदर पाल सिंह और श्रीमती नमिता देवी का कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यकाल 2 नवम्बर, 2024 को पूर्ण होने के पश्चात उस तिथि से वे समिति के सदस्य नहीं रहे।

बी) बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन 13 फरवरी, 2025 को मौजूदा पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात् श्री अनंत मोहन सिंह, श्री राजिंदर सिंह मानकू और श्री संजय वर्मा के साथ अस्थायी रूप से किया गया, जब तक कि भारत सरकार द्वारा बोर्ड पर आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की जाती।

सी) श्रीमती सुचारिता दास कंपनी सचिव होने के नाते कंपनी की अनुपालन अधिकारी हैं।

iv. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निम्नलिखित उत्तराधिकार/डुप्लिकेट शेयर निर्गम के मामले प्राप्त हुए और संसाधित किए गए:

विवरण	मामलों की संख्या	इक्विटी शेयरों की संख्या
शेयरों का प्रसारण	2	150
डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना	2	110

v. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भौतिक शेयरों के डीमटेरियलाइजेशन का विवरण:

विवरण	डीमैट	
	मामलों की संख्या	इक्विटी शेयरों की संख्या
एनएसडीएल	8	536
सीडीएसएल	3	70
कुल	11	606

vi. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर) में शेयरधारकों की शिकायतों के संबंध में विवरण:

1 अप्रैल, 2024 तक लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	शून्य
31 मार्च, 2025 तक लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

3.4 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

i. संदर्भ की शर्तें

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार, जो 22 जनवरी, 2021 से प्रभावी हुआ, यदि सीएसआर राशि 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो कंपनी के लिए सीएसआर समिति अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है और ऐसे सभी मामलों में सीएसआर समिति का कार्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त के अनुसार और यह ध्यान में रखते हुए कि कंपनी पिछले तीन वर्षों से सीएसआर खर्च के लिए पात्र नहीं थी, कंपनी की मौजूदा सीएसआर समिति को भंग कर दिया गया और उपरोक्त प्रावधान के दायरे में आने वाले किसी भी सीएसआर समिति के कार्य निदेशक मंडल द्वारा किए जाएंगे, जब तक कि कंपनी के लिए सीएसआर समिति का गठन अनिवार्य नहीं हो जाता।

ii. बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई क्योंकि कंपनी वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार की गई गणनाओं के आधार पर अनिवार्य सीएसआर खर्च के लिए पात्र नहीं थी।

कंपनी की सीएसआर और सतत विकास नीति कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित है।

3.5 कार्यकारी निदेशकों की समिति

i. संदर्भ की शर्तें

कंपनी में कार्यकारी निदेशकों की एक समिति है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित किया गया है ताकि कंपनी के दैनिक परिचालन के सुचारू संचालन की निगरानी और सुनिश्चित किया जा सके। ऐसी समिति की बैठकें आवश्यकता अनुसार आयोजित की जाती हैं।

समिति को निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शक्तियाँ सौंपी गई हैं:

- बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य से टर्म लोन, नकद ऋण, अग्रिम, जमा, बिल डिस्काउंटिंग आदि के रूप में निर्दिष्ट सीमा तक उधारी लेने की शक्ति।
- कंपनी की अचल संपत्तियों पर न्यायसंगत बंधक सहित प्रतिभूतियों के निर्माण की अनुमति, टर्म लोन, ब्रिज लोन, कार्यशील पूंजी ऋण आदि से संबंधित सुरक्षा दस्तावेजों के निष्पादन की अनुमति, निर्दिष्ट सीमा तक।
- बैंकों के साथ खातों का खोलना और संचालन।
- संघ, असंयुक्त संयुक्त उद्यम/रणनीतिक साझेदारी का गठन।
- किसी भी दस्तावेज़ पर कंपनी की सामान्य मुहर लगाने की अनुमति।
- उत्तराधिकार/डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र आदि को स्वीकृत करना।
- किसी अन्य आकस्मिकता का समाधान करना।

ii. बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कार्यकारी निदेशकों की समिति की 31 (इकतीस) बैठकें 16 अप्रैल, 2024; 24 अप्रैल, 2024; 29 अप्रैल, 2024; 2 मई, 2024; 20 मई, 2024; 27 मई, 2024; 14 जून, 2024; 19 जून, 2024; 10 जुलाई, 2024; 23 जुलाई, 2024; 30 जुलाई, 2024; 1 अगस्त, 2024; 12 अगस्त, 2024; 20 अगस्त, 2024; 2 सितम्बर, 2024; 23 सितम्बर, 2024; 27 सितम्बर, 2024; 4 अक्टूबर, 2024; 8 अक्टूबर, 2024; 9 अक्टूबर, 2024; 21 अक्टूबर, 2024; 29 अक्टूबर, 2024; 30 अक्टूबर, 2024; 19 नवम्बर, 2024; 10 जनवरी, 2025; 22 जनवरी, 2025; 24 फरवरी, 2025; 4 मार्च, 2025; 6 मार्च, 2025; 12 मार्च, 2025 और 26 मार्च, 2025 को आयोजित हुई।

iii. संरचना

31 मार्च, 2025 को कार्यकारी निदेशकों की समिति के कुल सदस्यों की संख्या 3 (तीन) थी, अर्थात् श्री अनंत मोहन सिंह अध्यक्ष के रूप में; श्री राजिंदर सिंह मानकू और श्री संजय वर्मा सदस्य के रूप में।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

सदस्य का नाम	वर्ग	पदनाम	2024-25 के दौरान उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री अनंत मोहन सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	31
श्री राजिंदर सिंह मनकू	निदेशक (योजना)	सदस्य	31
श्री संजय वर्मा	निदेशक (वित्त)	सदस्य	31

3.6. जोखिम प्रबंधन समिति

i. संदर्भ की शर्तें

निदेशक मंडल ने जोखिम आकलन और न्यूनीकरण प्रक्रियाएँ निर्धारित करने हेतु “जोखिम प्रबंधन समिति” का गठन किया है। एक जोखिम प्रबंधन योजना, जिसमें अन्य बातों के साथ साइबर सुरक्षा भी शामिल है, तैयार की गई है जिसे इस समिति द्वारा निगरानी और समीक्षा की जाती है। जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और संदर्भ की शर्तों में वे विषय शामिल हैं जो सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 21, संशोधित, को उक्त विनियमों की अनुसूची-द्वितीय के भाग-घ के साथ पढ़ते हुए लागू और विनिर्दिष्ट किए गए हैं।



ii. बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठकें 20 सितम्बर, 2024 और 25 मार्च, 2025 को आयोजित हुईं।

iii. समिति की संरचना और उपस्थित बैठकों की संख्या

31 मार्च, 2025 को जोखिम प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों की संख्या 3 (तीन) थी, अर्थात् श्री अनंत मोहन सिंह अध्यक्ष के रूप में; श्री राजिंदर सिंह मानकू और श्री संजय वर्मा सदस्य के रूप में।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

सदस्य का नाम	कोटि	पदनाम	2024-25 के दौरान उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री अनंत मोहन सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	2
श्री राजिंदर सिंह मनकू	निदेशक (योजना)	सदस्य	2
श्री संजय वर्मा	निदेशक (वित्त)	सदस्य	2
श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1
श्रीमती नमिता देवी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1

टिप्पणियाँ:

ए) श्री ओम प्रकाश मित्तल और श्रीमती नमिता देवी का कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यकाल 2 नवम्बर, 2024 को पूर्ण होने के पश्चात उस तिथि से वे समिति के सदस्य नहीं रहे।

बी) बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन 13 फरवरी, 2025 को मौजूदा पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात् श्री अनंत मोहन सिंह, श्री राजिंदर सिंह मानकू और श्री संजय वर्मा के साथ अस्थायी रूप से किया गया, जब तक कि भारत सरकार द्वारा बोर्ड पर आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की जाती।

3.7 वरिष्ठ प्रबंधन:

वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से हुए परिवर्तन भी शामिल हैं, नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक का नाम	पदनाम
1.	श्री जी. आर. पुगलेंथी	कार्यकारी निदेशक (ई-सीओ)
2.	श्री बी. मुरलीधरन [05.03.2025 से]	कार्यकारी निदेशक (ईजीनियरिंग और ई-केओ)
3.	श्री कुछ नाथ मैत्र	जनरल मैनेजर (एफ एंड ए)
4.	श्रीमती सुचरिता दास	कंपनी सचिव
5.	श्री स्वरूप लाल मित्रा	उप महाप्रबंधक (पी एंड ए)
6.	श्री शांतनु बोराल	उप महाप्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला और सामग्री) चाय संचालन के अतिरिक्त प्रभार के साथ
7.	श्री अमित दत्ता [26.03.2025 से]	उप महाप्रबंधक (संचालन और व्यवसाय विकास)
8.	श्री उदय कुमार पांडे	सहायक महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास)
9.	देबजीत नाग [30.09.2024 तक]	उप महाप्रबंधक (क्यूसी और विपणन), चाय प्रभाग

उपर्युक्त विवरण के अतिरिक्त, समीक्षा वर्ष के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

3.8 स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

समीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने 25 जून, 2024 और 28 सितम्बर, 2024 को स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया ताकि अन्य बातों के साथ प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच सूचनाओं के प्रवाह की गुणवत्ता, सामग्री और समयबद्धता पर चर्चा की जा सके जिससे वे अपने कर्तव्यों का प्रभावी और उचित रूप से निर्वहन कर सकें।

3.9 अन्य कार्यात्मक समितियाँ

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निदेशक मंडल समय-समय पर, उपयुक्त समझे जाने पर, विशिष्ट संदर्भ शर्तों के साथ कार्यात्मक समितियों का गठन करता है। ऐसी समितियों की बैठकें आवश्यकता पड़ने पर उस उद्देश्य से संबंधित विषय पर चर्चा हेतु आयोजित की जाती हैं। ऐसी समितियों की बैठकों के आयोजन का समय-निर्धारण समिति के सदस्यों से परामर्श करके तय किया जाता है।

निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना भी कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है।

4. आचार संहिता

निदेशक मंडल ने सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए लागू आचार संहिता को अपनाया है, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है, और इस प्रभाव की घोषणा, जिस पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर हैं, इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

5. सहायक कंपनियाँ

31 मार्च, 2025 को कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ थीं, अर्थात् यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड।

उपर्युक्त सहायक कंपनियों के प्रदर्शन से संबंधित पृथक प्रकटीकरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में प्रदान किया गया है। इन सूचीबद्ध न की गई सहायक कंपनियों की निदेशक मंडल की बैठकों की कार्यवाही कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों में त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत की गई। इन सहायक कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और व्यवस्थाओं की समय-समय पर निदेशक मंडल को सूचना दी जाती है।

कंपनी की कोई भी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है।

कंपनी ने महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु एक नीति बनाई है, जिसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

6. साधारण निकाय बैठकें

ए) पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2023-24	27.09.2024	सुबह 11.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से
2022-23	31.08.2023	दोपहर 3.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से
2021-22	29.09.2022	दोपहर 3.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से

बी) संबंधित सूचनाओं में उल्लिखित सभी प्रस्ताव शेयरधारकों द्वारा पारित किए गए।

सी) पिछली 3 (तीन) वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।

डी) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित असाधारण आम बैठक का विवरण: पिछले तीन वर्षों में कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं हुई।

ई) वित्तीय वर्ष में डाक मतपत्र के माध्यम से पारित प्रस्तावों का विवरण: 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कोई प्रस्ताव डाक मतपत्र के माध्यम से पारित नहीं हुआ।

एफ) 77वीं वार्षिक आम बैठक में डाक मतपत्र की आवश्यकता वाला कोई विशेष प्रस्ताव आयोजित करने का प्रस्ताव नहीं है। कंपनी आगामी वार्षिक आम बैठक तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कोई विशेष प्रस्ताव डाक मतपत्र द्वारा आयोजित करने का प्रस्ताव नहीं करती।

7. संचार के साधन

हितधारकों को समय पर, निरंतर, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराना कंपनी की अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता का अभिन्न अंग है।

त्रैमासिक/अर्धवार्षिक अपरीक्षित और वार्षिक परीक्षित वित्तीय परिणाम, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन में निदेशक मंडल की बैठक के तुरंत बाद बीएसई लिमिटेड को प्रस्तुत किए जाते हैं। ये परिणाम निर्धारित प्रारूप में 48 घंटे के भीतर फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) और दैनिक जुगसांख (बंगाली) में प्रकाशित किए जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

वेबसाइट पर “निवेशक संबंध” शीर्षक से एक पृथक अनुभाग है जिसमें वित्तीय परिणाम, वार्षिक रिपोर्टें, शेयरधारिता पैटर्न, नीतियाँ, निवेशक संपर्क, अप्राप्त लाभांश/शेयर और सेबी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अन्य वैधानिक प्रकटीकरण शामिल हैं। आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ भी जारी होने पर प्रदर्शित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को कोई प्रस्तुति नहीं दी गई।



8. सामान्य शेयरधारकों की जानकारी

i. वार्षिक आम बैठक की तिथि, समय और स्थान:

77वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 10 सितम्बर, 2025 को प्रातः 11.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी।

ii. वित्तीय वर्ष: 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक।

iii. पुस्तक समापन: 4 सितम्बर, 2025 से 10 सितम्बर, 2025 तक (दोनों दिन सम्मिलित)।

iv. शेयर बाजार में सूचीबद्धता:

बीएसई लिमिटेड

पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001

स्क्रिप कोड: 526173

निम्नलिखित शेयर बाजार में भी व्यापार की अनुमति (ट्रेड श्रेणी के अंतर्गत) दी गई:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)

एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051

प्रतीक: ANDREWYU

[नोट: एनएसई ने अस्थायी रूप से एवाईसीएल के शेयरों का अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापार निलंबित कर दिया है। तथापि, शेयरधारक अपने शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं।]

कंपनी ने आवश्यक सूचीबद्धता शुल्क निर्दिष्ट समयावधि के भीतर अदा कर दिया है।

v. बाज़ार मूल्य आँकड़े – अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 की अवधि के दौरान बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी की तुलना में उच्च और निम्न स्तर, साथ ही कारोबार किए गए शेयरों की संख्या (जैसा कि बीएसई लिमिटेड और एनएसई की वेबसाइटों पर उपलब्ध है):

महीना	शेयर की कीमत		बीएसई सेंसेक्स		कारोबार किए गए शेयरों की संख्या
	उच्च (रु.)	कम (रु.)	उच्च (रु.)	कम (रु.)	
अप्रैल, 2024	49.20	35.00	75124.28	71816.46	24099
मई, 2024	45.30	38.00	76009.68	71866.01	22632
जून, 2024	46.90	34.79	79671.58	70234.43	37750
जुलाई, 2024	61.83	42.75	81908.43	78971.79	96433
अगस्त, 2024	65.65	50.00	82637.03	78295.86	64125
सितंबर, 2024	54.55	43.26	85978.25	80895.05	30998
अक्टूबर, 2024	49.04	37.22	84648.4	79137.98	32517
नवंबर, 2024	41.99	37.51	80569.73	76802.73	15319
दिसंबर, 2024	44.35	36.25	82317.74	77560.79	16051
जनवरी, 2025	43.00	35.90	80072.99	75267.59	19880
फरवरी, 2025	39.48	29.25	78735.41	73141.27	13127
मार्च, 2025	30.94	25.15	78741.69	72633.54	17763

vi. पंजीयक और शेयर अंतरण अभिकर्ता: भौतिक और डीमैटरियलाइज़्ड दोनों रूपों के लिए:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड

383, लेक गार्डन्स, प्रथम तल, कोलकाता – 700045

फोन: (033)4072-4051/4052/4053

फैक्स: (033) 4072 – 4050

ई-मेल: mcssta@rediffmail.com

vii. शेयर अंतरण प्रणाली:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने परिपत्र संख्या SEBI/LAD-NRO/GN/24/2018 दिनांक 8 जून, 2018 और परिपत्र संख्या SEBI/LAD-NRO/GN/49/2018 दिनांक 30 नवम्बर, 2018 के माध्यम से यह अनिवार्य किया कि 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, प्रतिभूतियों के अंतरण का अनुरोध, प्रतिभूतियों के उत्तराधिकार या स्थानांतरण के मामलों को छोड़कर, तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियाँ किसी डिपॉजिटरी के साथ डीमैटरियलाइज़्ड रूप में न हों।

कंपनी ने समय-समय पर इस प्रभाव की सूचना उन सभी शेयरधारकों को लिखित रूप से दी जिन्होंने भौतिक रूप में शेयर रखे थे। वित्तीय वर्ष 25-2024 के दौरान भौतिक रूप में शेयरों के उत्तराधिकार को छोड़कर कोई भी शेयर अंतरण दर्ज नहीं किया गया।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में और डीमैटरियलाइजेशन के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने हेतु, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपने शेयरों का डीमैटरियलाइजेशन करवा लें।

viii.31 मार्च, 2025 को भौगोलिक विश्लेषण रिपोर्ट:

राज्य	शेयरधारकों की संख्या	कुल धारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी का %
जम्मू	144	0.31	25967	0.01
हिमाचल	173	0.37	41993	0.01
पंजाब	814	1.73	466254	0.10
उत्तराखंड	713	1.51	254644	0.05
हरियाणा	1096	2.32	1198324	0.25
नई दिल्ली	2045	4.34	452699218	92.59
राजस्थान	2482	5.26	2501942	0.51
उत्तर प्रदेश	2383	5.05	890319	0.18
बिहार	1433	3.04	423489	0.09
सिक्किम	9	0.02	1686	0.00
अरुणाचल प्रदेश	10	0.02	2943	0.00
नागालैंड	8	0.02	3041	0.00
मणिपुर	10	0.02	2244	0.00
मिजोरम	2	0.00	2	0.00
त्रिपुरा	46	0.10	2118	0.00
मेघालय	16	0.03	720	0.00
असम	339	0.72	103136	0.02
पश्चिम बंगाल	4595	9.75	1941920	0.40
ओडिशा	593	1.26	111735	0.02
अंडमान	14	0.03	1063	0.00
गुजरात	7410	15.72	8916862	1.82
महाराष्ट्र	13484	28.60	13609702	2.78
आंध्र प्रदेश	909	1.93	377795	0.08
तेलंगाना	1183	2.51	778936	0.16
पॉडिचेरी	95	0.20	20506	0.00
तमिलनाडु	1751	3.71	864158	0.18
केरल	778	1.65	207964	0.04
मध्य प्रदेश	1297	2.75	639692	0.13
छत्तीसगढ़	361	0.77	136946	0.03
कर्नाटक	2672	5.67	2137679	0.44
दूसरों	286	0.61	587980	0.12
कुल	47151	100.00	488950978	100.00

ix. डिपॉजिटरी जिनके साथ कंपनी ने समझौता किया है:

नाम	आईएसआईएन कोड
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)	INE449C01025
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)	INE449C01025

x. कॉर्पोरेट पहचान संख्या:

कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सरकार द्वारा आवंटित की गई भारत है: L63090WB1919GOI003229।



xi. डिपॉजिटरी शुल्क का भुगतान:

कंपनी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक अभिरक्षा/जारीकर्ता शुल्क का भुगतान एनएसडीएल और सीडीएसएल को किया गया है।

xii. 31 मार्च, 2025 तक डीमैटरियालाइज्ड और फिजिकल मोड में रखे गए शेयरों की संख्या:

	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल धारकों का %
डीमैट फॉर्म:				
- एनएसडीएल में	464975121	95.10	13421	28.46
- सीडीएसएल में	23781410	4.86	32302	68.51
भौतिक रूप	194447	0.04	1428	3.03
कुल	488950978	100.00	47151	100.00

xiii. 31 मार्च, 2025 तक शेयरधारिता का वितरण:

होल्डिंग्स का आकार		शेयरों का %	शेयर पूंजी का प्रतिशत (%)	शेयरधारकों का प्रतिशत	कुल धारकों का प्रतिशत (%)
कहाँ से	कहाँ तक				
1	500	4645857	0.95	37144	78.78
501	1000	3999215	0.82	4723	10.02
1001	2000	3738763	0.76	2364	5.01
2001	5000	5953521	1.22	1754	3.72
5001	10000	5171605	1.06	672	1.43
10001	Above	465442017	95.19	494	1.05
कुल		488950978	100.00	47151	100.00

xiv. 31 मार्च, 2025 तक शेयरहोल्डिंग पैटर्न:

कोटि	धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग्स का प्रतिशत (%)
केंद्र सरकार	436374630	89.25
वित्तीय संस्थान	10765076	2.20
राष्ट्रीयकृत बैंक	17849	0.00
म्यूचुअल फंड	350	0.00
विदेशी संस्थागत निवेशक	4777	0.00
घरेलू कंपनियाँ	1938518	0.40
गैर-घरेलू कंपनियाँ	410	0.00
निवासी व्यक्ति	37642855	7.70
अनिवासी व्यक्ति (भारतीय)	809583	0.17
अनिवासी व्यक्ति (विदेशी)	0	0.00
निदेशक और उनके रिश्तेदार	0	0.00
दूसरों	1396430	0.29
कुल	488950978	100.00

xv. 31 मार्च, 2025 तक शीर्ष 10 शेयरधारकों की सूची:

क्रम संख्या	शेयरधारकों का नाम	संख्या
1.	भारत के राष्ट्रपति	436374630
2.	विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष	10765076
3.	विकास मेहरा	2048729
4.	भंसाली वेल्यु क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड	804760
5.	निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय	462003
6.	फिलिप सेमुअल	415000
7.	सुधीर गर्ग	352269
8.	मनु जयरामदास मंशरमानी	350000

9.	आईएसएचविएम पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड	342829
10.	सिटाडेल सिक्योरिटीज इंडिया मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड	328633

xvi. वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय कैलेंडर (अस्थायी):

तिमाही की समाप्ति पर	स्वीकृति/अंगीकरण	वर्तमान या पहले
पहली तिमाही – 30 जून, 2025	अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	14 अगस्त, 2025
दूसरी तिमाही – 30 सितंबर, 2025	अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	14 नवंबर, 2025
तीसरी तिमाही – 31 दिसंबर, 2025	अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	14 फरवरी, 2026
चौथी तिमाही – 31 मार्च, 2026	लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	30 मई, 2026
अगली वार्षिक आम बैठक		30 सितंबर, 2026

नोट: उपरोक्त के अतिरिक्त, बैठकें आवश्यकता पड़ने पर भी आयोजित की जाएंगी।

xvii. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई भी परिवर्तनीय साधन, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई भी परिवर्तनीय साधन जारी नहीं किया।

xviii. वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ:

कंपनी वस्तुओं के व्यापार में संलग्न नहीं है और विदेशी मुद्रा में सट्टा नहीं लगाती, अतः वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और उसकी हेजिंग गतिविधियों से संबंधित कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

xix. अप्राप्त लाभांश और शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, अंतरण और वापसी) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी सभी प्रासंगिक अधिसूचनाओं के अनुसार, जिन शेयरों का लाभांश सात लगातार वर्षों की अवधि तक अप्राप्त या दावा रहित रहा है, उन्हें अप्राप्त लाभांश राशि के साथ कंपनी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरण कर दिया गया है।

सदस्य/दावेदार जिनके शेयर या अप्राप्त लाभांश आईईपीएफ डिमैट खाते या कोष में अंतरण कर दिए गए हैं, वे कंपनी से अधिकार पत्र जारी करने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद आईईपीएफ प्राधिकरण को प्रपत्र आईईपीएफ-5 (<http://www.iepf.gov.in> पर उपलब्ध) में आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि समय-समय पर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है।

निम्नलिखित वर्षों का अप्राप्त लाभांश कंपनी द्वारा आईईपीएफ में नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार अंतरण कर दिया जाएगा। ऐसे अप्राप्त लाभांश और संबंधित शेयरों से संबंधित विवरण कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर 'निवेशक संबंध' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष	लाभांश की घोषणा की तिथि	कुल लाभांश (₹.)	दावा न किया गया लाभांश 31.03.2025 तक		आईईपीएफ में स्थानांतरण की नियत तिथि
			(₹.)	(%)	
2017-18	26 सितंबर, 2018	1,95,58,039.12	44023.96	0.23	2 नवंबर, 2025
2022-23	31 अगस्त, 2023	34,22,679.99	3593.31	0.10	6 अक्टूबर, 2030

सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि वे लाभांश और शेयरों का दावा करें, इससे पहले कि उन्हें उक्त कोष में अंतरण किया जाए।

xx. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाभांश प्रेषण:

कंपनी शेयरधारकों को एनईसीएस (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा) / आरटीजीएस (वास्तविक समय सकल निपटान) / एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण) के माध्यम से लाभांश प्रेषण की सुविधा प्रदान करती है। वे शेयरधारक जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाभांश प्रेषण का विकल्प नहीं चुना है और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने बैंक का विवरण, जिसमें एमआईसीआर (मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन) और आईएफएससी (भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता) शामिल है, अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को या कंपनी को देना होगा, जहाँ क्रमशः शेयर डिमैटरियलाइज़्ड या भौतिक रूप में रखे गए हैं।

xxi. संयंत्र का स्थान:

कंपनी के संयंत्र निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं –

- 16ए और बी, ब्लॉक "डी", कल्याणी, पश्चिम बंगाल,
- 14, मयूरभंज रोड, कोलकाता – 700023 (अब बंद),



- (iii) पी-25, ट्रांसपोर्ट डिपो रोड, कोलकाता – 700088 (अब बंद),
(iv) एम. जी. रोड, ठाकुरपुकुर, कोलकाता – 700104 (अब बंद),
(v) 5/346, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, पेरुगुड़ी, चेन्नई – 600096।
कंपनी के चाय बागान पश्चिम बंगाल और असम में स्थित हैं।

xxii. पत्राचार हेतु पता:

(किसी अन्य विषय और अनसुलझी शिकायतों के लिए)
कंपनी सचिव
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
“यूल हाउस”, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरणी, कोलकाता – 700 001
फोन: (033) 2242 – 8210 / 8550; फैक्स: (033) 2242 – 9770
ई-मेल: com.sec@andrewyule.com

xxiii. नामांकन सुविधा:

वे शेयरधारक जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और कंपनी में अपने शेयरों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुमति अनुसार नामांकन करना या बदलना चाहते हैं, वे कंपनी के आरटीए, एम/एस. एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने-अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी से नामांकन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

xxiv. सभी ऋण साधनों, किसी स्थायी जमा कार्यक्रम या सूचीबद्ध इकाई की किसी योजना या प्रस्ताव, जिसमें भारत या विदेश में निधियों का संकलन शामिल हो, के लिए संस्था द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग्स की सूची तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान उसमें किए गए किसी भी संशोधन का विवरण:

क्रम संख्या	साधन जिसके लिए क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की	क्रेडिट रेटिंग वित्तीय वर्ष 2024-25	क्रेडिट रेटिंग वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	फंड-आधारित सुविधाएं	बी	बीबी/नकारात्मक
2.	गैर-निधि-आधारित सुविधाएं	ए 4	ए4+

9. अन्य प्रकटीकरण

- भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण जो कंपनी के व्यापक हितों के साथ संभावित टकराव में हो सकते हैं:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के हितों के साथ टकराव में कोई भी भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं हुआ।
- संबंधित पक्ष लेनदेन पर नीति:** निदेशक मंडल ने संबंधित पक्ष लेनदेन की भौतिकता निर्धारित करने तथा संबंधित पक्षों के साथ व्यवहार पर एक नीति अनुमोदित की है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है।
- सूचीबद्ध इकाई द्वारा अनुपालन न करने, दंड, प्रतिबंध जो स्टॉक एक्सचेंजों या बोर्ड या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित मामलों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान लगाए गए:** पिछले तीन वर्षों में सेबी या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित मामलों पर कंपनी पर कोई दंड/प्रतिबंध नहीं लगाया गया, सिवाय बीएसई लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित कारणों पर दंड लगाने के:
 - वित्तीय वर्ष 2022-23: 31.03.2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए परीक्षित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने में एक दिन की देरी।
 - वित्तीय वर्ष 2023-24: निदेशक मंडल में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक न होना।
 - वित्तीय वर्ष 2024-25: निदेशक मंडल में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक, महिला निदेशक न होना तथा बोर्ड बैठकों के कोरम, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के गठन से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन न होना।

दंड का विवरण नीचे दिया गया है:

एक्सचेंज का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगाया गया दंड	वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगाया गया दंड	वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगाया गया दंड
बीएसई लिमिटेड	रु. 5,900/-	रु. 14,69,100/-	रु. 24,54,400/-

एवाईसीएल, एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के माध्यम से सूचित की जाती है। कंपनी ने दंड की माफी के लिए मंत्रालय और एक्सचेंज के साथ इस मामले को उठाया है। वर्तमान तक, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में कोई जुर्माना अदा नहीं किया गया।

- iv. **अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण:** समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी ने सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 17 से 27 तक की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, सिवाय निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना, साथ ही 2 नवम्बर, 2024 से बोर्ड पर आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक न होने के कारण बोर्ड बैठकों के कोरम से संबंधित आवश्यकताओं के अनुपालन के।
- v. **सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 46(2) के अंतर्गत प्रकटीकरण:** कंपनी ने अपनी वेबसाइट के 'निवेशक संबंध' पृष्ठ पर विनियम 46(2) के खंड (ख) से (i) तक के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी सूचनाओं का प्रकटीकरण किया है।
- vi. **लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन पर दिशा-निर्देश:** कंपनी लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) के कॉरपोरेट प्रशासन पर सभी प्रावधानों का अनुपालन करती है, सिवाय निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना तथा 2 नवम्बर, 2024 से बोर्ड पर आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक न होने के कारण बोर्ड बैठकों के कोरम से संबंधित आवश्यकताओं के अनुपालन के।
- डीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट प्रशासन ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए "उत्कृष्ट" श्रेणी मिली और कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए भी इसी प्रकार की श्रेणी मिलने की आशा है।
- vii. **सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची III के भाग ए के पैराग्राफ ए के खंड 5ए के अंतर्गत प्रकट की गई जानकारी:**
शून्य
- viii. **विजिल मैकेनिज्म व्हिसल ब्लोअर नीति:** कंपनी के पास विजिल मैकेनिज्म व्हिसल ब्लोअर नीति है, जिसके अंतर्गत निदेशकों और कर्मचारियों को किसी वास्तविक चिंता के विषय को निर्धारित तरीके से प्रकट करने का अवसर दिया जाता है। किसी भी कर्मचारी को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए लेखा परीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया। यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है।
- ix. **इनसाइडर ट्रेडिंग प्रथाओं की रोकथाम हेतु संहिता:** सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियम, 2015 के अनुपालन में कंपनी ने इनसाइडरों/नामित व्यक्तियों द्वारा व्यापार को नियंत्रित, निगरानी और रिपोर्ट करने हेतु आचार संहिता अपनाई है, साथ ही अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु संहिता भी अपनाई है। यह संहिता सभी निदेशकों, कर्मचारियों और तृतीय पक्षों (जैसे लेखा परीक्षक, सलाहकार) पर लागू होती है जिन्हें यूपीएसआई तक पहुँच हो सकती है। वित्तीय परिणामों और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की घोषणा के दौरान ट्रेडिंग विंडो बंद रहती है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- http://www.andrewyule.com/pdf/policies/Code_Conduct_Regulate_Monitor_Report_Trading_Insiders.pdf
- x. **भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) का अनुपालन:** 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचित किया गया है। महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ खातों के टिप्पणियों में दी गई हैं।
- xi. **राष्ट्रपति निर्देशों का अनुपालन:** कंपनी द्वारा प्राप्त राष्ट्रपति निर्देशों और उनके अनुपालन का विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।
- xii. **सार्वजनिक निर्गम और स्टॉक विकल्प:** पिछले पाँच वर्षों में कंपनी द्वारा कोई सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम या अन्य सार्वजनिक प्रस्ताव नहीं किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प भी प्रदान नहीं किया गया।
- xiii. **कानूनी और विनियामक अनुपालन की समीक्षा:** निदेशक मंडल ने समय-समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा की और सभी लागू कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित किया।
- xiv. **विदेशी मुद्रा जोखिम का विवरण:** 31 मार्च, 2025 को विदेशी मुद्रा जोखिम का विवरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है।
- xv. **निदेशकों की अयोग्यता न होने का प्रमाणपत्र:** एम/एस. एस. दीपक एंड एसोसिएट्स, कंपनी (सी.पी. संख्या 9131) से प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है जिसमें पुष्टि की गई है कि कंपनी के बोर्ड पर कोई भी निदेशक सेबी/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से अपात्र या अयोग्य नहीं किया गया है और यह प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- xvi. **समिति की अनुशंसाओं की स्वीकृति पर पुष्टि:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं हुआ जब निदेशक मंडल ने बोर्ड की किसी भी समिति की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया।
- xvii. **वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई फीस का विवरण:** एम/एस. एन.सी. बनर्जी एंड कंपनी, कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक, ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की सहायक कंपनियों को कोई सेवा नहीं दी। कंपनी और/या इसकी सहायक कंपनियों ने उन संस्थाओं से कोई सेवा नहीं ली जो वैधानिक लेखा परीक्षकों के नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई का हिस्सा हैं।



कंपनी और इसकी 2 (दो) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ अर्थात् यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में वैधानिक लेखा परीक्षकों को समेकित आधार पर सभी सेवाओं हेतु भुगतान की गई कुल फीस का विवरण इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

विवरण	एवाईसीएल द्वारा भुगतान की गई फीस	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई फीस	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई फीस	कुल
वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	7,00,000	10,000	10,000	7,20,000
सीमित समीक्षा शुल्क	1,80,000	7000	7,000	1,94,000
कुल	8,80,000	17,000	17,000	9,14,000

xviii. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 से संबंधित प्रकटीकरण:

क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या: शून्य

ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या: शून्य

ग) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या: शून्य

xix. सूचीबद्ध इकाई और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा उन फर्मों/कंपनियों को ऋण और अग्रिम का प्रकटीकरण, जिनमें निदेशकों की रुचि है: विवरण वित्तीय विवरणों में प्रदान किए गए हैं।

xx. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सेबी एलओडीआर विनियम के विनियमन 32(7अ) के अंतर्गत वरीयता आवंटन या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से कोई निधि एकत्रित नहीं की गई।

xxi. डीमैट संदिग्ध खाता/अप्राप्त संदिग्ध खाता से संबंधित प्रकटीकरण: लागू नहीं।

xxii. एनएसई द्वारा अनुमत व्यापार श्रेणी में व्यापार का अस्थायी निलंबन: कंपनी के शेयर 5 अगस्त, 2021 से एनएसई प्लेटफॉर्म पर अनुमत व्यापार श्रेणी में कारोबार कर रहे थे। तत्पश्चात कंपनी के संज्ञान में आया कि एनएसई ने नवम्बर, 2023 से अपने प्लेटफॉर्म पर एवाईसीएल के शेयरों का व्यापार अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। तथापि, शेयरधारक अपने शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड के माध्यम से कारोबार कर सकते हैं।

xxiii. सूचीबद्ध इकाई की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का विवरण; जिसमें निगमित होने की तिथि और स्थान तथा उन सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों का नाम और नियुक्ति की तिथि शामिल है: लागू नहीं।

xxiv. सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियमन 30अ के अनुसार समझौतों का प्रकटीकरण: सेबी लिस्टिंग विनियम, संशोधित, के विनियमन 30अ के अनुसार प्रकटीकरण हेतु कोई ऐसा समझौता नहीं है।

10. निवेशक सुरक्षा उपाय

कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप शेयरों और संबंधित मामलों में जोखिम को कम करने/टालने के लिए, कंपनी अपने सदस्यों को निम्नलिखित सुझाव देती है:

ए) डीमैट खाता खोलें और अपने शेयर डीमैटरियलाइज़ करें

सदस्यों को अपने भौतिक होल्डिंग्स को इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स में परिवर्तित करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने से शेयरों का तत्काल अंतरण संभव होता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के अंतरण पर कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं है और भौतिक प्रमाणपत्रों से संबंधित जोखिम जैसे जाली अंतरण, नकली प्रमाणपत्र और गलत डिलीवरी से बचाव होता है।

बी) अपने बहु-फोलियो को समेकित करें

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने कई फोलियो में रखे शेयरों को समेकित करें। इससे शेयरों पर मिलने वाले सभी कॉरपोरेट लाभों का एक ही स्थान से ट्रैकिंग संभव हो जाएगी और अनेक फोलियो की निगरानी में लगने वाले समय और प्रयास में कमी आएगी।

सी) सुरक्षा विवरण की गोपनीयता

फोलियो संख्या/डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी किसी अज्ञात व्यक्ति को न बताएं। हस्ताक्षरित खाली अंतरण प्रपत्र, डिलीवरी निर्देश पर्चियाँ किसी अज्ञात व्यक्ति को न दें।

डी) पंजीकृत मध्यस्थों के साथ लेन-देन करें

सदस्यों को पंजीकृत मध्यस्थ के माध्यम से लेन-देन करना चाहिए, जो सेबी के नियामक अनुशासन के अधीन होता है। यह अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा और यदि मध्यस्थ पेशेवर रूप से कार्य नहीं करता है, तो सदस्य इस मामले को सेबी के समक्ष उठा सकते हैं।

ई) प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करें

वैध अनुबंध नोट/पुष्टिकरण ज्ञापन ब्रोकर/उप-ब्रोकर से व्यापार के निष्पादन के 24 घंटे के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुबंध नोट/पुष्टिकरण ज्ञापन में आदेश संख्या, व्यापार संख्या, व्यापार समय, मात्रा, मूल्य और दलाली शामिल हो।

एफ) अपना पता अद्यतन करें

सभी संचार और कॉरपोरेट कार्रवाईयों समय पर प्राप्त करने के लिए कृपया अपना पता कंपनी या डीपी के पास अद्यतन करें।

जी) धोखाधड़ी की रोकथाम

ऐसे फोलियो से संबंधित धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन की संभावना होती है जो निष्क्रिय पड़े हों, जहाँ सदस्य की मृत्यु हो चुकी हो या वह विदेश चला गया हो। अतः हम आपसे आग्रह करते हैं कि सावधानी बरतें और पता परिवर्तन, विदेश प्रवास या किसी सदस्य की मृत्यु की सूचना आवश्यकतानुसार कंपनी को दें।

एच) होल्डिंग्स की नियमित निगरानी करें

अपने डीमैट खाते को लंबे समय तक निष्क्रिय न छोड़ें। संबंधित डीपी से होल्डिंग्स का आवधिक विवरण प्राप्त करें और होल्डिंग्स का सत्यापन करें।

आई) डाक का तरीका

शेयर प्रमाणपत्र और उच्च मूल्य के लाभांश वारंट/चेक/डिमांड ड्राफ्ट सामान्य डाक से नहीं भेजें। सदस्यों को सुझाव दिया जाता है कि ऐसे साधन पंजीकृत डाक या कूरियर द्वारा भेजें।

11. गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाना

कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची द्वितीय भाग-ई में दी गई विवेकाधीन आवश्यकताओं को नहीं अपनाया है।

12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणपत्र

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(8) की शर्तों के अनुसार कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

13. कॉरपोरेट प्रशासन पर लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

एम/एस. एस. दीपक एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव (सी.पी. संख्या 9131) से प्राप्त प्रमाणपत्र, जिसमें सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि की गई है, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

कोलकाता,
14 अगस्त, 2025

निदेशक मंडल की ओर से
अनन्त मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



कंपनी के आचार संहिता के अनुपालन से संबंधित घोषणा
नियम 26(3) के अंतर्गत सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार

मैं, अनंत मोहन सिंह, एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसके द्वारा पुष्टि करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कंपनी की आचार संहिता का अनुपालन किया है।

कोलकाता,
14 अगस्त, 2025

हस्ताक्षर/-
अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणीकरण
नियम 17(8) के अंतर्गत सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार

हम, श्री अनंत मोहन सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और श्री संजय वर्मा, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी के, अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को प्रमाणित करते हैं कि –

- ए. हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार:
- (1) इन विवरणों में कोई भी महत्वपूर्ण असत्य कथन नहीं है, कोई आवश्यक तथ्य छूटा नहीं है और न ही ऐसे कथन हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
 - (2) ये विवरण और उनके साथ संलग्न टिप्पणियाँ कंपनी के कार्यकलापों का सच्चा और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं और लागू लेखा मानकों, प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।
- बी. कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष में ऐसे कोई लेन-देन नहीं किए गए हैं जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी के आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले हों।
- सी. हम वित्तीय प्रतिवेदन के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है।
- डी. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को संकेत दिया है –
- (1) वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - (2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और यह तथ्य कि इन्हें वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रकट किया गया है; तथा
 - (3) ऐसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटनाएँ जिनकी हमें जानकारी मिली है और उनमें यदि कोई प्रबंधन या कर्मचारी सम्मिलित है, जिनकी भूमिका कंपनी की सूचीबद्ध इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण है।

दिनांक: 29 मई, 2025

हस्ताक्षर/-
(संजय वर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ताक्षर/-
(अनंत मोहन सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निगमित प्रशासन पर प्रमाणपत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
(सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची खंड ई के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड

हमने एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है, जैसा कि विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के उपखंड (ख) से (i) और अनुसूची खंड सी और डि में निर्दिष्ट है, साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर") तथा भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशा-निर्देशों में समय-समय पर संशोधन सहित।

निगमित प्रशासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

हमारी जाँच केवल प्रक्रियाओं की समीक्षा और उनके क्रियान्वयन तक सीमित रही है, जैसा कि कंपनी द्वारा निगमित प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के लिए अपनाया गया है। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण है और न ही उस पर राय व्यक्त करने का कोई आधार।

निगमित प्रशासन प्रतिवेदन के विवरणों को कंपनी के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी प्रमाण और सहायक आधार पर सत्यापित किया गया है।

हमारी राय और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और निदेशकों एवं प्रबंधन द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सेबी एलओडीआर तथा डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन के दिशा-निर्देशों के सभी लागू शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि –

- (i) निदेशक मंडल और उसकी समितियों में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या की नियुक्ति न होने के कारण निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना में अनुपालन नहीं हुआ।

हम आगे यह भी कहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की स्थिरता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया है।

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 14.08.2025

दीपक एंड एसोसिएट्स की ओर से
कंपनी सचिव

सीएस दीपक स्वैन
स्वामी एसीएस-25625,
सी. पी. सं. 9131
यूडीआईएन- A025625G001010884
पीआर सं.: 1581/2021



निदेशकों की अयोग्यता न होने का प्रमाणपत्र

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची खंड सी उपखंड (10)(i) के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
यूल हाउस,
8, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरणी, कोलकाता – 700001

हमने एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, सीआईएन: L63090WB1919GOI003229, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूल हाउस, 8, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरणी, कोलकाता – 700001 (आगे "कंपनी" कहा गया है) में स्थित है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेख, प्रपत्र, रिटर्न और प्रकटीकरणों की जाँच की है, जो कंपनी द्वारा हमें इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से उपलब्ध कराए गए हैं। यह जाँच सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची खंड सी उपखंड 10(i) के अनुसार की गई है।

हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों तथा आवश्यकतानुसार किए गए सत्यापनों (जिसमें निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति www.mca.gov.in पोर्टल पर जाँचना भी सम्मिलित है) के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल में नीचे उल्लिखित किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री विजय मित्तल	09548096	28.03.2022
2.	श्री राजेंद्र सिंह मनकू	09706881	18.08.2022
3.	श्री संजय वर्मा	10373225	29.11.2023
4.	श्री अनंत मोहन सिंह	03594804	26.12.2023
5.	श्री अरुण कुमार दीवान	10170576	27.02.2025

प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर इस पर राय व्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की स्थिरता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

एस. दीपक एंड एसोसिएट्स की ओर से
कंपनी सचिव

सीएस दीपक स्वैन
मालिक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 21.05.2025

एसीएस-25625,
सी. पी. सं. 9131
यूडीआईएन-A025625G000397359
पीआर सं.: 1581/2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

एण्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के नाम स्वतंत्र वित्तीय परिणामों पर रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई लेखा जाँच प्रश्नों के आधार पर, लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया गया है और दिनांक 29 मई 2025 की पूर्ववर्ती रिपोर्ट के स्थान पर एक नई लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है।

मत

हमने एण्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड ("कम्पनी") के साथ संलग्न स्वतंत्र वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2025 की स्वतंत्र बैलेंस शीट, स्वतंत्र लाभ और हानि विवरण (जिसमें अन्य व्यापक आय सम्मिलित है), स्वतंत्र इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा उस वर्ष की नकद प्रवाह विवरण तथा स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के टिप्पणियाँ, जिनमें सामग्री लेखा नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरणात्मक जानकारी सम्मिलित है (आगे "स्वतंत्र वित्तीय विवरण" कहा गया है), सम्मिलित हैं।

हमारी राय में तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, उक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण कंपनियाँ अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") में अपेक्षित रूप से आवश्यक जानकारी देते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों, 2015 के नियमों ("इंड एस") तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप कम्पनी की 31 मार्च 2025 की स्थिति, हानि सहित अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सच्चा और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

हमने अपने स्वतंत्र वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे रिपोर्ट के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों वाले भाग में और अधिक वर्णित हैं। हम कम्पनी से स्वतंत्र हैं और भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता तथा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से सम्बन्धित नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है। हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ भी इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार पूरी की हैं। हमें विश्वास है कि प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर हमारे मत का आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

विषय पर जोर

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं: -

- टिप्पणी संख्या 60 में देनदारों और लेनदारों से शेष राशि की पुष्टि प्रमाण पत्र, पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के अभाव में, आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- ii) टिप्पणी संख्या 10 में कम्पनी के पास आयु के आधार पर प्राप्तियों के लिए कोई नीति नहीं है। कम्पनी के 36 माह से अधिक समय से बकाया देनदार निम्नलिखित हैं:

(रु. लाख में)

31.03.2025 तक कुल प्राप्तियाँ	36 महीनों से अधिक प्राप्य	31.03.2025 तक उपलब्ध प्रावधान
12,444.64	1,949.63	1,959.59

- iii) टिप्पणी संख्या 59 में तीन चाय बागानों अर्थात् बनरहाट, चुनाभुट्टी और हरितालगुडी-3 (न्यू डुआर्स के) का पट्टा अनुबंध लंबे समय से नवीनीकृत नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चाय बागानों के पट्टे के नवीनीकरण के लिए माँगा गया सलामी रुपये 177.66 लाख (पिछला वर्ष – रुपये 177.66 लाख) कम्पनी द्वारा "ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे" के रूप में दिखाया गया है। यह मामला तत्काल हल किया जाना चाहिए क्योंकि यह कम्पनी के संचालनाधीन चाय बागानों के स्वामित्व पर विवाद करता है।

- iv) टिप्पणी संख्या 15 में कम्पनी के पुराने बकाया अग्रिम हैं जो समायोजित नहीं किए गए। "अन्य चालू परिसंपत्तियों" के अंतर्गत कुल रुपये 2158.70 लाख विभिन्न मदों के व्यय के विरुद्ध अग्रिम के रूप में दिए गए हैं जिनके विरुद्ध संदिग्ध अग्रिमों के लिए केवल रुपये 318.52 लाख की ही प्रावधान है।

उपरोक्त के लिए यदि कोई हानि है तो उसे न तो निर्धारित किया गया है और न ही लेखाबद्ध।

- v) टिप्पणी संख्या 25 में कम्पनी के विभिन्न महीनों के पीएफ, डीएलआई और पीएफ प्रशासनिक शुल्कों की जमा में देरी हुई, जिसकी राशि रुपये 4450.92 लाख है।



यदि कोई दंड/भाड़ा है तो उसे न तो विचार किया गया है और न ही लेखाबद्ध।

- vi) टिप्पणी संख्या 40 में सेबी द्वारा सेबी एलओडीआर के अनुपालन न करने पर (मास्टर परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/POD2/CIR/P/0155 दिनांक 11.11.2024 के अनुसार) एक दंड लगाया गया है जिसे कम्पनी ने संभावित देयता के रूप में प्रकटीकृत किया है।

उपरोक्त के लिए यदि कोई हानि है तो उसे लेखाबद्ध नहीं किया गया है। हमारी राय उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखा परीक्षा विषय

मुख्य लेखा परीक्षा विषय वे हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। ये विषय स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किए गए, और हम इन विषयों पर अलग से राय नहीं देते। नीचे वर्णित विषयों के लिए, हमारी लेखा परीक्षा ने इन विषयों को कैसे संबोधित किया उसका विवरण उस संदर्भ में दिया गया है।

हमने नीचे वर्णित विषयों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले मुख्य लेखा परीक्षा विषय निर्धारित किया है। हमने अपने रिपोर्ट के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों वाले खंड में वर्णित जिम्मेदारियों को, इन विषयों से संबंधित जिम्मेदारियों सहित, पूरा किया है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा में स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में भौतिक त्रुटि के जोखिम के हमारे आकलन के प्रत्युत्तर में प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल था। हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के परिणाम, जिनमें नीचे दिए गए विषयों को संबोधित करने के लिए की गई प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं, साथ दिए गए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा की राय का आधार प्रदान करते हैं।

क्रम संख्या	मुख्य लेखा परीक्षा मामला	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	राजस्व मान्यता माल की बिक्री से राजस्व (इसके बाद राजस्व के रूप में संदर्भित) को तब मान्यता दी जाती है जब माल के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार खरीदार को दिए जाते हैं। माल की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य, रिटर्न या भत्ते के शुद्ध, व्यापार छूट और मात्रा छूट पर मापा जाता है।	हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: आईएनडी एस 115 (ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व) के अनुरूप कंपनी की राजस्व मान्यता नीतियों का मूल्यांकन किया और उसका परीक्षण किया: सामान्य सूचना और प्रौद्योगिकी नियंत्रण वातावरण की अखंडता का मूल्यांकन किया और राजस्व की मान्यता पर नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया।
	राजस्व मान्यता का समय कंपनी के रिपोर्ट किए गए प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक है। राजस्व मान्यता को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामला और राजस्व की मान्यता से संबंधित उपरोक्त जोखिम के कारण भौतिक गलत विवरण का एक महत्वपूर्ण जोखिम माना गया था।	कम्पनी के राजस्व की पहचान के संबंध में नियंत्रणों की रूपरेखा, क्रियान्वयन तथा परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। वर्षांत पर राजस्व कट-ऑफ पर ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशीलता का परीक्षण किया। नमूना आधार पर वर्षांत के निकट तथा वर्षांत के पश्चात दर्ज की गई बिक्री लेन-देन के सहायक दस्तावेजों का परीक्षण किया। जहाँ उपयुक्त रहा वहाँ राजस्व की तुलना चक्रीय प्रवृत्तियों से की तथा अतिरिक्त पूछताछ और परीक्षण किए। वित्तीय विवरणों में राजस्व के संबंध में इंड एस 115 में निर्दिष्ट प्रकटीकरण का आकलन किया।
2.	प्रावधान और संभावित देयताएँ कम्पनी कई कानूनी, विनियामक और कर मामलों के अधीन है जिनका अंतिम परिणाम आसानी से अनुमानित नहीं किया जा सकता और जो सम्भावित रूप से महत्वपूर्ण देयताओं में परिणत हो सकते हैं। प्रबंधन द्वारा संभावित देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण स्वतंत्र इंड एस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 40 में प्रस्तुत किए गए हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का आकलन आधारित है...	मुकदमों और आकस्मिक देनदारियों की पर्याप्त समझ प्राप्त करने के लिए, हमने कंपनी के कानूनी और वित्त विभागों के साथ विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से ऐसे प्रावधानों के लिए प्रबंधन द्वारा लागू की गई पहचान की प्रक्रिया पर चर्चा की है। हम कंपनी/यूनिट की कानूनी और वित्त टीम द्वारा प्रदान किए गए मुकदमेबाजी मामलों का सारांश पढ़ते हैं।

2.	संबंधित राशियों और लेखा मानकों के अनुप्रयोग पर आधारित यह निर्धारित करना कि किसी राशि को देयता के रूप में प्रावधानित किया जाए या संभावित देयता के रूप में प्रकटीकृत किया जाए, स्वभावतः व्यक्तिपरक है। इसके लिए प्रावधान के स्तर को स्थापित करने हेतु निर्णय का प्रयोग आवश्यक होता है, जिससे यह जोखिम बढ़ जाता है कि प्रावधान और संभावित देयताएँ उचित रूप से प्रावधानित या पर्याप्त रूप से प्रकटीकृत न हों। अतः, इस विषय को एक प्रमुख लेखा परीक्षा विषय माना गया है।	जहाँ लागू था वहाँ हमने कम्पनी द्वारा प्राप्त बाहरी कानूनी या विनियामक परामर्शों का अध्ययन किया। हमने कम्पनी/इकाई की विधिक और वित्तीय टीम के साथ रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की ताकि किसी संभावित देयता की सम्भावना, परिमाण और लेखांकन के सम्बन्ध में कम्पनी के आकलन को समझा जा सके। उपरोक्त के आलोक में, हमने दर्ज प्रावधान की राशि की समीक्षा की और अपने पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र इंड एस वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन किया।
3.	आईटी सिस्टम ऑडिट आईटी प्रणाली लेखा परीक्षा के अभाव में लेखा/संचालन संबंधी डाटा की सुरक्षा, आईटी आपदा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से डाटा की पुनर्प्राप्ति तथा डाटा अंतरण के महत्वपूर्ण स्तरों पर और समेकन के समय मैनुअल हस्तक्षेप उच्च लेखा परीक्षा जोखिम का कारण बनते हैं।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित सम्मिलित था: इस प्रक्रिया का उद्देश्य आईटी प्रणाली लेखा परीक्षा के अभाव, लेखा/संचालन डाटा में सुरक्षा कमजोरियों तथा आईटी आपदाओं के दौरान अपर्याप्त डाटा पुनर्प्राप्ति तंत्र से जुड़े लेखा परीक्षा जोखिमों को कम करना है। इस प्रक्रिया का लक्ष्य एसए 701 (स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में प्रमुख लेखा परीक्षा विषयों का संप्रेषण) के अनुपालन को सुनिश्चित करना तथा वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा को बढ़ाना है।
4.	पट्टा विलेखों पर पर्याप्त नियंत्रणों का प्रयोग कम्पनी के पट्टा विलेखों और स्वामित्व विलेखों के अभिलेखों के रख-रखाव की प्रक्रिया में पर्याप्त नियंत्रणों के अभाव से लेखा परीक्षा जोखिम बढ़ जाता है।	इस प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के प्रत्युत्तर में, हमने उच्च लेखा परीक्षा जोखिम को संबोधित करने और पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाएँ संपादित कीं: 1. आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन: - o पट्टा विलेखों और स्वामित्व विलेखों के रख-रखाव पर आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा और क्रियान्वयन का आकलन किया। - o उन नियंत्रण कमियों या कमजोरियों की पहचान की जो उच्च लेखा परीक्षा जोखिम में योगदान देती हैं। 2. मौलिक प्रक्रियाएँ: - o पट्टा विलेखों और स्वामित्व विलेखों के अस्तित्व, पूर्णता और शुद्धता की पुष्टि के लिए मौलिक परीक्षण किए। - o सहायक दस्तावेजों जैसे पट्टा अनुबंध, संपत्ति स्वामित्व पत्र और संबंधित पत्राचार का परीक्षण किया। - o दर्ज पट्टा और स्वामित्व संबंधी जानकारी की बाहरी स्रोतों और विधिक दस्तावेजों के साथ संगति की पुष्टि की। हम इस प्रमुख लेखा परीक्षा विषय को अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में एसए 701 के अनुसार संप्रेषित करने का इरादा रखते हैं। यह संप्रेषण हितधारकों को पट्टा विलेखों और स्वामित्व विलेखों के रख-रखाव से जुड़े महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा जोखिमों, हमारी लेखा परीक्षा पद्धति और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभावों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।

5. कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ दायित्व का मूल्यांकन परिभाषित लाभ योजनाओं का लेखांकन बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित होता है, जिसमें दायित्व का आकलन, योजनागत परिसंपत्तियों का मूल्यांकन और संबंधित बीमांकिक लाभ या हानि की गणना करना शामिल है। सभी भावी नकद प्रवाहों को दायित्व तक पहुँचने के लिए वर्तमान मूल्य में छूट दी जाती है। कम्पनी के परिभाषित लाभ दायित्वों का मूल्यांकन करते समय महत्वपूर्ण आकलन किए जाते हैं, जिनमें छूट दरें, मुद्रास्फीति दरें, वेतन वृद्धि और मृत्यु दर शामिल हैं। कम्पनी उपयुक्त मान्यताओं का चयन करने और दायित्व की गणना करने के लिए बाहरी बीमांकिक विशेषज्ञ की सहायता लेती है। इन विषयों का प्रभाव जोखिम मूल्यांकन का एक हिस्सा है और परिभाषित लाभ दायित्वों का मूल्यांकन उच्च स्तर के आकलन से जुड़ा होता है क्योंकि यह मान्यताओं पर आधारित है। (स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 39.2 देखें।)	मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ: हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल था: - लागू मार्गदर्शन नोट के अनुसार प्रयुक्त मुख्य मान्यताओं (छूट दरें, मुद्रास्फीति दर, मृत्यु दर) का मूल्यांकन किया। - कम्पनी के बीमांकिक विशेषज्ञ की क्षमता, स्वतंत्रता और सत्यनिष्ठा का आकलन किया। - बीमांकिक मान्यताओं की समीक्षा और अनुमोदन पर नियंत्रण, बाहरी बीमांकिक को उपलब्ध कराए गए आँकड़ों की पूर्णता और शुद्धता, तथा विशेषज्ञ की गणना में प्रयुक्त आँकड़ों के साथ मेल की जाँच की। - प्रबंधन के साथ परिभाषित लाभ योजना के कारण संचित देयता पर चर्चा की और व्यापार को समझते हुए आकलन किया कि मान्यताओं में कोई असंगति तो नहीं है। - टिप्पणी में इंड एस 19 के अनुसार कम्पनी के प्रकटीकरण की पर्याप्तता की पुष्टि की। संबंधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमने पाया कि प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन के संबंध में की गई मान्यताएँ उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा समर्थित थीं।
--	--

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट सहित उसके परिशिष्ट, सीएसआर रिपोर्ट, अनुसंधान एवं विकास रिपोर्ट तथा कॉरपोरेट प्रशासन और प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट शामिल है, परंतु इसमें स्वतंत्र वित्तीय विवरण और हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। निदेशक की रिपोर्ट सहित उसके परिशिष्ट, सीएसआर रिपोर्ट, अनुसंधान एवं विकास रिपोर्ट तथा कॉरपोरेट प्रशासन और प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट हमें इस रिपोर्ट की तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई और अपेक्षित है कि यह हमें इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराई जाएगी।

हमारी राय वित्तीय विवरणों पर आधारित है, इसमें अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर उल्लिखित अन्य जानकारी को पढ़ने की है जब वह उपलब्ध हो जाती है और ऐसा करते समय विचार करना है कि अन्य जानकारी स्वतंत्र वित्तीय विवरणों या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत तो नहीं है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत तो प्रतीत नहीं होती।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट करने योग्य बात नहीं है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित है, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (जिसमें अन्य व्यापक आय भी शामिल है), इकिटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत हो सके, तथा जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों सहित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप हो।

यह जिम्मेदारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रख-रखाव करने, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करने, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रख-रखाव करने से भी संबंधित है, जो सटीकता और लेखा अभिलेखों की पूर्णता सुनिश्चित करने में प्रभावी रूप से कार्यरत हों और स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हों, जिससे वे सच्चे और निष्पक्ष प्रतीत हों और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भौतिक गलत विवरण से मुक्त हों।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन कंपनी की निरंतर संचालन क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर, निरंतर संचालन से संबंधित मामलों का

प्रकटीकरण करने और निरंतर संचालन के आधार पर लेखांकन का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को परिसमाप्त करने या उसके संचालन को बंद करने का इरादा न रखे, या ऐसा करने के अतिरिक्त कोई यथार्थपरक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारे उद्देश्य यह हैं कि हमें यह यथोचित आश्वासन प्राप्त हो कि स्वतंत्र वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से भौतिक गलत विवरणों से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी से हों या त्रुटि से, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा हमेशा मौजूदा भौतिक गलत विवरण का पता लगाएगी। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है, तो उन्हें भौतिक माना जाता है।

एसए के अनुरूप लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं और संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के प्रति लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन और निष्पादन करना, और पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना ताकि हमारी राय का आधार प्रदान किया जा सके। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत विवरण का पता लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का अतिक्रमण शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन किया जा सके। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम यह राय देने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्यरत हैं।
- लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा निरंतर संचालन के आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, यह निर्धारित करना कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी की निरंतर संचालन क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों तो अपनी राय में संशोधन करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारी रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी को निरंतर संचालन करने से रोक सकती हैं।
- स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और यह आकलन करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

भौतिकता वह परिमाण है जो वित्तीय विवरणों में हुई गलतियों का है, जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से इस संभावना को उत्पन्न करता है कि स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के एक यथोचित रूप से ज्ञानवान उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

हम शासन से संबंधित व्यक्तियों के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय-निर्धारण तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं, पर संवाद करते हैं।

हम शासन से संबंधित व्यक्तियों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संवाद करते हैं जिनका हमारे स्वतंत्र होने पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो सकती है, और जहाँ लागू हो, उनसे संबंधित सुरक्षा उपाय भी।

शासन से संबंधित व्यक्तियों के साथ संप्रेषित मामलों में से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू वर्ष के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन उस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोक न दे, या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले का हमारी रिपोर्ट में संप्रेषण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उस संचार के सार्वजनिक हित लाभ से अधिक हो सकते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनियों (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा आवश्यक है, जिसे भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अंतर्गत जारी किया गया, हम "परिशिष्ट अ" में आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं, जो लेखा परीक्षा किए गए वर्ष पर लागू होते हैं।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा आवश्यक है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त किए जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
 - (ख) हमारी राय में, कानून द्वारा आवश्यक उचित लेखा पुस्तकों को कंपनी द्वारा रखा गया है, जहाँ तक यह हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।
 - (ग) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल है, इकिटी में परिवर्तनों का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण लेखा पुस्तकों से मेल खाता है।
 - (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का पालन करते हैं।
 - (ङ) निदेशकों से 31 मार्च 2025 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख पर लिया गया, 31 मार्च 2025 तक कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अनुसार निदेशक नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।
 - (च) कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की कार्यक्षमता के संबंध में, हमारे पृथक रिपोर्ट "परिशिष्ट ब" को देखें।
 - (छ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अनुसार अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के प्रावधानों के अंतर्गत जिन मामलों की रिपोर्ट करना आवश्यक है, उनके संबंध में हमारी रिपोर्ट "परिशिष्ट स" में देखें।
 - (ज) कंपनियों (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार:
 - i) कंपनी ने लंबित मुकदमों के अपने वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का प्रकटीकरण अपने स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में किया है – देखें टिप्पणी 40 स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में।
 - ii) कंपनी के पास ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं थे, जिनमें व्युत्पन्न अनुबंध शामिल हों, जिनके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमेय हानियाँ होतीं।
 - iii) निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में राशि स्थानांतरित करने में कंपनी द्वारा कोई देरी नहीं की गई, जहाँ इसे स्थानांतरित करना आवश्यक था।
 - iv) (क) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों के टिप्पणियों में किए गए प्रकटीकरण के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (जिसमें विदेशी संस्थाएँ शामिल हैं) ("मध्यस्थ") को कोई धन अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया गया (चाहे उधार लिए गए धन से हो, शेयर प्रीमियम से हो या किसी अन्य स्रोत से या किसी भी प्रकार के धन से हो), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में, जिन्हें कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाना गया हो, ऋण या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की सुविधा प्रदान करेगा।
 - (ख) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों की टिप्पणियों में किए गए प्रकटीकरण के अतिरिक्त, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएँ ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में, जिन्हें किसी भी प्रकार से वित्तपोषण पक्ष द्वारा या उसकी ओर से पहचाना गया हो ("अंतिम लाभार्थी"), ऋण या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की सुविधा प्रदान करेगी; और
 - (ग) ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में यथोचित और उपयुक्त माना है; हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (क) और (ख) के अंतर्गत अभ्यावेदनों में कोई भौतिक गलत विवरण है।

- v) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया और इसलिए कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन का कंपनी पर लागू नहीं होता।
- vi) कंपनियों (लेखा) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 3(1) के उपबंध के अनुसार, जिसमें प्रत्येक लेन-देन का लेखा परीक्षा अनुक्रम दर्ज करने की सुविधा वाले लेखा सॉफ्टवेयर में लेखा पुस्तकों का रख-रखाव करना, प्रत्येक परिवर्तन का संपादन लॉग बनाना, जिस दिन ऐसे परिवर्तन किए गए उस तिथि सहित, और यह सुनिश्चित करना कि लेखा परीक्षा अनुक्रम को निष्क्रिय नहीं किया जा सके, कंपनी पर लागू होता है, कंपनी में लेखा परीक्षा अनुक्रम नकद और बैंक लेन-देन के मामले में लागू किया गया है, सम्पूर्ण लेन-देन के लिए नहीं। कंपनियों (लेखा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के खंड (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू होती है।

एनसी बनर्जी एंड कम्पनी

अधिकृत लेखाकार

फर्म पंजी. सं.: 302081E

(सीए. एम. सी. कोदाली)

साझीदार

सदस्यता सं.-056514

यू.डी.आई.एन.: 25056514BMJND5935

दिनांक: 17.07.2025

स्थान: कोलकाता

परिशिष्ट-अ स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए:
कंपनियों (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुसार रिपोर्ट

हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा जिन जाँचों को हमने उपयुक्त माना, उनके आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में

(क) (अ) कंपनी उचित अभिलेख नहीं रख रही है, जिसमें संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का पूर्ण विवरण, मात्रात्मक विवरण और उनकी स्थिति सम्मिलित हो।

(ब) कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख भी नहीं रख रही है।

(ख) नीति के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन करना आवश्यक है। कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई।

(ग) सभी अचल संपत्तियों के हकदारी दस्तावेज़ (उन संपत्तियों को छोड़कर जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टा अनुबंध विधिवत पट्टेदार के पक्ष में निष्पादित किए गए हैं) जो वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं, नीचे सारणीबद्ध हैं:-

संपत्ति का विवरण	कार्य-क्षेत्र	सकल वहन मूल्य (लाख रुपये)	के नाम पर आयोजित:	चाहे प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	आयोजित अवधि सीमा को इंगित करती है जहां उपयुक्त हो	कंपनी के नाम पर न होने का कारण (*यह भी बताएं कि यदि कोई विवाद हो)
1. मिंटो पार्क सिंडिकेट, फ्लैट नंबर 6बी.13, देबेंद्र लाल खान रोड, कोल 27	3375 वर्ग फुट	3.71	मिंटो पार्क सिंडिकेट के नाम पर आयोजित	शून्य	1985 से	हाउसिंग सोसाइटी के नियम
2. मिंटो पार्क सिंडिकेट, फ्लैट नंबर 9 बी 13, देबेंद्र लाल खान रोड, कोल 27	3375 वर्ग फुट	3.71	मिंटो पार्क सिंडिकेट के नाम पर आयोजित	शून्य	1985 से	हाउसिंग सोसाइटी के नियम
3. मणि टॉवर Gue2 हाउस फ्लैट नंबर 11, कोल - 38	1217.40 वर्ग फुट	0.29	टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है	शून्य	1993 से	केवल विकास समझौता हुआ है।
4. वुडलैंड्स सिंडिकेट, 8/7 अलीपुर रोड, फ्लैट नंबर 12, कोलकाता - 700027	3260.40 वर्ग फुट	2.35	मैसर्स चितपुर गोलाबारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर निष्पादित बिक्री विलेख	शून्य	1921 से	डलहौजी होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम पर भुगतान किया गया कर

नोट संख्या 59 में तीन चाय बागानों अर्थात् बनरहाट, चूनाभुट्टी और हरितलगुड़ी-3 (न्यू डुआर्स के) का पट्टा समझौता लंबे समय से नवीनीकृत नहीं किया गया है। चाय बागानों के पट्टे के नवीनीकरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा माँगी गई 177.66 लाख रुपये (पिछला वर्ष - 177.66 लाख रुपये) की सलामी को कंपनी द्वारा "ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे" माना गया है।

(d) कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग का अधिकार संपत्तियाँ सहित) या अमूर्त संपत्तियाँ अथवा दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(e) कंपनी के विरुद्ध बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 45 का 1988) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है और न ही कोई लंबित है।

(ii) (क) हमें उपलब्ध कराई गई व्याख्याओं और जानकारीयों के अनुसार, तैयार माल, कच्चे माल तथा भंडार और स्पेयर की सूची का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा यथोचित अंतरालों पर किया गया है, और हमारी राय में ऐसे सत्यापन का दायरा और कवरेज उपयुक्त है। हमें उपलब्ध कराई गई भौतिक सत्यापन रिपोर्टों के अनुसार भौतिक स्टॉक और पुस्तकीय स्टॉक में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई।

- (ख) हमें उपलब्ध कराई गई व्याख्याओं और जानकारीयों के अनुसार, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूँजी सीमा सामूहिक रूप से स्वीकृत की गई है और कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत की गई तिमाही प्रतिवेदन या विवरण कंपनी की लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं।
- (iii) हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को, असुरक्षित ऋणों के स्वरूप में, ऋण और अग्रिम दिए हैं।
- (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित संस्थाओं को ऋण अथवा ऋण के स्वरूप में अग्रिम प्रदान किए हैं:
- सहायक कंपनियों को प्रदान की गई राशि:

सहायक कंपनी का नाम	1.4.2024 को प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान कुल राशि	31.03.2025 को अंतिम शेष	ब्याज दर
	(रु. लाख में)	(रु. लाख में)	(रु. लाख में)	
यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	6.34	0.68	7.02	शून्य
यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	4.85	0.72	5.57	शून्य

- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, किए गए निवेश, दी गई गारंटियाँ, प्रदान की गई सुरक्षा तथा दिए गए सभी ऋण और ऋण स्वरूप अग्रिमों की शर्तें और नियम कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।
- (ग) ऋण और ऋण स्वरूप अग्रिमों के संबंध में, मूलधन की पुनर्भुगतान अनुसूची और ब्याज के भुगतान का प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है और पुनर्भुगतान या प्राप्ति नहीं की गई है क्योंकि ऋण 100% सहायक कंपनियों को वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु दिए गए हैं।
- (घ) ऊपर “ग” में दिए गए कारण के अनुसार ऋण न तो अतिदेय हैं और न ही कंपनी ने मूलधन की वसूली हेतु कोई कदम उठाया है।
- (ङ) उसी पक्षों को दिए गए मौजूदा ऋणों की अतिदेय राशि का निपटारा करने के लिए कोई नया ऋण नहीं दिया गया है।
- (च) कंपनी ने ऋण या ऋण स्वरूप अग्रिम ऐसे दिए हैं जो या तो माँग पर देय हैं या जिनके पुनर्भुगतान की अवधि और शर्तें निर्दिष्ट नहीं की गई हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:

पार्टी का नाम	कुल राशि (लाख रुपये) दिए गए कुल ऋणों का प्रतिशत	प्रमोटर्स को दिए गए ऋण	संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण (रु.लाख)	टिप्पणियाँ
यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	7.02 (56%)	--	7.02	कानूनी आवश्यकता के अनुसार खर्चों को पूरा करने के लिए 100% सहायक को प्रदान किए गए ऋण जैसे ऑडिट शुल्क, भरने की फीस, इसलिए ऐसे ऋण की प्रकृति में पुनर्भुगतान अनुसूची या ब्याज दर शामिल नहीं है।
यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	5.57 (44%)	--	5.57	ऊपर के समान।

- (iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने न तो कोई ऋण दिया है, न कोई निवेश किया है, न कोई गारंटी दी है और न ही किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट या व्यक्तियों द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में कोई सुरक्षा प्रदान की है, जैसा कि कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों में है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(iv) लागू नहीं होता।
- (v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और न ही ऐसे किसी धन को स्वीकार किया है जिसे जमा माना जाता हो। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(v) लागू नहीं होता।
- (vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत कंपनी के उत्पादों के लिए लागत अभिलेखों के रख-रखाव का प्रावधान किया है और हमारी राय में कंपनी ऐसे अभिलेख और खाते तैयार और रख रही है जैसा निर्दिष्ट किया गया है।



(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा लेखा पुस्तकों और अभिलेखों की जाँच के आधार पर, कंपनी ने वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित उपकरण और अन्य सभी वैधानिक बकाए उपयुक्त प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा किए हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्षांत में ऐसे कोई अविवादित देय धनराशि लंबित नहीं थी जो भुगतान योग्य होने की तिथि से छह माह से अधिक समय तक बकाया रही हो, सिवाय 1264.58 लाख रुपये की अविवादित राशि (ब्याज और विलंब शुल्क सहित) जो यूल ग्रुप ग्रेज्युटी फंड (ट्रस्ट) में जमा की जानी है तथा 4450.92 लाख रुपये की अविवादित राशि (ब्याज सहित) जो भविष्य निधि में जमा की जानी है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर का ऐसा कोई भौतिक बकाया नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण उपयुक्त प्राधिकरणों के पास जमा न किया गया हो। हालाँकि हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर और मूल्य संवर्धित कर के निम्नलिखित बकाए कंपनी द्वारा विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

क्रम संख्या	क्रानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	मांग राशि (लाख रूपए में)	अवधि जिसके लिए राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
1	आयकर अधिनियम, 1961	दण्ड	4.65	2004-05	सीआईटी (अपील) (20)
		आयकर	1873.94	2010-11	एनसीएलटी
			32.52	2014-15	सीआईटी (अपील)
			10.89	2022-23	सीआईटी (अपील)
2	पश्चिम बंगाल बिक्री कर और वैट	पश्चिम बंगाल बिक्री कर और वैट	462.14	1979-80 1986-87 1988-89 2001-02 2004-05 2005-06 2006-07	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपीलीय और संशोधन बोर्ड
			366.79	1973-74 1987-88 1994-95 1997-98 1999-00 2000-01 2003-04	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण
			908.04	1985-86 1987-88 1992-93 1996-97 1997-98 1999-00 2000-01 2003-04	कलकत्ता उच्च न्यायालय
			49.33	1980-81 1982-83 1983-84 1984-85	आदमी
3	असम बिक्री कर और वैट	बिक्री कर और वैट	152.93	1996-97 to 1998-99	अपीलीय प्राधिकरण राजस्व बोर्ड
			106.24	1999-2000	अपीलीय प्राधिकरण न्यायाधिकरण, कटक
4	उड़ीसा बिक्री कर	उड़ीसा बिक्री कर और वैट	5.64	2001-02	द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण बरहामपुर

5	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	513.56	1990-91 1992-93 1993-94 1996-97 1998-99 2001 से 2003 तक 2009-10 2013-14 से 2016-17	सेस्टेट में अपील
6	सेवा कर	सेवा कर	3.8	2012-13 से 2015-16	चेन्नई अपील II आयुक्तालय के समक्ष अपील दायर की गई
7	जीएसटी (तमिलनाडु)	जीएसटी	4.93	2019-20	अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर अपील
8	जीएसटी (तमिलनाडु)	जीएसटी	27.29	2020-21	अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर अपील
			4,522.69		

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के समक्ष ऐसे कोई मामले नहीं आए हैं जो लेन-देन से संबंधित हों जिन्हें लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था परन्तु जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 43 का 1961) के अंतर्गत कर निर्धारणों में आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(ix) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंक से ऋण लिया और उसी को वित्तीय वर्ष में बिना किसी चूक के चुका दिया है।

(ख) कंपनी को वर्ष के दौरान किसी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूक करने वाला घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया और न ही वर्ष के प्रारंभ में कोई सावधि ऋण बकाया था। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(ग) लागू नहीं होता।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक निधि नहीं जुटाई। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उपक्रमों की देनदारियों को पूरा करने हेतु किसी इकाई या व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों या सहयोगी कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों पर गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं जुटाया है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(ix)(च) लागू नहीं होता।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम या आगे सार्वजनिक निर्गम (ऋण साधन सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(x)(क) लागू नहीं होता।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी प्रकार का वरीय आवंटन या निजी प्लेसमेंट शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का नहीं किया।

(xi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी न तो पाई गई है और न ही रिपोर्ट की गई है।

(ख) लेखा परीक्षा के दौरान हमारे संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया और न ही कोई जानकारी प्राप्त हुई, जिससे यह आवश्यक होता कि कंपनियों अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत नियम 13 कंपनियों (लेखा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार केंद्रीय सरकार को फॉर्म एडीटी-4 में दाखिल किया जाए।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।



(xii) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है।

तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं होता।

(xiii) सभी संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन कंपनियों अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं जहाँ यह लागू होते हैं और विवरण वित्तीय विवरणों आदि में प्रकट किए गए हैं, जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है।

(xiv) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) सितंबर 2024 तक की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया गया।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(xv) लागू नहीं होता।

(xvi) (क) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 2 का 1934) की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक नहीं है।

(ख) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी.ओ.आर.) के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ नहीं की हैं।

(ग) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सी.आई.सी.) नहीं है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(xvi)(ग) लागू नहीं होता।

(घ) कंपनी के पास समूह के हिस्से के रूप में एक से अधिक सी.आई.सी. नहीं है।

(xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024-25 (पिछला वित्तीय वर्ष 2023-24) के दौरान 2192.30 लाख रुपये (6622.79 लाख रुपये) का नकद घाटा हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(xviii) लागू नहीं होता।

(xix) वित्तीय अनुपातों, परिसंपत्तियों की परिपक्वता और अपेक्षित वसूली की तिथियों तथा देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं और निदेशक मंडल तथा प्रबंधन की योजनाओं के हमारे ज्ञान के आधार पर, हमारी राय है कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर ऐसी कोई भीतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को उनके देय होने पर बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा करने में सक्षम नहीं होगी।

(xx) बैलेंस शीट की तिथि पर, अधिनियम की धारा 135(5) के अंतर्गत कोई अव्ययित राशि कंपनी के पास नहीं है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(xx) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

(xxi) आदेश के अनुच्छेद 3(xxii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में लागू नहीं होती। तदनुसार इस रिपोर्ट में उक्त अनुच्छेद के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

नसी बनर्जी एंड कम्पनी

अधिकृत लेखाकार

फर्म पंजी. सं.: 302081E

(सीए. एम. सी. कोदाली)

साझीदार

सदस्यता सं.-056514

यू.डी.आई.एन.: 25056514BMJND5935

दिनांक: 17.07.2025

स्थान: कोलकाता

परिशिष्ट ब स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

कंपनियों अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

- (1) हमने 31 मार्च 2025 को एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड (कंपनी) की आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्वतंत्र भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के साथ किया गया।

प्रबंधन की जिम्मेदारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए

- (2) निदेशक मंडल कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो उसके व्यवसाय के सुव्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हों, जिनमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनियों अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- (3) हमारी जिम्मेदारी कंपनी के आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग नियंत्रणों पर हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट" और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों तथा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं। ये मानक और मार्गदर्शन नोट हमसे नैतिक आवश्यकताओं का पालन करने तथा यह यथोचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा परीक्षा की योजना बनाने और उसे संचालित करने की अपेक्षा करते हैं कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से कार्यरत थे।
- (4) हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके परिचालन की प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ करना शामिल था। हमारे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, यह आकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और आँके गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिनमें यह आकलन भी शामिल है कि आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई भौतिक गलत विवरण का जोखिम है या नहीं।
- (5) हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त और उपयुक्त हैं, जिससे हमें कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी राय का आधार प्रदान होता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

- (6) कंपनी के आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में यथोचित आश्वासन प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। कंपनी के आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग नियंत्रणों में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित हैं जो यथोचित विस्तार में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं, (2) यह यथोचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन आवश्यकतानुसार दर्ज किए जाते हैं ताकि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप आईएनडी एएस वित्तीय विवरण तैयार किए जा सकें और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल प्रबंधन और निदेशकों की प्राधिकृति के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पहचान के संबंध में यथोचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो आईएनडी एएस वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

- (7) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत की संभावना या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों का अनुचित अतिक्रमण शामिल है, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के भावी अवधियों में प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।



राय

(8) हमारे लेखा परीक्षण और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा नीचे दी गई हमारी टिप्पणियों के आधार पर:

क	विभागों, इकाइयों और बागानों से वित्तीय आँकड़ों का प्रवाह प्रधान कार्यालय के खातों के साथ सहज रूप से एकीकृत नहीं है। इसमें लेखांकन के विभिन्न चरणों पर मैन्युअल हस्तक्षेप शामिल है।
ख	आईटी सामान्य नियंत्रणों और कर्तव्यों के पृथक्करण के दिशा-निर्देशों के अभाव में अभिलेखों के उचित रख-रखाव और लेन-देन तथा कंपनी की परिसंपत्तियों के निपटान का उचित विवरणों सहित सटीक परिलक्षित होने के संबंध में यथोचित आश्वासन प्राप्त नहीं होता।
ग	आईटी आपदा पुनर्प्राप्ति योजना परिभाषित नहीं की गई है।
e	The company has not obtained balance confirmation certificates from sundry debtors and creditors in a majority of cases.
ङ	चिकित्सा बिलों के भुगतान के समय, कंपनी के नियम संख्या 6 के अनुसार चिकित्सक का पर्चा प्रस्तुत करना कुछ मामलों में पालन नहीं किया जाता।
च	चाय की बिक्री पर दलाली बिक्री मूल्य (कर से पूर्व) का 1% ली जाती है। चाय प्रभाग (क्रॉप बुक) की बिक्री दर्ज करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम दलाली का भ्रामक चित्र प्रस्तुत करता है और दलाली भुगतान के उद्देश्य के लिए इसे नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। हमें बताया गया कि दलाली और अन्य शुल्क चाय बोर्ड पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दलाली राशि अलग से प्रदर्शित होती है।
छ	चाय प्रभाग में व्यय और देनदारियों को दर्ज करने और प्रावधान बनाने की प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए।

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उपर्युक्त टिप्पणियों के दृष्टिकोण से, 31 मार्च 2025 को कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उसके आकार, विविधता और संचालन की जटिलता के संबंध में अपर्याप्त हैं, जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर है। ये टिप्पणियाँ कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करतीं।

नसी बनर्जी एंड कम्पनी

अधिकृत लेखाकार

फर्म पंजी. सं.: 302081E

(सी.ए. एम. सी. कोदाली)

साझीदार

सदस्यता सं.-056514

यू.डी.आई.एन.: 25056514BMJND5935

दिनांक: 17.07.2025

स्थान: कोलकाता

परिशिष्ट – स: कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत अतिरिक्त निर्देश

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के निर्देश, जो एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर दिए गए हैं।

हम नीचे उपर्युक्त निर्देशों में पूछे गए प्रश्नों और माँगी गई जानकारीयों के उत्तर प्रस्तुत करते हैं:

क्रम संख्या	दिशा-निर्देश	हमारा उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, तो खातों की अखंडता के साथ-साथ वित्तीय निहितार्थों, यदि कोई हो, पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के निहितार्थ के बारे में बताया जा सकता है।	कंपनी के पास वर्तमान में अपनी इकाइयों और प्रधान कार्यालय के बीच ईआरपी लेखा प्रणाली या पूरी तरह से एकीकृत आईटी प्रणाली नहीं है और इस तरह, आवश्यक लेखांकन एकीकरण अलग डेटा प्रविष्टि मोड के माध्यम से और समेकित आईटी सॉफ्टवेयर को लागू करके किया जा रहा है। कंपनी द्वारा अपनाई गई विधि डेटा अखंडता की अनुपस्थिति की गुंजाइश छोड़ती है, जिससे जोखिम बढ़ जाता है।
2.	क्या किसी ऋण का पुनर्गठन किया गया है या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	कंपनी द्वारा लिए गए मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन/माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके निबंधन और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य सभी निधियों का "अन्य गैर-चालू देनदारियों" के शीर्ष से संबंधित नोट संख्या 22 के तहत उचित रूप से हिसाब किया गया था

नसी बनर्जी एंड कम्पनी

अधिकृत लेखाकार

फर्म पंजी. सं.: 302081E

(सीए. एम. सी. कोदाली)

साझीदार

सदस्यता सं.-056514

यू.डी.आई.एन.: 25056514BMJND5935

दिनांक: 17.07.2025

स्थान: कोलकाता



अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने एम/एस एंड्र्यू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के खातों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों के अनुसार की है तथा यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी सभी निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों का पालन किया है।

नसी बनर्जी एंड कम्पनी

अधिकृत लेखाकार

फर्म पंजी. सं.: 302081E

(सीए. एम. सी. कोदाली)

साक्षीदार

सदस्यता सं.-056514

यू.डी.आई.एन.: 25056514BMJND5935

दिनांक: 17.07.2025

स्थान: कोलकाता



पंजीकृत/गोपनीय

महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान) का कार्यालय
1, काउंसिल हाउस-स्ट्रीट,
कोलकाता - 700 001



322 Report-II/01-15 (A.Yule-SFS)/2025-26

OFFICE OF THE DIRECTOR
GENERAL OF AUDIT (MINES)
1, COUNCIL HOUSE STREET,
KOLKATA-700 001

दिनांक /Date... 04 AUG 2025

सेवा में

The Chairman & Managing Director,
Andrew Yule & Co. Limited,
“Yule House”
8, Dr. Rajendra Prasad Sarani,
Kolkata – 700 001

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन Andrew Yulee & Company Limited
के वर्ष 2024-25 के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम विधि 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत 31 मार्च की समाप्त वर्ष 2024-
25 के लिए Andrew Yule & Company Limited की लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
की टिप्पणियाँ प्रेषित की जाती हैं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजे।

अनु यथोपरि।

भवदीया,
यशोधरा राय चौधरी

(यशोधरा राय चौधरी)
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (खान)
कोलकाता



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ANDREW YULE & COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of financial statements of Andrew Yule & Company Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 17 July 2025 which supersedes their earlier Audit Report dated 29 May 2025

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Andrew Yule & Company Limited for the year ended 31 March 2025 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. The Audit Report has been revised by the statutory auditor to give effect to my audit observation raised during supplementary audit.

In addition, I would like to highlight the following significant matter under section 143(6)(b) of the Act which has come to my attention and which in my view is necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

Comments on Financial Position

Equity and Liabilities

Current Liabilities

Provisions (Note No. 27) ₹ 2988.41 lakh

The above does not include an amount of ₹ 177.66 lakh being the amount demanded by State Government for extension to lease agreement of three tea gardens with the company.

This has resulted in understatement of Provisions and the Profit (negative balance) for the year by ₹ 177.66 lakh.

Place **KOLKATA**
Date **04 AUG 2025**

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Yashodhara Ray Chaudhuri)
Additional Deputy Comptroller and
Auditor General (Mines) Kolkata

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 1 कंपनी की जानकारी

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) की स्थापना 26.05.1919 को एक निजी क्षेत्र की कंपनी के रूप में प्रबंधक एजेंसी के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रबंधक एजेंसी प्रणाली के उन्मूलन के साथ, कंपनी ने अपना पारंपरिक व्यवसाय खो दिया और भारत सरकार ने 1979 में कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। एवाईसीएल मध्यम और हल्के अभियांत्रिकी क्षेत्र में अनुसूची-“बी” सीपीएसई है, जो चाय उत्पादन और निर्माण व्यवसाय के साथ भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है और भारत सरकार की 89.25% हिस्सेदारी है। इसका पंजीकृत कार्यालय 8, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरणी, कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल में स्थित है।

एवाईसीएल एक राष्ट्रीयकृत उपक्रम है जो काली चाय, ट्रांसफार्मर, औद्योगिक पंखे, चाय मशीनरी, टर्नकी कार्य आदि के निर्माण और बिक्री दोनों के व्यवसाय में संलग्न है। इसके 2 परिचालन इकाइयाँ हैं जिनमें से 1 पश्चिम बंगाल के कल्याणी में और 1 तमिलनाडु के चेन्नई में है, और 12 चाय सम्पदाएँ हैं जिनमें से 7 असम में, 4 दुआर्स में और 1 दार्जिलिंग में स्थित हैं। कंपनी तीन मुख्य क्षेत्रों में कार्यरत है अर्थात् अभियांत्रिकी, विदूत और चाय। एवाईसीएल की दो 100% सहायक कंपनियाँ हैं – यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इस उपक्रम में 31.03.2025 को कर्मचारियों की संख्या 13959 है। इसके शेयर बीएसई में सूचीबद्ध हैं।

वित्तीय विवरण निदेशक मंडल के प्रस्ताव के अनुसार 29 मई 2025 को जारी करने हेतु स्वीकृत किए गए।

नोट 2 प्रमुख लेखांकन नीतियों का सारांश

[2.1] तैयारी का आधार

[2.1.1] भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) का अनुपालन

वित्तीय विवरण उपार्जन लेखांकन पद्धति पर तैयार किए गए हैं और सभी भौतिक पहलुओं में भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 133 [कंपनियाँ (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनियाँ (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016] तथा अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनियों अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट सामान्य परिचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण हेतु परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा उन्हें नकद और नकद समतुल्य में साकार करने के बीच के समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी परिचालन चक्र 12 माह निर्धारित की है।

स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

[2.1.2] मापन का आधार

वित्तीय विवरण उपार्जन लेखांकन पद्धति और ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों के जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है:

[i] उद्भूत वित्तीय परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापी जाती हैं।

[iii] परिभाषित लाभ योजनाओं – योजना परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

उचित मूल्य मापने के लिए प्रयुक्त विधियों पर चर्चा नोट 2.28 में की गई है।

[2.1.3] क्रियात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की क्रियात्मक मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को कंपनी के लिए निकटतम लाख (दो दशमलव तक) तक गोल किया गया है।

[2.1.4] अनुमान और प्रबंधन के निर्णय का उपयोग

[क] संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित है, जिनमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव शामिल हैं, जैसा कि कंपनियों अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में है। कंपनी सीधी रेखा विधि का अनुसरण करती है। हालाँकि, संयंत्र एवं मशीनरी के मामले में, 2013-24 वित्तीय वर्ष तक की जोड़ियों हेतु, संबंधित बागानों में संयंत्र एवं मशीनरी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार उपयोगी जीवन 15 वर्ष से 25 वर्ष तक माना गया है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

इसी प्रकार असम और डुआर्स बागानों के धारक पौधों के लिए मूल्यहास हेतु उपयोगी जीवन 63 वर्ष और मिम चाय सम्पदा के लिए 91 वर्ष माना गया है।

[ख] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा पूँजीगत प्रगति कार्य की वसूल योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा पूँजीगत प्रगति कार्य की वसूल योग्य राशि अनुमानों और धारणाओं पर आधारित है। इन धारणाओं में कोई भी परिवर्तन वसूल योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य हास हो सकता है।

[ग] सेवानिवृत्ति उपरान्त लाभ योजनाएँ

कर्मचारी लाभ दायित्व, चिकित्सकीय लाभों को छोड़कर, बीमांकिक धारणाओं के आधार पर मापे जाते हैं जिनमें मृत्यु दर और निकासी दर शामिल हैं, साथ ही भविष्य में दरों के विकास, वेतन वृद्धि दर, मुद्रास्फीति दर और योजना संपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की धारणाएँ भी सम्मिलित हैं। कम्पनी मानती है कि अपने दायित्व को मापने हेतु प्रयुक्त धारणाएँ उपयुक्त और प्रलेखित हैं। तथापि, धारणाओं में किसी भी परिवर्तन से परिणामी गणनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। चिकित्सकीय लाभ वास्तविक आधार पर मापे जाते हैं।

[घ] प्रावधान और संभाव्यताएँ

प्रावधानों और संभाव्यताओं को मान्यता देने में किए गए आकलन भारतीय लेखा मानक 37 "प्रावधान, संभाव्य देनदारियाँ और संभाव्य परिसंपत्तियाँ" के अनुसार किए गए हैं। संभाव्य घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा आर्थिक संसाधनों के संभावित बहिर्गवाह के संबंध में सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया है। ऐसे आकलन अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बदल सकते हैं।

[ड] सहायक और सहयोगी में निवेश

निवेश को लागत पर वहन किया जाता है और ऐसे निवेश के किसी भी मूल्य हास के लिए प्रावधान किया जाता है।

[2.2] खंड प्रतिवेदन

संचालन खंडों की रिपोर्ट भारतीय लेखा मानक 108 द्वारा प्रदत्त परिभाषा के अनुरूप की जाती है।

[2.3] विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को भारतीय रुपया (रु) जो कि कार्यात्मक मुद्रा है, में रूपांतरित किया जाता है, लेनदेन की तिथियों पर रुपये और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दरों को लागू करके। ऐसे लेनदेन के निपटान से उत्पन्न विदेशी विनिमय लाभ और हानियाँ तथा वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में नामित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के अनुवाद से उत्पन्न लाभ और हानियाँ सामान्यतः लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त होती हैं।

[क] स्थिर परिसंपत्तियों को वित्तपोषित करने हेतु विदेशी मुद्रा ऋण, जिसमें तकनीकी ज्ञान शुल्क शामिल है, को या तो लेखा वर्ष की समाप्ति पर लागू विनिमय दर पर या अग्रिम रूप से बुक किए जाने पर स्थिर दर पर रूपांतरित किया जाता है, जैसा भी मामला हो। ऐसे विनिमय दर अंतर के संबंध में आवश्यक समायोजन सुरक्षित ऋण, स्थिर परिसंपत्तियों और मूल्यहास में किए जाते हैं।

[ख] सामग्री के किसी भी आयात के संदर्भ में, चाहे वह CIF, FOB या C&F अनुबंध के अंतर्गत हो, खरीद को बिल ऑफ एंट्री की तिथि पर लागू विनिमय दरों पर बुक किया जाता है। विनिमय अंतर, यदि कोई हो, उपरोक्त दर और उस दर के बीच के अंतर से उत्पन्न होता है जिस पर वास्तविक भुगतान किया जाता है या 31 मार्च को प्रचलित दर पर, जो भी पहले हो, उसे लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

[ग] निर्यात/विदेशी बिक्री को बिल ऑफ लेडिंग की तिथि पर प्रचलित दरों पर बुक किया जाता है। ऐसे बिलों से संबंधित विनिमय अंतर, यदि कोई हो, जो या तो आय की प्राप्ति पर या वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर उनके रूपांतरण पर उत्पन्न होता है, जो भी पहले हो, उसे लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

[घ] विदेशी मुद्रा में देय और प्राप्य को बैलेंस शीट में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रचलित दर पर रिपोर्ट किया जाता है। ऐसे प्राप्य/देय का निपटान करने पर या उन्हें उन दरों पर रिपोर्ट करने पर जो प्रारंभिक रूप से दर्ज दरों से भिन्न हों, से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

[2.4] राजस्व मान्यता और अन्य आय

राजस्व को भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार 01.04.2018 से प्रभावी रूप से मान्यता दी गई है।

[2.4.1] वस्तुओं की बिक्री

वस्तुओं की बिक्री से राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं के स्वामित्व के प्रमुख जोखिम और लाभ खरीदार को हस्तांतरित हो जाते हैं। वस्तुओं की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें वापसी और भत्ते, व्यापारिक छूट और मात्रा आधारित छूट घटाई जाती है।

बिक्री से प्राप्त राजस्व बिक्री अनुबंधों में निर्दिष्ट मूल्य पर आधारित होता है, जिसमें छूट और योजनाएँ घटाई जाती हैं, जिनका आकलन प्रकाशित परिपत्रों और अपेक्षित उपलब्धि सीमा के आधार पर किया जाता है। किसी प्रकार के वित्तपोषण तत्व की उपस्थिति नहीं मानी जाती क्योंकि बिक्री सामान्यतः ऐसे ऋण शर्तों पर की जाती है जो बाजार प्रथा के अनुरूप होती हैं।

वर्ष के अंत तक ग्राहकों तक न पहुँचने वाले गंतव्य अनुबंधों के विरुद्ध प्रेषण को "प्रेषणाधीन तैयार माल" के रूप में दिखाया जाता है।

चाय की बिक्री अनुबंधों के विरुद्ध डिलीवरी आदेशों के आधार पर और नीलामी केंद्रों में बिक्री की पूर्णता पर चाय व्यापार के मानकों के अनुरूप दर्ज की जाती है।

[2.4.2] किराया आय

संपत्ति को सहायक कंपनी और अन्य पक्षों को किराए पर देने से प्राप्त किराया आय को अनुबंध की शर्तों के अनुसार आवधिक आधार पर दर्ज किया जाता है और लाभ-हानि विवरण में अन्य आय के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

[2.4.3] ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के सकल वहन मूल्य तक अनुमानित भविष्य नकदी प्राप्तियों को उसकी अपेक्षित आयु के दौरान पूरी तरह से छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय कंपनी वित्तीय साधन की सभी वास्तविक संविदात्मक शर्तों पर विचार करती है लेकिन अपेक्षित ऋण हानि पर विचार नहीं करती। हालांकि, वर्ष के अंत में बैंकों द्वारा सूचित किए गए अनुसार बैंक ब्याज को शामिल किया जाता है।

[2.4.4] लाभांश आय

लाभांश को लाभ और हानि में "अन्य आय" शीर्षक के अंतर्गत केवल तब मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो चुका हो, यह संभावित हो कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे, और लाभांश की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो।

[2.4.5] अन्य आय

निम्नलिखित आय को अन्य आय के रूप में माना जाता है:

क) बीमा और अन्य दावों को स्वीकृत राशि के आधार पर दर्ज किया जाता है।

ख) बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क वापसी को प्राप्त आकलन/वापसी आदेशों के आधार पर दर्ज किया जाता है।

ग) ग्राहकों से बिक्री अनुबंध की शर्तों के अनुसार विलंबित भुगतान पर प्राप्य ब्याज को अब तक प्राप्त भुगतान के संबंध में निर्धारित की जा सकने वाली सीमा तक दर्ज किया जाता है।

घ) निर्यात/माने गए निर्यात लाभ को अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रेषण की पूर्णता पर दर्ज किया जाता है।

ड) कच्चे माल, उपकरण/पुर्जों की विलंबित आपूर्ति पर कंपनी द्वारा वसूले गए क्षतिपूर्ति हर्जाने को अन्य आय के रूप में माना जाता है।

[2.5] आयकर

अवधि के लिए आयकर व्यय या क्रेडिट वर्तमान अवधि की करयोग्य आय पर देय कर होता है, जो प्रत्येक क्षेत्राधिकार के लिए लागू आयकर दर पर आधारित होता है, जिसे अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों से संबंधित स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तनों द्वारा समायोजित किया जाता है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

वर्तमान आयकर की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित या प्रभावी रूप से अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर की जाती है। प्रबंधन समय-समय पर कर रिटर्न में ली गई स्थिति का मूल्यांकन करता है जहाँ लागू कर नियमों की व्याख्या पर विवाद होता है। यह उपयुक्त होने पर उन राशियों के आधार पर प्रावधान करता है जिनका कर प्राधिकरणों को भुगतान अपेक्षित है। लाभांश वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देनदारी मान्यता प्राप्त होती है और सुधार पर विचार नहीं किया जाता।

कंपनी द्वारा दाखिल सुधार/अपील के आधार पर लंबित कार्यवाहियों के मामले में विभिन्न आयकर/कृषि आयकर/बिक्री कर, वैट, जीएसटी प्राधिकरणों सहित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समायोजन अंतिम निपटान पर किए जाते हैं।

स्थगित आयकर को पूरी तरह से देनदारी पद्धति का उपयोग करके अस्थायी अंतरों पर प्रदान किया जाता है, जो परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधार और वित्तीय विवरणों में उनके वहन मूल्य के बीच उत्पन्न होते हैं। स्थगित आयकर को तब दर्ज नहीं किया जाता जब यह किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है, जो व्यवसाय संयोजन के अतिरिक्त किसी लेनदेन में हो और उस समय न तो लेखा लाभ/हानि और न ही करयोग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करता हो। स्थगित आयकर को उन कर दरों और कानूनों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या प्रभावी रूप से अधिनियमित होते हैं और जिनके लागू होने की अपेक्षा की जाती है जब संबंधित स्थगित आयकर परिसंपत्ति का एहसास किया जाएगा या स्थगित आयकर देनदारी का निपटान किया जाएगा।

स्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए केवल तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभावित हो कि भविष्य में करयोग्य राशियाँ उपलब्ध होंगी जिनका उपयोग इन अस्थायी अंतरों और हानियों को समायोजित करने के लिए किया जा सके।

स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब समायोजित किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब स्थगित कर संतुलन समान कर प्राधिकरण से संबंधित हो। वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देनदारियों को समायोजित किया जाता है जहाँ संस्था के पास कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटाने या परिसंपत्ति को वास्तविक बनाने और देनदारी को एक साथ निपटाने का इरादा रखती हो।

वर्तमान और स्थगित कर को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जहाँ यह उन मदों से संबंधित हो जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। ऐसे मामले में, कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

[2.6] पट्टे

किसी व्यवस्था में पट्टा है (या उसमें पट्टा शामिल है) यह निर्धारण उस व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप पर आधारित होता है, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 116 में निर्दिष्ट शर्तों और नियमों के अनुसार पट्टे की शुरुआत में होता है। यदि किसी व्यवस्था की पूर्ति किसी विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर निर्भर है और वह व्यवस्था उन परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार प्रदान करती है, भले ही वह अधिकार स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो, तो वह व्यवस्था पट्टा है या उसमें पट्टा शामिल है।

पट्टेदार के रूप में

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30 मार्च 2019 के अनुसार, भारतीय लेखा मानक 116 पट्टे कंपनी के लिए 1.4.2019 से प्रभावी हो गया, जिसने भारतीय लेखा मानक 17 को प्रतिस्थापित किया। पट्टों पर लेखांकन नीति को भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार बदला गया है। भारतीय लेखा मानक 116 का मुख्य परिवर्तन यह है कि पट्टेदारों द्वारा परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत पट्टों के लेखांकन उपचार में बदलाव हुआ है। पट्टा समझौते भविष्य के पट्टे भुगतानों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और एक पट्टा देनदारी की मान्यता उत्पन्न करते हैं। कंपनी के मामले में मानक को केवल उन्हीं मामलों में लागू किया गया है जहाँ निष्पादित पट्टा समझौते/या संबंधित पट्टादाता सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएँ कंपनी के पास हैं और 01.04.2019 को ऐसे पट्टे की शेष अवधि के लिए, नीचे उल्लिखित मामलों को छोड़कर।

असम की चाय बागानों के लिए असम सरकार से भूमि पट्टे के मामले में, कंपनी ने भारतीय चाय संघ के साथ मिलकर नोट किया कि असम भूमि और राजस्व विनियमन 1886 की धारा 9 भूमि पट्टे, उपयोग का अधिकार, निवास और अन्य संबंधित अधिकार प्रदान करती है, जो समय-समय पर राजस्व, कर, शुल्क और दरों के भुगतान के अधीन है, और इस प्रकार, पट्टे की कोई निश्चित अवधि नहीं है। अतः, असम

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

के मामले में भारतीय लेखा मानक 116 लागू नहीं होना चाहिए। तथापि, भारतीय लेखा मानक 116 में संक्रमण पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है क्योंकि कंपनी ने इस मानक को प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर प्रारंभिक आवेदन को मान्यता देकर प्रतिगामी रूप से लागू नहीं किया है। विवादित पट्टों की व्यवस्था के मामले में, वास्तविक पट्टा व्यय लाभ और हानि खाते में दर्ज किए जाते हैं।

पट्टादाता के रूप में

जहाँ कंपनी पट्टादाता है, वहाँ परिचालन पट्टों से प्राप्त पट्टा आय को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर आय में मान्यता दी जाती है, जब तक कि प्राप्तियाँ अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ाने के लिए संरचित न हों, ताकि अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की क्षतिपूर्ति हो सके। संबंधित पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर बैलेंस शीट में शामिल किया जाता है।

[2.7] भंडार को छोड़कर गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्य हास

[क] कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करती है कि क्या इस बात का संकेत है कि किसी परिसंपत्ति का मूल्य हास हो सकता है या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक मूल्य हास परीक्षण आवश्यक हो, तो कंपनी उस परिसंपत्ति की वसूल योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूल योग्य राशि वह होती है जो परिसंपत्ति की नकदी सृजन इकाई के उचित मूल्य (निपटान लागत घटाकर) और उसके उपयोग मूल्य में अधिक हो। वसूल योग्य राशि व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि वह परिसंपत्ति अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र नकदी प्रवाह उत्पन्न न करती हो। जब किसी परिसंपत्ति या नकदी सृजन इकाई की वहन राशि उसकी वसूल योग्य राशि से अधिक होती है, तो उस परिसंपत्ति को मूल्य हासग्रस्त माना जाता है और उसकी वसूल योग्य राशि तक घटा दिया जाता है। परिणामी मूल्य हास हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

[ख] उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाहों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दिया जाता है, जिसमें कर पूर्व छूट दर का उपयोग किया जाता है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति विशेष जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। निपटान लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करते समय हाल की बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसी कोई लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की पुष्टि मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली कंपनियों के उद्द शेयर मूल्यों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा की जाती है।

[2.8] नकदी प्रवाह विवरण

[क] नकदी और नकदी समकक्ष

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्ष में हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों के साथ माँग पर जमा, अन्य अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश शामिल होते हैं जिनकी मूल परिपक्वता खरीद की तिथि से 3 माह या उससे कम होती है, जो ज्ञात नकदी राशि में आसानी से परिवर्तनीय होती है और जिनमें मूल्य परिवर्तन का नगण्य जोखिम होता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों के अंतर्गत उधारी में दिखाया जाता है।

[ख] नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक 7 “नकदी प्रवाह विवरण” में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

[2.9] व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्यों को प्रारंभ में लेनदेन मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में कंपनी द्वारा ऋण जोखिम के आंतरिक विश्लेषण के आधार पर लागत घटाकर प्रावधान पर मापा जाता है।

[2.10] भंडार

[क] कच्चा माल (जिसमें पैकिंग सामग्री शामिल है), प्रगति में कार्य, व्यापारिक और तैयार माल को लागत और शुद्ध वसूल योग्य मूल्य में से कम पर दिखाया जाता है। कच्चे माल और व्यापारिक वस्तुओं की लागत में खरीद लागत शामिल होती है। प्रगति में कार्य और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और परिवर्तनीय एवं स्थायी ओवरहेड व्यय का उपयुक्त भाग शामिल होता है, जिन्हें वास्तविक श्रम घंटों के आधार पर आवंटित किया जाता है जैसा कि लगातार पालन किया जाता है। भंडार की लागत में उन सभी अन्य लागतों को भी शामिल किया जाता है जो भंडार को उनकी वर्तमान स्थिति और स्थान तक लाने में वहन की जाती हैं। लागत को औसत भारित पद्धति के आधार पर व्यक्तिगत मदों को सौंपा जाता है। खरीदे गए भंडार की लागत को छूट और रियायत घटाकर निर्धारित किया जाता है। शुद्ध वसूल योग्य मूल्य सामान्य व्यवसाय के दौरान अनुमानित विक्रय मूल्य होता है जिसमें पूर्णता की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत घटा दी जाती है।

[ख] धीमी और अचल भंडार जो 3 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम पड़े रहते हैं, उनके लिए पुस्तक मूल्य का 15% प्रावधान किया जाता है। ऐसे भंडार के लिए जो 5 वर्ष से अधिक पड़े रहते हैं, पुस्तक मूल्य का 36.25% प्रावधान किया जाता है। अप्रचलित सामग्री के लिए



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

पुस्तक मूल्य का 100% प्रावधान किया जाता है। प्रगति में कार्य पर वर्ष के अंत तक हुए सभी नुकसान और ऐसे कार्यों पर आगे होने वाली लागत के लिए अनुमानित नुकसान को ध्यान में रखा जाता है और उचित रूप से प्रावधान किया जाता है।

[ग] वर्ष के अंत में प्रगति पर अनुबंध कार्यों का मूल्यांकन करते समय, अनुमानित भविष्य हानियों पर केवल उन्हीं कार्यों के संबंध में विचार किया जाता है जिनका मूल्यांकन 25.00 लाख रुपये या उससे अधिक है और/या जिनकी भौतिक प्रगति तकनीकी अनुमान के अनुसार न्यूनतम 50% है।

[घ] स्वयं निर्मित भंडार, स्पेयर, कच्चा माल आदि के अंतःइकाई अंतरण, यदि वर्ष के अंत में भंडार में पड़े हैं, तो उनका मूल्यांतरणकर्ता इकाई की अनुमानित कार्य/कारखाना लागत पर किया जाता है।

[ङ] कबाड़ का भंडार अनुमानित/वास्तविक प्राप्त मूल्य के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है, जैसा भी मामला हो। तथापि, चाय अवशिष्ट का मूल्यांकन नहीं किया जाता।

[च] अग्रिम लाइसेंसों के विरुद्ध निर्यात लाभों पर विचार आयातित सामग्रियों की वास्तविक खपत के समय किया जाता है। वर्ष के अंत में उपलब्ध अग्रिम लाइसेंसों को लेखाबद्ध नहीं किया जाता।

[छ] उन भंडारों की लागत, जो वर्ष के दौरान बेचे जाते हैं, को भंडार में वृद्धि/कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

[2.11] सहायक, सहयोगी और संयुक्त उपक्रम में निवेश को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

[2.11.1] वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्न मापन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:

*वे जिन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाना है (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ और हानि के माध्यम से), और

*वे जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वर्गीकरण कंपनी के वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु व्यापार मॉडल और नकदी प्रवाह की संविदात्मक शर्तों पर निर्भर करता है।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों के लिए, लाभ और हानि को या तो लाभ और हानि में या अन्य व्यापक आय में दर्ज किया जाएगा। ऋण साधनों में निवेश के लिए, यह इस पर निर्भर करेगा कि निवेश किस व्यापार मॉडल में रखा गया है। इक्विटी साधनों में निवेश के लिए, यह इस पर निर्भर करेगा कि क्या कंपनी ने प्रारंभिक मान्यता के समय अपरिवर्तनीय निर्णय लिया है कि इक्विटी निवेश को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर लेखाबद्ध किया जाए।

कंपनी ऋण साधनों को केवल तभी पुनःवर्गीकृत करती है जब और केवल जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु उसका व्यापार मॉडल बदलता है।

[2.11.2] मापन

इक्विटी साधन

कंपनी सभी इक्विटी निवेशों को सहायक और सहयोगी को छोड़कर उचित मूल्य पर मापती है। सहायक और सहयोगी में निवेश ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है।

[2.11.3] वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्य हास

कंपनी परिशोधित लागत और FVOCI ऋण साधनों पर वहन की गई परिसंपत्तियों से संबंधित अपेक्षित ऋण हानियों का अग्रदृष्टि के आधार पर आकलन करती है। लागू मूल्य हास पद्धति इस पर निर्भर करती है कि क्या ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अनुच्छेद 2.28 इस बात का विवरण देता है कि कंपनी कैसे निर्धारित करती है कि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं।

केवल व्यापार प्राप्यों के लिए, कंपनी मामले-दर-मामला आधार पर प्राप्यों की प्रारंभिक मान्यता से अपेक्षित हानियों को मूल्य हास हेतु प्रावधान के रूप में मान्यता देने की सरलीकृत पद्धति लागू करती है।

[2.11.4] वित्तीय परिसंपत्तियों का विलोपन

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब विलोपित किया जाता है जब:

*कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर दिए हों, या

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

*वह वित्तीय परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार बनाए रखती हो, परंतु नकदी प्रवाह को एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को भुगतान करने का संविदात्मक दायित्व लेती हो।

जहाँ संस्था ने कोई परिसंपत्ति हस्तांतरित की है, कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के लगभग सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित कर दिए हैं। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति का विलोपन कर दिया जाता है। जहाँ संस्था ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के लगभग सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित नहीं किए हैं, वहाँ वित्तीय परिसंपत्ति का विलोपन नहीं किया जाता।

जहाँ संस्था ने न तो वित्तीय परिसंपत्ति हस्तांतरित की है और न ही स्वामित्व के लगभग सभी जोखिम और लाभ बनाए रखे हैं, वहाँ यदि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बनाए नहीं रखा है तो वित्तीय परिसंपत्ति का विलोपन कर दिया जाता है। जहाँ कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बनाए रखती है, वहाँ उस परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में सतत सहभागिता की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

[2.12] क्रय

[क] आगत वस्तुओं से सम्बन्धित बीमा शुल्क जहाँ सामग्री प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होती है, उन्हें व्यक्तिगत वस्तुओं के संबंध में दर्ज किया जाता है; अन्यथा, ऐसा बीमा प्रीमियम लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

[ख] विदेश से खरीदी गई वस्तुओं के मामले में, खेप को वस्तु-परिवहनाधीन माना जाता है :

[i] CIF और C&F अनुबंधों के मामले में, बैंक से सूचना प्राप्ति की तिथि से;

[ii] FOB अनुबंधों के मामले में, वास्तविक प्रेषण तिथि से जैसा कि बिल ऑफ लेडिंग में दर्शाया गया है।

[2.13] अन्य राजस्व व्यय

[क] गारंटी अवधि के दौरान निःशुल्क प्रतिस्थापन के रूप में सामग्रियों/घटकों का निर्गमन, जिनकी जानकारी न होने के कारण प्रावधान नहीं किया जा सकता, वास्तविक प्रेषण पर दर्ज किया जाता है। ज्ञात निःशुल्क प्रतिस्थापन जिनकी जानकारी लेखा वर्ष की समाप्ति तक हो, उनका प्रावधान किया जाता है।

[ख] कंपनी ग्राहकों को पहले से बेची गई वस्तुओं की मरम्मत और सुधार हेतु देयता का प्रावधान पिछले 3 वर्षों के औसत व्यय के आधार पर करती है।

[ग] लिक्विडेटेड डैमेजेस के संबंध में देयताओं का प्रावधान किया जाता है यदि और जहाँ तक कंपनी द्वारा विवादित न हो। कंपनी द्वारा विवादित लिक्विडेटेड डैमेजेस को आशंकित देयता माना जाता है। देयता/आशंकित देयता की राशि का अनुमान अनुबंध की शर्तों और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाता है जहाँ तक राजस्व को मान्यता प्राप्त है।

[घ] कमीशन के संबंध में देयता का प्रावधान बिक्री के अनुपात में किया जाता है।

[ङ] आयकर/कृषि आयकर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का लेखा-जोखा कर प्राधिकरणों के आकलन आदेशों के आधार पर किया जाता है, यदि कंपनी द्वारा विवादित न हो या वास्तविक भुगतान किए जाने की स्थिति में।

[च] टेक्निकल नॉ हाउ शुल्क का भुगतान संबंधित लेखा मानक के अनुपालन में दर्ज किया जाता है।

[छ] आंशिक रूप से पूर्ण संयुक्त/टर्नकी अनुबंधों के संबंध में अवास्तविक लाभ का प्रावधान मान्यता प्राप्त राजस्व पर अनुपातिक प्रत्यक्ष लागत के आधार पर किया जाता है।

[ज] चाय बागानों के लिए औषधि क्रय सुसंगत पद्धति के अनुसार पूर्ण रूप से व्ययित किए जाते हैं।

[झ] गारंटी कमीशन को उस वर्ष में लिया जाता है जिसमें गारंटी जारी/नवीनीकृत की गई हो।

[2.14] देयताओं की बुकिंग/लिखित वापसी

[क] देयताओं के प्रावधान हेतु कट-ऑफ तिथि 30 अप्रैल है, किन्तु सभी ज्ञात देयताएँ, यदि भौतिक रूप से महत्वपूर्ण हों, तो यथासंभव दर्ज की जाती हैं (पिछले वर्ष की कट-ऑफ तिथि 30 अप्रैल थी)।

[ख] 5 वर्ष से अधिक पुरानी और संभावित रूप से वास्तविक न होने वाली देयताओं को वापस लिख दिया जाता है, सरकारी ऋणों को छोड़कर। केवल असाधारण मदों के मामले में ही वित्तीय विवरणों में पृथक प्रकटीकरण दिया जाता है।



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

[2.15] वित्तीय उपकरणों का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का समायोजन किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है जहाँ मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति का साकार और देयता का एक साथ निपटान करने का इरादा हो। यह कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आश्रित नहीं होना चाहिए और सामान्य व्यापार के दौरान तथा डिफॉल्ट, दिवालियापन या कंपनी अथवा समकक्ष पक्ष की दिवालियापन की स्थिति में प्रवर्तनीय होना चाहिए।

[2.16] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

[क] स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन चरणबद्ध तरीके से किया जाता है ताकि 3 वर्षों की अवधि में प्रत्येक वस्तु का सत्यापन हो सके।

[ख] पूंजीगत व्यय के संबंध में अनुदान/सब्सिडी का लेखा लागू लेखा मानक के अनुसार किया जाता है और परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल की अवधि में लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। पूंजीगत अनुदान/सब्सिडी प्राप्ति के आधार पर और राजस्व सब्सिडी के मामले में पर्याप्त लिखित आश्वासन उपलब्ध होने पर उसका लेखा-जोखा किया जाता है।

[ग] मुक्त स्वामित्व वाली भूमि को ऐतिहासिक लागत पर रखा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अन्य सभी वस्तुओं को ऐतिहासिक लागत घटाकर मूल्यहास पर दर्ज किया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वह व्यय शामिल होता है जो वस्तुओं के अधिग्रहण से सीधे रूप से सम्बद्ध हो।

[घ] पश्चात लागतें परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल की जाती हैं या एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त होती हैं, जब यह संभावित हो कि उस वस्तु से भविष्य में आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और उस वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके। किसी घटक की वहन राशि जिसे पृथक परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया गया हो, प्रतिस्थापन पर निरस्त की जाती है। अन्य सभी मरम्मत और अनुरक्षण को जिस रिपोर्टिंग अवधि में वह वहन किया गया हो उसी में लाभ और हानि खाते में व्ययित किया जाता है।

[ङ] एक इकाई/प्रभाग द्वारा दूसरी इकाई/प्रभाग के उपयोग हेतु निर्मित मशीनरी का लेखा स्थानांतरण करने वाली इकाई की कार्य/कारखाना लागत पर किया जाता है।

[च] प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है यदि आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर मूल्य हास का कोई संकेत हो। परिसंपत्ति को मूल्य हासित माना जाता है जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसकी वसूल योग्य मूल्य से अधिक हो। जहाँ परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूल योग्य राशि से अधिक हो, वहाँ लाभ और हानि खाते में मूल्य हास हानि को मान्यता दी जाती है। पूर्व लेखा अवधियों में मान्यता प्राप्त मूल्य हास हानि को तब पलट दिया जाता है जब वसूल योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन हो।

[छ] बेयरर प्लांट्स को पुनःरोपण के वर्ष से 3 वर्ष बाद पूंजीगत कार्य प्रगति से स्थायी परिसंपत्तियों के खंड में स्थानांतरित किया जाता है। बेयरर पौधों का औसत कुल जीवन असम और डुआर्स गार्डन हेतु 70 वर्ष और दार्जिलिंग स्थित मिम चाय बगान हेतु 100 वर्ष माना गया है। बेयरर पौधों की लागत में उखाड़ना, भूमि विकास, पुनर्वास, ग्वाटेमाला का रोपण, छाया वृक्षों का रोपण, नर्सरी, जल निकासी, मैनुअल खेती, उर्वरक, कृषि-रसायन, छंटाई और खाली स्थानों की भराई आदि की लागत शामिल होती है। बेयरर पौधों पर मूल्यहास को सीधे रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए उपयोगी जीवनकाल में उनकी लागत समाप्त करने के लिए मान्यता दी जाती है। असम और डुआर्स गार्डन हेतु बेयरर पौधों का अनुमानित उपयोगी जीवन 63 वर्ष और दार्जिलिंग स्थित मिम चाय बगान हेतु 91 वर्ष निर्धारित किया गया है, भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। युवा चाय की झाड़ियाँ और छाया वृक्ष, जिनमें नए बीजों की प्राप्ति और नर्सरी के रखरखाव पर व्यय शामिल है, पहले 3 वर्षों तक पूंजीगत कार्य प्रगति के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं, जिसमें किसी भी मान्यता प्राप्त मूल्यहास हानि को घटाकर रखा जाता है। लागत में भूमि की तैयारी, नए पौधों का रोपण और नई पौधों वाली झाड़ियों का परिपक्वता तक रखरखाव शामिल होता है। 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद परिपक्वता पर इन लागतों को बेयरर पौधों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बेयरर पौधों पर मूल्यहास परिपक्वता के बाद आरंभ होता है। असम और डुआर्स गार्डन के संबंध में बेयरर पौधों का अवशिष्ट जीवन 4 वर्ष और दार्जिलिंग स्थित मिम चाय बगान हेतु 6 वर्ष माना गया है, भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए।

[ज] परिसंपत्तियों को निर्दिष्ट तकनीकी आकलन समिति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अनुपयोगी माना जाता है।

[2.17] इंड एस-41 (जैविक परिसंपत्तियाँ) की प्रयोज्यता

एवाईसीएल चाय प्रभाग 7 दिन के चक्र में चाय की पत्तियाँ तोड़कर निर्माण करता है। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को यह परिपक्व चाय पत्तियों को तोड़कर उनका निर्माण करता है। प्रत्येक बगीचे के सभी खंडों में चाय की झाड़ियों पर पत्तियाँ अपरिपक्व अवस्था में रहती हैं।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

पैरा 10 इंड एस 41 के अनुसार किसी जैविक परिसंपत्ति को तभी और केवल तभी मान्यता दी जाएगी जब उस परिसंपत्ति का उचित मूल्य या लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सके। यह सर्वविदित तथ्य है कि हरी चाय पत्तियों के लिए कोई बाजार उपलब्ध नहीं है जो झाड़ियों पर रह जाती हैं और तोड़ने योग्य अवस्था में नहीं होतीं। जब तक हरी चाय पत्तियाँ झाड़ियों पर रहती हैं और तोड़ाई अवस्था तक नहीं पहुँचतीं, उनका कोई उपयोग नहीं है और उन्हें चाय प्रसंस्करण के लिए किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

जैसा कि इंड एस 41 के पैरा 8 में बल दिया गया है, झाड़ियों पर खड़ी हरी चाय पत्तियों का उचित मूल्य ज्ञात करना असंभव होगा। इसी प्रकार ऐसी हरी पत्तियों की लागत का निर्धारण करना भी अव्यावहारिक होगा क्योंकि लागत की गणना हेतु कोई भी मॉडल अनुमान और धारणाओं पर आधारित होगा, जिसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता।

उपरोक्त दृष्टिकोण से एवाईसीएल वित्तीय विवरणों में रिपोर्टिंग तिथि पर जैविक परिसंपत्तियों (हरी चाय पत्तियाँ जो तोड़ी नहीं गई हैं और विकास अवस्था में हैं, परिपक्व नहीं हैं) को मान्यता नहीं देता।

[2.18] पूंजीगत कार्य प्रगति

निर्माणाधीन परिसंपत्तियों पर किए गए व्यय को लागत पर पूंजीगत कार्य प्रगति के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। ऐसी लागतों में परिसंपत्तियों की क्रय कीमत, शुल्क और गैर-वापसी योग्य कर तथा अन्य लागतें शामिल होती हैं जो परिसंपत्ति को उस स्थान और स्थिति तक लाने से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हों ताकि वह प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन हेतु सक्षम हो सके।

[2.19] अमूर्त परिसंपत्तियाँ

सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों के रखरखाव से सम्बद्ध लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। क्रय किए गए सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है और जब परिसंपत्ति उपयोग हेतु उपलब्ध हो जाती है तभी से उसका अमूर्तिकरण किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों का अमूर्तिकरण उनकी अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि में किया जाता है, जहाँ भी उपलब्ध हो उनके लाइसेंस अवधि को ध्यान में रखते हुए और अन्य मामलों में सीधे रेखा पद्धति पर अधिकतम 3 वर्षों तक।

[2.20] व्यापारिक एवं अन्य देयताएँ

ये राशियाँ उन वस्तुओं और सेवाओं की देयताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व कंपनी को प्रदान की गई हैं किन्तु जिनका भुगतान नहीं हुआ है। ये राशियाँ असुरक्षित होती हैं और सामान्यतः भुगतान शर्तों के अनुसार चुकाई जाती हैं। व्यापारिक और अन्य देयताओं को चालू देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 माह के भीतर भुगतान देय न हो। इन्हें प्रारंभ में उनके उचित मूल्य/लेनदेन मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

[2.21] उधार लागत

सामान्य और विशिष्ट उधार लागतें जो किसी पात्र परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध होती हैं, उन्हें उस अवधि में पूंजीकृत किया जाता है जो परिसंपत्ति को उसके नियोजित उपयोग या बिक्री के लिए पूर्ण और तैयार करने हेतु आवश्यक होती है। पात्र परिसंपत्तियाँ वे परिसंपत्तियाँ होती हैं जिन्हें अपने नियोजित उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है। लेनदेन लागत घटाकर प्राप्त आय और विमोचन राशि के बीच का अंतर लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त होता है।

पात्र परिसंपत्तियों पर व्यय होने से पहले विशिष्ट उधार की अस्थायी निवेश से प्राप्त निवेश आय को पूंजीकरण हेतु पात्र उधार लागत से घटा दिया जाता है।

उधार लागतों को बैलेंस शीट से हटाया जाता है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, निरसन या समाप्ति हो जाती है। वित्तीय देयता की वहन राशि जो समाप्त या किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित की गई है और इसके लिए चुकाई गई प्रतिफल राशि, जिसमें कोई गैर-नकद परिसंपत्ति भी शामिल हो जो हस्तांतरित की गई हो, का अंतर लाभ और हानि खाते में अन्य लाभ/(हानि) के रूप में मान्यता प्राप्त होता है।

अन्य उधार लागतें उस अवधि में व्ययित की जाती हैं जिसमें वे वहन की जाती हैं।

[2.22] प्रावधान, आशंकित देयताएँ और आशंकित परिसंपत्तियाँ

कानूनी दावों, छूट, योजनाओं और वापसी हेतु प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होते हैं जब कंपनी के पास पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होता है, यह संभावित होता है कि दायित्व निपटान हेतु संसाधनों का बहिर्प्रवाह आवश्यक होगा और राशि को विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सकता है। भविष्य के संचालन हानियों के लिए प्रावधानों को मान्यता प्राप्त नहीं होती।

जहाँ कई समान दायित्व हों, वहाँ निपटान हेतु बहिर्प्रवाह की संभावना संपूर्ण वर्ग को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। भले ही उसी वर्ग में शामिल किसी एक मद के संबंध में बहिर्प्रवाह की संभावना नगण्य हो, फिर भी प्रावधान मान्यता प्राप्त होता है।



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

प्रावधानों को वर्तमान दायित्व के निपटान हेतु आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। वर्तमान मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त छूट दर पूर्व-कर दर होती है जो धन के समय मूल्य और देयता-विशिष्ट जोखिम के संबंध में वर्तमान बाजार मूल्यांकन को प्रतिबिंबित करती है। समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

आशंकित देयताएँ वे संभावित दायित्व हैं जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनका अस्तित्व एक या अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से पुष्टि होगा, जो पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। ऐसे दायित्वों को आशंकित देयता के रूप में प्रकटीकृत किया जाता है।

आशंकित परिसंपत्तियाँ वे संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से पुष्टि होगा, जो पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का अंतःप्रवाह संभावित होता है, तो आशंकित परिसंपत्तियों का वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है।

[2.23] कर्मचारी लाभ

[2.23.1] लघु अवधि दायित्व

वेतन और मजदूरी सहित गैर-आर्थिक लाभों की देयताएँ, जिन्हें उस अवधि की समाप्ति के 12 माह के भीतर पूर्णतः निपटाने की अपेक्षा की जाती है जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रदान की हो, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों की सेवा के संबंध में मान्यता प्राप्त होती है और उन्हें उस राशि पर मापा जाता है जिसकी भुगतान की अपेक्षा की जाती है जब देयताएँ निपटाई जाएँगी। इन देयताओं को बैलेंस शीट में वर्तमान कर्मचारी लाभ दायित्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

[2.23.2] अन्य दीर्घ अवधि कर्मचारी लाभ दायित्व

अर्जित अवकाश की देयताओं के 12 माह के भीतर निपटाए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती। बैलेंस शीट में परिभाषित लाभों जैसे अवकाश नकदीकरण, पेंशन और ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति वर्तमान दायित्व के परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य होता है, जिससे योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटा दिया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व का आकलन बीमांकिकों द्वारा प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सरकारी बांडों की प्रतिफल दरों का उपयोग करके छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिनकी अवधि संबंधित दायित्व की अवधि के लगभग समान होती है।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य की शुद्ध शेष राशि पर छूट दर लागू करके की जाती है और इसे लाभ और हानि खाते में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनर्मापन को उसी अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं और उन्हें अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में संचित आय में और बैलेंस शीट में शामिल किया जाता है।

यदि इकाई के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह तक निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है, तो दायित्वों को बैलेंस शीट में वर्तमान देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वास्तविक निपटान कब अपेक्षित हो।

अनुपयोगी चिकित्सीय लाभों का आकलन 3 वर्षों के एक खंड में वास्तविक लागत पर किया जाता है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

[2.23.3] नियोजन के बाद के दायित्व

कंपनी निम्नलिखित नियोजन-उपरांत योजनाएँ संचालित करती है :

क] परिभाषित लाभ योजना जो ग्रेच्युटी है।

[ख] परिभाषित अंशदान योजना जो केवल भविष्य निधि है। संगठन स्थानीय नियमों के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रशासित भविष्य निधि में अंशदान करता है और इस अंशदान के अतिरिक्त कंपनी की कोई अन्य भुगतान संबंधी देयता नहीं होती तथा अंशदान को नियत समय पर कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

[ग] एक बार मिलने वाले चिकित्सीय लाभों का आकलन वास्तविक लागत पर किया जाता है।

[2.24] लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें क्रमशः कंपनी के शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा उन्हें स्वीकृत किया जाता है।

[2.25] प्रति शेयर आय

[2.25.1] मूल प्रति शेयर आय

मूल प्रति शेयर आय की गणना इस प्रकार की जाती है :

- * कंपनी के स्वामियों को आरोपित लाभ/हानि।
- * इसे वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचलित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित किया जाता है।

[2.25.2] विलुप्त प्रति शेयर आय

विलुप्त प्रति शेयर आय, मूल प्रति शेयर आय निर्धारण में प्रयुक्त आंकड़ों को समायोजित करती है ताकि इन बातों को ध्यान में रखा जा सके:

- * आयकर के बाद ब्याज और अन्य वित्तपोषण लागत का प्रभाव जो विलुप्त संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित है, और
- * अतिरिक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी विलुप्त संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण की स्थिति में प्रचलन में होती।

[2.26] वित्तीय देयताएँ

कंपनी की वित्तीय देयताएँ नकद अथवा किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को किसी अन्य इकाई को देने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं का विनिमय करने का संविदात्मक दायित्व होती हैं, ऐसी शर्तों पर जो कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हों।

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण और उधार, व्यापारिक और अन्य देयताएँ शामिल हैं।

[क] वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभ में उचित मूल्य घटाकर लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर प्राप्त आय (लेनदेन लागत घटाकर) और उचित मूल्य के बीच का कोई भी अंतर लाभ और हानि खाते में या किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में, यदि कोई अन्य मानक इसकी अनुमति देता हो, उधार की अवधि के दौरान प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके मान्यता प्राप्त होता है।

उधार को चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह तक दायित्व निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो।

[ख] पश्चात मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि खाते में लाभ और हानियाँ मान्यता प्राप्त होती हैं या किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल की जाती हैं, यदि कोई अन्य मानक इसकी अनुमति देता हो, जब देयताओं को निरस्त किया जाता है या प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया से।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

परिशोधित लागत का आकलन अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागतों को ध्यान में रखकर किया जाता है जो प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग हों। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि खाते में वित्तपोषण लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

[ग] निरस्तीकरण

किसी वित्तीय देयता को निरस्त कर दिया जाता है जब उस देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन, निरसन या समाप्ति हो जाती है। जब किसी मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता द्वारा पर्याप्त रूप से भिन्न शर्तों पर किसी अन्य देयता से प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा देयता की शर्तों में पर्याप्त संशोधन किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के निरस्तीकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

[2.27] उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने हेतु प्राप्त होगी या किसी देयता को स्थानांतरित करने हेतु चुकाई जाएगी, जब मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच सुव्यवस्थित लेनदेन हो। सामान्यतः प्रारंभिक मान्यता पर लेनदेन मूल्य उचित मूल्य का सर्वोत्तम प्रमाण होता है।

हालाँकि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेनदेन मूल्य उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो वह परिस्थितियों में उपयुक्त और पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध होने की स्थिति में उचित मूल्य मापन हेतु मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है, जिनमें प्रासंगिक प्रेक्षणीय इनपुट्स का अधिकतम उपयोग और अप्रेक्षणीय इनपुट्स का न्यूनतम उपयोग किया जाता है।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देयताएँ जिनका उचित मूल्य वित्तीय विवरणों में मापा या प्रकटीकृत किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण उस न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित होता है जो संपूर्ण उचित मूल्य मापन हेतु महत्वपूर्ण हो :

- * स्तर 1 – सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देयताओं के उद्भूत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- * स्तर 2 – ऐसी मूल्यांकन तकनीकें जिनमें न्यूनतम स्तर इनपुट सीधे या परोक्ष रूप से प्रेक्षणीय हो।
- * स्तर 3 – ऐसी मूल्यांकन तकनीकें जिनमें न्यूनतम स्तर इनपुट अप्रेक्षणीय हो।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के लिए जिन्हें आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त होती है, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनः वर्गीकरण का आकलन करके यह निर्धारित करती है कि क्या पदानुक्रम के स्तरों के बीच कोई स्थानांतरण हुआ है।

[2.28] वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इकाई की गतिविधियाँ उसे बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के प्रति उजागर करती हैं। उपर्युक्त प्रभावों को न्यूनतम करने हेतु इकाई द्वारा विभिन्न व्यवस्थाएँ की जाती हैं। निम्न तालिका जोखिम के स्रोतों को समझाती है और यह भी कि इकाई अपने वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन किस प्रकार करती है।

जोखिम	उत्पन्न जोखिम	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य, परिशोधित सीओ2 पर मापी गई वित्तीय संपत्ति	उम्र बढ़ने का विश्लेषण, क्रेडिट विश्लेषण	क्रेडिट सीमा और ऋण पत्र
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियाँ	नकद प्रवाह भविष्यवाणी	ऋण सुविधाएँ
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ भारतीय रूपए में नहीं हैं	नकद प्रवाह भविष्यवाणी	मुद्रा की गति की निगरानी।
बाजार जोखिम - ब्याज दर	दीर्घकालिक ऋण/देनदारियाँ	...	ब्याज दर की गति निगरानी
बाजार जोखिम - सुरक्षा मूल्य	प्रतिभूतियों में इन्वेंटमेंट	...	पोर्टफोलियो प्रबंधन

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

[क] ऋण जोखिम

ऋण जोखिम नकद और नकद समकक्षों, परिशोधित लागत पर रखे गए निवेश, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा राशि, साथ ही ग्राहकों और अन्य पक्षों के प्रति ऋण जोखिम से उत्पन्न होता है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए केवल उच्च श्रेणीबद्ध बैंक/संस्थान ही स्वीकार किए जाते हैं। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, इकाई आंतरिक ऋण मूल्यांकन के आधार पर ऋण जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है। यह पक्ष-वार जोखिम की निगरानी करती है और मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक पक्ष को ऋण रेटिंग आवंटित की जाती है। इसके पश्चात प्रत्येक पक्ष की सॉल्वेंसी के अनुसार उसे ऋण सीमा दी जाती है।

इकाई डिफॉल्ट की संभावना पर सतत आधार पर और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में विचार करती है। सूक्ष्म-आर्थिक जानकारी को आंतरिक रेटिंग मॉडल के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है।

सामान्यतः यह माना जाता है कि यदि भुगतान 60 दिनों से अधिक विलंबित है तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

संदिग्ध परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का मिलान इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है :

(रुपये लाख में)	
विवरण	कुल धनराशि
01.04.2024 तक संदिग्ध ऋणों और एलडी के लिए प्रावधान	1250.77
2024-25 के दौरान शुल्क	708.82
31.03.2025 तक संदिग्ध ऋणों और एलडी के लिए प्रावधान	1959.59

[ख] तरलता जोखिम

सावधानीपूर्वक तरलता जोखिम प्रबंधन का अर्थ है पर्याप्त नकद और नकद समकक्ष बनाए रखना तथा प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि दायित्वों का समय पर निपटान किया जा सके।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर समूह की तरलता स्थिति का रोलिंग पूर्वानुमान निगरानी करता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में इकाई ने निम्नलिखित प्रयुक्त ऋण सुविधाओं का उपयोग किया है :

(रुपये लाख में)		
विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
बैंक ओवरड्राफ्ट	10388.43	11010.38
साख पत्र	649.71	1601.08
बैंक गारंटी	1480.40	1235.13

निम्नलिखित तालिका अगले 12 (बारह) महीनों के भीतर गिरने वाले संविदात्मक रियायती नकदी प्रवाह को देती है।

31.03.2025 तक वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

(रुपये लाख में)				
संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष तक	1 से 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से ऊपर	कुल
व्यापार देय	6747.73	3633.01	162.92	10543.66
अन्य वित्तीय देनदारियां	11112.66	-	-	



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]
31.03.2024 तक वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

(लाख रुपये में)

संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष तक	1 से 3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से ऊपर	कुल
Trade payables	5275.08	1570.49	886.20	7731.77
Other financial liabilities	8891.43	-	-	8891.43

[ग] बाजार जोखिम

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वित्तीय संपत्ति		
व्यापार प्राप्य (विदेशी मुद्रा में), यदि कोई हो	-	-
वित्तीय देनदारियां		
व्यापार देय (विदेशी मुद्रा में), यदि कोई हो	-	-

[2.29] पूंजी प्रबंधन

क. जोखिम प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय इकाई के उद्देश्य हैं:

- [1] एक सतत चिंता के रूप में जारी रखने की उनकी क्षमता की रक्षा करें।
- [2] एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें ताकि पूंजी की लागत को कम किया जा सके।

ख. लाभांश

- [1] वर्ष के अंत के लिए मान्यता प्राप्त लाभांशसमीक्षा: (रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
अंतिम लाभांश	शून्य	शून्य
अंतरिम लाभांश	शून्य	शून्य

- [2] लाभांश इंडस्ट्रीज़ के साथ लाइन में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता प्राप्त नहीं है।

[2.30] सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति

उधार के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों की वहन राशि हैं:

सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वित्तीय संपत्ति	-	-
व्यापार प्राप्य *	6767.68	4912.04
गैर-वित्तीय संपत्ति	-	-
इन्वेन्ट्री*	3189.33	2758.41

*इंजीनियरिंग डिवीजन को छोड़कर



31 मार्च 2025 तक स्टैंडअलोन बैलेंस शीट

(रुपये लाख में)

	नोट संख्या	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
गैर-चालू संपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	19160.43	16,192.69
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	6111.96	8,835.28
(ग) अमूर्त संपत्ति	3	11.41	8.89
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	4	509.69	343.31
(ii) अन्य	5	16.81	21.32
(ङ) आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	6	1199.05	1,879.11
(च) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	7	147.06	342.06
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां		27156.42	27,622.66
वर्तमान संपत्ति			
(क) इन्वेंटरी	8	4013.09	3,430.29
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	9	80.35	0.35
(ii) व्यापार प्राप्तियां	10	12444.64	9,993.93
(iii) नकद और नकद समकक्ष	11	730.10	1,025.84
(iv) अन्य बैंक बैलेंस	12	3076.74	2,868.47
(v) ऋण	13	0.00	0.44
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	14	626.38	565.87
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	15	3322.50	3,999.86
(घ) निपटान के लिए धारित परिसंपत्तियां	16	0.00	42.36
कुल वर्तमान परिसंपत्ति		24293.80	21,927.41
कुल संपत्ति		51450.22	49,550.08
इक्विटी और देनदारियां			
निष्पक्षता			
(क) इक्विटी शेयर कैपिटल	17	9779.02	9,779.02
(ख) अन्य इक्विटी	18	344.06	2,644.50
कुल इक्विटी		10,123.08	12,423.52
दायित्व			
गैर-वर्तमान देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	19	153.23	376.51
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	20	37.57	42.84
(ख) प्रावधान	21	3721.56	3,575.03
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देनदारियां	22	644.77	679.02
(घ) आस्थगित कर देयता		470.69	1402.01
कुल गैर-वर्तमान देनदारियां		5,027.81	6,075.41
वर्तमान देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	23	10388.43	11,010.38
(ii) व्यापार और अन्य देय	24	10543.66	7,731.77
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	25	8670.61	5,507.64
(ख) अन्य वर्तमान देनदारियां	26	3708.22	4,677.61
(ग) प्रावधान	27	2985.55	2,123.75
कुल वर्तमान देनदारियां		36,299.33	31,051.15
कुल देनदारियां		41,327.14	37,126.56
कुल इक्विटी और देनदारियां		51,450.22	49,550.08

एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफ.नंबर: 302081E

एम.सी.कोडली

पार्टनर (एम.नंबर: 056514)

स्थान: कोलकाता

तारीख: 29/05/2025

यूडीआईएन: 25056514BMJNFV4026

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के लिए

सुचरिता दास
कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा
निदेशक वित्त
डीआईएन: 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03594804



31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का एकल विवरण

(रुपये लाख में)

		वर्ष समाप्त		
		नोट संख्या	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
I	संचालन से राजस्व	28	31,170.97	30,985.40
II	अन्य आय	29	6,356.41	3,867.26
III	कुल आय (I + II)		37,527.38	34,852.66
IV	खर्च			
	(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत	30	11,094.14	10,304.50
	(ख) तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर है	31	(121.85)	1,149.77
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	32	19,815.95	21,621.54
	(घ) उत्पाद शुल्क			
	(ङ) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	33	656.86	695.31
	(च) वित्त लागत	34	2,191.13	1,549.73
	(छ) अन्य व्यय	35	6,740.31	6,849.90
	कुल व्यय (IV)		40,376.54	42,170.75
V	असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (III - IV)		(2,849.16)	(7,318.10)
VI	असाधारण वस्तुएं	36	-	-
VII	असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ (V-VI)		(2,849.16)	(7,318.10)
VIII	कर व्यय			
	(1) वर्तमान कर		681.62	-
	(2) संपत्ति कर			-
	(2) आस्थगित कर		(977.38)	(957.16)
	कुल कर व्यय		(295.76)	(957.16)
IX	निरंतर संचालन से अवधि के लिए लाभ (VII - VIII)		(2,553.40)	(6,360.94)
X	बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि)	37	-	(61.15)
XI	बंद किए गए संचालन का कर व्यय		-	-
XII	कर के बाद बंद किए गए संचालन से लाभ/(हानि)		-	(61.15)
XIII	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX+XII)		(2,553.40)	(6,422.09)
	अन्य व्यापक आय			
	(1) निवेश का पुनर्मापन		35.13	123.25
	(2) बीमांकिक लाभ/हानि का समायोजन		376.75	295.91
	घटायें: वर्तमान कर		119.94	-
	घटायें: आस्थगित कर		46.06	199.87
XIV	इस अवधि के लिए कुल अन्य व्यापक आय		245.88	219.29
XV	"इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII + XIV)"		(2,307.52)	(6,202.79)
XVI	निरंतर संचालन के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य 2 रुपये प्रत्येक):			
	(1) बेसिक/शेयर (भारतीय रूप में)		(0.52)	(1.30)
	(2) पतला/शेयर (भारतीय रूप में)		(0.52)	(1.30)
XVII	परिचालन बंद करने के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य 2 रुपये प्रत्येक):			
	(1) बेसिक/शेयर (में)		-	-0.01
	(2) पतला/शेयर (भारतीय रूप में)		-	-0.01
XVIII	परिचालन जारी रखने और बंद करने के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य 2 रुपये प्रत्येक):			
	(1) बेसिक/शेयर (भारतीय रूप में में)		(0.52)	(1.31)
	(2) मिश्रित/शेयर (भारतीय रूप में में)		(0.52)	(1.31)

एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.नंबर: 302081E

एम.सी.कोडली

पार्टनर (एम.नंबर: 056514)

स्थान: कोलकाता

तारीख: 29/05/2025

यूडीआईएन: 25056514BMJNFV4026

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के लिए

सुचरिता दास
कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा
निदेशक वित्त
डीआईएन: 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03594804

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(रुपये लाख में)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
कर से पहले शुद्ध लाभ और असाधारण वस्तुएं		(2,849.16)		(7,318.10)
समायोजन:				
परिसंपत्तियों का मूल्यहास/हानि	655.30		694.13	
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन	1.57		1.18	
ब्याज व्यय	2,059.26		1,549.73	
(लाभ)/अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	(69.53)		(0.61)	
(लाभ)/निवेश की बिक्री पर हानि	-		-	
सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर लाभ	(2,345.57)		(673.72)	
विदेशी मुद्रा अनुवाद पर शुद्ध लाभ	(16.41)			
ब्याज आय	(250.23)		(349.32)	
लाभांश आय	(1,934.62)		(2,257.75)	
प्रावधान अब लिखित रूप से आवश्यक नहीं है	(475.21)		(0.92)	
देनदारियों को अब बट्टा में समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है	(232.83)		(72.66)	
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि			-	
निवेश के पुनर्मापन पर लाभ	(12.71)		(5.52)	
पूंजीगत सब्सिडी पर आस्थगित आय	(15.29)		(6.22)	
एक्सचेंज पर लाभ			(7.05)	
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	587.67		443.61	
संदिग्ध ऋण, अग्रिम और जमा के लिए प्रावधान	7.65		113.33	
बंद किए गए संचालन से लाभ और हानि			61.39	
असाधारण वस्तुओं के लिए प्रावधान- स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रोव	6.53		-	
अनुसूची बैंक के लिए प्रावधान			-	
स्टॉक/स्टोर अशिष्टता के लिए प्रावधान	41.14		0.65	
समायोजन:				
आस्थगित कर में परिवर्तन	129.76		757.29	
निवेश का पुनर्मापन	35.13		123.25	
एक्चुरियल लाभ और हानि	376.75		295.91	
पी एंड एल के खिलाफ समायोजन	7.08		(95.38)	
		(1,444.56)		571.32
वर्तमान देनदारियों की राशि में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ और वर्तमान संपत्ति		(4,293.72)		(6,746.73)
समायोजन				
वर्तमान परिसंपत्ति में बदलाव	(2,449.98)		2,970.25	
इन्वेंटरी	(589.33)		1,823.67	
वर्तमान देनदारियों में परिवर्तन	5,024.90		1,543.83	
		1,985.59		6,337.75
संचालन से उत्पन्न नकदी		(2,308.13)		(409.03)
भुगतान किया गया कर		-		-
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ए)		(2,308.13)		(409.03)
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की खरीद		(1,251.60)		(2,029.35)
पूंजीगत कार्य में परिवर्तन प्रगति पर है		2,721.75		519.57
अचल संपत्तियों की बिक्री				-
निवेश की खरीद				-



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(रुपये लाख में)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
अन्य वित्तीय परसिंपत्तियां		-		-
प्राप्त लाभांश		1,934.62		2,257.75
नविश का नपिटान		(153.67)		(76.07)
अन्य गैर-चालू परसिंपत्तियों में परिवर्तन		879.57		(127.17)
प्राप्त ब्याज		250.23		349.32
नविश गतविधियों से शुद्ध नकदी (ख)		4,380.90		894.05
[ग] वित्तपोषण गतविधियों से नकदी प्रवाह:				
ब्याज का भुगतान		(2,059.26)		(1,549.73)
भुगतान किया गया लाभांश				
अल्पकालिक ऋण (चुकोती)/ली गई और अन्य वित्तीय देनदारियां				
दीर्घावधि ऋण (चुकाया गया)/लिया गया		(100.98)		1.62
वित्तपोषण गतविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी [ग]		(2,160.24)		(1,548.11)
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) [क + ख + ग]		(87.47)		(1,063.09)
नकद और नकद समकक्ष (शुरूआती शेष राशि)	**	3,894.31		4,957.40
नकद और नकद समकक्ष (शेष राशि)	**	3,806.84		3,894.31
[1] उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष रूप से" के तहत तैयार किया गया है				
वर्धित के रूप में नकदी प्रवाह पर लेखा मानक-3 में निर्धारित किया गया है				
कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित विवरण				
[2] नकद और नकद समकक्षों में शामिल हैं:				
बैंकों के साथ शेष राशि (नीचे नोट देखें)		727.15		1,020.46
धारित चेक				
धारित नकदी		2.95		5.38
धारित डाक और डाक टिकट				
पारगमन में प्रेषण				
3 महीने के भीतर परपिक्व होने वाले बैंक में जमा				
3 महीने के भीतर परपिक्व होने वाले बैंक के साथ मार्जनि मनी				
3 महीने के बाद परपिक्व होने वाले बैंक में जमा				
जमा खाता मार्जनि		3,076.74		2,868.47
		3,806.84		3,894.31
[क] जहां भी आवश्यक हो, पछिले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है				

एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफ.नंबर: 302081E

एम.सी.कोडली

पार्टनर (एम.नंबर: 056514)

स्थान: कोलकाता

तारीख: 29/05/2025

यूडीआईएन: 25056514BMJNFV4026

सुचरिता दास
कंपनी सचिव

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के लिए

श्री संजय वर्मा
निदेशक वित्त
डीआईएन: 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03594804



इक्विटी में परिवर्तन का एकल विवरण

(रुपये लाख में)

विवरण	भंडार और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)		कुल
	पूँजी आरक्षित	सिक्वोरिटीज प्रीमियम रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	अन्य आइटम अन्य व्यापक आय की संख्या	
1 अप्रैल 2024 पर शेष राशि	406.76	2,741.75	(553.61)	243.70	(194.10)	2,644.50
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-				
अंतरण			-			
वर्ष के लिए लाभ			(2,553.40)	35.13	376.76	(2,141.51)
पी/एल में समायोजन			(7.08)	-		(7.08)
						-
अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)				-		-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			-	-	-	-
31 मार्च 2025 को शेष राशि	406.76	2,741.75	(3,099.94)	278.83	182.66	510.06

एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 एफ.नंबर.: 302081E
 एम.सी.कोडली
 पार्टनर (एम.नंबर.: 056514)
 स्थान : कोलकाता
 तारीख: 29/05/2025
 यूडीआईएन : 25056514BMJNFV4026

सुचरिता दास
 कंपनी सचिव

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के लिए

श्री संजय वर्मा
 निदेशक वित्त
 डीआईएन: 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन: 03594804



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट-3

(रुपये लाख में)

	भूमि	वाहक प्लॉट्स (नोट 2 देखें)	लीज-होल्ड आई एनडी एस 116	भवन	सड़कें और पुलिया	संयंत्र और मशीनरी	चित्र, डिज़ाइन और अनुरक्षण	विद्युत इंस्टालेशन	जल इंस्टालेशन	फर्नी-च्यूर और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	वाहन	खरीद	कंप्यूटर्स	कुल	पूँजीगत कार्य-प्रगति में (नोट 3 देखें)	अमूर्त संपत्ति
सकल में कूल धनराशि	174.72	12,771.22	8.19	5,179.53	95.74	6,553.47	40.64	1,320.79	957.16	231.49	190.92	1,059.86	283.59	351.61	29,218.92	8,863.60	112.66
डौमड लागत के रूप में 1 अप्रैल 2024	174.72	12,771.22	8.19	5,179.53	95.74	6,553.47	40.64	1,320.79	957.16	231.49	190.92	1,059.86	283.59	351.61	29,218.92	8,863.60	112.66
अतिरिक्त	-	3,411.86	-	93.00	-	111.28	-	2.29	-	3.79	1.61	-	-	5.10	3,628.93	821.53	3.89
निपटान	0.05	-	-	(14.52)	-	-	-	-	-	(1.75)	(0.49)	-	-	2.63	(14.08)	(3,573.18)	-
समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09	-	-	-	-	-	-
समायोजन पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2025 तक समापन सकल वहन राशि	174.77	16,183.08	8.19	5,258.01	95.74	6,664.75	40.64	1,323.08	957.16	233.53	193.13	1,059.86	283.59	359.34	32,833.77	6,111.95	116.55
1 अप्रैल 2024 तक संचित मूल्यहास	-	996.85	3.47	2,892.53	87.34	5,289.12	24.79	1,028.48	710.87	202.41	167.56	966.50	270.37	306.22	12,465.53	-	103.76
1 अप्रैल 2024 तक हानि	-	-	-	-	-	61.97	15.85	-	-	-	-	-	-	-	77.81	-	-
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हानि के बाद संचित मूल्यहास खोलना	-	996.85	3.47	2,892.53	87.34	5,351.08	40.63	1,028.58	710.87	202.41	167.56	966.50	270.37	306.22	13,024.41	-	103.76
योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	1.71	2.21	-	0.66
डिलीट करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन	-	-	-	-	-	2.28	-	-	-	-	0.47	-	-	-	2.75	-	-
संशोधित प्रारंभिक संचित मूल्यहास 01-04-2024	-	996.85	3.47	2,892.53	87.34	5,353.36	40.63	1,028.58	710.87	202.91	168.03	966.50	270.37	307.93	13,029.37	-	104.42
प्रारंभिक संचित मूल्यहास	-	996.85	3.47	2,892.53	87.34	5,353.36	40.63	1,028.58	710.87	202.91	168.03	966.50	270.37	307.93	13,029.37	-	104.42
अवमूल्यन वर्ष के दौरान	-	251.34	0.77	86.32	0.71	210.23	-	34.69	31.09	2.43	4.07	20.32	-	11.58	655.30	-	0.73
निपटान/समायोजन	-	-	-	13.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.77	-	-
31.03.2025 तक शेष संचित मूल्यहास	-	1,248.19	4.24	2,965.07	88.05	5,563.59	40.63	1,063.27	741.96	205.34	172.10	986.82	270.37	319.51	13,669.16	-	105.15
31 मार्च 2025 तक शुद्ध वहन राशि	174.77	14,934.89	3.95	2,292.94	7.69	1,101.16	0.00	259.81	215.20	28.17	21.03	73.02	13.22	34.57	19,160.42	6,111.95	11.40
31 मार्च 2024 तक शुद्ध वहन राशि	175.38	11,774.37	4.70	2,278.80	7.64	1,221.10	-	282.52	246.61	24.45	26.57	93.74	13.22	43.56	16,192.73	8,835.26	8.88

पूँजी डब्लूआईपी की उम्र बढ़ना

(रुपये लाख में)

	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 साल	3 वर्ष से अधिक	कुल
जैविक संपत्ति	603.34	1,482.74	1,973.70	1873.19	5932.97
संयंत्र और मशीनरी	61.30	-	-	15.69	76.99
भवन	31.73	-	-	70.25	101.98
वाहन	-	-	-	-	-
कुल	696.37	1,482.74	1,973.70	1959.13	6,111.94

नोट: इलेक्ट्रिकल कोलकाता प्रचालनों की पुनर्वर्गीकृत परिसंपत्तियों को अलग से दिखाया गया है जैसा कि नोट संख्या -62 में बताया गया है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 4 निवेश

विवरण	शेयरों की संख्या	(लाख रुपये में)	
		31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
क) समूह कंपनियों में निवेश			
सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश (अन-कोटेड)			
हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	-	-	-
यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड- साधारण शेयर (पूरी तरह से बिगड़ा हुआ)	50,000	5.00	5.00
यूल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड- साधारण शेयर (पूरी तरह से बिगड़ा हुआ)	50,000	5.00	5.00
सहायक कंपनी में इक्विटी शेयर			
उद्त			
वीडोल कॉर्प, लिमिटेड।	45,71,115	164.56	164.56
यूल फाइनेंसिंग एंड लीजिंग कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त)	3,00,000	27.88	27.88
अउद्त			
बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त)	10,305	0.52	0.52
कतरास झरिया कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त)	34,028	6.69	6.69
न्यू बीरभूम कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त)	57,550	11.79	11.79
वरीयता शेयर (अउद्त)			
6% संचयी रिडीम करने योग्य वरीयता शेयर -डब्ल्यूबीएफआईएल लिमिटेड बांड (अनकोटेड)			
डब्ल्यूबीएफआईएल लिमिटेड जीरो रेटेड अनसिक्योर्ड रिडीमेबल बॉन्ड		-	-
ख) ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर किया गया निवेश			
इक्विटी निवेश (उद्त)			
डब्ल्यूबीएफआईएल (नवीनतम उपलब्ध के अनुसार एनएवी)	4,15,000	207.94	172.81
इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		-	-
फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त) "			
ग्लोस्टर लिमिटेड		-	-
एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड		-	-
गिलापुकरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त) "	26	0.00	0.00
इक्विटी निवेश (अन-कोटेड)			
स्टेट्समैन लिमिटेड (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त) "	9,966	4.70	4.70
एबीसी टी वर्क्स वेलफेयर सर्विसेज (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त) "			
वुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड "	740	5.95	5.95
इंडिया पेपर पल्प			
इकाइयाँ (उद्त)			
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया-लिक्विड कैश प्लान	0	131.25	-
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया-हाइब्रिड इक्विटी फंड	0	-	-
कम प्रावधान		(61.57)	(61.57)
कुल		509.69	343.31

नोट 5 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
ग्रहणाधिकार के तहत बैंक के साथ चालू खाता की शेष राशि	16.81	16.81
ईएमडी	-	57.38
संदेह पूर्ण अग्रिम के लिए कम प्रावधान	-	(52.87)
एक वर्ष से अधिक बैंक जमा	-	-
कुल	16.81	21.32



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 6 आयकर संपत्ति (शुद्ध)		
विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वर्तमान कर		
अग्रिम आयकर	1,199.05	1,879.11
	-	
कुल	1,199.05	1,879.11

नोट 7 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
सुपर एन्युएशन फंड के लिए प्लान एसेट	147.06	147.06
असुरक्षित: रीडेम नॉन कन्वर्ट बॉन्ड परिपक्व हो गया है और भुनाया नहीं गया है	-	195.00
कुल	147.06	342.06

नोट 8 इन्वेंटरी (लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम पर)

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
कच्चा वस्तु	1,188.01	899.57
कार्य प्रगति पर	994.40	825.13
तैयार वस्तु	568.20	614.73
स्टोर और पुर्जे	1,008.09	824.58
ढीले उपकरण	-	-
खाद्य सामग्री	10.71	10.73
स्क्रेप	0.00	-
अर्ध-तैयार वस्तु	240.03	251.91
पारगमन में सामग्री	3.65	3.65
कुल इन्वेंटरी	4,013.09	3,430.29

नोट: चाय इन्वेंट्री के मामले में, 31.03.2025 तक पूरी तरह से प्रसंस्कृत चाय की केवल इन्वेंट्री को तैयार वस्तु के तहत माना गया है।

नोट 9 वर्तमान नविश

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर नविश किया गया		
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों में	0.35	0.35
वेबफलि बॉन्ड	80.00	-
	-	-
कुल	80.35	0.35

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 10 व्यापार प्राप्य

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
व्यापार प्राप्य	14,404.23	11,244.70
	-	-
घटायें: संदिग्ध ऋणों और एलडी के लिए भत्ता	1,959.59	1,250.77
कुल प्राप्य	12,444.64	9,993.93

2024-2025 की व्यापार प्राप्तियों की उम्र बढ़ना

	6 से कम महीने	6 महीने से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 से अधिक वर्ष	कुल
i. निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	10,213.36	542.66	586.64	1,101.99		12,444.65
ii. निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - जिनके पास ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि				9.95	1,949.63	1,959.58
iii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य – नष्ट ऋण						-
iv. विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है						-
v. विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें ऋण जोखिम में विशेष वृद्धि होती है।						-
vi. विवादित व्यापार प्राप्य – नष्ट ऋण						-
कुल	10,213.36	542.66	586.64	1,111.94	1,949.63	14,404.23
बिल न किया गया बकाया						
अशोध और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	0			9.95	1949.63	1,959.58
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) -%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2023-2024 की व्यापार प्राप्तियों की उम्र बढ़ना

	6 से कम	6 महीने 1	1-2 साल	2-3 साल	3 से अधिक	कुल
i. निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	7,470.53	552.20	1,346.64	384.05	240.51	9,993.93
ii. निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - जिनसे ऋण जोखिम में वृद्धि नहीं हो सकती है।				24.95	1,225.82	1,250.77
iii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण बाधित						-
iv. विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है						
v. विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनसे ऋण जोखिम में वृद्धि नहीं हो सकती है						
vi. विवादित व्यापार प्राप्य – नष्ट ऋण						
कुल	7,470.53	552.20	1,346.64	409.00	1,466.33	11,244.70
बिल न किया गया बकाया						
अशोध और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	0	395.06	0	8.39	449.25	852.7
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता प्रावधान) -%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 11 नकद और नकद समकक्ष

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(क) बैंकों के साथ शेष राशि		
(1) बैंकों के साथ अप्रतिबंधित शेष राशि		
(i) चालू खाते में	727.15	1,020.46
(ii) 3 महीने से कम के जमा खाते में	-	-
(ii) जमा खाते में 3 महीने से अधिक	-	-
(ख) चेक और ड्राफ्ट हाथ में	-	-
(ग) हाथ में डाक और डाक टिकट	0.00	0.00
(घ) पारगमन में प्रेषण	-	-
(ङ) धारित नकदी	2.95	5.38
बैलेंस शीट के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	730.10	1,025.84

नोट 12 अन्य बैंक बैलेंस

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
जमा खाते में-मार्जिन	3,076.74	2,868.47
बैलेंस शीट के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	3,076.74	2,868.47

नोट 13 ऋण

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
ऋण और अग्रिम		
सुरक्षित माना जाता है--- अच्छा		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम	-	
	-	-
असुरक्षित अच्छा माना जाता है	-	0.44
संशयी	120.41	120.41
	120.41	120.85
कम प्रावधान	120.41	120.41
		0.44
कुल	-	0.44

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 14 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
	-	-
जमा		
अच्छा माना जाता है	-	-
संदिग्ध माना जाता है	-	-
	-	-
कम: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	-
निवल	-	-
नकद में वसूली योग्य अन्य अग्रिम		
अच्छा माना जाता है	-	-
संदिग्ध माना जाता है		
उधार	-	-
घटायें: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान		
नाबार्ड के पास जमा	-	-
ईएमडी/एसडी	458.19	426.72
घटायें: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	458.19	426.72
अर्जित ब्याज		
फिक्स्ड डिपॉजिट पर	168.19	139.15
नाबार्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज	-	-
ऋण और अग्रिमों पर अर्जित ब्याज	-	-
अन्य प्राप्य	-	-
	-	-
कुल	626.38	565.87

नोट 15 अन्य वर्तमान संपत्ति

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
सरकारी अधिकारियों के साथ संतुलन	1,472.03	1,669.80
कर्मचारियों को अग्रिम	10.29	41.85
अन्य अग्रिम-असुरक्षित को अच्छा माना जाता है	-	422.75
	-	-
नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अन्य अग्रिमों	-	-
अच्छा माना जाता है	1,840.17	1,865.47
संदिग्ध माना जाता है	318.52	366.67
	2,158.70	2,232.13
घटायें: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	318.52	366.67
	1,840.17	1,865.47
अन्य प्राप्य	-	-
	-	-
	-	-
कुल	3,322.50	3,999.86



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 16 बिक्री के लिए या मालिकों को वितरण के लिए रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण। (रुपये लाख में)

इलेक्ट्रिकल-कोलकाता

विवरण	"भूमि (लीजहोल्ड भूमि सहित) (नोट 2 देखें)"	भवन	सड़कें और पुलिया	प्लांट और यंत्र समूह	इलेक्ट्रॉनिक इंस्टाल-लेशन	फर-नाइचर और फिक्स-टयूर	कार्यालय उपकरण	वाहन	कम्प्यूटर	कुल रुपये	अमूर्त संपत्ति	कुल रुपये	2024-25 में लाख रुपये	2023-24 में लाख रुपये
31.03.2024 तक शुद्ध वहन राशि	-	-	-	-	-	-	-	4,349.21	-	4,349.21	-	4,349.21	0.04	0.04
अतिरिक्त निपटान/समायोजन				-				4,349.21		4,349.21	-	4,349.21	0.04	
पुनर्वर्गीकृत संपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
31.03.2025 तक शुद्ध वहन राशि	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.04

नोट 1: चालू वर्ष के दौरान बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों को दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पुनर्वर्गीकृत किया गया है नोट संख्या -62।

नोट 17: इक्विटी शेयर कैपिटल

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
प्राधिकृत:		-
इक्विटी शेयर	-	
2/- रुपये प्रत्येक के 55,00,00,000 रुपये	11,000.00	11,000.00
जारी, सब्सक्राइब और पूरी तरह से भुगतान किया गया:		-
इक्विटी शेयर		-
प्रत्येक 2 रुपये की 48,89,50,978 रुपये	9,779.02	9,779.02
कुल	9,779.02	9,779.02

1. 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित कंपनी के शेयर

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक ₹ 1000 का अंकित मूल्य)	कुल का % शेयरों	इस अवधि के दौरान % परिवर्तन
जैसा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में बताया गया है	-	-	-

2. रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में इक्विटी शेयरों का समाधान: -

	शेयर की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
01.04.2024 को प्रारंभिक शेष राशि	48,89,50,978	9779.02
अवधि के दौरान जोड़	-	-
31.03.2025 को अंतिम बैलेंस	48,89,50,978	9779.02

3. कंपनी के पास शेयरों का केवल एक वर्ग है यानी इक्विटी शेयर।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 18 अन्य इक्विटी

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
आरक्षित पूंजी		
(क) पूंजी आरक्षित	406.76	406.76
(ख) अन्य रिजर्व	-	-
	-	-
बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व	-	-
(क) बॉन्ड मोचन आरक्षित	-	-
	-	-
पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए केंद्रीय/राज्य सब्सिडी	-	-
	-	-
सुरक्षा प्रीमियम रिजर्व	2,741.75	2,741.75
	-	-
प्रतिधारित आय	-	-
प्रारंभिक संतुलन	(553.61)	5,902.70
लाभ जोड़ें	(2,553.40)	(6,422.09)
पी/एल के खिलाफ समायोजन	(7.08)	(34.23)
	(3,099.94)	(553.61)
अन्य व्यापक आय	-	-
प्रारंभिक संतुलन	49.60	(169.69)
लाभ जोड़ें	245.88	219.30
ओसीआई के खिलाफ समायोजन	-	-
अन्य व्यापक आय	295.49	49.60
कुल	344.06	2,644.50

नोट 19 उधार

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
सुरक्षित - परिशोधित लागत पर		
सावधि ऋण	-	-
पीएनबी से	47.00	235.00
बैंक ऑफ बड़ौदा से	-	-
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से	106.23	141.51
ब्रोकर	-	-
इलाहाबाद बैंक से कार लोन	-	-
	-	-
कुल गैर-चालू उधार	153.23	376.51



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 20 अन्य वित्तीय देनदारियां

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
गैर-वर्तमान		
संबंधित पक्षों से सुरक्षा जमा	28.80	28.80
एचडीएफसी बैंक से कार ऋण	8.77	14.04
कुल	37.57	42.84

नोट 21 प्रावधान

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
कर्मचारी लाभ के लिए		
ग्रेच्युटी	2,719.74	2,572.24
अवकाश	881.54	876.04
चिकित्सा	-	-
सेवानिवृत्ति और पेंशन के लिए	6.49	6.49
आकस्मिकताओं के लिए	108.54	108.23
बिक्री कर (सी-फॉर्म) के लिए	5.25	5.25
अन्य के लिए	-	6.77
कुल	3,721.56	3,575.03

नोट 22 अन्य गैर-चालू देनदारियां

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
गैर-वर्तमान		
चाय बोर्ड सब्सिडी (पुनर्रोपण सब्सिडी) से उत्पन्न आस्थगित राजस्व	19.56	34.86
स्वच्छ मिशन के लिए सरकारी सब्सिडी	-	4.50
"पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए चाय बोर्ड सब्सिडी से उत्पन्न होने वाला आस्थगित राजस्व"	625.20	639.66
कुल	644.77	679.02

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 23 उधार

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
सुरक्षित		
अनुसूचित बैंकों से		
यूनियन बैंक	2,194.58	2,180.84
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (पंजाब नेशनल बैंक)	3,716.95	3,692.10
इलाहाबाद बैंक (इंडियन बैंक)	1,007.86	873.63
बैंक ऑफ बड़ौदा	(4.53)	-
आईसीआईसीआई बैंक	2,999.85	2,899.85
करूर वैश्य बैंक	254.90	873.50
अन्य	218.82	490.46
कुल उधार	10,388.43	11,010.38

नोट 24 व्यापार और अन्य देय

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वस्तुओं और सेवाओं के लिए		
i) एमएसएमई	-	-
ii) अन्य	10,543.66	7,731.77
iii) विवादित बकाया (एमएसएमई)		
iv) विवादित बकाया (अन्य)		
कुल	10,543.66	7,731.77

31.03.2025 तक लेनदारों की आयु

	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i. एमएसएमई	3,781.31	-	-	-	3,781.31
ii. अन्य	2,966.42	3,579.10	53.91	162.92	6,762.35
iii. विवादित बकाया – एमएसएमई					
iv. विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-
कुल	6,747.73	3,579.10	53.91	162.92	10,543.65
अनबिल बकाया	0	0	0	0	0
कुल	6,747.73	3,579.10	53.91	162.92	10,543.65



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

31.03.2024 तक लेनदारों की आयु

	लेनदेन की तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	Total
i. एमएसएमई		कुल	30.92	22.04	2,542.78
ii. अन्य	2,831.03	1,472.73	21.08	864.16	5,189.00
iii. विवादित बकाया – एमएसएमई					
iv. विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-
कुल	5,275.09	1,518.49	52.00	886.20	7,731.77
अनबिल बकाया					
कुल	5,275.09	1,518.49	52.00	886.20	7,731.77

नोट 25 अन्य वित्तीय देनदारियां

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-
सुरक्षित सावधि ऋण		
बैंक ऑफ बड़ौदा से		
एचडीएफसी बैंक से कार ऋण 1 वर्ष के भीतर देय	5.27	4.86
उधार पर अर्जित और देय ब्याज		
अनुसूचित बैंकों से		
अन्य से	2.45	0.80
गार्डन में जमा करें	-	-
बयाना धन/सुरक्षा जमा	146.88	273.51
अन्य	8,516.00	5,228.46
कुल	8,670.61	5,507.64

नोट 26 अन्य वर्तमान देनदारियां

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
ग्राहकों से अग्रिम प्राप्ति	-	
अन्य	1,266.17	1,293.82
सांविधिक प्राधिकारियों को देय	2,442.05	3,383.80
कुल	3,708.22	4,677.61

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 27 - अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
स्टॉक अप्रचलन, आकस्मिकताओं और खाद्य पदार्थों के लिए	917.30	901.99
दावा न किए गए लाभांश के लिए	0.48	-
खाद्य पदार्थों के लिए	-	-
बकाया वेतन के लिए	25.11	12.90
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी के लिए	1,323.73	616.49
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण के लिए	138.74	61.28
लीव एनकैशमेंट के लिए	173.46	162.40
वारंटी के लिए	10.80	8.14
चिकित्सा के लिए	165.63	177.68
अन्य के लिए	96.88	49.46
वेबफिल बॉन्ड के लिए	65.12	65.12
बिजली शुल्क वसूली योग्य के लिए	23.96	23.96
एनएससी के लिए	0.35	0.35
टीडीएस पुनर्प्राप्ति योग्य के लिए	1.02	1.02
रिकवरी योग्य पीएफ के लिए	42.97	42.97
कुल	2,985.55	2,123.74



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 28- परिचालन से राजस्व

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31, मार्च 2025 तक	31, मार्च 2024 तक
उत्पादों की बिक्री	32,309.37	30,126.39
घटायें: व्यापार और अन्य छूट	-	-
घटायें: बिक्री पर जीएसटी	1,676.62	-
उत्पादों की बिक्री	30,632.75	30,126.39
	-	-
सेवाओं की बिक्री	262.54	402.13
	-	-
अन्य परिचालन आय	-	-
-अन्य निर्यात प्रोत्साहन और उसकी बिक्री	0.79	44.65
- चाय बोर्ड सब्सिडी	24.64	226.52
-चाय अपशिष्ट बिक्री	73.51	56.20
प्रोव की अब आवश्यकता नहीं है	-	-
दायित्व की अब आवश्यकता नहीं है	42.11	14.70
स्क्रैप की बिक्री	134.63	114.81
रॉयल्टि		
अन्य परिचालन आय	-	-
चाय की बिक्री	-	-
निरंतर संचालन से कुल राजस्व	31,170.97	30,985.40

नोट 29 - अन्य आय

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31, मार्च 2025 तक	31, मार्च 2024 तक
ब्याज आय (सकल)	250.23	250.52
दीर्घकालिक व्यापार प्राप्तियों के पुनर्मापन पर लाभ	-	-
निवेश के पुनर्मापन पर लाभ	12.71	5.52
किराया (सकल)	547.52	488.91
लाभार्थ आय	-	-
-सहायक कंपनियों से	2,376.98	2,148.42
-अन्य से	-	109.33
निवेश की बिक्री पर लाभ	-	-
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	69.84	0.61
रॉयल्टि	-	-
स्क्रैप की बिक्री	38.17	-
स्टॉक की बिक्री	-	-
देनदारियों को अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है	190.72	57.96
प्रोव की अब आवश्यकता नहीं है	475.21	0.92
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध लाभ	16.41	-
सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण पर लाभ	2,345.57	673.72
निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्क	-	-
एक्सचेंज पर लाभ	-	7.05
वाईएसएसएफ का अतिरिक्त प्रावधान बढ़ा में समायोजित	-	-
पूँजीगत सब्सिडी पर विकृत आय	15.29	6.22
विविध रसीदें सामान्य व्यय	(24.92)	8.42
अन्य	42.66	109.67
कुल	6,356.41	3,867.27

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 30 - कच्चे वस्तु और उपभोग कए गए घटकों की लागत

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31, मार्च 2024 तक
सामग्री, घटक, पैकगि सामग्री और ढीले उपकरण	11,094.14	10,304.50
कुल	11,094.14	10,304.50

नोट 31 - तैयार वस्तु की सूची में परिवर्तन और कार्य-प्रगति

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31, मार्च 2024 तक
समापन इन्वेंटरी		
तैयार वस्तु	568.20	614.73
डब्ल्यूआईपी	1234.43	1077.12
कुल	1802.63	1,691.85
वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी		
तैयार वस्तु	614.73	1516.61
डब्ल्यूआईपी	1077.12	1325.02
कुल	1,691.85	2841.63
कम: डब्ल्यूआईपी को कैपिटल एसेट में अंतरण कर दिया गया	-11.07	
इन्वेंट्री में बदलाव	(121.85)	1149.78

नोट 32 - कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31, मार्च 2025 तक	31, मार्च 2024 तक
वेतन और मजदूरी	15,471.96	17,004.14
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	2,847.77	3,009.90
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,525.74	1,635.30
कम: पूंजीगत नौकरियों, मरम्मत नौकरियों आदि पर खर्च किया गया।	29.51	27.79
कुल	19,815.95	21,621.55

नोट 33 - मूल्यहास और परिशोधन व्यय

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31, मार्च 2025 तक	31, मार्च 2024 तक
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	655.30	694.13
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन	1.57	1.18
कुल	656.86	695.31

नोट 34 - वित्त लागत

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31, मार्च 2025 तक	31, मार्च 2024 तक
ब्याज व्यय		
- बैंकों को	1,913.66	1,188.43
- सरकारी विभागों को	-	-
- बांधधारकों के लिए		
- अन्य के लिए (एलसी और बीजी शुल्क)	145.60	245.79
अन्य उधार लागत (एलसी और बीजी शुल्क)	131.87	115.52
कुल	2,191.13	1,549.73



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 35 – अन्य व्यय

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31, मार्च 2025 तक	31, मार्च 2024 तक
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत	0.50	-
बिजली और ईंधन	2,220.19	2,595.23
चाय की खेती और विनिर्माण व्यय	530.19	490.21
किराया (नेट)	101.28	129.11
मरम्मत और रखरखाव:		
- भवन	229.82	147.61
- संयंत्र और मशीनरी	107.34	191.53
- अन्य	97.50	40.64
यात्रा व्यय और वाहनों का रखरखाव	206.59	219.99
अनुसंधान और विकास व्यय	15.01	79.01
सुरक्षा-कवच	49.66	50.76
दरें और कर	50.84	38.58
उत्पाद शुल्क/जीएसटी	80.27	3.76
चाय पर उपकर	-	-
ग्रीन लीफ सेस	-	-
टेलीफोन और डाक	11.20	25.00
ब्रोकर का कमीशन	140.43	155.47
बैंक शुल्क	7.98	16.41
बेचने का खर्च:		
- एजेंट का कमीशन बेचना	1.16	-
- वितरण और माल ढुलाई	597.02	749.02
- अन्य	3.34	12.15
परिसमापन हर्जाना और जुर्माना आदि।	121.15	-
सुधार/प्रतिस्थापन	2.66	3.60
खराब ऋण बढ़े खाते में डाला गया	-	-
विविध बैलेंस बढ़े खाते में डाल दिया गया	-	-
सार्वजनिक सूचना	10.50	21.12
सुपरएन्युएशन फंड के लिए अतिरिक्त प्लान एसेट्स को बढ़े खाते में डाल दिया गया	-	-
इसके लिए प्रावधान:	-	-
- संदिग्ध ऋण	587.67	443.61
- संदिग्ध ऋण, अग्रिम और जमा	7.65	113.33
- निवेश के मूल्य में कमी	-	-
- रिकवरी योग्य पीएफ अकाउंट	-	-
- पुनर्प्राप्त करने योग्य विद्वत शुल्क		
- एनएससी		
- स्टॉक/स्टोर अप्रचलन	6.53	61.39
- एलडी	-	-
- टीडीएस वसूली योग्य	-	-
- केओपीटी किराया	-	-
- कैपिटल डब्ल्यूआईपी	-	-
- अनुसूची बैंक	-	0.65

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31, मार्च 2025 तक	31, मार्च 2024 तक
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक:		
-लेखा परीक्षक के रूप में	11.31	8.80
-टैक्स ऑडिट के लिए	-	-
-अन्य सेवाओं के लिए	7.88	10.66
-प्रतिपूर्ति व्यय के लिए	0.85	1.58
-कराधान मामले के लिए	-	-
इंटर डिवीजन खर्च चाय	-	-
जीडी - सामान्य खर्च	-	-
सुरक्षा सेवा शुल्क	191.31	126.17
बॉन्ड पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	-	65.12
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	-	-
निवेश की बिक्री पर नुकसान	-	-
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.31	0.66
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध हानि	-	-
परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में कमी/वृद्धि	41.14	2.94
विविध व्यय	1,301.04	1,045.80
कुल	6,740.31	6,849.91

नोट 36 - असाधारण आइटम

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31, मार्च 2025 तक	31, मार्च 2024 तक
वीआरएस खाता वेतन	-	-
स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	-
कुल	-	-

नोट 37 - बंद किए गए ऑपरेशन से लाभ/(हानि)

(रुपये लाख में)

विवरण	31, मार्च 2025 तक	31, मार्च 2024 तक
i) परिचालन से राजस्व	-	-
II) अन्य आय	-	-
III) कुल आय (I+II)	-	-
खर्च		
(क) उपभोग की गई सामग्रियों का सीओ2	-	-
(ख) तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर है	-	-
(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	-	-
(घ) उत्पाद शुल्क	-	-
(ङ) मूल्यहास और परिशोधन	-	-
(च) वित्त सीओ2	-	-
(छ) अन्य व्यय	-	61.15
IV) कुल व्यय	-	61.15
बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि)	-	(61.15)



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]
नोट 38 प्रति शेयर आय (रुपये लाख में)

विवरण	31, मार्च 2025 तक	31, मार्च 2024 तक
प्रति इक्विटी शेयर कमाई		
(क) बुनियादी		
(i) वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	488950978	488950978
(ii) वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	488950978	488950978
(iii) शेयरों की भारित औसत संख्या	488950978	488950978
(iv) प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	2.00	2.00
(v) इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद लाभ	(2553.40)	(6422.09)
(vi) प्रति इक्विटी शेयर मूल आय	(0.52)	(1.31)
(ख) मिश्रित		
(i) तनु संभावित इक्विटी शेयर	Nil	Nil
(ii) प्रति इक्विटी शेयर मिश्रित आय (रु)	(0.52)	(1.31)

नोट 39 कर्मचारी लाभ

[39.1]

क] अवकाश दायित्व:- कंपनी कुछ नियमों के अधीन अवकाश नकदीकरण या वेतन सहित अवकाश की सुविधा प्रदान करती है। कर्मचारियों को भविष्य में नकदीकरण हेतु निश्चित सीमा तक अवकाश संचित करने का अधिकार है। दायित्व प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर संचित अवकाश के दिनों की संख्या के आधार पर एच्युएरियल मूल्यांकन पर किया जाता है। यह योजना अपोषित है। 31 मार्च 2025 तक अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान की राशि 1054.97 लाख रुपये (1013.49 लाख रुपये) है जिसे एच्युएरियल मूल्यांकन आधार पर चालू और गैर-चालू के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

[ख] चिकित्सीय लाभ:- कर्मचारियों को घरेलू उपचार हेतु चिकित्सीय लाभ तीन वर्ष के ब्लॉक के लिए उपलब्ध है और यदि संबंधित कर्मचारी इसका उपयोग नहीं करता तो यह प्रत्येक वर्ष निरस्त हो जाता है। ऐसे अप्रयुक्त चिकित्सीय लाभ की दायित्व राशि वास्तविक आधार पर निर्धारित की गई है न कि एच्युएरियल मूल्यांकन पद्धति से, क्योंकि आगामी ब्लॉक के दौरान पात्र राशि स्थिर रहेगी। 31 मार्च 2025 तक कुल दायित्व राशि 165.63 लाख रुपये (177.68 लाख रुपये) है जिसे खातों में लिया गया है।

[39.2] सेवा उपरान्त दायित्व- परिभाषित लाभ योजनाएँ:

[क] ग्रेच्युटी:- कंपनी के पास पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान करने का दायित्व भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार है। इस योजना का प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो इस उद्देश्य के लिए बनाया गया है और कंपनी का दायित्व एच्युएरियल मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान करना है। यह योजना पोषित है।

[ख] सेवा निवृत्ति उपरान्त चिकित्सीय योजना:- इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी को कुछ राशि की सीमा तक एक बार का लाभ प्राप्त होता है। इसका दायित्व वास्तविक लागत पर निर्धारित होता है। यह योजना अपोषित है।

[ग] पेंशन कोष:- कंपनी के पास कुछ पात्र कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ पेंशन कोष है। इस योजना का प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो इस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। किन्तु 31.03.25 तक इस कोष का कोई पात्र सदस्य नहीं है, अतः वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य शून्य है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार			31.03.2024 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकै शर्मेट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकै शर्मेट	सेवा-निवृत्ति
(क) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के खोलने और बंद करने वाले शेष का मिलान						
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	7,754.45	1,038.44	0.00	7,329.70	1,025.88	0.00
वर्तमान सेवा लागत	363.11	180.84	0.00	407.01	168.65	0.00
ब्याज व्यय	528.55	74.28	0.00	521.35	76.90	0.00
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में कमी से उत्पन्न होने वाली एक्ट्यूरियल (लाभ) / हानियाँ।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वितीय मान्यताओं में गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाली क्रियात्मक (लाभ)/हानियाँ	226.17	0.00	0.00	127.15	0.00	0.00
अनुभव संबंधी अनुमानों में कमी से उत्पन्न होने वाली क्रियाशील (लाभ)/हानियाँ।	(545.33)	0.00	0.00	376.68	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	110.90	0.00	0.00	7.60	0.00
पिछले सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भुगतान कि ए गए लाभ	(206.60)	(349.49)	0.00	(254.09)	(240.59)	0.00
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य।	8,120.36	1,054.97	0.00	7,754.45	1,038.44	0.00

(रुपये लाख में)

(ख) उचित मूल्य और योजना परिसंपत्ति यों के शुरुआत और समापन शेष का मिलान						
विवरण	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार			31.03.2024 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकै शर्मेट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकै शर्मेट	सेवा-निवृत्ति
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्ति यों का उचित मूल्य	5182.20	0.00	147.07	5022.75	0.00	147.07
ब्याज आय	367.42	0.00	0.00	367.16	0.00	0.00
पुनर्मापन (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना परिसंपत्ति यों पर वापसी, (शुद्ध ब्याज आय में शामिल राशि को छोड़कर)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वितीय मान्यताओं में गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाली क्रियात्मक (लाभ)/हानियाँ	57.59	0.00	0.00	46.38	0.00	0.00
योगदान	0.00	349.49	0.00	0.00	240.59	0.00
लाभ का भुगतान	(206.60)	(349.49)	0.00	(254.09)	(240.59)	0.00
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्ति यों का उचित मूल्य	5400.62	0.00	147.07	5182.20	0.00	147.07



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

(रुपये लाख में)

(ग) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का मिलान						
	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार			31.03.2024 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	8120.36	1054.97	0.00	7754.45	1038.44	0.00
वर्ष के अंत में उचित मूल्य योजना परिसंपत्तियाँ	5400.62	0.00	147.07	5182.20	0.00	147.07
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त (देयताएं)	(2719.74)	(1054.97)	147.07	(2572.24)	(1038.44)	147.07

(रुपये लाख में)

	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार			31.03.2024 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
(घ) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय						
पुनर्माप (लाभ)/हानि	(376.75)	0.00	0.00	(295.91)	0.00	0.00
(ङ) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय:						
वर्तमान सेवा लागत	363.11	180.84	0.00	407.01	168.65	0.00
पिछले सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल ब्याज लागत/ (आय)	161.14	74.28	0.00	154.19	76.90	0.00
एक्चुरियल (लाभ)/ हानि		110.90	0.00	0.00	7.60	0.00
कुल खर्च की पहचान	524.25	366.02	0.00	561.20	253.15	0.00
(च) महत्वपूर्ण क्रियात्मक धारणाएं इस प्रकार हैं						
छूट दर	6.72%	6.72%		7.09%	7.09%	
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	6.72%	N.A.		7.09%	N.A.	
वेतन वृद्धि	3.00%	3.00%		3.00%	3.00%	
कर्मचारियों के अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन						

(रुपये लाख में)

(छ) गोपनीयता विश्लेषण							
विवरण	छूट दर के साथ परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) पर प्रभाव				छूट दर के साथ परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) पर प्रभाव		
	धारणाओं में बदलाव		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार	धारणाओं में बदलाव		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार
ग्रेच्युटी	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी	(154.13)	(144.19)	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी	319.73
	0.25% की कमी	रुपये की कमी	159.80	149.42	0.25% की कमी	रुपये की कमी	299.25
लीव इनकैशमेंट	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी			0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी	
	0.25% की कमी	रुपये की कमी			0.25% की कमी	रुपये की कमी	
सेवा-निवृत्ति	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी			0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी	
	0.25% की कमी	रुपये की कमी			0.25% की कमी	रुपये की कमी	

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

(रुपये लाख में)					
(ज) भविष्य के वर्षों के लिए अपेक्षित नकदी प्रवाह					
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष के बीच	1-2 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2024 की स्थिति के अनुसार					
ग्रेच्युटी	1,047.63	740.26	2,250.91	12,038.89	16,077.69
सेवा-निवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	1,047.63	740.26	2,250.91	12,038.89	16,077.69
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार					
ग्रेच्युटी	993.45	767.32	2,196.85	11,892.84	15,850.46
सेवा-निवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	993.45	767.32	2,196.85	11,892.84	15,850.46

[39.3] सेवा उपरान्त दायित्व: -

परिभाषित अंशदान योजना: - कंपनी के पास परिभाषित अंशदान योजना है जैसे पीएफ और ईएसआई। परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त व्यय इस प्रकार है:

(रुपये लाख में)		
विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
पीएफ में योगदान	2847.77	3009.30
कर्मचारी राज्य बीमा कोष में योगदान	0.46	0.15

नोट 40 आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं

(रुपये लाख में)		
विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
(क) आकस्मिक देनदारियां		
फिर से दावे2 कंपनी को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	1260.85	552.94
विवादित उत्पाद शुल्क/कस्टम शुल्क	513.56	513.56
विवादित बिक्री कर/वैट/जीएसटी	2056.03	2051.11
विवादित आयकर	1922.00	1922.00
(ख) गारंटी		
बैंक गारंटी	1480.40	1094.95
बैंक को पुनः दी गई अन्य गारंटियां, सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई 2 वित्तीय सुविधाएं	-	-
असमाप्त साख पत्र	649.71	1601.08
(ग) प्रतिबद्धताएं		
पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	98.00	0.08



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 41

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत खुलासा

(रुपय लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	कुल धनराशि	
		31.03. 2025 तक	31.03. 2024 तक
1	बकाया मूल राशि और ब्याज		
	i) 45 दिनों के भीतर मूल राशि	3413.26	2098.98
	ii) 45 दिनों से अधिक की मूल राशि	368.05	443.87
2	किए गए भुगतान की राशि के साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि नियत दिन से परे		
3	देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जहां मूलधन का भुगतान पहले ही किया जा चुका है लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है)		
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त ब्याज की राशि	15.04	17.50
5	आगामी वर्षों में भी बकाया और देय शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि का वास्तव में एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए भुगतान नहीं कर दिया जाता।		

नोट 42

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:- वर्ष के दौरान कोई राशि व्यय नहीं की गई

नोट 43

संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

क. संबंधित पक्षों की सूची

सहायक कंपनी	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	
	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	
सहभागी	वीडोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	श्री अनंत मोहन सिंह	- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	श्री राजिंदर सिंह मांकू	- निदेशक (योजना)
	श्री संजय वर्मा	- निदेशक (वित्त)
	श्रीमती सुचरिता दास	- कंपनी सचिव

ख. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

(रुपये लाख में)

संबंधित पक्ष का नाम और लेनदेन/शेष राशि	31.03.2025 तक			31.03.2024 तक		
	सहायक	एसोसिएट्स	कुल	सहायक	एसोसिएट्स	कुल
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड						
वस्तु की खरीद	-	-	-	-	0.04	0.04
वस्तु की बिक्री	-	1.20	1.20	-	38.72	38.72
प्राप्त लाभांश	-	2376.98	2376.98	-	2148.42	2148.82
प्राप्त किराया	-	524.25	524.25	-	445.14	445.14

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

संबंधित पक्ष का नाम और लेनदेन/शेष राशि	31.03.2025 तक			31.03.2024 तक		
	सहायक	एसोसिएट्स	कुल	सहायक	एसोसिएट्स	कुल
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड						
खर्चों की प्रतिपूर्ति	-	62.52	62.52	-	206.85	206.85
खर्चों की वसूली	1.41	3.64	5.05	1.30	-	1.30
प्राप्त निदेशक की फीस	-	6.00	6.00	-	7.75	7.75
ब्याज खर्च	-	32.88	32.88	-	15.25	15.25
अन्य वर्तमान संपत्ति	12.59	-	12.59	11.18	-	11.18
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	-	-	-
अग्रिम प्राप्त हुआ	-	1193.22	1193.22	-	550.00	550.00
अग्रिम धनवापसी	-	1248.22	1248.22	-	529.92	529.92
अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	-	-	-	-	-	-
अन्य अल्पकालिक देनदारियां	-	-	-	-	55.00	55.00
31 मार्च तक देय राशि,	12.59	-	12.59	11.18	-	11.18
31 मार्च तक देय राशि,	-	-	-	-	55.00	55.00

कंपनी और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के बीच लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक	2024-25	2023-24
श्री संजय भट्टाचार्य	0.00	43.95
श्री अनंत मोहन सिंह	47.00	10.53
श्री के मोहन	1.75	43.19
श्री राजिंदर सिंह मनकू	39.13	42.87
श्री संजय वर्मा	40.52	12.46
श्रीमती सुचरिता दास	26.77	20.15

नोट 43.2

निदेशक की फीस से संबंधित प्रकटीकरण		
स्वतंत्र निदेशक	2024-25	2023-24
श्री ओम प्रकाश मित्तल	0.80	1.08
श्री सुंदर पाल सिंह	0.78	1.03
श्रीमती नमिता देवी	0.73	1.03



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 44

कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास व्यय के कारण 138.48 लाख रुपये (पिछले वर्ष 89.50 लाख रुपये) का राजस्व व्यय किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
परीक्षण शुल्क/अनुसंधान एवं विकास व्यय	97.36	50.76
टीआरए की सदस्यता	41.12	38.74
कुल	138.48	89.50

नोट 45 आयकर व्यय

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	681.62	-
पूर्व अवधि के वर्तमान कर के लिए समायोजन		
कुल वर्तमान कर व्यय	681.62	-
आस्थगित कर:		
आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(434.89)	(268.64)
आस्थगित कर देनदारियों में कमी/वृद्धि	(542.49)	(688.52)
कुल आस्थगित कर व्यय	(977.38)	(957.16)
कुल आयकर व्यय	(295.76)	(957.16)

नोट 45.1

31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 के लिए भारत की घरेलू कर दर से गुणा किए गए कर व्यय और लेखा लाभ का मिलान

(रुपये लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24
	कुल धनराशि	कुल धनराशि
आयकर से पहले लेखांकन लाभ	कुल धनराशि	-7318.10
भारत की वैधानिक आयकर दर पर	29.12%	29.12%
प्रभाव:		
आस्थगित कर गति	-977.38	-957.16
अस्वीकृत खर्च	8796.92	7096.24
पी/एल खाते में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	-295.76	-957.16
आयकर की प्रभावी दर पर	10.38	13.08
लाभ के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय और नुकसान	-295.76	-957.16

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]
नोट 46 आस्थगित कर व्यय (लाख रुपये में)

आस्थगित कर देनदारियां (नेट)	2024-25				2023-24			
	प्रारंभिक संतुलन	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त/पुनर्वर्गीकृत	समापन शेष	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त/पुनर्वर्गीकृत	शेष राशि
आस्थगित कर देनदारियां:								
पीपीई, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति पर मूल्यहास	2,601.02	(509.72)		2,091.30	3,121.13	(520.11)		2,601.02
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	0.00			0.00	0.00			0.00
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां	36.96		13.29	50.25	5.50		31.46	36.96
संयुक्त उद्यमों में निवेश								
अन्य								
कुल आस्थगित कर देनदारियां	2,637.99	(509.72)	13.29	2,141.55	3,126.64	(520.11)	31.46	2,637.99
आस्थगित कर परिसंपत्तियां:								
मुआवजा अनुपस्थिति और सेवानिवृत्ति लाभ	938.78	554.77	(32.77)	1,460.78	525.90	581.30	(168.42)	938.78
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-			-	-			-
अन्य	302.90	(87.11)	-	215.79	447.14	(144.24)		302.90
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	1,241.69	467.66	(32.77)	1,676.57	973.04	437.06	(168.42)	1,241.69
शुद्ध आस्थगित कर देनदारियां	1,396.26	(977.38)	46.06	464.94	2,153.55	(957.16)	199.87	1,396.26
विलय के कारण एचपीसीएल की आस्थगित कर देनदारी जोड़ी गई	5.75			5.75	5.75			5.75
विलय के बाद आस्थगित कर देयता शेष	1,402.01	(977.38)	46.06	470.69	2,159.30	(957.16)	199.87	1,402.01

नोट 47.1

कंपनी कर परिसंपत्तियों और दायित्वों को तभी और केवल तभी समायोजित करती है जब उसके पास चालू कर परिसंपत्तियों और चालू कर दायित्वों को समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो तथा स्थगित कर परिसंपत्तियाँ और स्थगित कर दायित्व वही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हों।

नोट 47.2

वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025 के दौरान असम और पश्चिम बंगाल कृषि आयकर के संबंध में कोई दायित्व नहीं है क्योंकि इसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा माफ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा हानि वहन किए जाने के कारण आयकर अधिनियम 1961 के संबंध में भी कोई दायित्व नहीं है।



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 48

बिक्री और कच्चे वस्तु की खपत

(रुपये लाख में)

(i) बिक्री		
वस्तु का वर्ग	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.24 को समाप्त वर्ष
काली और पैकेट चाय	15624.25	16326.79
ट्रांसफॉर्मर	9061.60	8022.46
औद्योगिक प्रशंसक	5946.88	5776.76
सेवा की बिक्री	262.54	337.51
अन्य	0.02	65.00
कुल (उत्पादों की बिक्री)	30895.29	30528.52

(रुपये लाख में)

(ii) उपभोग किए गए कच्चे वस्तु और भंडार की खपत		
मद	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.24 को समाप्त वर्ष
इस्पात	1002.93	644.40
ताम्र	2010.49	1178.24
हरी पत्ती	-	263.75
तेल, रसायन आदि	1217.40	868.72
अन्य	6863.32	7349.39
कुल	11094.14	10304.50

(रुपये लाख में)

ख) आयातित और स्वदेशी कच्चे माल और खपत किए गए भंडारों का मूल्य				
(i) कच्चा माल	31.03.2025 को समाप्त वर्ष		31.03.24 को समाप्त वर्ष	
	मूल्य	%	मूल्य	%
आयात	0.00	0.00	0.00	0.00
स्थानीय	10731.14	100.00	10231.11	100.00
	10731.14	100.00	10231.11	100.00
(ii) भंडार				
आयात	0.00	0.00	0.00	0.00
स्थानीय	363.00	100.00	73.39	100.00
	363.00	100.00	73.39	100.00

(रुपये लाख में)

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
(ग) सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य		
कच्चा वस्तु और घटक	-	-
(घ) विदेशी मुद्रा में व्यय:	-	-
विदेशी खर्च	0.00	0.00
(ङ) विदेशी मुद्रा में आय		
एफओबी के आधार पर निर्यात का मूल्य	1283.57	536.25

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]
नोट 49 सेगमेंट रिपोर्टिंग:

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए खंड-वार राजस्व, परिणाम, परिसंपत्तियां और देनदारियां

(लाख रुपये में)

विवरण	एकल	
	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
	अंकेक्षित	अंकेक्षित
सेगमेंट रेवेन्यू [प्रत्येक सेगमेंट से शुद्ध बिक्री/आय]		
चाय	15725.69	16663.00
इलेक्ट्रिकल-कोलकाता	-	-
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	9174.90	8078.33
अभियांत्रिकी	6200.21	6179.43
अनअलोकैटेड	70.18	64.62
कुल	31170.97	30985.38
घटायें: इंटर सेगमेंट रेवेन्यू	-	-
परिचालन से शुद्ध बिक्री/आय	31170.97	30985.38
सेगमेंट परिणाम		
[लाभ (+)/हानि (-) कर से पहले और प्रत्येक खंड से ब्याज]		
चाय	(5497.22)	(8752.31)
इलेक्ट्रिकल-कोलकाता	(165)	(124.62)
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	2344.50	605.10
अभियांत्रिकी	1082.21	1252.03
कुल	(2235.51)	(7019.80)
घटायें:		
[i] ब्याज	2191.13	1549.73
[ii] अन्य अआवंटित व्यय शुद्ध अआवंटित आय से	(1577.48)	(1251.44)
असाधारण मदों और कर से पहले कुल लाभ/(हानि)	(2 849.16)	(7318.10)
असाधारण आइटम्स इलेक्ट्रिकल कोलकाता	-	-
कुल लाभ/(हानि) असाधारण मदों के बाद और कर से पहले	(2849.16)	(7318.10)
बंद किए गए प्रचालन इलेक्ट्रिकल कोलकाता से लाभ/(हानि)	-	(61.15)
टैक्स से पहले लाभ	(2849.16)	(7379.26)
कर व्यय (वर्तमान और आस्थगित)	(295.76)	(957.16)
कर के बाद लाभ	(2553.39)	(6422.09)
सेगमेंट एसेट्स		
चाय	28,442.60	28438.63
इलेक्ट्रिकल-कोलकाता	2143.23	2430.06
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	9233.38	6938.21
अभियांत्रिकी	8421.59	7450.75
असंबद्ध कॉर्पोरेट	3209.45	4292.43
कुल	51450.25	49550.08
सेगमेंट लायबिलिटीज		
चाय	26859.78	22898.54
इलेक्ट्रिकल-कोलकाता	2334.56	2461.38
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	5402.81	4340.53
अभियांत्रिकी	3843.92	3672.38
असंबद्ध कॉर्पोरेट	2886.08	3,753.73
कुल	41327.15	37126.56



स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नियोजित सेगमेंट कैपिटल (सेगमेंट एसेट्स- सेगमेंट देनदारियां)		
चाय	1582.82	5540.09
इलेक्ट्रिकल-कोलकाता	(191.33)	(31.32)
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	3830.57	2597.68
अभियांत्रिकी	4577.67	3778.37
असंबद्ध कॉर्पोरेट	323.37	538.70
कुल	10123.10	12423.52

नोट 50

कंपनी की सहायक कंपनियों से संबंधित खुलासे

क्रम संख्या	सहायक कंपनी का नाम	31 मार्च 2025 तक शेयरधारिता का %	31 मार्च 2024 तक शेयरधारिता का %
1	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	100%	100%
2	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	100%	100%

नोट 51

इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल प्रभाग की परिसंपत्तियों और दायित्वों का स्थानांतरण यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नामक दो 100% सहायक कंपनियों को स्वीकृत पुनर्वास योजना (एसआरएस) के अनुसार लंबित है। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए उपरोक्त प्रभागों से संबंधित सभी लेनदेन, जो कंपनी द्वारा एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) के नाम से किए गए, को खातों की पुस्तकों में दर्ज किया गया है। यूल इंजीनियरिंग और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के समापन का प्रस्ताव है।

नोट 52

अन्य प्राप्य में 85.96 लाख रुपये बिजली शुल्क के रूप में भुगतान शामिल है जिसे 25 फरवरी 2014 को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा परिपत्र संख्या 233-आईआर/ओ/आईएम-4/2003 के अंतर्गत "पश्चिम बंगाल औद्योगिक नवीनीकरण योजना, 2001" के अनुसार प्राप्य माना गया है, जिसमें कहा गया है कि बंगाल बिजली नियम, 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत बिजली शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि को 31 मार्च 2006 से पांच वर्षों की अवधि के लिए माफ कर दिया जाएगा। हालांकि अत्यधिक सावधानी के तहत इसे खातों में प्रावधानित किया गया है।

नोट 53

एम/एस वेबफिल लिमिटेड के 295.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 295.00 लाख रुपये) के शून्य दर असुरक्षित रिडीमेबल बॉन्ड (मूल्य 305 लाख रुपये) और 6% संचयी रिडीमेबल वरीयता शेयर 0 रुपये (पिछले वर्ष 153.30 लाख रुपये) (मूल्य 204.40 लाख रुपये) की स्थगन अवधि क्रमशः 21/12/2022 और 01/04/2022 को समाप्त हो गई है। 161.68 लाख रुपये के संचयी वरीयता शेयरों पर लाभांश का लेखांकन अभी किया जाएगा जब यह प्राप्त होगा। हालांकि, एम/एस वेबफिल लिमिटेड ने एक पुनर्भुगतान अनुसूची प्रस्तुत की है जिसे एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है, जैसा कि नीचे है।

वित्तीय वर्ष	किश्ते खाता वरीयता शेयर	किश्ते खाता बांड
2022-23	160 लाख रुपये (*)	-----
2023-24	100-120 लाख रुपये(**)	-----
2024-25	शेष राशि(***)	140-160 लाख रुपये(***)
2025-26	-----	शेष राशि (80 लाख रुपये)

(*) अप्रैल 2022 में प्राप्त।

(**) अप्रैल 23 में 110 लाख रुपये (टीडीएस सहित) वरीयता शेयरों पर लाभांश के रूप में प्राप्त।

(***) मार्च 24 में 100 लाख रुपये एवं अप्रैल 24 में 30 लाख रुपये प्राप्त।

(****) सितम्बर 24 में 35 लाख रुपये एवं मार्च 25 में 50 लाख रुपये प्राप्त।

इसका प्रभाव जैसे ही प्राप्त होता है दिया जा रहा है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 54

एम/एस हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड, एक 100% सहायक कंपनी, की परिसंपत्तियाँ और दायित्व राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के आदेश के पश्चात 04/06/2022 से एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड में विलय कर दिए गए हैं। पूर्व हुगली प्रिंटिंग कंपनी की परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु किराया, बिजली, सुरक्षा सेवाओं जैसी व्यय 04/06/2022 से कॉरपोरेट प्रभाग के अंतर्गत बुक किए गए हैं।

नोट 55

कंपनी प्रत्येक चालू या गैर-चालू परिसंपत्ति को कबाड़ घोषित करने और अंततः बिक्री हेतु रखने से पूर्व एक कबाड़ समिति द्वारा निरीक्षण की प्रथा का पालन करती है।

नोट 56

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु दायित्व को कंपनी के लिए समग्र रूप से माना गया है न कि इकाई/प्रभागवार।

नोट 57

कंपनी छूट प्राप्त न्यास कोष में भविष्य निधि अंशदान के संबंध में निवेश हानि एवं समग्र हानि (यदि कोई हो) का लेखांकन तभी करती है जब उक्त कोष के न्यासियों से दावा वास्तविक रूप से प्राप्त होता है।

नोट 58

पूँजीगत कार्य प्रगति में 5932.97 लाख रुपये (2023-24 में 8741.85 लाख रुपये) की राशि युवा चाय पौधों की पोषण एवं संबंधित व्यय शामिल है जो इंड-एस के अनुपालन में है।

नोट 59

दुआर्स में तीन चाय बागानों की भूमि पट्टे के नवीनीकरण हेतु पश्चिम बंगाल सरकार ने 177.66 लाख रुपये सलामी के रूप में मांगे हैं, जिसे एवाईसीएल ने स्थानीय राज्य सरकार अधिकारियों तथा कोलकाता में उच्च सरकारी अधिकारियों के समक्ष माफी हेतु लिया है। एवाईसीएल को उम्मीद है कि कंपनी के पक्ष में इस मुद्दे का निपटारा होगा, जिसका संकेत एवाईसीएल के एक अन्य बगीचे के पट्टे के नवीनीकरण से भी मिलता है जिसमें सलामी का भुगतान नहीं किया गया।

चूंकि यह मामला सरकार एवं अर्ध-सरकारी/स्वायत्त निकाय (जैसा लागू हो) से संबंधित है और कंपनी के माफी हेतु आवेदन अस्वीकार कर दिए गए हैं, एवाईसीएल ने पुनः इस मामले को पश्चिम बंगाल सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है जो लंबित है। इसके अतिरिक्त एवाईसीएल ने एक प्रसिद्ध अधिवक्ता फर्म से कानूनी राय प्राप्त की है और उसके आधार पर कुल 177.66 लाख रुपये की राशि को "कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया" में सम्मिलित किया गया है जैसा कि नोट संख्या 40 में बताया गया है।

नोट 60

कंपनी देनदारों और लेनदारों से वर्षांत शेष पुष्टिकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रणाली का पालन करती है। हालांकि, जिन मामलों में देनदारों/लेनदारों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, उनमें कंपनी ने खातों में उपलब्ध आंकड़े ही बनाए रखे हैं।

नोट 61

नोट 15 "अन्य चालू परिसंपत्तियों" के अंतर्गत "वैधानिक प्राधिकरणों के साथ शेष" में 42.97 लाख रुपये की राशि भविष्य निधि प्राधिकरणों से प्राप्ति योग्य रिफंड के रूप में शामिल है, जो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में जारी आदेश के अनुसार है। इस संबंध में दावा केंद्रीय भविष्य निधि प्राधिकरणों के पास पहले ही दर्ज किया गया है जिन्होंने इसे संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि प्राधिकरणों के पास भेजा है। चूंकि यह एक सरकारी विभाग से प्राप्य है, फिर भी अत्यधिक सावधानी के तहत उक्त राशि को खातों में प्रावधानित किया गया है।

नोट 62

निर्देशक मंडल द्वारा अपनी बैठकों दिनांक 12/11/2022 एवं 05/01/2023 में अनुमोदित अनुसार विद्वत् कोलकाता परिचालन की तीन इकाइयों की भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी जिसमें विद्वत् प्रतिष्ठान शामिल हैं, का निपटान करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक खातों को अंतिम रूप देते समय भूमि एवं भवन के संबंध में कंपनी को अभी भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होना शेष है तथा वैकल्पिक उपयोग पर भी विचार कर रही है, अतः उक्त परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

संयंत्र एवं मशीनरी के संबंध में चूंकि कंपनी नीलामी की प्रक्रिया में है, अतः इंड-एस 105 में दिए सिद्धांतों का पालन करते हुए उक्त परिसंपत्तियों को "बिक्री हेतु धारित परिसंपत्ति" के रूप में माना गया है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

चूंकि 31 मार्च 2025 तक इन परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य उपलब्ध नहीं है जिन्हें अभी निपटान किया जाना है, अतः वहन मूल्य को चालू परिचालन से उत्पन्न लाभ एवं हानि के रूप में घटा दिया गया है और इसे नोट 35 "अन्य व्यय" में परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के रूप में 41.14 लाख रुपये के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

नोट संख्या 63

भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 21 जनवरी 2025 द्वारा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विद्वत-चेन्नई परिचालन (ई-सीओ) की 1012 वर्ग मीटर भूमि चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) को सहमत शर्तों और नियमों के अनुसार हस्तांतरित करने के संबंध में दी। उपरोक्त स्वीकृति के आधार पर भूमि का पंजीकरण सीएमआरएल प्राधिकरणों को 19.03.2025 को पूरा हुआ और सीएमआरएल प्राधिकरणों ने 2 चेक सौंपे जिनकी कुल राशि 19,97,80,250 रुपये (केवल उन्नीस करोड़ सत्तानवे लाख अस्सी हजार दो सौ पचास रुपये) थी, जिसमें से 2017982 रुपये टीडीएस घटाकर भूमि एवं संरचना मूल्य के लिए मुआवजे के रूप में दी गई। यह राशि उसी दिन अर्थात् 19.03.2025 को केवीबी बैंक, अडयार शाखा में जमा कराई गई।

तदनुसार 19,60,68,749 रुपये की राशि भूमि अधिग्रहण पर भारत सरकार से प्राप्त लाभ के रूप में और 56,19,123.96 रुपये स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ के रूप में वहन मूल्य समायोजन के बाद खातों की पुस्तकों में "नोट-29" "अन्य आय" में मान्यता दी गई। किसी भी आयकर दायित्व पर विचार नहीं किया गया क्योंकि विधि फर्म से प्राप्त राय के आधार पर यह आवश्यक नहीं है।

नोट 64

287.58 लाख रुपये अग्रिम खाता भूमि मुआवजा से स्थानांतरित किए गए और वर्तमान अवधि समाप्ति 31.03.2025 में भौतिक हस्तांतरण की पूर्णता के बाद असम सरकार से भूमि अधिग्रहण पर लाभ के रूप में "नोट-29" "अन्य आय" में मान्यता दी गई।

इसके अतिरिक्त 97.30 लाख रुपये को भी वर्तमान अवधि समाप्ति 31.03.2025 में भौतिक हस्तांतरण की पूर्णता के बाद असम सरकार से भूमि अधिग्रहण पर लाभ के रूप में "नोट-29" "अन्य आय" में मान्यता दी गई। कृषि भूमि होने के कारण उपरोक्त दोनों लाभ आयकर के दायरे से मुक्त हैं और इसलिए इनके संबंध में कोई कर दायित्व नहीं माना गया है।

नोट 65

कंपनी ने 01/04/2019 से प्रभावी इंड-एस-116 को निम्नलिखित प्रकार से अपनाया है:

(क) मानक केवल उन्हीं मामलों में लागू किए गए हैं जहां निष्पादित पट्टा समझौते और/या संबंधित पट्टेदार सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएँ कंपनी के पास हैं और ऐसे पट्टों की शेष अवधि 01/04/2019 को उपलब्ध है, सिवाय उन मामलों के जो नीचे (ख) में उल्लिखित हैं।

(ख) असम सरकार से असम में चाय बागानों के लिए भूमि के पट्टे के मामले में, कंपनी ने भारतीय चाय संघ के साथ मिलकर यह नोट किया है कि असम भूमि और राजस्व विनियमन 1886 की धारा 9 में प्रावधान है कि पट्टेदार को उपयोग, अधिभोग और अन्य संबंधित अधिकार मिलते हैं, जो समय-समय पर राजस्व, कर, उपकर और दरों के भुगतान के अधीन होते हैं। अतः कोई निश्चित या परिभाषित पट्टा अवधि नहीं है। इस प्रकार असम के मामले में इंड-एस 116 लागू नहीं होता।

नोट 66

कंपनी ने बैंक उधारी का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए 31.03.2025 को उक्त उधारी स्वीकृत और प्राप्त की गई थी।

नोट 67

कंपनी ने किसी भी व्यक्ति/संस्था (विदेशी सहित) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में ऋण देने या निवेश करने हेतु कोई धन अग्रेषित/ऋणित/निवेश नहीं किया है और न ही किसी अंतिम कंपनी/वित्तपोषण कंपनी की ओर से कोई गारंटी/सुरक्षा प्रदान की है।

नोट 68

बैंक को प्रस्तुत चालू परिसंपत्तियों के विवरण खातों की पुस्तकों से मेल खाते हैं। कंपनी के इंजीनियरिंग प्रभाग के सिवाय, चूंकि वहां कोई ऋण देने वाला बैंक नहीं है, इसलिए ऐसे विवरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

अकेली वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उसके लिए [इंड-एस के अनुसार]

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ 31 मार्च 2025 को और उस पर समाप्त वर्ष के लिए [भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) के अनुसार]

नोट 69 अन्य नियामकीय जानकारी

- (i) ऐसी कोई अचल संपत्ति नहीं है जो कंपनी के नाम पर न हो।
- (ii) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है जिसके संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रारंभ या लंबित हो।
- (iii) कंपनी के पास ऐसी किसी कंपनी के साथ कोई लेनदेन नहीं है जिसे समाप्त कर दिया गया हो।
- (iv) कंपनी ने अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (87) के अंतर्गत निर्धारित स्तरों का अनुपालन किया है जो कंपनियों (स्तरों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पढ़ा जाता है।
- (v) कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो खातों की पुस्तकों में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर आकलन के दौरान आय के रूप में समर्पित या घोषित किया गया हो (जैसे खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान)।
- (vi) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान न तो क्रिष्टो करेंसी में व्यापार किया है और न ही आभासी करेंसी में निवेश।
- (vii) आरओसी के साथ कोई भी चार्ज या संतुष्टि वैधानिक अवधि से परे लंबित नहीं है।

नोट 70

बैलेंस शीट की तिथि पर कंपनी को किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

- [क] कोष्ठक में दिए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।
- [ख] इन खातों के आंकड़े रुपये में निकटतम लाख तक गोल कर दिए गए हैं।
- [ग] पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः व्यवस्थित और पुनः संरचित किया गया है।

एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म संख्या : 302081ई

एम.सी. कोदली

साझीदार (सदस्य संख्या : 056514)

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 29/05/2025

यूडीआईएन :

25056514BMJNFV4026

एंद्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड की ओर से

सुचरिता दास
कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03594804



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

एंड्रू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों को

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण पर रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पूछे गए लेखापरीक्षण प्रश्नों के आधार पर लेखापरीक्षण रिपोर्ट को संशोधित किया गया है और 29 मई 2025 की पूर्ववर्ती लेखापरीक्षण रिपोर्ट के स्थान पर नई लेखापरीक्षण रिपोर्ट जारी की गई है।

मत

- हमने एंड्रू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड (जिसे आगे "होलिंग कंपनी" कहा गया है) और उसकी सहायक कंपनियों (होलिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को मिलाकर "समूह" कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 को स्थिति अनुसार समेकित बैलेंस शीट तथा उस वर्ष की समाप्ति पर समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण शामिल है, तथा समेकित वित्तीय विवरणों के टिप्पणियाँ, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सम्मिलित है (जिसे आगे "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है)।
- हमारे मतानुसार और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनियाँ अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी आवश्यक रूप में प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप समूह की 31 मार्च 2025 की समेकित वित्तीय स्थिति, उसकी समेकित व्यापक आय (हानि और अन्य व्यापक आय सहित), उसकी समेकित इक्विटी में परिवर्तन तथा उसकी समेकित नकदी प्रवाह का सच्चा और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

- हमने अपना लेखापरीक्षण अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों (एसए) के अनुसार किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के "समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ" शीर्षक वाले खंड में और अधिक वर्णित हैं। हम समूह से स्वतंत्र हैं और भारत में समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण हेतु प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता तथा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी कर चुके हैं। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य तथा अन्य लेखापरीक्षकों से उनके रिपोर्टों के आधार पर प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य, जिनका उल्लेख नीचे "अन्य विषय" खंड के अनुच्छेद 14 में किया गया है, हमारे मत के आधार हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले पर जोर

हम निम्न पर ध्यान आकर्षित करते हैं:-

- टिप्पणी संख्या 60 में देनदारों और लेनदारों से शेष पुष्टिकरण प्रमाणपत्रों एवं पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षण साक्ष्य की अनुपस्थिति में हम आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- टिप्पणी संख्या 10 में कंपनी की कोई नीति नहीं है कि वह आयु के आधार पर देयकों हेतु प्रावधान बनाए। कंपनी के 36 माह से अधिक समय से बकाया देनदार निम्नानुसार हैं:

(राशि रूप में)

31.03.2025 तक कुल प्राप्तियां	36 महीनों से अधिक प्राप्य	31.03.2025 तक उपलब्ध प्रावधान
12,444.64	1,949.63	1,959.59

- टिप्पणी संख्या 59 में तीन चाय बागानों अर्थात् बनरहाट, चूनाभुट्टी और हरितालगुड़ी-3 (न्यू डुआर्स के) का पट्टा समझौता लंबे समय से नवीनीकृत नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चाय बागानों के पट्टा नवीनीकरण हेतु ₹ 177.66 लाख (पिछला वर्ष - ₹ 177.66 लाख) की सलामी माँगी गई है जिसे कंपनी द्वारा "ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं दावे" के रूप में माना गया है। यह मामला तुरंत सुलझाया जाना चाहिए क्योंकि यह कंपनी के संचालनाधीन चाय बागानों के स्वामित्व को विवादित करता है।
- टिप्पणी संख्या 15 में कंपनी के पुराने बकाया अग्रिम हैं जो अब तक समायोजित नहीं हुए हैं। "अन्य चालू परिसंपत्तियों" के अंतर्गत ₹ 2146.11 लाख विभिन्न व्यय मदों के विरुद्ध अग्रिम के रूप में दिए गए हैं जिनके विरुद्ध केवल ₹ 318.52 लाख की संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान उपलब्ध है। उपरोक्त से हुई हानि यदि कोई हो, तो उसका निर्धारण और लेखांकन नहीं किया गया है।
- टिप्पणी संख्या 25 में विभिन्न महीनों हेतु कंपनी के पीएफ, डीएलआई और पीएफ प्रशासनिक शुल्क की जमा राशि में देरी हुई है, जिसकी राशि ₹ 4450.92 लाख है। दंड/अतिरिक्त शुल्क यदि कोई हो, तो उसे विचार में नहीं लिया गया और न ही उसका लेखांकन किया गया है।
- टिप्पणी संख्या 40 में सेबी द्वारा सेबी एलओडीआर के अनुपालन न होने पर (मास्टर परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/POD2/CIR/P/0155 दिनांक

11.11.2024 के अनुसार) एक दंड लगाया गया है जिसे कंपनी ने संभावित देनदारी के रूप में उद्घाटित किया है। उपरोक्त से हुई हानि यदि कोई हो, तो उसका लेखांकन नहीं किया गया है।

हमारा मत उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षण मामले

मुख्य लेखापरीक्षण मामले वे मामले होते हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। ये मामले हमारे समेकित वित्तीय विवरणों के संपूर्ण लेखापरीक्षण के संदर्भ में निपटाए गए और उन पर हमारा मत बनाने में उपयोग किए गए, तथा हम इन मामलों पर अलग से कोई मत नहीं प्रदान करते। नीचे वर्णित मामलों के लिए, हमारा विवरण कि हमारे लेखापरीक्षण ने इन मामलों को किस प्रकार संबोधित किया, उसी संदर्भ में प्रस्तुत है।

क्रम संख्या	मुख्य लेखा परीक्षा मामला	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1.	राजस्व की मान्यता माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व (जिसे आगे "राजस्व" कहा गया है) को तब मान्यता दी जाती है जब माल के स्वामित्व से संबंधित महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ खरीदार को हस्तांतरित हो जाते हैं। माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्त होने योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें वापसी या रियायतें, व्यापार छूट और मात्रा पर दी गई छूट को घटा दिया जाता है।	हमारी लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं में निम्न शामिल थे : कंपनी की राजस्व मान्यता नीतियों का इंड एस 115 (ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व) के अनुरूप आकलन किया और उसका परीक्षण किया। सामान्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी नियंत्रण वातावरण की अखंडता का मूल्यांकन किया तथा राजस्व की मान्यता पर नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया।
	राजस्व की मान्यता का समय कंपनी के रिपोर्ट किए गए प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक है। राजस्व की मान्यता को एक मुख्य लेखापरीक्षण मामला और राजस्व की मान्यता से संबंधित उपर्युक्त जोखिम के कारण एक महत्वपूर्ण भौतिक मिथ्याप्रस्तुति का जोखिम माना गया।	राजस्व मान्यता के संबंध में कंपनी के नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। वर्षांत पर राजस्व कट ऑफ से संबंधित ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशीलता का परीक्षण किया। नमूना आधार पर वर्षांत के निकट और वर्षांत के बाद दर्ज की गई बिक्री लेन-देन के सहायक दस्तावेजों का परीक्षण किया। जहाँ उपयुक्त था वहाँ राजस्व की तुलना चर्रीय प्रवृत्तियों से की, तथा आगे पूछताछ और परीक्षण किए। राजस्व के संबंध में वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण का मूल्यांकन किया जैसा कि इंड एस 115 में निर्दिष्ट है।
2.	प्रावधान और संभावित देनदारियाँ कंपनी अनेक कानूनी, विनियामक और कर मामलों के अधीन है जिनका अंतिम परिणाम आसानी से अनुमानित नहीं किया जा सकता और जो संभावित रूप से महत्वपूर्ण देनदारियों में परिणत हो सकते हैं। प्रबंधन द्वारा संभावित देनदारियों के संबंध में किए गए प्रकटीकरण समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 40 में प्रस्तुत हैं। विवादों से संबंधित जोखिमों का आकलन जटिल धारणाओं पर आधारित है। इसमें सम्मिलित राशियाँ और देनदारी के रूप में प्रावधान करने या संभावित देनदारी के रूप में उद्घाटित करने के लिए लेखांकन मानकों का अनुप्रयोग स्वभावतः व्यक्तिपरक है। इसके लिए प्रावधान के स्तर को निर्धारित करने हेतु निर्णय का उपयोग आवश्यक होता है, जिससे यह जोखिम बढ़ जाता है कि प्रावधान और संभावित देनदारियाँ समुचित रूप से प्रदान न की गई हों या पर्याप्त रूप से उद्घाटित न की गई हों। तदनुसार, इस विषय को एक मुख्य लेखापरीक्षण मामला माना गया है।	विवादों और संभावित देनदारियों की पर्याप्त समझ प्राप्त करने हेतु, हमने प्रबंधन द्वारा ऐसे प्रावधानों की पहचान के लिए लागू की गई प्रक्रिया पर कंपनी के विधिक और वित्त विभागों के साथ विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से विचार-विमर्श किया। हमने कंपनी/इकाई की विधिक और वित्त टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए विवादास्पद मामलों के सारांश को पढ़ा। जहाँ लागू था वहाँ कंपनी द्वारा प्राप्त बाहरी विधिक या विनियामक परामर्श को पढ़ा। हमने कंपनी/इकाई की विधिक और वित्त टीम के साथ रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की ताकि संभावित देनदारी उत्पन्न होने की संभावना, उसकी मात्रा और लेखांकन के संबंध में कंपनी के आकलन का निर्धारण किया जा सके। उपर्युक्त के आलोक में, हमने दर्ज किए गए प्रावधानों की राशि की समीक्षा की और समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन करने हेतु अपने व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग किया।



3.	आईटी सिस्टम ऑडिट आईटी सिस्टम ऑडिट के अभाव में, लेखा/प्रचालनात्मक डेटा की सुरक्षा, आईटी आपदा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से डेटा की वसूली और डेटा ट्रांसफर के महत्वपूर्ण स्तरों पर मैनुअल हस्तक्षेप और समेकन के समय उच्च लेखा परीक्षा जोखिम का परिणाम होता है।	हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: इस प्रक्रिया का उद्देश्य आईटी सिस्टम ऑडिट की अनुपस्थिति, लेखांकन/परिचालन डेटा में सुरक्षा कमजोरियों और आईटी आपदाओं के दौरान अपर्याप्त डेटा रिकवरी तंत्र से जुड़े ऑडिट जोखिमों को कम करना है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य एसए 701 (स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का संचार) का अनुपालन सुनिश्चित करना और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और अखंडता को बढ़ाना है।
4.	लीज डीड पर पर्याप्त नियंत्रण का प्रयोग कंपनी के लीज डीड और टाइटल डीड के रिकॉर्ड को बनाए रखने की प्रक्रिया में पर्याप्त नियंत्रण का प्रयोग न होने से ऑडिट जोखिम बढ़ जाता है।	इस प्रमुख ऑडिट मामले के जवाब में, हमने बढ़े हुए ऑडिट जोखिम को संबोधित करने और पर्याप्त उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं कीं: 1. आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन: ○ पट्टा विलेख और शीर्षक विलेखों के रखरखाव पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और कार्यान्वयन का आकलन किया। ○ पहचान की गई नियंत्रण की कमियों या कमजोरियों बढ़े हुए ऑडिट जोखिम में योगदान। 2. मूल प्रक्रियाएं: ○ पट्टा विलेख और शीर्षक विलेखों के अस्तित्व, पूर्णता और सटीकता को सत्यापित करने के लिए ठोस परीक्षण किया। ○ सहायक दस्तावेजों की जांच की, जैसे कि पट्टा समझौते, संपत्ति के शीर्षक और संबंधित पत्राचार। ○ बाहरी स्रोतों और कानूनी दस्तावेज के साथ रिकॉर्ड किए गए पट्टे और शीर्षक जानकारी की स्थिरता को सत्यापित किया। हम एसए 701 के अनुसार अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस प्रमुख ऑडिट मामले को संप्रेषित करने का इरादा रखते हैं। यह संचार हितधारकों को लीज डीड और टाइटल डीड के रखरखाव, हमारे ऑडिट दृष्टिकोण और वित्तीय के लिए निहितार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण ऑडिट जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा बयान।

5.	विवादों और संभावित देनदारियों की पर्याप्त समझ प्राप्त करने हेतु हमने प्रबंधन द्वारा ऐसे प्रावधानों की पहचान के लिए लागू की गई प्रक्रिया पर कंपनी के विधिक और वित्त विभागों के साथ विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से विचार-विमर्श किया। हमने कंपनी/इकाई की विधिक और वित्त टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए विवादास्पद मामलों के सारांश को पढ़ा। जहाँ लागू था वहाँ कंपनी द्वारा प्राप्त बाहरी विधिक या विनियामक परामर्श को पढ़ा। हमने कंपनी/इकाई की विधिक और वित्त टीम के साथ रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की ताकि संभावित देनदारी उत्पन्न होने की संभावना, उसकी मात्रा और लेखांकन के संबंध में कंपनी के आकलन का निर्धारण किया जा सके। उपर्युक्त के आलोक में, हमने दर्ज किए गए प्रावधानों की राशि की समीक्षा की और समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन करने हेतु अपने व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग किया।	मुख्य लेखापरीक्षण प्रक्रियाएँ : हमारी लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं में निम्न सम्मिलित हैं : • मार्गदर्शन नोट के अनुसार लागू प्रमुख धारणाओं (छूट दर, महंगाई दर, मृत्यु दर) का मूल्यांकन किया। • कंपनी के बीमांकिक विशेषज्ञ की दक्षता, स्वतंत्रता और निष्ठा का आकलन किया। • बीमांकिक धारणाओं की समीक्षा और अनुमोदन, बाहरी बीमांकिक को प्रदत्त आँकड़ों की पूर्णता और शुद्धता, तथा विशेषज्ञ की गणना में प्रयुक्त आँकड़ों से मिलान करने के नियंत्रणों का परीक्षण किया। • परिभाषित लाभ योजना के कारण संचित देनदारी के संबंध में प्रबंधन के साथ चर्चा की, व्यवसाय को समझा और यह आकलन किया कि धारणाओं में कोई असंगति तो नहीं है। • टिप्पणी में इंड एस 19 के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता की पुष्टि की। लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन से संबंधित की गई धारणाएँ उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा समर्थित थीं।
-----------	--	---

समेकित वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट, निदेशक की रिपोर्ट के परिशिष्ट, सीएसआर रिपोर्ट, अनुसंधान एवं विकास रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट तथा प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट सम्मिलित हैं, परंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। निदेशक की रिपोर्ट (परिशिष्ट सहित), सीएसआर रिपोर्ट, अनुसंधान एवं विकास रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट तथा प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट हमें इस रिपोर्ट की तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई और इसके इस लेखापरीक्षण रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

हमारा मत वित्तीय विवरणों पर अन्य जानकारी को आच्छादित नहीं करता है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त पहचानी गई अन्य जानकारी को जब यह उपलब्ध हो, पढ़ने की है और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या हमारे लेखापरीक्षण के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान से भौतिक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्याप्रस्तुत प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई भौतिक मिथ्याप्रस्तुति है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने योग्य कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन और शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में जिम्मेदारियाँ

1. होल्लिंग कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी है ताकि अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार समूह (उसकी सहयोगी सहित) की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन, समेकित नकदी प्रवाह और इकट्टी में परिवर्तन का सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके। यह भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों सहित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप है। समूह और उसकी सहयोगी की सम्मिलित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी हैं, ताकि समूह और उसकी सहयोगी की परिसंपत्तियों की रक्षा की जा सके तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोका और पहचाना जा सके; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उनका अनुप्रयोग; यथोचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रख-रखाव करना जो इस उद्देश्य से प्रभावी रूप से संचालित हों कि लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित हो सके। ये अभिलेख समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति हेतु प्रयुक्त होते हैं ताकि वे सच्चे और निष्पक्ष हों तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भौतिक मिथ्याप्रस्तुति से मुक्त हों।

2. समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में समूह और उसकी सहयोगी की सम्मिलित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह और उसकी सहयोगी की सतत व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो वहाँ सतत व्यवसाय से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने और सतत व्यवसाय आधार पर लेखांकन का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी हैं, जब तक कि प्रबंधन समूह को परिसमाप्त करने या उसका संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त कोई यथार्थवादी विकल्प न हो।
3. समूह की सम्मिलित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षकों की समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण हेतु जिम्मेदारियाँ

4. हमारा उद्देश्य यह यथोचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक मिथ्याप्रस्तुति (चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न) से मुक्त हैं या नहीं, और ऐसा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा मत सम्मिलित हो। यथोचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, परंतु यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखापरीक्षण हर बार भौतिक मिथ्याप्रस्तुति को पहचान ही लेगा। मिथ्याप्रस्तुति धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें भौतिक तब माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वे उपयोगकर्ताओं के उन आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं जो इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर किए गए हों।
5. एसए के अनुसार लेखापरीक्षण के हिस्से के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और पूरे लेखापरीक्षण के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं।

हम यह भी करते हैं :

- समेकित वित्तीय विवरणों की भौतिक मिथ्याप्रस्तुति के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी से हों या त्रुटि से, उन जोखिमों के प्रति संवेदनशील लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं को तैयार और संपन्न करना, तथा पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करना ताकि हमारे मत का आधार प्रदान किया जा सके। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक मिथ्याप्रस्तुति का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली मिथ्याप्रस्तुति की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या प्रस्तुति, अथवा आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन सम्मिलित हो सकता है।
 - लेखापरीक्षण हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना ताकि परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं का निर्माण किया जा सके। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम यह राय देने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या होल्टिंग कंपनी के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं और ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं।
 - उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटीकरणों की यथोचितता का मूल्यांकन करना।
 - प्रबंधन द्वारा सतत व्यवसाय आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्यों के आधार पर यह आकलन करना कि क्या कोई भौतिक अनिश्चितता ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित विद्यमान है जो समूह और उसकी सहयोगी की सतत व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों तो अपने मत में संशोधन करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या परिस्थितियाँ समूह और उसकी सहयोगी को सतत व्यवसाय के रूप में जारी रखने से रोक सकती हैं।
 - समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटीकरण सम्मिलित हैं, तथा यह देखना कि समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।
 - समूह और उसकी सहयोगी के अंतर्गत इकाइयों या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करना ताकि समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त की जा सके। हम उन इकाइयों के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के निर्देशन, पर्यवेक्षण और संपादन के लिए उत्तरदायी हैं जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया गया है और जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। अन्य इकाइयाँ जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया गया है और जिनका लेखापरीक्षण अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है, उनके लेखापरीक्षण के निर्देशन, पर्यवेक्षण और संपादन के लिए वे अन्य लेखापरीक्षक उत्तरदायी हैं। हम अपने लेखापरीक्षण मत के लिए पूर्णतः उत्तरदायी बने रहते हैं।
6. हम होल्टिंग कंपनी और अन्य इकाइयों, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं और जो समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित हैं, के शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से लेखापरीक्षण के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण निष्कर्षों पर संवाद करते हैं, जिसमें हमारे द्वारा पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण की कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल होती हैं।

7. हम शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को यह भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य विषयों पर संवाद करते हैं जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकते हैं, तथा जहाँ लागू हो वहाँ संबंधित सुरक्षा उपाय भी।
8. शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के साथ संवाद किए गए विषयों में से हम उन विषयों को निर्धारित करते हैं जो चालू वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षण मामले हैं। हम इन विषयों का वर्णन अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं, जब तक कि कोई कानून या विनियमन उस विषय के सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता न हो या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी विषय को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से होने वाले प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित में ऐसे संवाद से प्राप्त होने वाले लाभों से अधिक हो सकते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनियाँ (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("कारो 2020") के पैरा 3(xxi) के अंतर्गत अपेक्षित होने के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि जिन कंपनियों को इन समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया गया है, उनके समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में उनके संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा जारी कारो 2020 रिपोर्टों में कोई भी आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी सम्मिलित नहीं है।
10. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम जहाँ तक लागू है, रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क. उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के प्रयोजनों हेतु आवश्यक विश्वास प्राप्त हुए।
 - ख. हमारे मतानुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों से प्रकट होता है।
 - ग. इस रिपोर्ट द्वारा आच्छादित समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, उन प्रासंगिक लेखा पुस्तकों और अभिलेखों से मेल खाते हैं जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए रखा गया है।
 - घ. हमारे मतानुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - ङ. होलिंग्स कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन, जिन्हें होलिंग्स कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिया गया, और भारत में सम्मिलित उसकी सहायक कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, होलिंग्स कंपनी और भारत में सम्मिलित उसकी सहायक कंपनी के किसी भी निदेशक को 31 मार्च 2025 की स्थिति तक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
 - च. समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में हमारे पृथक प्रतिवेदन परिशिष्ट-ए में देखें।
 - छ. कंपनियाँ (लेखापरीक्षण और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :
 - i. समेकित वित्तीय विवरण 31 मार्च 2025 की स्थिति तक लंबित विवादों के प्रभाव, यदि कोई हो, को समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर उद्घाटित करते हैं। इसके लिए समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 40 देखें।
 - ii. समूह और उसकी सहयोगी को 31 मार्च 2025 की स्थिति तक लागू विधि या लेखांकन मानकों के अंतर्गत कोई प्रावधान मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दीर्घकालिक अनुबंधों पर उसका कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमेय नुकसान नहीं है। समूह और उसकी सहयोगी के पास 31 मार्च 2025 की स्थिति तक कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं था।
 - iii. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान होलिंग्स कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा की जाने वाली राशियों को जमा करने में कोई देरी नहीं हुई। भारत में सम्मिलित होलिंग्स कंपनी की सहयोगी द्वारा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि जमा की जाने योग्य नहीं थी।
 - iv. (क) होलिंग्स कंपनी और उसकी सहयोगी, जो भारत में सम्मिलित कंपनियाँ हैं और जिनके वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षित किए गए हैं, के संबंधित प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहयोगी के अन्य लेखापरीक्षकों को यह अभ्यावेदन दिया है कि, उनकी जानकारी और विश्वास के अनुसार और जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उद्घाटित है, होलिंग्स कंपनी या

ऐसी सहयोगी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) या इकाई(इकाइयों), जिनमें विदेशी इकाइयाँ भी सम्मिलित हैं ("मध्यस्थ"), को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से भौतिक हों) अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार निधियों से हो या शेयर प्रीमियम से या अन्य किसी भी स्रोत अथवा निधि के प्रकार से) इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो अथवा अन्यथा, प्रदान नहीं की गई कि मध्यस्थ सीधे या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या इकाइयों में, जिन्हें होल्लिंग कंपनी या ऐसी सहयोगी द्वारा अथवा उसके पक्ष में किसी भी प्रकार से पहचाना गया हो ("अंतिम लाभार्थी"), ऋण देगा या निवेश करेगा अथवा उनके पक्ष में कोई गारंटी, सुरक्षा या इस प्रकार की कोई अन्य व्यवस्था प्रदान करेगा।

(ख) होल्लिंग कंपनी और उसकी सहयोगी, जो भारत में सम्मिलित कंपनियाँ हैं और जिनके वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षित किए गए हैं, के संबंधित प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहयोगी के अन्य लेखापरीक्षकों को यह अभ्यावेदन दिया है कि उनकी जानकारी और विश्वास के अनुसार तथा जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उद्घाटित है, होल्लिंग कंपनी या ऐसी सहयोगी को किसी भी व्यक्ति(व्यक्तियों) या इकाई(इकाइयों), जिनमें विदेशी इकाइयाँ भी सम्मिलित हैं ("निधि प्रदाता"), से कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से भौतिक हों) इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो अथवा अन्यथा, प्राप्त नहीं हुई है कि होल्लिंग कंपनी या ऐसी सहयोगी सीधे या परोक्ष रूप से उन अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) या इकाई(इकाइयों) को ऋण देगी या निवेश करेगी जिन्हें किसी भी प्रकार से निधि प्रदाता द्वारा अथवा उसके पक्ष में पहचाना गया हो ("अंतिम लाभार्थी"), अथवा उनके पक्ष में कोई गारंटी, सुरक्षा या इस प्रकार की अन्य व्यवस्था प्रदान करेगी।

(ग) हमारे द्वारा तथा सहयोगी कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा, जो भारत में सम्मिलित है और जिसके वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षित किए गए हैं, परिस्थितियों में यथोचित और उपयुक्त माने गए लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर, ऐसी कोई बात हमारे या अन्य लेखापरीक्षकों के संज्ञान में नहीं आई है जिसने हमें या अन्य लेखापरीक्षकों को यह विश्वास दिलाया हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत अभ्यावेदन में कोई भौतिक मिथ्याप्रस्तुति सम्मिलित है।

- v. होल्लिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित और भुगतान नहीं किया गया।
- vi. कंपनियाँ (लेखा) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक लेन-देन का लेखा-परीक्षण ट्रेल दर्ज करने की सुविधा वाले लेखा सॉफ्टवेयर में लेखा पुस्तकों का रख-रखाव किया जाए, जिसमें प्रत्येक परिवर्तन का संपादन लॉग और उस तिथि का उल्लेख हो जब परिवर्तन किया गया तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि लेखा-परीक्षण ट्रेल को अक्षम नहीं किया जा सकता, समूह कंपनी पर लागू होता है। समूह कंपनी में यह लेखा-परीक्षण ट्रेल केवल नकद और बैंक लेन-देन के मामले में लागू किया गया है, सभी लेन-देन में नहीं। कंपनियाँ (लेखापरीक्षण और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के खंड (ग) के अंतर्गत प्रतिवेदन कंपनी पर लागू है।

11. होल्लिंग कंपनी ने अधिनियम की धारा 197 और अनुसूची V के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक अनुमोदनों के अंतर्गत प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रावधान किया है। अधिनियम की धारा 197 और अनुसूची V के प्रावधान केवल सार्वजनिक कंपनियों पर लागू होते हैं। अतः भारत में सम्मिलित होल्लिंग कंपनी की सहयोगी पर अधिनियम की धारा 197(16) के अंतर्गत प्रतिवेदन लागू नहीं है।

अन्य विषय

12. सहायक कंपनी यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड सतत व्यवसाय नहीं है जैसा कि एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एस-1 में परिभाषित है, क्योंकि संबंधित वर्ष एवं हाल के अतीत में कोई परिचालन गतिविधियाँ नहीं थीं। उक्त कंपनी की लेखापरीक्षण रिपोर्ट में इंड एस के अनुसार लेखांकन के अनुपालन न होने के कारण "योग्य मत" दिया गया है।
13. सहायक कंपनी यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड सतत व्यवसाय नहीं है जैसा कि एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एस-1 में परिभाषित है, क्योंकि संबंधित वर्ष एवं हाल के अतीत में कोई परिचालन गतिविधियाँ नहीं थीं। उक्त कंपनी की लेखापरीक्षण रिपोर्ट में इंड एस के अनुसार लेखांकन के अनुपालन न होने के कारण "प्रतिकूल मत" दिया गया है।

एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड से असुरक्षित उधारी के लिए भुगतान की शर्तों और देय ब्याज (यदि कोई हो) से संबंधित कोई भी समझौता उपलब्ध नहीं था।

कंपनी ने अपने लेखा पुस्तकों के रख-रखाव हेतु लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें वर्ष भर सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए लेखा-परीक्षण ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा दर्ज करने का प्रावधान नहीं था। अतः हम उक्त सॉफ्टवेयर की लेखा-परीक्षण ट्रेल सुविधा पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

14. हमने उन 2 सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का लेखापरीक्षण नहीं किया जिन्हें समेकित वित्तीय परिणामों में सम्मिलित किया गया है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी में 31 मार्च 2025 को कुल परिसंपत्तियाँ ₹ 5,786 और शुद्ध परिसंपत्तियाँ ₹ (15,35,298) प्रदर्शित हैं। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु कुल राजस्व ₹ 1,740 और कुल व्यापक आय (लाभ/हानि एवं अन्य व्यापक आय सहित) ₹ (1,40,800) तथा शुद्ध

नकदी प्रवाह ₹ 0 प्रदर्शित हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय परिणामों में माना गया है।

समेकित वित्तीय परिणामों में एक सहयोगी के संबंध में समूह का शुद्ध परिसंपत्तियों में हिस्सा ₹ (15,35,298) और कुल व्यापक आय में हिस्सा (लाभ एवं अन्य व्यापक आय सहित) ₹ (1,40,800) के रूप में प्रदर्शित है, जिसके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का हमारे द्वारा लेखापरीक्षण नहीं किया गया है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी का लेखापरीक्षण अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें अन्य लेखापरीक्षकों/प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई है और समेकित वित्तीय परिणामों पर हमारा मत, जहाँ तक यह इन सहायक कंपनियों और सहयोगी के संबंध में सम्मिलित राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, केवल अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और हमारे द्वारा अनुच्छेद 10 में वर्णित प्रक्रियाओं पर आधारित है।

समेकित वित्तीय परिणामों पर हमारा मत उपरोक्त विषय के संबंध में संशोधित नहीं है क्योंकि यह अन्य लेखापरीक्षकों के कार्य और रिपोर्टों तथा निदेशक मंडल द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी पर हमारे भरोसे से संबंधित है।

15. ये परिणाम समूह और उसकी सहयोगी के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं और उन्हीं के साथ पढ़े जाने चाहिए, जिन पर हमने 29 मई 2025 दिनांकित अपनी रिपोर्ट द्वारा बिना संशोधित लेखापरीक्षण मत जारी किया है।

एन. सी. बनर्जी एंड कम्पनी के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(फर्म पंजीकरण संख्या : 302081E)

(सीए. एम. सी. कोदाली)

साझेदार

सदस्यता संख्या - 056514

(यूडीआईएन : 25056514BMJNJE8140)

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 17.07.2025

परिशिष्ट-ए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत

मत

1. एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड (आगे "होल्टिंग कंपनी" कहा गया है) के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के साथ-साथ, हमने उस तिथि पर होल्टिंग कंपनी और उसकी सहयोगी, जो भारत में सम्मिलित कंपनी है, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. होल्टिंग कंपनी और उसकी सहयोगी के संबंधित निदेशक मंडल, जिन पर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता की रिपोर्टिंग लागू होती है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी हैं। यह कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के मापदंडों पर आधारित है, जिन्हें भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी "वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर मार्गदर्शन नोट" में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। इन जिम्मेदारियों में उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव सम्मिलित है जो व्यवसाय के सुव्यवस्थित और दक्ष संचालन, कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता, तथा अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी रूप से संचालित हों।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी होल्टिंग कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपने मत को व्यक्त करना है। हमने अपना लेखापरीक्षण आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट और कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार किया, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षण पर लागू होते हैं और दोनों ही आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं। ये मानक और मार्गदर्शन नोट हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और लेखापरीक्षण की योजना बनाएं और उसे इस उद्देश्य से संपन्न करें कि उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और वे सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।
4. हमारे लेखापरीक्षण में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएँ संपन्न करना सम्मिलित है। हमारे लेखापरीक्षण में इन नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यह आकलन करना कि कोई भौतिक कमजोरी विद्यमान है या नहीं, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना सम्मिलित था। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों की भौतिक मिथ्याप्रस्तुति के जोखिम का आकलन करना भी सम्मिलित है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो।
5. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा उनके प्रतिवेदन के अनुसार प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य होल्टिंग कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

6. किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और बाहरी प्रयोजनों हेतु सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में यथोचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं जो (1) अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित हैं, जो यथोचित विवरण में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करती हैं; (2) यथोचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन इस प्रकार दर्ज किए गए हैं कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति दी जा सके और कंपनी की प्राप्तिyaँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की अनुमतियों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पहचान के संबंध में यथोचित आश्वासन प्रदान करती हैं, जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकती हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

7. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें सांठगांठ या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अतिक्रमण की संभावना भी सम्मिलित है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक मिथ्याप्रस्तुतियाँ हो सकती हैं और पहचानी नहीं जा सकतीं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का भविष्य की अवधियों तक प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन होता है कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री में गिरावट आ सकती है।

मत

8. हमारे मतानुसार, समूह और उसकी सहयोगी, जो भारत में सम्मिलित कंपनी है, के पास सभी भौतिक पहलुओं में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 को प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, जो कंपनी द्वारा आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित हैं।

अन्य विषय

9. अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, जो भारत में सम्मिलित कंपनी है, ऐसी कंपनी के लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

इस विषय के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

एन. सी. बनर्जी एंड कम्पनी के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(फर्म पंजीकरण संख्या : 302081E)

(सीए. एम. सी. कोदाली)

साझेदार

सदस्यता संख्या - 056514

(यूडीआईएन : 25056514BMJNJE8140)

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 17.07.2025



परिशिष्ट – बी : कंपनियाँ अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत अतिरिक्त निदेश

एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड के 2024-25 वित्तीय वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत दिए गए निदेश :

एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड:

हम नीचे उपर्युक्त निदेशों में पूछे गए प्रश्नों और माँगी गई जानकारी का उत्तर प्रस्तुत करते हैं :

क्रम संख्या	निदेश	हमारा उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन संसाधित करने के खाते की सत्यनिष्ठा पर प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव (यदि कोई हो) का उल्लेख किया जाए।	कंपनी के पास वर्तमान में ईआरपी लेखांकन प्रणाली या अपनी इकाइयों और प्रधान कार्यालय के बीच पूर्णतः एकीकृत आईटी प्रणाली उपलब्ध नहीं है, और इस प्रकार आवश्यक लेखांकन एकीकरण पृथक डेटा प्रविष्टि पद्धति और समेकित आईटी सॉफ्टवेयर लागू करके किया जा रहा है।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हुआ है अथवा ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋणों/ब्याज आदि की माफी/लेख-लिखाई की गई है कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण? यदि हाँ, तो उसका वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का सही ढंग से लेखांकन किया गया है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निदेश उस ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पर भी लागू होगा।)	कंपनी द्वारा अपनाई गई इस पद्धति से डेटा सत्यनिष्ठा के अभाव की संभावना बनी रहती है, जिससे जोखिम बढ़ जाता है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्तव्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उनकी शर्तों और नियमों के अनुसार सही ढंग से लेखांकन/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची दी जाए।	कंपनी द्वारा लिए गए मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन/माफी/लेख-लिखाई का कोई उदाहरण नहीं है।

यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड

क्रम संख्या	निदेश	लेखापरीक्षक का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन संसाधित करने के खाते की सत्यनिष्ठा पर प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव (यदि कोई हो) का उल्लेख किया जाए।	हाँ, कंपनी लेखांकन लेन-देन दर्ज करने हेतु टैली सॉफ्टवेयर (सिल्वर संस्करण) का उपयोग कर रही थी। वित्तीय विवरणों पर प्रभाव – शून्य।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हुआ है अथवा ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋणों/ब्याज आदि की माफी/लेख-लिखाई की गई है कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण? यदि हाँ, तो उसका वित्तीय प्रभाव बताया जाए।	There is no restructuring of an existing loan or cases of waiver /write off of debts/loans/interest etc made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan.
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्तव्य निधियों का उनकी शर्तों और नियमों के अनुसार ठीक प्रकार से लेखांकन/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची दें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिए कोई निधि प्राप्त/प्राप्तव्य नहीं हुई है।

यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड

क्रम संख्या	निदेश	लेखापरीक्षक का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन संसाधित करने के खाते की सत्यनिष्ठा पर प्रभाव के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव (यदि कोई हो) का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है। लेखा पुस्तकों का संधारण कंप्यूटर पर टैली लेखांकन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है। संपन्न की गई लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर कोई भी लेखांकन लेन-देन आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित/किया नहीं गया है। तथापि, कंपनी ने अभी तक अपने सॉफ्टवेयर में लेखा-परीक्षण ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा लागू नहीं की है।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हुआ है अथवा ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋणों/ब्याज आदि की माफी/लेख-लिखाई की गई है कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण? यदि हाँ, तो उसका वित्तीय प्रभाव बताया जाए।	संपन्न की गई लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी द्वारा लिए गए मौजूदा ऋणों का कोई पुनर्गठन अथवा ऋणदाता द्वारा कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी ऋण/ऋणों/ब्याज आदि की माफी/लेख-लिखाई नहीं की गई है।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्तव्य निधियों का उनकी शर्तों और नियमों के अनुसार ठीक प्रकार से लेखांकन/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची दी जाए।	संपन्न की गई लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, केंद्र/राज्य एजेंसियों से किसी विशेष योजना हेतु कोई निधि प्राप्त/प्राप्तव्य नहीं हुई है।

एन. सी. बनर्जी एंड कम्पनी के लिए

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(फर्म पंजीकरण संख्या : 302081E)

(सीए. एम. सी. कोदाली)

साझेदार

सदस्यता संख्या - 056514

(यूडीआईएन : 25056514BMJNJE8140)

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 29.05.2025



अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के सी एंड एजी द्वारा जारी निदेशों और अतिरिक्त निदेशों के अनुसार मि. एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड के खातों का 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षण किया है और प्रमाणित करते हैं कि हमें दिए गए सभी निदेशों और अतिरिक्त निदेशों का हमने अनुपालन किया है।

एन. सी. बनर्जी एंड कम्पनी के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या : 302081E)

(सीए. एम. सी. कोदाली)
साझेदार
सदस्यता संख्या - 056514
(यूडीआईएन : 25056514BMJNJE8140)

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 17.07.2025



पंजीकृत/गोपनीय

महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान) का कार्यालय
1, काउंसिल हाउस-स्ट्रीट,
कोलकाता - 700 001



320 Report-II/01-15 (A.Yule-CFS)/2025-26

OFFICE OF THE DIRECTOR
GENERAL OF AUDIT (MINES)
1, COUNCIL HOUSE STREET,
KOLKATA-700 001

दिनांक /Date..... 04 AUG 2025

सेवा में

The Chairman & Managing Director,
Andrew Yule & Co. Limited,
“Yule House”
8, Dr. Rajendra Prasad Sarani,
Kolkata – 700 001

विषय: कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन Andrew Yule & Company Limited
के वर्ष 2024-25 की समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statements) पर भारत
के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम विधि 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत 31 मार्च की समाप्त वर्ष 2024-
25 के लिए Andrew Yule & Company Limited की समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial
Statements) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ प्रेषित की जाती हैं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजे।

अनु यथोपरि।

भवदीया,

(यशोधरा राय चौधुरी)
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (खान)
कोलकाता

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF ANDREW YULE & COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of consolidated financial statements of Andrew Yule & Company Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) read with section 129 (4) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 17 July 2025 which supersedes their earlier Audit Report dated 29 May 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Andrew Yule & Company Limited for the year ended 31 March 2025 under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Andrew Yule & Company Limited but did not conduct supplementary audit of financial statements of its subsidiary companies Yule Engineering Ltd. and Yule Electricals Ltd. for the year ended on that date. **Further, section 139(5) and 143 (6) (a) of the Act are not applicable to its associate company Veedol Corporation Limited (formerly Tide Water Oil Co. (India) Ltd.) being private entity for appointment of its Statutory Auditor and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditor nor conducted the supplementary audit of this company.** This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. The Audit Report has been revised by the statutory auditor to give effect to my audit observation raised during supplementary audit.

In addition, I would like to highlight the following significant matter under section 143(6)(b) read with section 129(4) of the Act of the Act which has come to my attention and which in my view is necessary for enabling a better understanding of the consolidated financial statements and the related audit report:



Comments on Financial Position

Equity and Liabilities

Current Liabilities

Provisions (Note No. 27) ₹ 2988.62 lakh

The above does not include an amount of ₹ 177.66 lakh being the amount demanded by State Government for extension to lease agreement of three tea gardens with the company.

This has resulted in understatement of Provisions and the Profit (negative balance) for the year by ₹ 177.66 lakh.

Place **KOLKATA**
Date **04 AUG 2025**

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Yashodhara Ray Chaudhuri)
Additional Deputy Comptroller and
Auditor General (Mines) Kolkata



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट 1 कॉरपोरेट जानकारी

एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल) की स्थापना 26.05.1919 को एक निजी क्षेत्र की कंपनी के रूप में प्रबंधकीय एजेंसी के कार्य हेतु की गई थी। प्रबंधकीय एजेंसी प्रणाली के उन्मूलन के साथ कंपनी ने अपना पारंपरिक व्यवसाय खो दिया और भारत सरकार ने 1979 में कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। एवाईसीएल एक अनुसूची- "बी" सीपीएसई है, जो मध्यम और हल्के इंजीनियरिंग क्षेत्र में कार्यरत है, साथ ही चाय उत्पादन और विनिर्माण व्यवसाय भी करता है। यह भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा भारत सरकार की 89.25% हिस्सेदारी है। इसका पंजीकृत कार्यालय 8, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरणी, कोलकाता-700001, पश्चिम बंगाल में स्थित है।

एवाईसीएल एक राष्ट्रीयकृत उपक्रम है, जो काली चाय, ट्रांसफार्मर, औद्योगिक पंखे, चाय मशीनरी, टर्नकी कार्य आदि के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में है। इसके 2 परिचालन इकाई हैं, जिनमें से 1 कल्याणी, पश्चिम बंगाल में और 1 चेन्नई, तमिलनाडु में है, तथा 12 चाय बागान हैं जिनमें से 7 असम में, 4 दुआर्स में और 1 दार्जिलिंग में स्थित हैं। कंपनी 3 मुख्य क्षेत्रों, अर्थात् इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और चाय में कार्यरत है। एवाईसीएल की 2 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ हैं – यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। 31.03.2025 तक उपक्रम में 13959 कर्मचारी कार्यरत थे। इसके शेयर बीएसई में सूचीबद्ध हैं।

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल के 29 मई 2025 के संकल्प के अनुसार निर्गम हेतु अनुमोदित किया गया।

नोट 2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

[2.1] तैयारी का आधार

[2.1.1] भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) के साथ अनुपालन

वित्तीय विवरणों को उपार्जन लेखांकन पद्धति पर तैयार किया गया है और सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) का अनुपालन करते हैं, जो कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित हैं [कंपनियाँ (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनियाँ (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016] तथा अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ।

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में दिए गए अन्य मापदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण हेतु परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और उनके नकद एवं नकद समकक्ष में रूपांतरण के बीच के समय को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों की चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 माह निर्धारित किया है।

स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

[2.1.2] मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को उपार्जन लेखांकन पद्धति और ऐतिहासिक लागत परंपराओं पर तैयार किया गया है, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों के जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है :

[i] सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापी जाती हैं।

[iii] परिभाषित लाभ योजनाएँ – योजना परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापी जाती हैं।

उचित मूल्य मापने हेतु प्रयुक्त विधियाँ टिप्पणी संख्या 2.28 में चर्चा की गई हैं।

[2.1.3] कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को कंपनी के लिए निकटतम लाख (दो दशमलव तक) तक गोल किया गया है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

[2.1.4] अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

[क] संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोगी जीवन कई कारकों पर आधारित है जिनमें अप्रचलन, मांग, पूर्णता और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव सम्मिलित हैं, जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट है। कम्पनी मूल्यहास के लिए सीधी रेखा पद्धति का पालन करती है। तथापि, संयंत्र और मशीनरी के मामले में उपयोगी जीवन को तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर 15 वर्ष से 25 वर्ष तक माना गया है, जैसा कि संबंधित बागान में वित्तीय वर्ष 2013-24 तक की गई वृद्धि को देखते हुए निर्धारित किया गया। इसी प्रकार असम और डुआर्स बागानों के धारणीय प्लांट के लिए मूल्यहास हेतु उपयोगी जीवन को 63 वर्ष और मिम टी एस्टेट के लिए 91 वर्ष माना गया है।

[ख] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा प्रगति पर पूंजीगत कार्य की वसूल योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा प्रगति पर पूंजीगत कार्य की वसूल योग्य राशि अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं में कोई भी परिवर्तन वसूल योग्य राशि के मापन पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप हास हो सकता है।

[ग] सेवानिवृत्ति उपरान्त लाभ योजनाएँ

कर्मचारी लाभ दायित्व (चिकित्सा लाभों को छोड़कर) बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापे जाते हैं, जिनमें मृत्यु दर और निकासी दरें सम्मिलित हैं, साथ ही दरों में भविष्य के परिवर्तनों, वेतन वृद्धि दर, मुद्रास्फीति दर और योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर से संबंधित मान्यताएँ भी सम्मिलित हैं। कम्पनी का मानना है कि अपनी देयता को मापने के लिए प्रयुक्त मान्यताएँ उपयुक्त और प्रलेखित हैं। तथापि, इन मान्यताओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन गणनाओं पर प्रभाव डाल सकता है। चिकित्सा लाभ वास्तविक आधार पर मापे जाते हैं।

[घ] प्रावधान और संभाव्यताएँ

प्रावधानों और संभाव्यताओं को मान्यता देने में की गई आकलनियाँ इंड एस 37 "प्रावधान, संभाव्य देनदारियाँ और संभाव्य परिसंपत्तियाँ" के अनुसार की गई हैं। संभाव्य घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा आर्थिक संसाधनों के संभावित निर्गम के संबंध में सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया गया है। ऐसे अनुमान अप्रत्याशित विकासों के कारण बदल सकते हैं।

[ङ] सहायक और सहयोगी कंपनियों में निवेश

निवेश को लागत पर वहन किया जाता है और ऐसे निवेश में किसी भी हास के लिए प्रावधान किया जाता है।

[2.2] खंड प्रतिवेदन

परिचालन खंडों को इंड एस 108 द्वारा दी गई परिभाषा के अनुरूप प्रतिवेदित किया जाता है।

[2.3] विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेन-देन को भारतीय रुपयों (आईएनआर), जो कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा है, में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें लेन-देन की तिथियों पर आईएनआर और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दरें लागू की जाती हैं। ऐसे लेन-देन के निपटान और वर्षांत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के अनुवाद से उत्पन्न विदेशी विनिमय लाभ और हानि सामान्यतः लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त करते हैं।

[क] स्थायी परिसंपत्तियों को वित्तपोषित करने हेतु विदेशी मुद्रा ऋण, जिसमें तकनीकी ज्ञान शुल्क सम्मिलित है, को लेखा वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर या अग्रिम में बुक की गई निश्चित दर पर (जैसा भी मामला हो) परिवर्तित किया जाता है। ऐसी विनिमय दर भिन्नता से संबंधित आवश्यक समायोजन सुरक्षित ऋणों, स्थायी परिसंपत्तियों और मूल्यहास में किए जाते हैं।

[ख] सीआईएफ, एफओबी और सी एंड एफ अनुबंधों के अंतर्गत सामग्री के किसी भी आयात के संबंध में, खरीदारी को प्रवेश बिल की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर बुक किया जाता है। यदि कोई विनिमय अंतर उत्पन्न होता है, तो उपरोक्त दर और उस दर के बीच, जिस पर वास्तविक भुगतान किया गया है अथवा 31 मार्च को प्रचलित दर, जो भी पहले हो, उसका लेखा-जोखा लाभ-हानि विवरण में किया जाता है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

[ग] निर्यात/विदेशी बिक्री को बिल ऑफ लेडिंग की तिथि पर प्रचलित दरों पर बुक किया जाता है। ऐसे बिलों से संबंधित विनिमय अंतर, यदि कोई हो, जो या तो आय की प्राप्ति पर या वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर उनके रूपांतरण पर उत्पन्न होता है (जो भी पहले हो), उसका लेखा-जोखा लाभ और हानि विवरण में किया जाता है।

[घ] विदेशी मुद्रा में प्राप्य और देयकों को बैलेंस शीट में वित्तीय वर्ष के अंत में प्रचलित समानता दर पर रिपोर्ट किया जाता है। ऐसे प्राप्य/देयकों के निपटान पर या उन्हें उस दर पर रिपोर्ट करने पर, जो उस दर से भिन्न है जिस पर उन्हें प्रारम्भ में दर्ज किया गया था या पिछली बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया गया था, उत्पन्न विनिमय अंतर का लेखा-जोखा लाभ और हानि विवरण में किया जाता है।

[2.4] राजस्व मान्यता और अन्य आय

राजस्व को 01.04.2018 से प्रभावी इंड एस 115 के अनुसार मान्यता दी गई है।

[2.4.1] वस्तुओं की बिक्री

वस्तुओं की बिक्री से राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं के स्वामित्व से संबंधित महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार खरीदार को हस्तांतरित हो जाते हैं। वस्तुओं की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें वापसी और भत्ते, व्यापारिक छूट और मात्रा छूट घटाकर दिखाया जाता है।

बिक्री से राजस्व बिक्री अनुबंधों में निर्दिष्ट मूल्य पर आधारित होता है, जिसमें छूट और योजनाएँ घटाई जाती हैं, जिन्हें प्रकाशित परिपत्रों और अपेक्षित उपलब्धि सीमा के आधार पर आंका जाता है। किसी वित्तपोषण तत्व को उपस्थित नहीं माना जाता क्योंकि बिक्री सामान्यतः क्रेडिट अवधि के साथ की जाती है, जो बाजार प्रथा के अनुरूप है।

एफओआर गंतव्य अनुबंधों के विरुद्ध भेजी गई खेपें, जो वर्ष के अंत तक ग्राहकों तक नहीं पहुँचतीं, उन्हें 'प्रेषणाधीन तैयार माल' के रूप में दिखाया जाता है।

अनुबंधों के विरुद्ध चाय की बिक्री का लेखा-जोखा डिलीवरी आदेशों के आधार पर और नीलामी केंद्रों में बिक्री पूर्ण होने पर चाय व्यापार के मानकों के अनुसार किया जाता है।

[2.4.2] किराया आय

संपत्ति को सहयोगी कम्पनी और अन्य पक्षों को किराये पर देने से उत्पन्न किराया आय का लेखा-जोखा समझौते की शर्तों के अनुसार समय-समय पर किया जाता है और इसे लाभ और हानि विवरण में अन्य आय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।

[2.4.3] ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो अनुमानित भविष्य की नकदी प्रवाह को वित्तीय परिसंपत्ति के सकल वहन मूल्य तक, उसके अपेक्षित जीवनकाल में ठीक-ठीक छूट देती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय कम्पनी वित्तीय साधन की वास्तविक संविदात्मक शर्तों पर विचार करती है लेकिन अपेक्षित ऋण हानि पर विचार नहीं करती। तथापि, वर्ष के अंत में बैंकों द्वारा सूचित बैंक ब्याज को सम्मिलित किया जाता है।

[2.4.4] लाभांश आय

लाभांश को लाभ और हानि विवरण में 'अन्य आय' के अंतर्गत तभी मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभावित होता है कि लाभांश से संबंधित आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होगा और लाभांश की राशि का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है।

[2.4.5] अन्य आय

निम्नलिखित आय को अन्य आय के रूप में माना जाता है:

क) बीमा और अन्य दावों का लेखा-जोखा स्वीकृत राशियों के आधार पर किया जाता है।

ख) बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क वापसी का लेखा-जोखा प्राप्त मूल्यांकन/वापसी आदेशों के आधार पर किया जाता है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एएस के अनुसार]

ग) ग्राहकों से बिक्री अनुबंध की शर्तों के अनुसार पूर्ण/आंशिक भुगतानों की विलंबित प्राप्ति पर प्राप्त होने वाला ब्याज, अब तक प्राप्त भुगतान के संबंध में यदि वह ब्याज निर्धारणीय है तो उसके अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

घ) निर्यात/माने हुए निर्यात के लाभ अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रेषण पूर्ण होने पर लेखाबद्ध किए जाते हैं।

ड) कच्चे माल, उपकरण/अवयवों की आपूर्ति में विलंब हेतु कंपनी द्वारा वसूल किए गए हजनि को अन्य आय के रूप में माना जाता है।

[2.5] आयकर

इस अवधि का आयकर व्यय या ऋण उस अवधि की कर योग्य आय पर देय कर है, जो प्रत्येक क्षेत्राधिकार के लिए लागू आयकर दर पर आधारित है तथा अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों से संबंधित स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में हुए परिवर्तनों द्वारा समायोजित किया जाता है।

वर्तमान आयकर की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर की जाती है। प्रबंधन समय-समय पर उन स्थितियों में कर रिटर्न में अपनाए गए रुख का मूल्यांकन करता है जहाँ लागू कर विनियमन की व्याख्या की आवश्यकता होती है। यह उपयुक्त होने पर प्रावधान करता है, उन राशियों के आधार पर जिनका भुगतान कर प्राधिकरणों को किए जाने की संभावना है। लाभांश के वितरण से उत्पन्न अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देनदारी को मान्यता दी जाती है और सुधार पर विचार नहीं किया गया है।

कंपनी द्वारा दायर सुधार/अपील के कारण विभिन्न आयकर/कृषि आयकर/विक्रय कर, वैट, जीएसटी प्राधिकरणों सहित एनसीएलटी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के संबंध में समायोजन उन कार्यवाहियों के अंतिम निपटारे पर किए जाते हैं।

स्थगित आयकर को पूर्ण रूप से देयता पद्धति का उपयोग करके, उन अस्थायी अंतरों पर प्रदान किया जाता है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधार और वित्तीय विवरणों में उनके वहन मूल्य के बीच उत्पन्न होते हैं। यदि यह किसी लेन-देन में किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है, जो उस समय न तो लेखांकन लाभ/हानि और न ही कर योग्य लाभ (कर हानि) को प्रभावित करता है, तो स्थगित आयकर को लेखाबद्ध नहीं किया जाता है। स्थगित आयकर का निर्धारण उन कर दरों (और कानूनों) का उपयोग करके किया जाता है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किया गया है और जिनके लागू होने की उम्मीद है जब संबंधित स्थगित आयकर परिसंपत्ति साकार होती है या स्थगित आयकर देनदारी का निपटारा किया जाता है।

स्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर हानियों के लिए केवल तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभावित हो कि भविष्य में कर योग्य राशियाँ उपलब्ध होंगी ताकि उन अस्थायी अंतरों और हानियों का उपयोग किया जा सके।

स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब स्थगित कर शेष उसी कर प्राधिकरण से संबंधित हो। वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है जब इकाई के पास समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और या तो शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा हो, या परिसंपत्ति को साकार करने और देनदारी का एक साथ निपटारा करने का इरादा हो।

वर्तमान और स्थगित कर को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह उन मदों से संबंधित हो जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। इस स्थिति में, कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

[2.6] पट्टे

यह निर्धारण कि कोई व्यवस्था पट्टा है (या उसमें पट्टा शामिल है), पट्टों की शुरुआत में व्यवस्था के सार पर आधारित है, जैसा कि आईएनडी एएस 116 में निर्दिष्ट शर्तों और नियमों के अनुसार है। यदि किसी व्यवस्था की पूर्ति किसी विशेष परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर निर्भर है और व्यवस्था परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार प्रदान करती है, भले ही यह अधिकार किसी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हो, तो वह व्यवस्था पट्टा है या उसमें पट्टा शामिल है।

पट्टेदार के रूप में

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30 मार्च 2019 के अनुसार, भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एएस-116)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

पट्टे, 1.4.2019 से कंपनी के लिए प्रभावी हो गया है, जिसने आईएनडी एस 17 (पट्टे) का स्थान ले लिया है। पट्टों पर लेखा नीति को आईएनडी एस 116 के अनुसार बदल दिया गया है। आईएनडी एस 116, पट्टों का मुख्य परिवर्तन यह है कि पट्टेदारों द्वारा वर्तमान में परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत पट्टों के लेखांकन उपचार में परिवर्तन। पट्टा समझौतों से भविष्य के पट्टा भुगतानों के लिए उपयोग अधिकार संपत्तियों और एक पट्टा देनदारी की मान्यता उत्पन्न हुई है। कंपनी के मामले में मानक केवल उन्हीं मामलों में लागू किए गए हैं जहाँ निष्पादित पट्टा समझौते/या संबंधित पट्टादाता सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएँ कंपनी के पास हैं और ऐसे पट्टों की शेष अवधि 01.04.2019 को, नीचे उल्लिखित मामलों को छोड़कर।

असम में चाय बागानों के लिए असम सरकार से भूमि के पट्टे के मामले में, कंपनी ने भारतीय चाय संघ के साथ मिलकर नोट किया है कि असम भूमि और राजस्व विनियमन, 1886 की धारा 9 भूमि पट्टा, उपयोग का अधिकार, अधिभोग और अन्य प्रासंगिक अधिकार प्रदान करती है, जो समय-समय पर उक्त भूमि के संबंध में देय राजस्व, करों, मामलों और दरों के भुगतान के अधीन है और इस प्रकार, कोई निश्चित या परिभाषित पट्टा अवधि नहीं है। इस प्रकार, असम के मामले में आईएनडी एस 116 तदनुसार लागू नहीं होना चाहिए। हालाँकि, आईएनडी एस 116 पर संक्रमण का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है क्योंकि कंपनी ने इस मानक को प्रारंभिक रूप से लागू करने की तारीख पर मान्यता प्राप्त संचयी प्रभाव के साथ प्रतिगामी रूप से लागू नहीं किया है। जिन पट्टा व्यवस्थाओं पर विवाद है, उनके मामले में वास्तविक पट्टा व्यय को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

पट्टादाता के रूप में

संचालन पट्टों से पट्टा आय, जहाँ कंपनी पट्टादाता है, पट्टा अवधि के दौरान आय में समान रेखा आधार पर मान्यता प्राप्त होती है जब तक कि प्राप्तियाँ अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ने के लिए संरचित न हों ताकि अपेक्षित मुद्रास्फीति संबंधी लागत वृद्धि की क्षतिपूर्ति हो सके। संबंधित पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियाँ उनकी प्रकृति के आधार पर बैलेंस शीट में सम्मिलित की जाती हैं।

[2.7] भंडारों के अतिरिक्त गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास हानि

क) कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या यह संकेत है कि कोई परिसंपत्ति ह्रासग्रस्त हो सकती है या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक ह्रास परीक्षण आवश्यक हो, तो कंपनी उस परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि, परिसंपत्ति की नकद उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीयू) के उचित मूल्य से निपटान लागत घटाकर या उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो वह है। किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए पुनर्प्राप्ति योग्य राशि निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से बड़े पैमाने पर स्वतंत्र नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती हो। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी पुनर्प्राप्ति योग्य राशि से अधिक होती है, तो परिसंपत्ति को ह्रासग्रस्त माना जाता है और इसे उसकी पुनर्प्राप्ति योग्य राशि तक घटा दिया जाता है। परिणामस्वरूप ह्रास हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) उपयोग में मूल्यांकन करते समय, अनुमानित भविष्य नकद प्रवाह को पूर्व कर छूट दर का उपयोग करके वर्तमान मूल्य तक छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति-विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। उचित मूल्य से निपटान लागत घटाने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की पुष्टि मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के उद्गत शेयर मूल्यों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा की जाती है।

[2.8] नकदी प्रवाह विवरण
क) नकद और नकदी समकक्ष

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के उद्देश्य से, नकद और नकदी समकक्ष में हाथ में नकद, वित्तीय संस्थानों में कॉल पर रखी गई जमाएँ, अन्य अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश शामिल होते हैं, जिनकी मूल परिपक्वता खरीद की तारीख से तीन महीने या उससे कम होती है, जिन्हें ज्ञात नकद राशि में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है और जिन पर मूल्य में परिवर्तन का नगण्य जोखिम होता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों में उधारी के अंतर्गत दिखाया जाता है।

ख) नकदी प्रवाह विवरण को आईएनडी एस-7 "नकदी प्रवाह विवरण" में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

[2.9] व्यापार प्राप्तियाँ

व्यापार प्राप्तियों को प्रारंभ में लेन-देन मूल्य पर मान्यता दी जाती है और तत्पश्चात लागत घटाकर कंपनी द्वारा आंतरिक ऋण जोखिम विश्लेषण के आधार पर प्रावधान के अनुसार मापा जाता है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

[2.10] भंडार

- क) कच्चा माल (पैकिंग सामग्री सहित), प्रगति में कार्य, व्यापार और तैयार माल को लागत और शुद्ध साकार मूल्य में से जो कम हो उस पर दर्शाया जाता है। कच्चे माल और व्यापारिक वस्तुओं की लागत में खरीद की लागत शामिल होती है। प्रगति में कार्य और तैयार माल की लागत में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और परिवर्तनशील तथा स्थिर ओवरहेड व्यय का उपयुक्त भाग शामिल होता है, जिन्हें ऐसे कार्यों में प्रयुक्त वास्तविक श्रम घंटों के आधार पर आवंटित किया जाता है, जैसा कि निरंतर अपनाया जा रहा है। भंडार की लागत में उन सभी अन्य लागतों को भी शामिल किया जाता है जो भंडार को उसकी वर्तमान स्थिति और स्थान पर लाने में हुई हों। लागत को व्यक्तिगत भंडार मदों को भारित औसत पद्धति के आधार पर आवंटित किया जाता है। खरीदे गए भंडार की लागत छूट और रियायतें घटाने के बाद निर्धारित की जाती है। शुद्ध साकार मूल्य वह अनुमानित बिक्री मूल्य है जो सामान्य व्यवसाय में प्राप्त होगा, जिसमें पूर्णता की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत घटाई जाती है।
- ख) धीमी और न चल रही भंडार सामग्री, जो तीन वर्ष से अधिक लेकिन पाँच वर्ष से कम समय से पड़ी है, के लिए पुस्तक मूल्य का 15% प्रावधान किया जाता है। ऐसी भंडार सामग्री, जो पाँच वर्ष से अधिक समय से पड़ी है, के लिए पुस्तक मूल्य का 36.25% प्रावधान किया जाता है। निष्प्रचलित भंडार के लिए पुस्तक मूल्य का 100% प्रावधान किया जाता है। प्रगति में कार्य पर वर्ष के अंत तक हुए सभी घाटे तथा ऐसे कार्यों पर होने वाली आगे की अनुमानित लागत के घाटे को ध्यान में रखा जाता है और उचित रूप से प्रावधान किया जाता है।
- ग) वर्ष के अंत में प्रगति में अनुबंध कार्यों का मूल्यांकन करते समय, भविष्य के अनुमानित घाटों पर केवल उन्हीं कार्यों के संबंध में विचार किया जाता है जिनका मूल्यांकन 25.00 लाख रुपये या उससे अधिक है और/या जिनकी भौतिक प्रगति तकनीकी अनुमान के अनुसार न्यूनतम 50% है।
- घ) स्व-निर्मित भंडार, अवयव, कच्चा माल आदि का अंतर-इकाई स्थानांतरण, यदि वर्ष के अंत में भंडार में पड़ा हो, तो स्थानांतरणकर्ता इकाई की अनुमानित कार्य/कारखाना लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- ङ) कबाड़ के भंडार का मूल्यांकन अनुमानित/वास्तविक साकार मूल्य के आधार पर किया जाता है, जैसा भी मामला हो। परंतु चाय अपशिष्ट का मूल्यांकन नहीं किया जाता है।
- च) एडवांस लाइसेंस के विरुद्ध निर्यात लाभों पर विचार तभी किया जाता है जब आयातित सामग्री का वास्तविक उपभोग हो। वर्ष के अंत में हाथ में उपलब्ध एडवांस लाइसेंस का लेखा नहीं किया जाता है।
- छ) वर्ष के दौरान बेचे गए भंडार की लागत को भंडार में वृद्धि/कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

[2.11] निवेशों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश के अतिरिक्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ

[2.11.1] वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्न मापन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:

- * वे, जिन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाएगा (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ और हानि के माध्यम से), और
- * वे, जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

वर्गीकरण कंपनी के वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यावसायिक मॉडल और नकद प्रवाह की संविदात्मक शर्तों पर निर्भर करता है।

उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों के लिए, लाभ और हानि को या तो लाभ और हानि में या अन्य व्यापक आय में दर्ज किया जाएगा। ऋण साधनों में निवेश के लिए, यह उस व्यावसायिक मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश रखा गया है। इक्विटी साधनों में निवेश के लिए, यह इस पर निर्भर करेगा कि कंपनी ने प्रारंभिक मान्यता के समय अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश का लेखा करने का अपरिवर्तनीय चयन किया है या नहीं।

कंपनी ऋण साधनों का पुनर्वर्गीकरण तब और केवल तब करती है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए उसका व्यावसायिक मॉडल बदलता है।

[2.11.2] मापन

इक्विटी साधन

कंपनी सभी इक्विटी निवेशों को, सहायक और सहयोगी को छोड़कर, उचित मूल्य पर मापती है। सहायक और सहयोगी में निवेशों को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

[2.11.3] वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास हानि

कंपनी, अग्रदृष्टि के आधार पर, अपनी परिशोधित लागत और एफवीओसीआई ऋण साधनों पर वहन की जाने वाली परिसंपत्तियों से संबंधित अपेक्षित ऋण हानियों का आकलन करती है। लागू ह्रास पद्धति इस पर निर्भर करती है कि क्या ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। टिप्पणी 2.28 यह बताती है कि कंपनी कैसे निर्धारित करती है कि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं।

केवल व्यापार प्राप्तियों के लिए, कंपनी सरलीकृत पद्धति अपनाती है जिसमें प्रारंभिक मान्यता से ही प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षित हानियों को ह्रास प्रावधान के रूप में मान्यता दी जाती है।

[2.11.4] वित्तीय परिसंपत्तियों का अपमान्यता

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को केवल तब अपमान्य किया जाता है जब:

- * कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार स्थानांतरित कर दिए हों, या
- * वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार बनाए रखे हों, परंतु नकद प्रवाह को एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को भुगतान करने का संविदात्मक दायित्व ग्रहण किया हो।

जहाँ इकाई ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित किया है, कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या उसने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ मूलतः स्थानांतरित कर दिए हैं। ऐसे मामलों में, वित्तीय परिसंपत्ति अपमान्य की जाती है। जहाँ इकाई ने वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ मूलतः स्थानांतरित नहीं किए हैं, वित्तीय परिसंपत्ति अपमान्य नहीं की जाती है।

जहाँ इकाई ने न तो किसी वित्तीय परिसंपत्ति का स्थानांतरण किया है और न ही वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ बनाए रखे हैं, तो यदि कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण नहीं रखा है तो उसे अपमान्य कर दिया जाता है। जहाँ कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण बनाए रखती है, वहाँ परिसंपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

[2.12] क्रय

क) आगत वस्तुओं से संबंधित बीमा शुल्क, जहाँ सामग्री प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, व्यक्तिगत मदों के संबंध में लेखाबद्ध किया जाता है; अन्यथा, ऐसे बीमा प्रीमियम को लाभ और हानि विवरण में व्ययित किया जाता है।

ख) विदेश से खरीदी गई वस्तुओं के मामले में, शिपमेंट को पारगमन में वस्तु माना जाता है:

- [i]** सीआईएफ और सी एंड एफ अनुबंधों के मामले में, बैंक से सूचना प्राप्त होने की तिथि से;
- [ii]** एफओबी अनुबंधों के मामले में, बिल ऑफ लेडिंग के अनुसार वास्तविक शिपमेंट की तिथि से।

[2.13] अन्य राजस्व व्यय

क) गारंटी अवधि के दौरान सामग्री/घटक को निःशुल्क प्रतिस्थापन के रूप में जारी करना, जिसे अज्ञात होने के कारण प्रदान नहीं किया जा सकता है, वास्तविक प्रेषण पर लेखाबद्ध किया जाता है। ज्ञात निःशुल्क प्रतिस्थापन, लेखांकन वर्ष के अंत तक, प्रावधान किए जाते हैं।

ख) कंपनी ग्राहकों को पहले से बेची गई वस्तुओं के मरम्मत और सुधार से संबंधित देनदारी का प्रावधान करती है, जो उपरोक्त मद पर पिछले तीन वर्षों के औसत व्यय के आधार पर होता है।

ग) हर्जाने से संबंधित देनदारियाँ तब और उसी सीमा तक प्रावधान की जाती हैं जब तक कंपनी द्वारा विवादित नहीं होतीं। कंपनी द्वारा विवादित हर्जाने को संभाव्य देनदारी माना जाता है। देनदारी/संभाव्य देनदारी की राशि का अनुमान संविदात्मक शर्तों और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर किया जाता है, जितनी सीमा तक राजस्व मान्यता प्राप्त है।

घ) कमीशन से संबंधित देनदारी का प्रावधान बिक्री के अनुपात में किया जाता है।

ङ) आयकर/कृषि आयकर के विलंबित भुगतानों पर ब्याज को कर प्राधिकरणों के आकलन आदेशों के आधार पर, यदि कंपनी द्वारा विवादित नहीं है, या वास्तविक भुगतान किए गए आधार पर, जैसा भी मामला हो, लेखाबद्ध किया जाता है।

च) तकनीकी ज्ञान शुल्क का भुगतान संबंधित लेखा मानक के अनुपालन में लेखाबद्ध किया जाता है।

छ) आंशिक रूप से पूर्ण संयुक्त/टर्नकी अनुबंधों में अवास्तविक लाभ के लिए प्रावधान, मान्यता प्राप्त राजस्व पर प्रत्यक्ष लागत के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

ज) चाय बागानों के लिए दवा क्रय, प्रचलित अभ्यास के अनुसार व्ययित किया जाता है।

झ) गारंटी कमीशन को गारंटी जारी/नवीनीकरण के वर्ष में लिया जाता है।

[2.14] देनदारियों का लेखांकन/वापसी

क) देनदारियों के प्रावधान हेतु कट-ऑफ तिथि 30 अप्रैल है, परंतु सभी ज्ञात देनदारियाँ, यदि भौतिक हैं, तो यथासंभव दर्ज की जाती हैं (पिछले वर्ष की कट-ऑफ तिथि 30 अप्रैल)।

ख) 5 वर्ष से अधिक पुरानी और मूर्त रूप से उत्पन्न होने की संभावना न रखने वाली देनदारियों को वापस लिखा जाता है, सरकारी ऋणों को छोड़कर। केवल असाधारण मदों के मामले में, वित्तीय विवरणों में पृथक प्रकटीकरण दिया जाता है।

[2.15] वित्तीय साधनों का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को समायोजित किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में तब रिपोर्ट किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों के समायोजन का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और शुद्ध आधार पर निपटान करने या परिसंपत्ति को साकार करने और देनदारी का एक साथ निपटान करने का इरादा हो। कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार भविष्य की घटनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए और सामान्य व्यापार की प्रक्रिया में तथा कंपनी या प्रति-पक्ष की डिफॉल्ट, दिवालियापन या दिवालियापन की स्थिति में प्रवर्तनीय होना चाहिए।

[2.16] संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

क) स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन चरणबद्ध तरीके से किया जाता है ताकि 3 वर्षों की अवधि में स्थायी परिसंपत्तियों की प्रत्येक मद को शामिल किया जा सके।

ख) पूँजीगत व्यय के संबंध में अनुदान/सब्सिडी का लेखांकन लागू लेखा मानक के अनुसार किया जाता है और परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की अवधि में लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। पूँजी अनुदान/सब्सिडी प्राप्ति के आधार पर और राजस्व सब्सिडी के मामले में पर्याप्त लिखित आश्वासन होने पर लेखाबद्ध की जाती है।

ग) फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अन्य सभी मदों को ऐतिहासिक लागत घटाकर मूल्यहास पर दर्शाया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वह व्यय शामिल है जो मदों के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।

घ) बाद की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या उपयुक्त होने पर अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, केवल तब जब यह संभावित हो कि मद से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा। किसी घटक की वहन राशि जिसे अलग परिसंपत्ति के रूप में लेखाबद्ध किया गया है, प्रतिस्थापित होने पर अपमान्य कर दी जाती है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव उस रिपोर्टिंग अवधि में लाभ और हानि में व्ययित किए जाते हैं जिसमें वे हुए हों।

ङ) एक इकाई/विभाग द्वारा दूसरी इकाई/विभाग के उपयोग हेतु निर्मित मशीनरी का लेखांकन स्थानांतरणकर्ता इकाई की कार्य/कारखाना लागत पर किया जाता है।

च) यदि आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर हास का कोई संकेत हो तो प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है। जब परिसंपत्तियों की वहन लागत उनकी पुनर्प्राप्ति योग्य राशि से अधिक होती है तो उन्हें हासग्रस्त माना जाता है। जब किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी पुनर्प्राप्ति योग्य राशि से अधिक होती है तो हास हानि लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। पूर्व लेखा अवधियों में मान्यता प्राप्त हास हानि को पलटा जाता है यदि पुनर्प्राप्ति योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन हुआ हो।

छ) बेयरर प्लांट को पुनरोपण के वर्ष से 3 वर्ष बाद पूँजी कार्य प्रगति से बेयरर प्लांट स्थायी परिसंपत्ति ब्लॉक में स्थानांतरित किया जाता है। बेयरर पौधे का औसत कुल जीवन असम और डुआर्स बागानों के लिए 70 वर्ष तथा दार्जिलिंग स्थित मिम चाय बागान के लिए 100 वर्ष माना गया है। बेयरर प्लांट की लागत में उखाड़ना, भूमि विकास, पुनर्वास, ग्वाटेमाला रोपण, छाया वृक्षों का रोपण, नर्सरी, जल निकासी, हाथ से खेती, उर्वरक, कृषि-रसायन, छँटाई और रिक्त स्थान भरना आदि की लागत शामिल होती है। बेयरर प्लांट पर मूल्यहास को उनके उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि से उनकी लागत समाप्त करने हेतु मान्यता दी जाती है। असम और डुआर्स बागानों में बेयरर प्लांट का अनुमानित उपयोगी जीवन 63 वर्ष और दार्जिलिंग स्थित मिम चाय बागान में 91 वर्ष माना गया है, भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। युवा चाय की झाड़ियाँ और छाया वृक्ष, जिसमें नए बीजों की खरीद और नर्सरियों के रखरखाव पर खर्च शामिल है, पहले तीन वर्षों तक पूँजी कार्य प्रगति के अंतर्गत लागत घटाकर किसी मान्यता प्राप्त हास हानि के साथ दर्ज किए जाते हैं। लागत में भूमि की तैयारी, नई रोपाई और परिपक्वता तक नई झाड़ियों के रखरखाव की लागत शामिल है। तीन वर्ष पूरे होने के बाद परिपक्वता

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

पर इन लागतों को बेयरर प्लांट के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बेयरर प्लांट का मूल्यहास परिपक्वता पर प्रारंभ होता है। अवशिष्ट जीवन असम और डुआर्स बागानों के लिए 4 वर्ष और दार्जिलिंग स्थित मिम चाय बागान के लिए 6 वर्ष माना गया है, भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए।

ज) निर्धारित तकनीकी मूल्यांकन समिति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद परिसंपत्तियों को अनुपयोगी माना जाता है।

[2.17] आईएनडी एस-41 (जैविक परिसंपत्तियों) की प्रयोज्यता

एवाईसीएल चाय विभाग 7 दिन के चक्र में निर्माण हेतु चाय की पत्तियाँ तोड़ता है। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को यह परिपक्व चाय तोड़ता है और उसका निर्माण करता है। प्रत्येक बगीचे के सभी खंडों में झाड़ियों पर चाय की पत्तियाँ अपरिपक्व रहती हैं।

आईएनडी एस 41 के पैरा 10 में कहा गया है कि किसी जैविक परिसंपत्ति को तभी मान्यता दी जाए जब और केवल जब, परिसंपत्ति का उचित मूल्य या लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके। यह सर्वविदित तथ्य है कि हरी चाय की पत्तियों के लिए कोई बाजार मौजूद नहीं है जो झाड़ियों पर बनी रहती हैं और तोड़ाई के लिए तैयार नहीं होतीं (अभी तक नहीं तोड़ी गईं)। जब तक हरी चाय की पत्तियाँ झाड़ियों पर बनी रहती हैं और तोड़ाई के चरण तक नहीं पहुँची हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है और उन्हें चाय प्रसंस्करण में किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं किया जा सकता।

जैसा कि आईएनडी एस 41 के पैरा 8 में जोर दिया गया है, झाड़ियों पर खड़ी हरी चाय की पत्तियों का उचित मूल्य निर्धारित करना असंभव होगा। इसी प्रकार ऐसी हरी चाय की पत्तियों की लागत निर्धारित करना भी व्यावहारिक होगा क्योंकि उसकी गणना हेतु कोई भी लागत मॉडल अनुमान और धारणा पर आधारित होगा, जिसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता।

उपरोक्त के दृष्टिगत एवाईसीएल वित्तीय विवरणों में रिपोर्टिंग तिथि पर जैविक परिसंपत्तियों (हरी चाय की पत्तियाँ जो नहीं तोड़ी गईं और वृद्धि के चरण में हैं, परिपक्व नहीं हैं) को मान्यता नहीं देता है।

[2.18] पूँजीगत कार्य प्रगति

निर्माणाधीन परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय पूँजीगत कार्य प्रगति के अंतर्गत लागत पर वहन किया जाता है। ऐसी लागतों में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, जिसमें शुल्क और अप्रत्यावर्तनीय कर तथा अन्य लागतें शामिल हैं, जो परिसंपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने हेतु प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं जिससे वह प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन हेतु सक्षम हो सके।

[2.19] अमूर्त परिसंपत्तियाँ

सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के रखरखाव से संबंधित लागतें व्यय के रूप में मान्यता दी जाती हैं जब वे होती हैं। खरीदे गए सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में दर्ज किया जाता है और उस बिंदु से परिशोधित किया जाता है जब परिसंपत्ति उपयोग हेतु उपलब्ध हो। अमूर्त परिसंपत्तियों को उनकी सर्वोत्तम अनुमानित उपयोगी आयु पर परिशोधित किया जाता है, जहाँ भी लाइसेंस अवधि उपलब्ध हो उसे ध्यान में रखते हुए और अन्य मामलों में सीधी रेखा विधि से अधिकतम तीन वर्षों तक।

[2.20] व्यापार और अन्य देयक

ये राशियाँ उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए देनदारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत से पूर्व कंपनी को प्रदान की गई हैं और जिनका भुगतान नहीं किया गया है। ये राशियाँ असुरक्षित होती हैं और सामान्यतः भुगतान शर्तों के अनुसार चुकाई जाती हैं। व्यापार और अन्य देयक को वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जब तक कि भुगतान रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर देय न हो। इन्हें प्रारंभ में उनके उचित मूल्य/लेन-देन मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

[2.21] उधारी लागत

सामान्य और विशिष्ट उधारी लागतें, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित होती हैं, उस समयावधि के दौरान पूँजीकृत की जाती हैं जब तक परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री हेतु पूर्ण और तैयार करना आवश्यक हो। योग्य परिसंपत्तियाँ वे होती हैं जिन्हें उनके इच्छित उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है। प्राप्तियों (लेन-देन लागत घटाकर) और विमोचन राशि के बीच कोई भी अंतर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

योग्य परिसंपत्तियों पर व्यय से पूर्व विशिष्ट उधारी की अस्थायी निवेश से अर्जित निवेश आय को पूँजीकरण हेतु योग्य उधारी लागत से घटा दिया जाता है।

उधारी लागतों को बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, निरस्तीकरण या समाप्ति हो जाती है। समाप्त या अन्य पक्ष को स्थानांतरित वित्तीय देनदारी की वहन राशि और विचाराधीन भुगतान, जिसमें कोई भी गैर-नकद परिसंपत्ति का

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

स्थानांतरण या दायित्व ग्रहण शामिल है, के बीच का अंतर लाभ और हानि खाते में अन्य लाभ/(हानि) के रूप में मान्यता दी जाती है। अन्य उधारी लागतें उस अवधि में व्ययित की जाती हैं जिसमें वे होती हैं।

[2.22] प्रावधान, संभाव्य देनदारियाँ और संभाव्य परिसंपत्तियाँ

कानूनी दावों, छूट, योजनाओं और वापसी के लिए प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होते हैं जब कंपनी के पास पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या सांविधिक दायित्व होता है, यह संभावित है कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा और राशि को विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सकता है। भविष्य के परिचालन घाटों के लिए प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं होते।

जहाँ समान दायित्वों की संख्या होती है, निपटान में बहिर्वाह की संभावना का निर्धारण दायित्वों की श्रेणी को समग्र रूप से विचार करके किया जाता है। प्रावधान मान्यता प्राप्त होता है, भले ही उसी श्रेणी में शामिल किसी एक मद के संबंध में बहिर्वाह की संभावना कम ही क्यों न हो।

प्रावधानों का मापन प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक व्यय है। वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त छूट दर पूर्व-कर दर होती है, जो धन के समय मूल्य और देनदारी से संबंधित जोखिम का वर्तमान बाजार आकलन दर्शाती है। समय बीतने से प्रावधान में हुई वृद्धि को ब्याज व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

संभाव्य देनदारियाँ वे संभावित दायित्व होते हैं जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होते हैं और जिनका अस्तित्व भविष्य की एक या अधिक घटनाओं के घटित या न घटित होने से ही पुष्टि होगा, जो पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में नहीं होतीं। ऐसे दायित्वों को संभाव्य देनदारी के रूप में प्रकटीकृत किया जाता है।

संभाव्य परिसंपत्तियाँ वे संभावित परिसंपत्तियाँ होती हैं जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य घटनाओं के घटित या न घटित होने से ही पुष्टि होगा, जो पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में नहीं होतीं। संभाव्य परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में तब प्रकटीकृत किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभों का प्रवाह संभावित हो।

[2.23] कर्मचारी लाभ

[2.23.1] अल्पकालिक दायित्व

वेतन और मजदूरी, जिनमें गैर-आर्थिक लाभ भी शामिल हैं, जो पूरी तरह 12 माह के भीतर निपटाए जाने की अपेक्षा है, उस अवधि के अंत तक जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रदान की है, कर्मचारियों की सेवा के संबंध में मान्यता प्राप्त होते हैं और उन्हें उस राशि पर मापा जाता है जिसका भुगतान दायित्व के निपटारे पर होने की अपेक्षा है। इन दायित्वों को बैलेंस शीट में वर्तमान कर्मचारी लाभ दायित्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

[2.23.2] अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ दायित्व

अर्जित अवकाश के दायित्वों का निपटान पूरी तरह 12 माह के भीतर होने की अपेक्षा नहीं है जिस अवधि के अंत तक कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रदान की है। बैलेंस शीट में परिभाषित लाभों जैसे अवकाश नकदीकरण, पेंशन और ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में मान्यता प्राप्त दायित्व या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य होता है, जिसमें से योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व का गणना बीमांकिकों द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति से किया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सरकारी बॉन्डों पर बाजार प्रतिफल का उपयोग करके छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिनकी शर्तें संबंधित दायित्व की शर्तों के निकटतम होती हैं।

शुद्ध ब्याज लागत, परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के शुद्ध शेष पर छूट दर लागू करके गणना की जाती है और इसे लाभ और हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पुनर्मापन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं, अन्य व्यापक आय में। इन्हें इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में अर्जित आय में और बैलेंस शीट में शामिल किया जाता है।

यदि इकाई के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह तक निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है, तो दायित्वों को बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वास्तविक निपटान कब होने की अपेक्षा हो।

अप्रयुक्त चिकित्सा लाभों को 3 वर्षों की अवधि में वास्तविक लागत पर मापा जाता है।



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

[2.23.3] नियोजन उपरान्त दायित्व

कंपनी निम्नलिखित नियोजन उपरान्त योजनाएँ संचालित करती है :

क) परिभाषित लाभ योजना जो ग्रेच्युटी है।

ख) परिभाषित अंशदान योजना जो केवल भविष्य निधि है। संगठन स्थानीय विनियमों के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रशासित भविष्य निधि में भविष्य निधि का भुगतान करता है और अंशदान के अतिरिक्त कंपनी की कोई अन्य भुगतान देनदारी नहीं है तथा अंशदान को जब देय होता है, उस समय कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) एक बार दिए जाने वाले चिकित्सा लाभों को वास्तविक लागत पर मापा जाता है।

[2.24] लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी के शेयरधारकों और निदेशक मंडल द्वारा क्रमशः उन्हें अनुमोदित किया जाता है।

[2.25] प्रति शेयर आय

[2.25.1] मूल प्रति शेयर आय

मूल प्रति शेयर आय की गणना इस प्रकार की जाती है :

* कंपनी के स्वामियों को अनुपयुक्त लाभ/हानि।

* वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचलित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा विभाजन।

[2.25.2] घटित प्रति शेयर आय

घटित प्रति शेयर आय, मूल प्रति शेयर आय के निर्धारण में प्रयुक्त आंकड़ों को इस प्रकार समायोजित करती है कि इसमें शामिल हो :

* घटित संभाव्य इक्विटी शेयरों से संबंधित ब्याज और अन्य वित्तपोषण लागत का आयकर पश्चात प्रभाव, और

* अतिरिक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो प्रचलन में होतीं यदि सभी घटित संभाव्य इक्विटी शेयर परिवर्तित हो जाते।

[2.26] वित्तीय देनदारियाँ

कंपनी की वित्तीय देनदारियाँ संविदात्मक दायित्व होती हैं, जिसके अंतर्गत नकद या कोई अन्य वित्तीय परिसंपत्ति किसी अन्य इकाई को दी जाती है या वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का किसी अन्य इकाई के साथ इस शर्त पर आदान-प्रदान किया जाता है जो कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल होती है।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापारिक तथा अन्य देयक शामिल हैं।

क) वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य घटाकर लेन-देन लागत पर मान्यता दी जाती है और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्तियों (लेन-देन लागत घटाकर) और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के बीच कोई भी अंतर, उधार की अवधि के दौरान प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए लाभ और हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में, यदि कोई अन्य मानक ऐसी समाविष्टि की अनुमति देता है, मान्यता दी जाती है।

उधारों को वर्तमान देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह तक दायित्व के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो।

ख) बाद का मापन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को, जब देनदारियाँ अपमान्य की जाती हैं और ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से, लाभ और हानि विवरण में या किसी परिसंपत्ति की वहन राशि में, यदि कोई अन्य मानक ऐसी समाविष्टि की अनुमति देता है, मान्यता दी जाती है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

परिशोधित लागत की गणना में अधिग्रहण पर कोई भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत शामिल होते हैं जो आईआईआर का अभिन्न हिस्सा हैं। आईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

ग) अपमान्यता

किसी वित्तीय देनदारी को तब अपमान्य किया जाता है जब दायित्व का निर्वहन, निरस्त या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय देनदारी को उसी ऋणदाता द्वारा पर्याप्त रूप से भिन्न शर्तों पर किसी अन्य से प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देनदारी की शर्तों में पर्याप्त रूप से संशोधन किया जाता है, तो ऐसे आदान-प्रदान या संशोधन को मूल देनदारी की अपमान्यता और नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

[2.27] उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त होगा या किसी देनदारी को स्थानांतरित करने पर भुगतान किया जाएगा, जब मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच सुव्यवस्थित लेन-देन हो। सामान्यतः प्रारंभिक मान्यता पर, लेन-देन मूल्य उचित मूल्य का सर्वोत्तम प्रमाण होता है।

हालाँकि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि लेन-देन मूल्य उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो वह अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों और जिनके लिए उचित मूल्य मापने हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हों, जिसमें प्रासंगिक प्रेक्षणीय इनपुट का अधिकतम उपयोग और अप्रेक्षणीय इनपुट का न्यूनतम उपयोग किया जाता है।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देनदारियाँ, जिनके लिए उचित मूल्य मापा या वित्तीय विवरणों में प्रकटीकृत किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत की जाती हैं। यह वर्गीकरण उस निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है :

- * स्तर 1 – सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए उद्भूत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- * स्तर 2 – ऐसी मूल्यांकन तकनीकें जिनमें निम्नतम स्तर का इनपुट सीधे या परोक्ष रूप से प्रेक्षणीय हो और जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हो।
- * स्तर 3 – ऐसी मूल्यांकन तकनीकें जिनमें निम्नतम स्तर का इनपुट अप्रेक्षणीय हो और जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हो।

उन वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए जिन्हें आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त होती है, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके यह निर्धारित करती है कि क्या पदानुक्रम के स्तरों के बीच कोई स्थानांतरण हुआ है।



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

[2.28] वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इकाई की गतिविधियाँ इसे बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के संपर्क में लाती हैं। उपरोक्त के प्रभावों को न्यूनतम करने हेतु, इकाई द्वारा विभिन्न व्यवस्थाओं में प्रवेश किया जाता है। निम्न तालिका जोखिम के स्रोतों को और वित्तीय विवरणों में इकाई द्वारा जोखिम को कैसे प्रबंधित किया जाता है, यह स्पष्ट करती है।

जोखिम	उत्पन्न होने वाला एक्सपोजर	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य, परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय संपत्ति	उम्र बढ़ने का विश्लेषण, क्रेडिट विश्लेषण	क्रेडिट सीमा और ऋण पत्र
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियाँ	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	ऋण सुविधाएँ
बाजार जोखिम - विदेशी बदलना	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ भारतीय मुद्रा में नहीं हैं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	मुद्रा की गति की निगरानी।
बाजार जोखिम - ब्याज दर	दीर्घकालिक ऋण/देनदारियाँ	...	ब्याज दर गति की निगरानी
बाजार जोखिम - सुरक्षा कीमतों	प्रतिभूतियों में निवेश	...	पोर्टफोलियो प्रबंधन

[क] ऋण जोखिम

ऋण जोखिम नकद और नकद समकक्ष, अमोर्टाइज्ड लागत पर रखे गए निवेश, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा तथा ग्राहकों और अन्य पक्षों के प्रति ऋण जोखिम से उत्पन्न होता है।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए केवल उच्च रेटिंग वाले बैंक/संस्थान स्वीकार किए जाते हैं। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, इकाई आंतरिक ऋण मूल्यांकन के आधार पर ऋण जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है। यह प्रत्येक पक्षवार जोखिम की निगरानी करती है और मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक पक्ष को ऋण रेटिंग आवंटित करती है। तत्पश्चात प्रत्येक पक्ष को उसकी सॉल्वेंसी के आधार पर ऋण सीमा दी जाती है।

इकाई डिफॉल्ट की संभावना को निरंतर आधार पर और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में मानती है। सूक्ष्म-आर्थिक जानकारी को आंतरिक रेटिंग मॉडल का हिस्सा बनाया जाता है।

सामान्यतः यह माना जाता है कि यदि भुगतान 60 दिनों से अधिक लंबित है तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानों का मिलान इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है :

(रुपये लाख में)

विवरण	कुल धनराशि
01.04.2024 तक संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1250.77
2024-25 के दौरान शुल्क	708.82
31.03.2025 तक संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1959.59

[ख] तरलता जोखिम

सावधान तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य यह है कि पर्याप्त नकद और नकद समकक्ष बनाए रखा जाए और प्रतिबद्ध ऋण सुविधाएँ उपलब्ध हों ताकि दायित्वों की समय पर पूर्ति की जा सके।

प्रबंधन अपेक्षित नकद प्रवाह के आधार पर समूह की तरलता स्थिति के रोलिंग पूर्वानुमान की निगरानी करता है। इकाई ने रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित उपार्जित ऋण सुविधाओं का उपयोग किया है :

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
बैंक ओवरड्राफ्ट	10388.43	11010.38
साख पत्र	649.71	1601.08
बैंक गारंटी	1480.40	1235.13

अगली 12 (बारह) महीनों के भीतर देय संविदात्मक रियायती नकद प्रवाह निम्न तालिका में दिए गए हैं।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

31.03.2025 को वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

(रुपये लाख में)

संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष तक	1 के बीच से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देय	6747.73	3633.01	162.92	10543.66
अन्य वित्तीय देनदारियां	11112.66	-	-	11112.66

31.03.2024 तक वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

(रुपये लाख में)

संविदात्मक परिपक्वता	1 वर्ष तक	1 के बीच से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देय	5275.08	1570.49	886.20	7731.77
अन्य वित्तीय देनदारियां	8891.43	-	-	8891.43

[ग] बाजार जोखिम

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वित्तीय संपत्ति		
व्यापार प्राप्त (विदेशी मुद्रा में), यदि कोई हो	-	-
वित्तीय देनदारियां		
व्यापार देय (विदेशी में)	-	-
मुद्रा, यदि कोई हो	-	-

[2.29] पूंजी प्रबंधन

[क] जोखिम प्रबंधन

पूंजी का प्रबंधन करते समय इकाई के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

[ए] अपने निरंतरता की क्षमता को सुरक्षित रखना।

[ब] पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक सर्वोत्तम पूंजी संरचना बनाए रखना।

[ख] लाभांश

[1] वर्षांत समीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त लाभांश : (रुपये लाख में)

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
अंतिम लाभांश	शून्य	शून्य
अंतरिम लाभांश	शून्य	शून्य

[2] रिपोर्टिंग अवधि के अंत में इंड एस के अनुरूप मान्यता प्राप्त न किए गए लाभांश।

[2.30] सुरक्षा के रूप में प्रतिज्ञाबद्ध परिसंपत्तियाँ

उधार के लिए सुरक्षा के रूप में प्रतिज्ञाबद्ध परिसंपत्तियों की वहन राशि इस प्रकार है :

सुरक्षा के रूप में प्रतिज्ञाबद्ध परिसंपत्तियाँ

(रुपये लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वित्तीय संपत्ति	-	-
व्यापार प्राप्त	6767.68	4912.04
गैर-वित्तीय संपत्ति	-	-
सूची	3189.33	2758.41



31 मार्च 2025 तक समेकित बैलेंस शीट

(रुपये लाख में)

	नोट नहीं	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
गैर-वर्तमान संपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	19160.43	16,192.69
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	6111.96	8,835.28
(ग) अमूर्त संपत्ति	3	11.41	8.89
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	4	24302.71	21,865.34
(ii) अन्य	5	16.81	21.32
(ङ) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	6	1199.05	1,879.11
(च) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	7	147.06	342.06
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां		50949.44	49,144.69
वर्तमान संपत्ति			
(क) इन्वेंटरी	8	4013.09	3,430.29
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	9	80.35	0.35
(ii) व्यापार प्राप्तियां	10	12444.64	9,993.93
(iii) नकद और नकद समकक्ष	11	730.16	1,025.89
(iv) अन्य बैंक बैलेंस	12	3076.74	2,868.47
(v) ऋण	13	0.00	0.44
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	14	626.38	565.87
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	15	3309.91	3,988.68
(घ) निपटान के लिए धारित परिसंपत्तियां	16	0.00	42.36
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		24281.27	21,916.28
कुल संपत्ति		75230.71	71,060.98
इक्विटी और देनदारियां			
निष्पक्षता			
(क) इक्विटी शेयर कैपिटल	17	9779.02	9,779.02
(ख) अन्य इक्विटी	18	24121.72	24,152.58
कुल इक्विटी		33,900.74	33,931.60
दायित्व			
गैर-वर्तमान देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	19	153.23	376.51
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	20	37.57	42.84
(ख) प्रावधान	21	3721.56	3,575.03
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देनदारियां	22	644.77	679.02
(घ) आस्थगित कर देयता		470.69	1402.01
कुल गैर-वर्तमान देनदारियां		5,027.81	6,075.41
वर्तमान देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	23	10390.80	11,012.75
(ii) व्यापार और अन्य देय	24	10543.66	7,731.77
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	25	8670.84	5,507.87
(ख) अन्य वर्तमान देनदारियां	26	3708.22	4,677.61
(ग) प्रावधान	27	2988.62	2,123.97
कुल वर्तमान देनदारियां		36,302.15	31,053.97
कुल देनदारियां		41,329.96	37,129.38
कुल इक्विटी और देनदारियां		75,230.71	71,060.98

एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 एफ.नंबर.: 302081E
 एम.सी.कोडली
 पार्टनर (एम.नंबर.: 056514)
 स्थान : कोलकाता
 तारीख: 29.05.2025
 यूडीआईएन : 25056514BMJNFW6220

एण्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड की ओर से

सुचरिता दास
 कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा
 निदेशक वित्त
 डीआईएन: 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन: 03594804



31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(रुपये लाख में)

विवरण		वर्ष		
		नोट संख्या	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
I	संचालन से राजस्व	28	31,170.97	30,985.40
II	अन्य आय	29	6,356.41	3,867.26
III	कुल आय (I + II)		37,527.38	34,852.66
IV	खर्च			
	(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत	30	11,094.14	10,304.50
	(ख) तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर है	31	(121.85)	1,149.77
	(ग) कर्मचारी लाभ व्यय	32	19,815.95	21,621.54
	(घ) उत्पाद शुल्क			
	(ङ) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	33	656.86	695.31
	(च) वित्त लागत	34	2,191.13	1,549.73
	(छ) अन्य खर्च	35	6,741.73	6,851.21
	कुल व्यय (IV)		40,377.96	42,172.07
V	असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (III - IV)		(2,850.59)	(7,319.39)
VI	असाधारण वस्तुएं	36	-	-
VII	असाधारण वस्तुओं के बाद और कर से पहले लाभ (V-VI)		(2,850.59)	(7,319.39)
VIII	कर व्यय			
	(1) वर्तमान कर		681.62	-
	(2) संपत्ति कर			-
	(2) आस्थगित कर		(977.38)	(957.16)
	कुल कर व्यय		(295.76)	(957.16)
IX	निरंतर संचालन से अवधि के लिए लाभ (VII - VIII)		(2,554.83)	(6,362.23)
X	बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि)	37	-	(61.15)
XI	बंद किए गए संचालन का कर व्यय		-	-
XII	कर के बाद बंद किए गए संचालन से लाभ/(हानि)		-	(61.15)
XIII	अवधि के लिए लाभ/(हानि) (IX+XII)		(2,554.83)	(6,423.38)
XIV	लाभ का समूह हिस्सा/(हानि)		2,270.99	1,675.94
XV	इस अवधि के लिए कुल लाभ (XIII+XIV)		(283.83)	(4,747.44)
	अन्य व्यापक आय			
	(1) निवेश का पुनर्मापन		35.13	123.25
	(2) बीमांकिक लाभ/हानि का समायोजन		376.75	295.91
	घटायें: वर्तमान कर		119.94	-
	घटायें: आस्थगित कर		46.06	199.87
XVI	इस अवधि के लिए कुल अन्य व्यापक आय		245.88	219.30
XVII	"इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII + XIV)"		(37.95)	(4,528.14)
XVIII	निरंतर संचालन के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य 2 रुपये प्रत्येक):			
	(1) बुनियादी		(0.06)	(0.96)
	(2) मिश्रित		(0.06)	(0.96)
XIX	परिचालन बंद करने के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य 2 रुपये प्रत्येक):			
	(1) बुनियादी		-	-0.01
	(2) मिश्रित		-	-0.01
XX	परिचालन जारी रखने और बंद करने के लिए प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य 2 रुपये प्रत्येक):			
	(1) बुनियादी		(0.06)	(0.97)
	(2) मिश्रित		(0.06)	(0.97)

एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 एफ.नंबर.: 302081E
 एम.सी.कोडली
 पार्टनर (एम.नंबर.: 056514)
 स्थान : कोलकाता
 तारीख: 29.05. 2025
 यूडीआईएन : 25056514BMJNFW6220

एण्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड की ओर से

सुचरिता दास
 कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा
 निदेशक वित्त
 डीआईएन: 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन: 03594804



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

(लाख रुपये में)

	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
कर से पहले शुद्ध लाभ और असाधारण वस्तुएं	(2,850.59)	(7,319.39)
समायोजन:		
परिसंपत्तियों का मूल्यहास/हानि	655.30	694.13
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन	1.57	1.18
ब्याज व्यय	1,434.22	1,188.43
बंद परिचालन से लाभ		
(लाभ)/निवेश की बिक्री पर हानि		
सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण पर लाभ	(2,345.57)	673.72
ब्याज आय	(250.23)	(349.32)
लाभांश आय	(2,376.98)	(2,257.75)
प्रावधान अब लिखित रूप से आवश्यक नहीं है	(533.75)	0.94
देनदारियों को अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है	(190.72)	72.66
(लाभ)/अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	0.66
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि		
निवेश के पुनर्मापन पर लाभ	(12.71)	5.52
परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में कमी/वृद्धि	41.14	2.94
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	(69.84)	0.61
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	587.67	443.61
संदिग्ध ऋण, अग्रिम और जमा के लिए प्रावधान	7.65	113.33
वसूली योग्य विदूत शुल्क के लिए प्रावधान		
अनुसूची बैंक के लिए प्रावधान		0.65
स्टॉक/स्टोर अशिष्टता के लिए प्रावधान	6.53	61.39
पूंजीगत सब्सिडी पर आस्थगित आय	(15.29)	6.22
एसोसिएट्स के लाभ के समूह हिस्से में वृद्धि	2,270.99	1,675.94
आस्थगित कर में परिवर्तन	129.76	-
निवेश का पुनर्मापन	35.13	123.25
एक्चुरियल लाभ और हानि का समायोजन	376.75	295.91
बंद किए गए संचालन से लाभ	-	(61.15)
पी एंड एल के खिलाफ समायोजन	7.08	(34.23)
	(241.30)	2,658.64
वर्तमान देनदारियों की राशि में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ और वर्तमान संपत्ति	(3,091.89)	(4,660.75)
समायोजन		
वर्तमान परिसंपत्ति में बदलाव	(2,499.67)	3,127.16
निपटान के लिए रखी गई संपत्ति	42.36	(42.32)
इन्वेंटरी	(589.33)	1,824.32
वर्तमान देनदारियों में परिवर्तन	5,033.69	2,032.93
	1,987.05	6,942.09
संचालन से उत्पन्न नकदी	(1,104.84)	2,281.34
भुगतान किया गया कर	-	-
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (क)	(1,104.84)	2,281.34
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
अचल संपत्तियों की खरीद	(1,251.29)	(3,381.61)
पूंजीगत कार्य में परिवर्तन प्रगति पर	2,721.75	519.57



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

(लाख रुपये में)

	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में परिवर्तन	875.06	(180.04)
निवेश की खरीद		-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4.51	52.87
प्राप्त लाभांश	2,376.98	2,257.75
निवेश की बिक्री	(2,424.66)	(1,763.04)
निवेश का पुनर्मापन		
एचपीसीएल में ऋण का समायोजन		
निवेश का निपटान		
प्राप्त ब्याज	250.23	349.32
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ख)	2,552.58	(2,145.18)
[ग] वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
ब्याज का भुगतान	(1,434.22)	(1,188.43)
अन्य वर्तमान देनदारियां	122.30	198.77
अल्पकालिक ऋण (चुकोती)/ली गई और अन्य वित्तीय देनदारियां	(223.28)	(209.60)
दीर्घावधि ऋण (चुकाया गया)/लिया गया		-
वित्तपोषण गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली शुद्ध नकदी [ग]	(1,535.20)	(1,199.26)
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) [क + ख + ग]	(87.46)	(1,063.10)
नकद और नकद समकक्ष (शुरूआती शेष राशि)	** 3,894.36	4,957.46
नकद और नकद समकक्ष (शेष) राशि	** 3,806.90	3,894.36
[1] उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष रूप से" के तहत तैयार किया गया है		
विधि" के रूप में नकदी प्रवाह पर लेखा मानक-3 में निर्धारित किया गया है		
कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित विवरण		
[2] नकद और नकद समकक्षों में शामिल हैं:		
बैंकों के साथ शेष राशि (नीचे नोट देखें)	727.15	1,020.51
धारित चेक		
धारित नकदी	3.01	5.38
हाथ में डाक और डाक टिकट		
पारगमन में प्रेषण		
3 महीने के भीतर परिपक्व होने वाले बैंक में जमा		
3 महीने के भीतर परिपक्व होने वाले बैंक के साथ मार्जिन मनी		
3 महीने के बाद परिपक्व होने वाले बैंक में जमा		
जमा खाता मार्जिन	3,076.74	2,868.47
	3,806.90	3,894.36
[क] में भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा कुर्क की गई 1684 लाख रुपये शामिल हैं।		
[ख] पिछले वर्ष के आकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है जहां भी आवश्यक हो		

एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफ.नंबर.: 302081E

एम.सी.कोडली

पार्टनर (एम.नंबर.: 056514)

स्थान : कोलकाता

तारीख: 29.05. 2025

यूडीआईएन : 25056514BMJNFW6220

सुचरिता दास

कंपनी सचिव

एण्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड की ओर से

श्री संजय वर्मा

निदेशक वित्त

डीआईएन: 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 03594804



31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण

(लाख रुपये में)

विवरण	भंडार और अधिशेष			अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)		कुल
	पूंजी आरक्षित	सिक्वोरिटीज प्रीमियम रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	
1 अप्रैल 2024 पर शेष राशि	406.76	2,741.75	21,019.36	(546.76)	531.47	24,152.58
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-				
स्थानान्तरण			-			
वर्ष के लिए लाभ			(283.82)	35.13	210.75	(37.94)
पी/एल में समायोजन			(7.08)	-		(7.08)
						-
अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)				-		-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			-	-	-	-
31 मार्च 2025 को शेष राशि	406.76	2,741.75	20,742.62	(511.63)	742.22	24,121.72

एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 एफ.नंबर: 302081E
 एम.सी.कोडली
 पार्टनर (एम.नंबर: 056514)
 स्थान: कोलकाता
 तारीख: 29.05. 2025
 यूडीआईएन: 25056514BMJNFW6220

सुचरिता दास
 कंपनी सचिव

एण्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड की ओर से

श्री संजय वर्मा
 निदेशक वित्त
 डीआईएन: 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 डीआईएन: 03594804



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट-3

(रुपये लाख में)

	भूमि	वाहक प्लांट्स (नोट 2 देखें)	लॉज-होल्ड आई एनडी एस 116	भवन	सड़कें और पुलिया	संयंत्र और मशीनरी	चित्र, डिज़ाइन और अनुरोध	विद्युत इंस्टालेशन	जल इंस्टालेशन	फर्नीचर-ट्यूब और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	वाहन	खरीद	कंप्यूटर्स	कुल	पूँजीगत कार्य- प्रगति में (नोट 3 देखें)	अमूर्त संपत्ति
सकल वहन राशि	174.72	12,771.22	8.19	5,179.53	95.74	6,553.47	40.64	1,320.79	957.16	231.49	190.92	1,059.86	283.59	351.61	29,218.92	8,863.60	112.66
1 अप्रैल 2024 तक डीमंड लागत	174.72	12,771.22	8.19	5,179.53	95.74	6,553.47	40.64	1,320.79	957.16	231.49	190.92	1,059.86	283.59	351.61	29,218.92	8,863.60	112.66
अतिरिक्त	-	3,411.86	-	93.00	-	111.28	-	2.29	-	3.79	1.61	-	-	5.10	3,628.93	821.53	3.89
निपटान	0.05	-	-	(14.52)	-	-	-	-	-	(1.75)	(0.49)	-	-	2.63	(14.08)	(3,573.18)	-
समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09	-	-	-	-	-	-
पुनर्वर्गीकरण के लिए समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2025 तक अंतिम सकल डुलाई राशि	174.77	16,183.08	8.19	5,258.01	95.74	6,664.75	40.64	1,323.08	957.16	233.53	193.13	1,059.86	283.59	359.34	32,833.77	6,111.95	116.55
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2024 तक संचित मूल्यहास	-	996.85	3.47	2,892.53	87.34	5,289.12	24.79	1,028.48	710.87	202.41	167.56	966.50	270.37	306.22	12,465.53	-	103.76
1 अप्रैल 2024 तक हानि	-	-	-	-	-	61.97	15.85	-	-	-	-	-	-	-	77.81	-	-
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हानि के बाद संचित मूल्यहास खोलना	-	996.85	3.47	2,892.53	87.34	5,351.08	40.63	1,028.58	710.87	202.41	167.56	966.50	270.37	306.22	13,024.41	-	103.76
योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	1.71	2.21	-	0.66
डिलीट करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन	-	-	-	-	-	2.28	-	-	-	-	0.47	-	-	-	2.75	-	-
संशोधित उद्घाटन संचित मूल्यहास 01-04-2024	-	996.85	3.47	2,892.53	87.34	5,353.36	40.63	1,028.58	710.87	202.91	168.03	966.50	270.37	307.93	13,029.37	-	104.42
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संचित मूल्यहास खोलना	-	996.85	3.47	2,892.53	87.34	5,353.36	40.63	1,028.58	710.87	202.91	168.03	966.50	270.37	307.93	13,029.37	-	104.42
वर्ष के दौरान मूल्यहास शुल्क	-	251.34	0.77	86.32	0.71	210.23	-	34.69	31.09	2.43	4.07	20.32	-	11.58	655.30	-	0.73
निपटान/ समायोजन	-	-	-	13.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.77	-	-
31.03.2025 को संचित मूल्यहास को बंद करना	-	1,248.19	4.24	2,965.07	88.05	5,563.59	40.63	1,063.27	741.96	205.34	172.10	986.82	270.37	319.51	13,669.16	-	105.15
31 मार्च 2025 तक शुद्ध डुलाई राशि	174.77	14,934.89	3.95	2,292.94	7.69	1,101.16	0.00	259.81	215.20	28.17	21.03	73.02	13.22	34.57	19,160.42	6,111.95	11.40
31 मार्च 2024 तक शुद्ध वहन राशि।	175.38	11,774.37	4.70	2,278.80	7.64	1,221.10	-	282.52	246.61	24.45	26.57	93.74	13.22	43.56	16,192.73	8,835.26	8.88

केपिटल डब्ल्यूआईपी की उम्र बढ़ना

(लाख रुपये में)

	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
जैविक संपत्ति	603.34	1,482.74	1,973.70	1873.19	5932.97
संयंत्र और मशीनरी	61.30			15.69	76.99
भवन	31.73			70.25	101.98
वाहन			-	-	-
कुल	696.37	1,482.74	1,973.70	1959.13	6,111.94

नोट: इलेक्ट्रिकल कोलकाता प्रचालनों की पुनर्वर्गीकृत परिसंपत्तियों को अलग से दिखाया गया है जैसा कि नोट संख्या -62 में बताया गया है।



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट 4 निवेश

विवरण	शेयरों की संख्या	(लाख रुपये में)	
		31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
क) समूह कंपनियों में निवेश			
सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश (अन-कोटेड)			
हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	-	-	-
यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड- साधारण शेयर (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त)	50,000	-	-
यूल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड- साधारण शेयर (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त)	50,000	-	-
एसोसिएट कंपनी में इक्विटी शेयर			
उद्भूत			
वीडोल कॉर्प, लिमिटेड।	45,71,115	164.56	164.56
जोड़ें: लाभ का समूह हिस्सा		23,811.50	21,540.51
"यूल फाइनेंसिंग एंड लीजिंग कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त) "	3,00,000	27.88	27.88
अउद्भूत			
"बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह क्षतिग्रस्त) "	10,305	0.52	0.52
कतरास झरिया कोल इंडिया लिमिटेड (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त)	34,028	6.69	6.69
जोड़ें: लाभ का समूह हिस्सा		(6.69)	(6.69)
न्यू बीरभूम कोल कंपनी लिमिटेड (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त)	57,550	11.79	11.79
जोड़ें: लाभ का समूह हिस्सा		(11.79)	-11.79
वरीयता शेयर (अउद्भूत)			
6% संचयी रिडीम करने योग्य वरीयता शेयर – वेबफिल लिमिटेड		-	-
बांड (अनकोटेड)			
WEBFIL लिमिटेड जीरो रेटेड अनसिक्योर्ड रिडीमेबल बॉन्ड		-	-
ख) ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर किया गया निवेश			
इक्विटी निवेश (उद्भूत)			
वेबफिल (नवीनतम उपलब्ध के अनुसार एनएवी)	4,15,000	207.94	172.81
इंडिया पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		-	-
"फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त) "			
ग्लोस्टर लिमिटेड		-	-
एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड		-	-
"गिलापुकरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त) "	26	0.00	0.00
इक्विटी निवेश (अन-कोटेड)			
"द स्टेट्समैन लिमिटेड (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त) "	9,966	4.70	4.70
"एबीसी चाय श्रमिक कल्याण सेवाएं (पूरी तरह से क्षतिग्रस्त) "			
"बुडलैंड्स मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड"	740	5.95	5.95
इंडिया पेपर पल्प			
इकाइयाँ (उद्भूत)			
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया-लिक्विड कैश प्लान	0	131.25	-
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया-हाइब्रिड इक्विटी फंड	0	-	-
कम प्रावधान		(51.57)	(51.57)
कुल		24,302.71	21,865.33

नोट 5 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
ग्रहणाधिकार के तहत बैंक के साथ चालू खाता शेष	16.81	16.81
ईएमडी	-	57.38
संदेह पूर्ण अग्रिम के लिए कम प्रावधान	-	(52.87)
बैंक जमा एक वर्ष से अधिक	-	-
कुल	16.81	21.32

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट 6 आयकर संपत्ति (शुद्ध)

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वर्तमान कर		
अग्रिम आयकर	1,199.05	1,879.11
	-	-
कुल	1,199.05	1,879.11

नोट 7 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
सुपर एन्युएशन फंड के लिए प्लान एसेट	147.06	147.06
सुरक्षित रीडिम नॉन कन्वर्शन बॉन्ड परिपक्व और भुनाया नहीं गया	-	195.00
कुल	147.06	342.06

नोट 8 इन्वेंटरी (लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो)

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
कच्चा वस्तु	1,188.01	899.57
कार्य प्रगति पर	994.40	825.13
तैयार वस्तु	568.20	614.73
स्टोर और पुर्जे	1,008.09	824.58
ढीले उपकरण	-	-
खाद्य सामग्री	10.71	10.73
स्कैप	0.00	-
अर्ध-तैयार वस्तु	240.03	251.91
पारगमन में सामग्री	3.65	3.65
कुल इन्वेंटरी	4,013.09	3,430.29

नोट: चाय इन्वेंट्री के मामले में, 31.03.2025 तक पूरी तरह से प्रसंस्कृत चाय की केवल इन्वेंट्री को तैयार माल के तहत माना गया है।

नोट 9 वर्तमान निवेश

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश किया गया		
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों में	0.35	0.35
वेबफिल बॉन्ड	80.00	-
	-	-
कुल	80.35	0.35



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट 10 व्यापार प्राप्य

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
व्यापार प्राप्य	14,404.23	11,244.70
	-	-
कम: संदिग्ध ऋणों और एलडी के लिए भत्ता	1,959.59	1,250.77
कुल प्राप्य	12,444.64	9,993.93

2024-2025 की व्यापार प्राप्तियों की उम्र बढ़ना

	6 महीने से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. निर्विवाद व्यापार प्राप्य – माना जाता है अच्छा	10,213.36	542.66	586.64	1,101.99	-	12,444.65
ii. निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - जिनके पास ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि				9.95	1,949.63	1,959.58
iii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट इम्-पेयर्ड						-
iv. विवादित व्यापार प्राप्य- माना जाता है अच्छा						-
v. विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें ऋण खिम में विशेष वृद्धि होती है।						-
vi. विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण बिगड़ा हुआ						-
कुल	10,213.36	542.66	586.64	1,111.94	1,949.63	14,404.23
अनबिल बकाया						
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-	-	9.95	1,949.63	1,959.58
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता परवलोकन-सायन) - %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2023-2024 की व्यापार प्राप्तियों की उम्र बढ़ना

	6 महीने से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. निर्विवाद व्यापार प्राप्य – माना जाता है अच्छा	7,470.53	552.20	1,346.64	384.05	240.51	9,993.93
ii. निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - जिनके पास ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि				24.95	1,225.82	1,250.77
iii. निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट इम्-पेयर्ड						-
iv. विवादित व्यापार प्राप्य- माना जाता है अच्छा						
v. विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें ऋण खिम में विशेष वृद्धि होती है।						
vi. विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण बिगड़ा हुआ						
कुल	7,470.53	552.20	1,346.64	409.00	1,466.33	11,244.70
अनबिल बकाया						
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	0	395.06	0	8.39	449.25	852.70
अपेक्षित ऋण हानि (हानि भत्ता परवलोकन- सायन) - %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट 11 नकद और नकद समकक्ष

(रुपये लाख में)		
विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(क) बैंकों के साथ शेष राशि		
(1) बैंकों के साथ अप्रतिबंधित शेष राशि		
(i) चालू खाते में	727.15	1,020.51
(ii) जमा खाते में 3 महीने से कम	-	-
(ii) जमा खाते में 3 महीने से अधिक	-	-
(ख) चेक और ड्राफ्ट हाथ में	-	-
(ग) हाथ में डाक और डाक टिकट	0.00	0.00
(घ) पारगमन में प्रेषण	-	-
(ङ) धारित नकदी	2.95	5.38
बैलेंस शीट के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	730.10	1025.84

नोट 12 अन्य बैंक बैलेंस

(रुपये लाख में)		
विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
जमा खाते में-अंतर	3,076.74	2,868.47
बैलेंस शीट के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	3,076.74	2,868.47

नोट 13 ऋण

(रुपये लाख में)		
विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
ऋण और अग्रिम		
सुरक्षित माना जाता है अच्छा		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम	-	-
	-	-
असुरक्षित अच्छा माना जाता है	-	0.44
संशयी	120.41	120.41
	120.41	120.85
कम प्रावधान	120.41	120.41
		0.44
कुल	-	0.44



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट 14 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
जमा	-	-
अच्छा माना जाता है	-	-
संदिग्ध माना जाता है	-	-
घटायें : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	-	-
निवल	-	-
नकद में वसूली योग्य अन्य अग्रिम	-	-
अच्छा माना जाता है	-	-
संदिग्ध माना जाता है	-	-
ऋण	-	-
घटायें: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
नाबार्ड के पास जमा	-	-
ईएमडी/एसडी	458.19	426.72
घटायें: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	458.19	426.72
अर्जित ब्याज		
फिक्स्ड डिपॉजिट पर	168.19	139.15
नाबार्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज	-	-
ऋण और अग्रिमों पर अर्जित ब्याज	-	-
अन्य प्राप्य	-	-
	-	-
कुल	626.38	565.87

नोट 15 अन्य वर्तमान संपत्ति

विवरण	(रुपये लाख में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
सरकारी अधिकारियों के साथ संतुलन	1,472.03	1,669.80
कर्मचारियों को अग्रिम	10.29	41.85
अन्य अग्रिम-असुरक्षित को अच्छा माना जाता है	-	422.75
	-	-
नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अन्य अग्रिमों	-	-
अच्छा माना जाता है	1,827.58	1,854.28
संदिग्ध माना जाता है	318.52	366.67
	2,146.11	2,220.95
घटायें: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान	318.52	366.67
	1,827.58	1,854.28
अन्य प्राप्य	-	-
	-	-
	-	-
कुल	3,309.91	3,988.68

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण बिक्री के लिए रखी गई या मालिकों को भुगतान के लिए आयोजित की गई।

इलेक्ट्रिकल-कोलकाता

(रुपये लाख में)

विवरण	"भूमि (लीजहोल्ड भूमि सहित) (नोट 2 देखें)"	भवन	सड़कें और पुलिया	प्लांट और यंत्र समूह	इलेक्ट्रॉनिक इंस्टाल- लेशन	फर- नाइचर और फिक्स- ट्यूर	कार्यालय उपकरण	वाहन	कम्प्यूटर	कुल रुपये	अमूर्त संपत्ति	कुल रुपये	2024- 25 में लाख रुपये	2023- 24 में लाख रुपये
31.03.2024 तक शुद्ध वहन राशि	-	-	-	-	-	-	-	4,349.21	-	4,349.21	-	4,349.21	0.04	0.04
अतिरिक्त										-		-	-	-
निपटान/ समायोजन				-				4,349.21		4,349.21	-	4,349.21	0.04	
पुनर्वर्गीकृत संपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.36
31.03.2025 तक शुद्ध वहन राशि	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	42.40

नोट 17: इक्विटी शेयर कैपिटल

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
प्राधिकृत:		-
इक्विटी शेयर	-	-
2/- रुपये प्रत्येक के 55,00,00,000 रुपये	11,000.00	11,000.00
		-
जारी, सब्सक्राइब और पूरी तरह से भुगतान किया गया:		-
इक्विटी शेयर		-
प्रत्येक 2 रुपये की 48,89,50,978 रुपये	9,779.02	9,779.02
		-
कुल	9,779.02	9,779.02

1. 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित कंपनी के शेयर

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक ₹ 1000 का अंकित मूल्य)	कुल का % शेयरों	इस अवधि के दौरान % परिवर्तन
जैसा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में बताया गया है	-	-	-

2. रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में इक्विटी शेयरों का समाधान: -

	शेयर की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
01.04.2024 को प्रारंभिक शेष राशि	48,89,50,978	9779.02
अवधि के दौरान जोड़	-	-
31.03.2025 को अंतिम बैलेंस	48,89,50,978	9779.02

3. कंपनी के पास शेयरों का केवल एक वर्ग है यानी इक्विटी शेयर।



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एसएस के अनुसार]

नोट 18 अन्य इक्विटी

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
पूंजी आरक्षित		
(क) पूंजी आरक्षित	406.76	406.76
(ख) अन्य रिजर्व	-	-
	-	-
बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व	-	-
(क) बांड मोचन आरक्षित	-	-
	-	-
पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए केंद्रीय/राज्य सब्सिडी	-	-
	-	-
सुरक्षा प्रीमियम रिजर्व	2,741.75	2,741.75
	-	-
प्रतिधारित आय	-	-
प्रारंभिक शेष राशि	21,019.36	25,801.04
लाभ जोड़ें	(2,554.81)	(6,423.38)
लाभ का समूह हिस्सा जोड़ें	2,270.99	1,675.94
पी/एल के खिलाफ समायोजन	(7.08)	(34.23)
	20,742.63	21,019.36
अन्य व्यापक आय	-	-
प्रारंभिक संतुलन	(15.30)	(234.59)
लाभ जोड़ें	245.88	219.30
ओसीआई के खिलाफ समायोजन	-	-
अन्य व्यापक आय	230.59	(15.30)
कुल	24,121.72	24,152.58

नोट 19 ऋण

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
सुरक्षित - परिशोधित लागत पर		
सावधि ऋण	-	-
पीएनबी से	47.00	235.00
बैंक ऑफ बड़ौदा से	-	-
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से	106.23	141.51
ब्रोकर	-	-
इलाहाबाद बैंक से कार लोन	-	-
	-	-
कुल गैर-चालू उधार	153.23	376.51

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट 20 अन्य वित्तीय देनदारियां

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
गैर-वर्तमान		
संबंधित पक्षों से सुरक्षा जमा	28.80	28.80
एचडीएफसी बैंक से कार ऋण	8.77	14.04
कुल	37.57	42.84

नोट 21 प्रावधान

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
कर्मचारी लाभ के लिए		
ग्रेच्युटी	2,719.74	2,572.24
अवकाश	881.54	876.04
चिकित्सा	-	-
सेवानिवृत्ति और पेंशन के लिए	6.49	6.49
आकस्मिकताओं के लिए	108.54	108.23
बिक्री कर (सी-फॉर्म) के लिए	5.25	5.25
अन्य के लिए	-	6.77
कुल	3,721.56	3,575.03

नोट 22 अन्य गैर-चालू देनदारियां

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
गैर-वर्तमान		
चाय बोर्ड सब्सिडी (पुनर्रोपण सब्सिडी) से उत्पन्न आस्थगित राजस्व	19.56	34.86
स्वच्छ मिशन के लिए सरकारी सब्सिडी	-	4.50
"पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए चाय बोर्ड सब्सिडी से उत्पन्न होने वाला आस्थगित राजस्व"	625.20	639.66
कुल	644.77	679.02

नोट 23 ऋण

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
सुरक्षित		
अनुसूचित बैंकों से		
यूनियन बैंक	2,194.58	2,180.84
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (पंजाब नेशनल बैंक)	3,716.95	3,692.10
इलाहाबाद बैंक (इंडियन बैंक)	1,007.86	873.63
बैंक ऑफ बड़ौदा	(4.53)	-
आईसीआईसीआई बैंक	2,999.85	2,899.85
करूर वैसिस बैंक	254.90	873.50
अन्य	221.19	492.83
कुल ऋण	10,390.80	11,012.75



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एएस के अनुसार]

नोट 24 व्यापार और अन्य देय

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वस्तुओं और सेवाओं के लिए		
i) एमएसएमई	-	-
ii) अन्य	10,543.66	7,731.77
iii) विवादित बकाया (एमएसएमई)		
iv) विवादित बकाया (अन्य)		
कुल	10,543.66	7,731.77

31.03.2025 तक लेनदारों की अवधि

	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	3,781.31	-	-	-	3,781.31
ii. अन्य	2,966.42	3,579.10	53.91	162.92	6,762.35
iii. विवादित बकाया – एमएसएमई					
iv. विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-
कुल	6,747.73	3,579.10	53.91	162.92	10,543.65
अनबिल बकाया	0	0	0	0	0
कुल	6,747.73	3,579.10	53.91	162.92	10,543.65

31.03.2024 तक लेनदारों की अवधि

	लेन-देन की तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	2,444.06	45.76	30.92	22.04	2,542.78
ii. अन्य	2,831.03	1,472.73	21.08	864.16	5,189.00
iii. विवादित बकाया – एमएसएमई					
iv. विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-
कुल	5,275.09	1,518.49	52.00	886.20	7,731.77
अनबिल बकाया					
कुल	5,275.09	1,518.49	52.00	886.20	7,731.77

नोट 25 अन्य वित्तीय देनदारियां

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	
सुरक्षित सावधि ऋण		
बैंक ऑफ बड़ौदा से		
एचडीएफसी बैंक से कार ऋण 1 वर्ष के भीतर देय	5.27	4.86
उधार पर अर्जित और देय ब्याज		
अनुसूचित बैंकों से		
अन्य से	2.45	0.80
गार्डन में जमा करें	-	-
बयाना धन/सुरक्षा जमा	146.88	273.51
अन्य	8,516.24	5,228.69
कुल	8,670.84	5,507.87

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट 26 अन्य वर्तमान देनदारियां

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त	-	
अन्य	1,266.17	1,293.82
सांविधिक प्राधिकारियों को देय	2,442.05	3,383.80
कुल	3,708.22	4,677.61

नोट 27 - अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
स्टॉक अप्रचलन, आकस्मिकताओं और खाद्य पदार्थों के लिए	917.30	901.99
दावा न किए गए लाभांश के लिए	0.48	-
खाद्य पदार्थों के लिए	2.85	-
बकाया वेतन के लिए	25.11	12.90
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के लिए	1,323.73	616.49
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण के लिए	138.74	61.28
लीव एनकैशमेंट के लिए	173.46	162.40
वारंटी के लिए	10.80	8.14
चिकित्सा के लिए	165.63	177.68
अन्य के लिए	97.09	49.67
वेबफिल बॉन्ड के लिए	65.12	65.12
बिजली शुल्क वसूली योग्य के लिए	23.96	23.96
एनएससी के लिए	0.35	0.35
टीडीएस पुनर्प्राप्ति योग्य के लिए	1.02	1.02
रिकवरी योग्य पीएफ के लिए	42.97	42.97
कुल	2,988.62	2,123.96



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एएस के अनुसार]

नोट 28- परिचालन से राजस्व

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
उत्पादों की बिक्री	30,632.75	30,126.39
कम: व्यापार और अन्य छूट	-	-
कम: बिक्री पर जीएसटी	-	-
उत्पादों की बिक्री	30,632.75	30,126.39
	-	-
सेवाओं की बिक्री	262.54	402.13
	-	-
अन्य परिचालन आय	-	-
-अन्य निर्यात प्रोत्साहन और उसकी बिक्री	0.79	44.65
- चाय बोर्ड सब्सिडी	24.64	226.52
-चाय अपशिष्ट बिक्री	73.51	56.20
प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं है	-	-
दायित्व की अब आवश्यकता नहीं है	42.11	14.70
स्क्रेप की बिक्री	134.63	114.81
रॉयल्टि		
अन्य परिचालन आय	-	-
चाय की बिक्री	-	-
निरंतर संचालन से कुल राजस्व	31,170.97	30,985.40

नोट 29 - अन्य आय

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
ब्याज आय (सकल)	250.23	250.52
दीर्घकालिक व्यापार प्राप्तियों के पुनर्मापन पर लाभ	-	-
निवेश के पुनर्मापन पर लाभ	12.71	5.52
किराया (सकल)	547.52	488.91
लाभांश आय	-	-
-सहायक कंपनी से	2,376.98	2,148.42
-अन्य से	-	109.33
निवेश की बिक्री पर लाभ	-	-
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	69.84	0.61
रॉयल्टि	-	-
स्क्रेप की बिक्री	38.17	-
स्टॉक की बिक्री	-	-
देनदारियों को अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है	190.72	57.96
प्रोव की अब आवश्यकता नहीं है	475.23	0.94
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध लाभ	16.41	-
सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण पर लाभ	2,345.57	673.72
निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्क	-	-
एक्सचेंज पर लाभ	-	7.05
वाईएसएसएफ का अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया	-	-
पूँजीगत सब्सिडी पर विकृत आय	15.29	6.22
विविध प्राप्तियां सामान्य व्यय	(24.92)	8.42
अन्य	42.66	109.67
कुल	6,356.42	3,867.28

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट 30 - कच्चे वस्तु और खपत वाले घटकों की लागत

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
सामग्री, घटक, पैकिंग सामग्री और ढीले उपकरण	11,094.14	10,304.50
कुल	11,094.14	10,304.50

नोट 31 - तैयार वस्तु की सूची में परिवर्तन और प्रगति पर कार्य

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
इन्वेंटरी करीब		
तैयार वस्तु	568.20	614.73
डब्ल्यूआईपी	1234.43	1077.12
कुल	1802.63	1,691.85
वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी		
तैयार वस्तु	614.73	1516.61
डब्ल्यूआईपी	1077.12	1325.02
कुल	1,691.85	2841.63
कम: डब्ल्यूआईपी को कैपिटल एसेट में स्थानांतरित कर दिया गया	-11.07	
इन्वेंट्री में बदलाव	(121.85)	1149.77

नोट 32 - कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वेतन और मजदूरी	15,471.96	17,004.14
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	2,847.77	3,009.90
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,525.74	1,635.30
कम: पूंजीगत नौकरियों, मरम्मत नौकरियों आदि पर खर्च किया गया।	29.51	27.79
कुल	19,815.95	21,621.55

नोट 33 - मूल्यहास और परिशोधन व्यय

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	655.30	694.13
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन	1.57	1.18
कुल	656.86	695.31

नोट 34 - वित्त लागत

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
ब्याज व्यय		
- बैंकों को	1,913.66	1,188.43
- सरकारी विभागों को	-	-
- बांधधारकों के लिए		
- अन्य के लिए (एलसी और बीजी शुल्क)	145.60	245.79
अन्य उधार लागत (एलसी और बीजी शुल्क)	131.87	115.52
कुल	2,191.13	1,549.73



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट 35 - अन्य व्यय

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत	0.50	-
बिजली और ईंधन	2,220.19	2,595.23
चाय की खेती और विनिर्माण व्यय	530.19	490.21
किराया (निवल)	101.28	129.11
मरम्मत और रखरखाव:	-	-
- इमारतों	229.82	147.61
- संयंत्र और मशीनरी	107.34	191.53
- दूसरों	97.50	40.64
यात्रा व्यय और वाहनों का रखरखाव	206.59	219.99
अनुसंधान और विकास व्यय	15.01	79.01
सुरक्षा-कवच	49.66	50.76
दरें और कर	50.84	38.58
उत्पाद शुल्क/जीएसटी	80.27	3.76
चाय पर उपकर	-	-
ग्रीन लीफ सेस	-	-
टेलीफोन और डाक	11.20	25.00
ब्रोकर का कमीशन	140.43	155.47
बैंक शुल्क	7.98	16.41
बेचने का खर्च:	-	-
- एजेंट का कमीशन बेचना	1.16	-
- वितरण और माल ढुलाई	597.02	749.02
- अन्य	3.34	12.15
परिसमापन हर्जाना और जुर्माना आदि।	121.15	-
सुधार/प्रतिस्थापन	2.66	3.60
खराब ऋण बट्टे खाते में डाला गया	-	-
विविध बैलेंस बट्टे खाते में डाल दिया गया	-	-
सार्वजनिक सूचना	10.50	21.12
सुपरएन्युएशन फंड के लिए अतिरिक्त प्लान एसेट्स को बट्टे खाते में डाल दिया गया	-	-
इसके लिए प्रावधान:	-	-
- संदिग्ध ऋण	587.67	443.61
- संदिग्ध ऋण, अग्रिम और जमा	7.65	113.33
- खरीदी वस्तु - के मूल्य में कमी	-	-
- रिकवरी योग्य अकाउंट पीएफ	-	-
- पुनर्प्राप्त करने योग्य विद्वत शुल्क	-	-
- एनएससी	-	-
- स्टॉक/स्टोर अप्रचलन	6.53	61.39
- एलडी	-	-
- टीडीएस वसूली योग्य	-	-
- कोष्ट किराया	-	-
- कैपिटल डब्लूआईपी	-	-
- अनुसूची बैंक	-	0.65

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक:	-	-
-लेखा परीक्षक के रूप में	12.05	9.17
-टैक्स ऑडिट के लिए	-	0.12
-अन्य सेवाओं के लिए	7.88	10.66
-प्रतिपूर्ति व्यय के लिए	0.85	1.83
-कराधान मामले के लिए	-	-
इंटर डिवीजन खर्च चाय	-	-
जीडी - सामान्य खर्च	-	-
सुरक्षा सेवा शुल्क	191.31	126.17
बांड पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	-	65.12
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	-	-
निवेश की बिक्री पर नुकसान	-	-
अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.31	0.66
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध हानि	-	-
परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में कमी/वृद्धि	41.14	2.94
विविध व्यय	1,301.73	1,046.38
कुल	6,741.73	6,851.21

नोट 36 - असाधारण वस्तुएं

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वीआरएस खाता वेतन	-	-
स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	-
कुल	-	-

नोट 37 - बंद किए गए संचालन से लाभ/(हानि)

विवरण	(लाख रुपये में)	
	31 मार्च, 2025 तक	मार्च 31, 2024 तक
i) परिचालन से राजस्व	-	-
II) अन्य आय	-	-
III) कुल आय (I+II)	-	-
खर्च		
(क) उपभोग की गई सामग्रियों का व्यय	-	-
(ख) तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर है	-	-
(ग.) कर्मचारी लाभ व्यय	-	-
(घ) उत्पाद शुल्क	-	-
(ङ) मूल्यहास और परिशोधन	-	-
(f) वित्त व्यय	-	-
(छ) अन्य व्यय	-	61.15
IV) कुल व्यय	-	61.15
बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि)	-	(61.15)



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट 38 प्रति शेयर आय

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	मार्च 31, 2024 तक
प्रति इक्विटी शेयर कमाई		
(क) बुनियादी		
(i) वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	488950978	488950978
(ii) वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	488950978	488950978
(iii) शेयरों की भारित औसत संख्या	488950978	488950978
(iv) प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	2.00	2.00
(v) इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद लाभ	(283.83)	(4747.44)
(vi) प्रति इक्विटी शेयर मूल आय	(0.06)	(0.97)
(ख) मिश्रित		
(i) तनु संभावित इक्विटी शेयर	Nil	Nil
(ii) प्रति इक्विटी शेयर पतला आय (रु)	(0.06)	(0.97)

नोट 39 कर्मचारी लाभ

[39.1]

[क] अवकाश दायित्व:- कम्पनी निश्चित नियमों के अधीन अवकाश नकदीकरण या वेतन सहित अवकाश की सुविधा प्रदान करती है। कर्मचारी भविष्य में नकदीकरण हेतु निश्चित सीमा तक अवकाश संचित करने के अधिकारी होते हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर संचित अवकाश के दिनों की संख्या के आधार पर दायित्व का प्रावधान किया जाता है, जो बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होता है। यह योजना अकोषित है। 31 मार्च, 2025 को अवकाश नकदीकरण के प्रावधान की राशि रुपये 1054.97 लाख (रुपये 1013.49 लाख) है, जिसे बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर चालू एवं अचल वर्तमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

[ख] चिकित्सीय लाभ:- कर्मचारियों के लिए गृह उपचार हेतु चिकित्सीय लाभ तीन वर्षों के ब्लॉक के लिए होते हैं और यदि संबंधित कर्मचारी इसका उपयोग नहीं करता है तो प्रत्येक वर्ष बाद यह समाप्त हो जाते हैं। ऐसे अप्रयुक्त चिकित्सीय लाभों की देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति के स्थान पर वास्तविक आधार पर निर्धारित की गई है क्योंकि अगला ब्लॉक अवधि में पात्र राशि स्थिर रहेगी। 31 मार्च, 2025 को देनदारी की कुल राशि रुपये 165.63 लाख (रुपये 177.68 लाख) खातों में ली गई है।

[39.2] सेवा उपरान्त दायित्व – परिभाषित लाभ योजनाएँ:

[क] अनुग्रह राशि:- कम्पनी पर अनुग्रह राशि अधिनियम, 1972 के अनुसार पात्र कर्मचारियों को देय अनुग्रह राशि का दायित्व है। यह योजना इस उद्देश्य हेतु बनाए गये पृथक न्यास द्वारा प्रबंधित है और कम्पनी का दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर न्यास में अंशदान करना है। यह योजना अकोषित है।

[ख] सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सीय योजना:- इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी को एक बार निश्चित सीमा तक राशि के लाभ प्राप्त होते हैं। इसके लिए दायित्व वास्तविक लागत पर निर्धारित किया गया है। यह योजना अकोषित है।

[ग] पेंशन निधि:- कम्पनी के पास कुछ पात्र कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ पेंशन निधि है। यह योजना इस उद्देश्य हेतु बनाए गये पृथक न्यास द्वारा प्रबंधित है। तथापि, 31.03.22 को इस निधि में कोई पात्र सदस्य नहीं है, अतः वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य रुपये शून्य है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार			31.03.2024 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनके शर्मेट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनके शर्मेट	सेवा-निवृत्ति
(क) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के उद्घाटन और समापन शेष का मिलान						
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	7,754.45	1,038.44	0.00	7,329.70	1,025.88	0.00
वर्तमान सेवा लागत	363.11	180.84	0.00	407.01	168.65	0.00
ब्याज व्यय	528.55	74.28	0.00	521.35	76.90	0.00
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में कमी से उत्पन्न होने वाली एक्ट्यूयरियल (लाभ) / हानियाँ।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय मान्यताओं में गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाली क्रियात्मक (लाभ)/हानियाँ	226.17	0.00	0.00	127.15	0.00	0.00
अनुभव संबंधी अनुमानों में कमी से उत्पन्न होने वाली क्रियाशील (लाभ)/हानियाँ।	(545.33)	0.00	0.00	376.68	0.00	0.00
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	110.90	0.00	0.00	7.60	0.00
पिछले सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भुगतान किए गए लाभ	(206.60)	(349.49)	0.00	(254.09)	(240.59)	0.00
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य।	8,120.36	1,054.97	0.00	7,754.45	1,038.44	0.00

(रुपये लाख में)

(ख) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के खोलने और बंद करने वाले शेष का मिलान						
विवरण	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार			31.03.2024 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनके शर्मेट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनके शर्मेट	सेवा-निवृत्ति
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5182.20	0.00	147.07	5022.75	0.00	147.07
ब्याज आय	367.42	0.00	0.00	367.16	0.00	0.00
पुनर्मापन (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी, (शुद्ध ब्याज आय में शामिल राशि को छोड़कर)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय मान्यताओं में गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाली क्रियात्मक (लाभ)/हानियाँ	57.59	0.00	0.00	46.38	0.00	0.00
योगदान	0.00	349.49	0.00	0.00	240.59	0.00
लाभ का भुगतान	(206.60)	(349.49)	0.00	(254.09)	(240.59)	0.00
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	5400.62	0.00	147.07	5182.20	0.00	147.07



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

(रुपये लाख में)

(ग) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का मिलान						
	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार			31.03.2024 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	8120.36	1054.97	0.00	7754.45	1038.44	0.00
वर्ष के अंत में उचित मूल्य योजना परिसंपत्तियां	5400.62	0.00	147.07	5182.20	0.00	147.07
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त (देयताएं)	(2719.74)	(1054.97)	147.07	(2572.24)	(1038.44)	147.07

(रुपये लाख में)

	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार			31.03.2024 की स्थिति के अनुसार		
	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति	ग्रेच्युटी	लीव इनकैशमेंट	सेवा-निवृत्ति
(घ) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय						
पुनर्माप (लाभ)/हानि	(376.75)	0.00	0.00	(295.91)	0.00	0.00
(ङ) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय:						
वर्तमान सेवा लागत	363.11	180.84	0.00	407.01	168.65	0.00
पिछले सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल ब्याज लागत/ (आय)	161.14	74.28	0.00	154.19	76.90	0.00
एक्चुरियल (लाभ)/ हानि		110.90	0.00	0.00	7.60	0.00
कुल खर्च की पहचान	524.25	366.02	0.00	561.20	253.15	0.00
(च) महत्वपूर्ण क्रियात्मक धारणाएं इस प्रकार हैं						
छूट दर	6.72%	6.72%		7.09%	7.09%	
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	6.72%	N.A.		7.09%	N.A.	
वेतन वृद्धि	3.00%	3.00%		3.00%	3.00%	
कर्मचारियों के अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन						

(रुपये लाख में)

(छ) गोपनीयता विश्लेषण							
विवरण	छूट दर के साथ परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) पर प्रभाव				छूट दर के साथ परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) पर प्रभाव		
	धारणाओं में बदलाव		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार	धारणाओं में बदलाव		31.03.2025 की स्थिति के अनुसार
ग्रेच्युटी	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी	(154.13)	(144.19)	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी	319.73
	0.25% की कमी	रुपये की कमी	159.80	149.42	0.25% की कमी	रुपये की कमी	299.25
लीव इनकैशमेंट	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी			0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी	
	0.25% की कमी	रुपये की कमी			0.25% की कमी	रुपये की कमी	
सेवा-निवृत्ति	0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी			0.25% का इजाफ़ा	रुपये की बढ़ोतरी	
	0.25% की कमी	रुपये की कमी			0.25% की कमी	रुपये की कमी	



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

रुपय लाख में					
(ज) भविष्य के वर्षों के लिए अपेक्षित नकदी प्रवाह					
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष के बीच	1-2 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2024 की स्थिति के अनुसार					
ग्रेच्युटी	1,047.63	740.26	2,250.91	12,038.89	16,077.69
सेवा-निवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	1,047.63	740.26	2,250.91	12,038.89	16,077.69
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार					
ग्रेच्युटी	993.45	767.32	2,196.85	11,892.84	15,850.46
सेवा-निवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	993.45	767.32	2,196.85	11,892.84	15,850.46

[39.3] सेवा उपरान्त दायित्व

परिभाषित अंशदान योजना:- कम्पनी के पास परिभाषित अंशदान योजना है अर्थात् पीएफ और ईएसआई। परिभाषित अंशदान योजना की ओर अवधि के दौरान मान्य किए गए व्यय इस प्रकार हैं:

(लाख रुपये में)		
विवरण	31.03.2025	31.03.2024
पीएफ में योगदान	2847.77	3009.30
कर्मचारी राज्य बीमा कोष में योगदान	0.46	0.15

नोट 40 आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं

(लाख रुपये में)		
विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
(क) आकस्मिक देनदारियां		
कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	1260.85	552.94
विवादित उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क	513.56	513.56
विवादित बिक्री कर/वैट/जीएसटी	2056.03	2051.11
विवादित आयकर	1922.00	1922.00
(ख) गारंटी		
बैंक गारंटी	1480.40	1094.95
वित्तीय सुविधाओं के बदले बैंक को दी गई अन्य गारंटी सहायक कंपनियों द्वारा लाभ उठाया गया	-	-
असमाप्त साख पत्र	649.71	1601.08
(ग) प्रतिबद्धताएं		
पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि शेष है	98.00	0.08



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट 41 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटीकरण

(रुपय लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	कुल धनराशि	
		31.03. 2025 तक	31.03. 2024 तक
1	बकाया मूलधन राशि और ब्याज	--	--
	i) 45 दिनों के भीतर मूल राशि	3413.26	2098.98
	ii) मूल राशि 45 दिनों से अधिक	368.05	443.87
2	नियत दिन के बाद किए गए भुगतान की राशि के साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि		
3	देय और देय ब्याज की राशि (जहां मूलधन का भुगतान पहले ही किया जा चुका है लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है)		
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अवैतनिक ब्याज की राशि	15.04	17.50
5	आगे के ब्याज की राशि बकाया है और बाद के वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब उपरोक्त के रूप में बकाया ब्याज का भुगतान वास्तव में एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से किया जाता है।		

नोट 42

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:- वर्ष के दौरान कोई राशि व्यय नहीं की गई।

नोट 43

संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण

क. संबद्ध पक्षों की सूची

सहायक संस्था	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	
	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	
सहभागी	वीडोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	श्री अनंत मोहन सिंह	- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	श्री राजिंदर सिंह मांकू	- निदेशक (योजना)
	श्री संजय वर्मा	- निदेशक (वित्त)
	श्रीमती सुचरिता दास	- कंपनी सचिव

ख. संबद्ध पक्षों के साथ लेन-देन

(रुपय लाख में)

संबंधित पक्ष का नाम और लेनदेन/शेष राशि	31.03.2025 तक			31.03.2024 तक		
	सहायक	एसोसिएट्स	कुल	सहायक	एसोसिएट्स	कुल
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड						
वस्तु की खरीद	-			-	0.04	0.04
वस्तु की बिक्री	-	1.20	1.20	-	38.72	38.72
प्राप्त लाभांश	-	2376.98	2376.98	-	2148.42	2148.42
प्राप्त किराया	-	524.25	524.25	-	445.14	445.14
खर्चों की प्रतिपूर्ति	-	62.52	62.52	-	206.85	206.85
खर्चों की वसूली	1.41	3.64	5.05	1.30	-	1.30
निदेशक की फीस प्राप्त हुई	-	6.00	6.00	-	7.75	7.75
ब्याज खर्च	-	32.88	32.88	-	15.25	15.25

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

संबंधित पक्ष का नाम और लेनदेन/शेष राशि	31.03.2025 तक			31.03.2024 तक		
	सहायक	एसोसिएट्स	कुल	सहायक	एसोसिएट्स	कुल
एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड						
अन्य वर्तमान संपत्ति	12.59	-	12.59	11.18	-	11.18
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	-	-	-	-
अग्रिम प्राप्त हुआ	-	1193.22	1193.22	-	550.00	550.00
अग्रिम धनवापसी	-	1248.22	1248.22	-	529.92	529.92
अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	-	-	-	-	-	-
अन्य अल्पकालिक देनदारियां	-	-	-	-	55.00	55.00
31 मार्च तक देय राशि,	12.59	-	12.59	11.18	-	11.18
31 मार्च तक देय राशि,	-	-	-	-	55.00	55.00

नोट 43.1 कंपनी और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के बीच लेनदेन से संबंधित प्रकटीकरण

(रुपये लाख में)

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिक	2024-25	2023-24
श्री संजय भट्टाचार्य	0.00	43.95
श्री अनंत मोहन सिंह	47.00	10.53
श्री के मोहन	1.75	43.19
श्री राजेंद्र सिंह मनकू	39.13	42.87
श्री संजय वर्मा	40.52	12.46
श्रीमती सुचरिता दास	26.77	20.15

नोट 43.2 निदेशक के शुल्क से संबंधित प्रकटीकरण

(रुपये लाख में)

स्वतंत्र निदेशक	2024-25	2023-24
श्री ओम प्रकाश मित्तल	0.80	1.08
श्री सुंदर पाल सिंह	0.78	1.03
श्रीमती नमिता देवी	0.73	1.03

नोट 44

कम्पनी ने अनुसंधान एवं विकास व्यय के मद में रुपये 138.48 लाख (पिछले वर्ष रुपये 89.50 लाख) का राजस्व व्यय किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
परीक्षण शुल्क	97.36	50.76
टीआरए की सदस्यता	41.12	38.74
कुल	138.48	89.50



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट 45 आयकर व्यय

(लाख रुपये में)

आयकर व्यय	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	681.62	-
पूर्व अवधि के वर्तमान कर के लिए समायोजन		
कुल वर्तमान कर व्यय	681.62	-
स्थगित कर:		
आस्थगित कर परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(434.89)	(268.64)
आस्थगित कर देनदारियों में कमी/वृद्धि	(542.49)	(688.52)
कुल आस्थगित कर व्यय	(977.38)	(957.16)
कुल आयकर व्यय	(295.76)	(957.16)

नोट 45.1

कर व्यय और लेखांकन लाभ का 31 मार्च 2025 तथा 31 मार्च 2024 के लिए भारत की घरेलू कर दर से गुणा किये जाने पर सामंजस्य

(लाख रुपये में)

विवरण	2024-25	2023-24
	कुल धनराशि	कुल धनराशि
आयकर से पहले लेखांकन लाभ	-2849.16	-7318.10
भारत की वैधानिक आयकर दर पर	29.12%	29.12%
प्रभाव:		
आस्थगित कर गति	-977.38	-957.16
अस्वीकृत खर्च	8796.92	7096.24
पी/एल खाते में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	-295.76	-957.16
आयकर की प्रभावी दर पर	10.38	13.08
लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	-295.76	-957.16

नोट 46 आस्थगित कर व्यय

(लाख रुपये में)

आस्थगित कर देनदारियां (नेट)	2024-25				2023-24			
	प्रारंभिक संतुलन	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त/पुनर्वर्गीकृत	समापन शेष	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त/पुनर्वर्गीकृत	शेष राशि
आस्थगित कर देनदारियां:								
पीपीई, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति पर मूल्यहास	2,601.02	(509.72)		2,091.30	3,121.13	(520.11)		2,601.02
उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति लाभ और हानि के माध्यम से	0.00			0.00	0.00			0.00
उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति अन्य व्यापक आय के माध्यम से	36.96		13.29	50.25	5.50		31.46	36.96
संयुक्त उद्यमों में निवेश								
अन्य								
कुल आस्थगित कर देनदारियां	2,637.99	(509.72)	13.29	2,141.55	3,126.64	(520.11)	31.46	2,637.99

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

आस्थगित कर परिसंपत्तियां:								
मुआवजा अनुपस्थिति और सेवानिवृत्ति लाभ	938.78	554.77	(32.77)	1,460.78	525.90	581.30	(168.42)	938.78
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-			-	-			-
अन्य	302.90	(87.11)	-	215.79	447.14	(144.24)		302.90
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	1,241.69	467.66	(32.77)	1,676.57	973.04	437.06	(168.42)	1,241.69
शुद्ध आस्थगित कर देनदारियां	1,396.26	(977.38)	46.06	464.94	2,153.55	(957.16)	199.87	1,396.26
विलय के कारण एचपीसीएल की आस्थगित कर देनदारी जोड़ी गई	5.75			5.75	5.75			5.75
विलय के बाद आस्थगित कर देयता शेष	1,402.01	(977.38)	46.06	470.69	2,159.30	(957.16)	199.87	1,402.01

नोट 47.1

कम्पनी कर परिसंपत्तियों और दायित्वों का समायोजन तभी करती है जब और केवल जब उसके पास चालू कर परिसंपत्तियों और चालू कर दायित्वों का समायोजन करने का विधिक रूप से लागू होने योग्य अधिकार हो तथा स्थगित कर परिसंपत्तियाँ और स्थगित कर दायित्व एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हों।

नोट 47.2

वर्ष जो 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ, उसमें असम और पश्चिम बंगाल कृषि आयकर के संबंध में कोई दायित्व नहीं है क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इसे माफ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा हुए नुकसान के दृष्टिगत आयकर अधिनियम, 1961 के संबंध में कोई दायित्व नहीं है।

नोट 48 (क) बिक्री एवं कच्चे माल की खपत

(रुपये लाख में)

(i) बिक्री		
वस्तु का वर्ग	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
काली और पैकेट चाय	15624.25	16326.79
ट्रांसफॉर्मर	9061.60	8022.46
औद्योगिक पंखा	5946.88	5776.76
सेवा की बिक्री	262.54	337.51
अन्य	0.02	65.00
कुल (उत्पादों की बिक्री)	30895.29	30528.52

(रुपये लाख में)

(ii) कच्चे माल की वस्तु और स्टोर्स में खपत

मद	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
इस्पात	1002.93	644.40
ताम्र	2010.49	1178.24
हरी पत्ती	-	263.75
तेल, रसायन आदि	1217.40	868.72
अन्य	6863.32	7349.39
कुल	11094.14	10304.50



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

(रुपये लाख में)

ख) आयातित और स्वदेशी कच्चे माल और खपत किए गए भंडारों का मूल्य				
(i) कच्चा वस्तु	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
	मूल्य	%	मूल्य	%
आयात	0.00	0.00	0.00	0.00
स्थानीय	10731.14	100.00	10231.11	100.00
	10731.14	100.00	10231.11	100.00
(ii) भंडार				
आयात	0.00	0.00	0.00	0.00
स्थानीय	363.00	100.00	73.39	100.00
कुल	363.00	100.00	73.39	100.00

(रुपये लाख में)

(ग) सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य	31.03.2025 तक	31.03.24 तक
कच्चा वस्तु और घटक	-	-
(घ) विदेशी मुद्रा में व्यय:		
विदेशी खर्च	0.00	0.00
(ङ) विदेशी मुद्रा में आय		
एफओबी के आधार पर निर्यात का मूल्य	1283.57	536.35

नोट 49 खंड रिपोर्टिंग:

वर्ष जो 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ उसके लिए खंडवार राजस्व, परिणाम, परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

(रुपये लाख में)

विवरण		समेकित	
		उस वर्ष से तारीख 31.03.2025 तक	उस वर्ष से आज तक 31.03.2024 तक
		अंकित	अंकित
[1] सेगमेंट रेवेन्यू [प्रत्येक सेगमेंट से शुद्ध बिक्री/आय]			
[क] चाय		15725.00	16663.00
[ख] इलेक्ट्रिकल-कोलकाता		-	-
[ग] इलेक्ट्रिकल-चेन्नई		9174.90	8078.33
[घ] अभियांत्रिकी		6200.21	6179.43
[ङ] अनअलोकेटेड		70.18	64.62
कुल		31,170.97	30,985.38
कम: इंटर सेगमेंट रेवेन्यू		-	-
परिचालन से शुद्ध बिक्री/आय		31,170.97	30,985.38
[2] सेगमेंट परिणाम			
[लाभ (+)/हानि (-) कर से पहले और प्रत्येक खंड से ब्याज]			
[क] चाय		(5497.22)	(8752.31)
[ख] इलेक्ट्रिकल-कोलकाता		(165.00)	(124.62)
[ग] इलेक्ट्रिकल-चेन्नई		2344.50	605.10
[घ] इलेक्ट्रिकल		1082.21	1252.03
कुल		(2235.51)	(7019.80)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

विवरण	समेकित	
	उस वर्ष से तारीख 31.03.2025 तक	उस वर्ष से आज तक 31.03.2024 तक
	अंकेक्षित	अंकेक्षित
कम:		
[i] ब्याज	2191.13	1549.73
[ii] अन्य असम्बद्ध व्यय निवल आवंटन योग्य आय से	(1576.06)	(1250.15)
असाधारण मदों और कर से पहले कुल लाभ/(हानि)	(2850.59)	(7319.39)
असाधारण आइटम्स इलेक्ट्रिकल कोलकाता	-	-
कुल लाभ/(हानि) असाधारण मदों के बाद और कर से पहले	(2850.59)	(7319.39)
बंद किए गए प्रचालन इलेक्ट्रिकल कोलकाता से लाभ/(हानि)	-	(61.15)
कर से पहले लाभ	(2850.60)	(7380.55)
कर व्यय (वर्तमान और आस्थगित)	(295.76)	(957.16)
लाभ का समूह हिस्सा	2270.99	1675.94
कर के बाद लाभ	(283.33)	(4747.44)
सेगमेंट एसेट्स		
चाय	28,442.60	28,438.63
इलेक्ट्रिकल-कोलकाता	2143.23	2,430.06
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	9233.38	6938.21
इलेक्ट्रिकल	8421.59	7450.75
असंबद्ध कॉर्पोरेट	26989.50	25803.33
कुल	75230.30	71060.98
सेगमेंट लायबिलिटीज		
चाय	26859.78	22,898.54
इलेक्ट्रिकल-कोलकाता	2334.56	2461.38
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	5402.81	4340.53
अभियांत्रिकी	3843.92	3672.38
असंबद्ध कॉर्पोरेट	2888.53	3756.55
कुल	41,329.60	37,129.38
नियोजित सेगमेंट कैपिटल (सेगमेंट एसेट्स- सेगमेंट देनदारियां)		
चाय	1582.82	5540.09
इलेक्ट्रिकल-कोलकाता	(191.33)	(31.32)
इलेक्ट्रिकल-चेन्नई	3830.57	2597.68
इलेक्ट्रिकल	4577.67	3778.37
असंबद्ध कॉर्पोरेट	24100.97	22046.78
कुल	33900.70	33931.60

नोट 50

कंपनी की सहायक कंपनियों से संबंधित खुलासे

क्रम संख्या	सहायक कंपनी का नाम	31 मार्च 2025 तक शेयरधारिता का %	31 मार्च 2024 तक शेयरधारिता का %
1	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	100%	100%
2	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	100%	100%

नोट 51

इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल प्रभाग की परिसंपत्तियों और दायित्वों का स्थानांतरण यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नामक दो 100% सहायक कम्पनियों को स्वीकृत पुनर्वास योजना (एस.आर.एस.) के अनुसार लंबित है। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए उक्त प्रभागों से संबंधित सभी



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

लेन-देन कम्पनी द्वारा एण्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड (ए.वाई.सी.एल.) के नाम से किए गए और खातों की पुस्तकों में दर्ज किए गए हैं। यूल इंजीनियरिंग और यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को बंद करने का प्रस्ताव है।

नोट 52

अन्य प्राप्य में रुपये 85.96 लाख विद्वत शुल्क के रूप में भुगतान किए गए शामिल हैं, जिन्हें प्राप्य माना गया है। यह शासन पश्चिम बंगाल द्वारा 25 फरवरी, 2014 को जारी परिपत्र संख्या 233-आईआर/ओ/आईएम-4/2003 के अनुसार है, जिसमें "पश्चिम बंगाल औद्योगिक पुनर्नवीनीकरण योजना, 2001" के अंतर्गत कहा गया कि बंगाल विद्वत नियम, 1935 के प्रावधानों के तहत भुगतान किए गए विद्वत शुल्क को 31 मार्च, 2006 से पाँच वर्षों की अवधि के लिए माफ किया जाएगा। तथापि, पर्याप्त सतर्कता के तौर पर इसे खातों में प्रदत्त किया गया है।

नोट 53

शून्य दर असुरक्षित मोच्य बांड रुपये 295.00 लाख (पिछला वर्ष रुपये 295.00 लाख) (मूल्य रुपये 305 लाख) तथा 6% संचयी मोच्य वरीयता शेयर रुपये शून्य (पिछला वर्ष रुपये 153.30 लाख) (मूल्य रुपये 204.40 लाख) का स्थगन काल क्रमशः 21/12/2021 और 01/04/2021 को समाप्त हो चुका है। संचयी वरीयता शेयरों पर रुपये 161.68 लाख का लाभांश तब दर्ज किया जाएगा जब वह वास्तविक रूप से प्राप्त होगा। तथापि, वेबफिल लिमिटेड ने एक पुनर्भुगतान अनुसूची प्रस्तुत की है, जिसे एण्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकृत किया गया है, जो निम्नानुसार है।

वित्तीय वर्ष	किश्त खाता वरीयता शेयर	किश्त खाता बांड
2023-24	160 लाख रुपये (*)	-----
2024-24	100-120 लाख रुपये(**)	-----
2024-25	शेष राशि(***)	140-160 लाख पये(***)
2025-26	-----	शेष राशि (80 लाख रुपये)

(*) अप्रैल 2022 में प्राप्त।

(**) अप्रैल 2023 में वरीयता शेयरों पर लाभांश के रूप में रुपये 110 लाख (टीडीएस सहित) प्राप्त।

(***) मार्च 2024 में रुपये 100 लाख और अप्रैल 2024 में रुपये 30 लाख प्राप्त।

(****) सितम्बर 2024 में रुपये 35 लाख और मार्च 2025 में रुपये 50 लाख प्राप्त।

इसका प्रभाव प्राप्त होने पर दिया गया है।

नोट 54

एम/एस हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड, जो 100% सहायक कम्पनी है, की परिसंपत्तियाँ और दायित्व राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण के आदेशानुसार 04/06/2021 से एण्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड में विलयित हो गये।

पूर्ववर्ती हुगली प्रिंटिंग कम्पनी की परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु किराया, बिजली, सुरक्षा सेवाओं जैसी प्रकृति के व्यय 04/06/2021 से कॉर्पोरेट प्रभाग के अधीन बुक किये गये।

नोट 55

कम्पनी कबाड़ घोषित करने से पूर्व व्यक्तिगत चालू अथवा अवल परिसंपत्तियों का निरीक्षण करने की परिपाटी अपनाती है, जिसके बाद ही उन्हें बिक्री हेतु रखा जाता है।

नोट 56

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुग्रह राशि (ग्रेच्युटी) के भुगतान हेतु देनदारी को सम्पूर्ण कम्पनी के लिए माना जाता है, न कि इकाई/प्रभागवार।

नोट 57

कम्पनी छूट प्राप्त न्यास निधि में भविष्य निधि अंशदान के संबंध में निवेश हानि एवं समग्र हानि (यदि कोई हो) का लेखांकन उक्त न्यास के न्यासियों से वास्तविक दावा प्राप्त होने पर करती है।

नोट 58

पूंजीगत कार्य प्रगति में (कैपिटल डब्ल्यू.आई.पी.) में रुपये 5932.97 लाख (2023-24 में रुपये 8741.85 लाख) युवा चाय पौधों के पोषण एवं सम्बद्ध व्यय सम्मिलित हैं, जो ईड-एस के अनुरूप है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट 59

दुआर्स में तीन चाय बागानों की भूमि पट्टे के नवीकरण हेतु पश्चिम बंगाल सरकार ने रुपये 177.66 लाख सलामी की माँग की है, जिसे ए.वाई.सी.एल. ने राज्य सरकार के स्थानीय अधिकारियों एवं कोलकाता स्थित उच्च अधिकारियों के साथ माफी हेतु उठाया है। ए.वाई.सी.एल. को इस मामले का निपटारा कम्पनी के पक्ष में होने की आशा है, जैसा कि ए.वाई.सी.एल. के अन्य बागान के पट्टे के नवीकरण में बिना सलामी भुगतान के किया गया है।

चूँकि मामला सरकार एवं अर्ध-सरकारी प्राधिकरण/स्वायत्त निकाय (जैसा लागू हो) से सम्बन्धित है और कम्पनी के माफी हेतु आवेदन अस्वीकार किये गये हैं, ए.वाई.सी.एल. ने पुनः यह मामला पश्चिम बंगाल सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो लंबित है। आगे ए.वाई.सी.एल. ने एक प्रसिद्ध अधिवक्ता फर्म से विधिक राय प्राप्त की है, जिसके आधार पर कुल रुपये 177.66 लाख को "कम्पनी के विरुद्ध दावा जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं" (नोट संख्या 40 में वर्णित) में सम्मिलित किया गया है।

नोट 60

कम्पनी के पास वर्षांत शेष की पुष्टि प्रमाणपत्र ऋणियों और देनदारों से प्राप्त करने की प्रणाली है। तथापि, जिन मामलों में ऋणियों/देनदारों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, उनमें खातों में उपलब्ध आँकड़ों को ही रखा गया है।

नोट 61

"अन्य चालू परिसंपत्तियों" (नोट 15) के अंतर्गत "वैधानिक प्राधिकरणों के साथ शेष" में 42.97 लाख रुपये सम्मिलित हैं, जो भविष्य निधि प्राधिकरण से वापसी योग्य है। यह 2015-16 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के आदेश के अनुसार है। इस संबंध में दावा केन्द्रीय भविष्य निधि प्राधिकरण के पास दायर किया जा चुका है, जिसने इसे संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि प्राधिकरण के पास भेजा है। यह सरकारी विभाग से देय है, तथापि पर्याप्त सतर्कता के रूप में उक्त राशि को खातों में प्रदत्त किया गया है।

नोट 62

निदेशक मंडल द्वारा अपनी बैठकों दिनांक 12/11/2022 एवं 05/01/2023 में अनुमोदन के अनुसार विद्वत् कोलकाता परिचालन की तीन इकाइयों की भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी (विद्वत् प्रतिष्ठानों सहित) को निस्तारित करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक खातों के अंतिमीकरण के दौरान भूमि एवं भवन के संबंध में कम्पनी को भारत सरकार से अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है और वैकल्पिक उपयोग पर भी विचार कर रही है, अतः उक्त परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। संयंत्र एवं मशीनरी के संबंध में कम्पनी निस्तारण हेतु नीलामी की प्रक्रिया में है, अतः इंड-एस 105 में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए इन्हें "बिक्री हेतु धरी परिसंपत्तियाँ" माना गया है।

चूँकि 31 मार्च 2025 तक इन परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य आसानी से उपलब्ध नहीं है, अतः वहन राशि को चालू परिचालन से होने वाले लाभ एवं हानि के रूप में चार्ज किया गया और नोट 35 "अन्य व्यय" में रुपये 41.14 लाख के रूप में परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के पुनःमापन से मान्य लाभ अथवा हानि के रूप में प्रस्तुत किया गया।

नोट 63

भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने 21 जनवरी 2025 के पत्र द्वारा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रेषित की थी, जिसके अनुसार विद्वत्-चेन्नई परिचालन (ई-सी.ओ.) की 1012 वर्ग मीटर भूमि चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सी.एम.आर.एल.) को सहमति शर्तों एवं नियमों के अनुसार हस्तांतरित की गई। उपरोक्त स्वीकृति के आधार पर 19.03.2025 को भूमि का पंजीकरण सी.एम.आर.एल. प्राधिकरण के साथ पूर्ण हुआ और सी.एम.आर.एल. प्राधिकरण ने मुआवजे के रूप में भूमि एवं संरचना मूल्य हेतु कुल रुपये 19,97,80,250/- (अक्षरों में – उन्नीस करोड़ सत्तानवे लाख अस्सी हजार दो सौ पचास मात्र) दो चेक के माध्यम से (रुपये 20,17,982/- टीडीएस की कटौती के बाद शुद्ध) सौंपे, जिन्हें 19.03.2025 को ही के.वी.बी. बैंक, अड्यार शाखा में जमा किया गया।

तदनुसार रुपये 19,60,68,749/- को भारत सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर लाभ के रूप में और रुपये 56,19,123.96 को स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे वहन राशि के समायोजन के बाद खातों की पुस्तकों में "नोट-29" "अन्य आय" में प्रस्तुत किया गया। विधिक फर्म से प्राप्त राय के आधार पर कोई आयकर देनदारी नहीं मानी गई है।

नोट 64

रुपये 287.58 लाख अग्रिम खाता भूमि मुआवजा से स्थानांतरित किए गए और 31.03.2025 को समाप्त वर्तमान अवधि में भौतिक हस्तांतरण पूर्ण होने के बाद "नोट-29" "अन्य आय" में असम सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर लाभ के रूप में मान्यता दी गई।

इसके अतिरिक्त रुपये 97.30 लाख को भी 31.03.2025 को समाप्त वर्तमान अवधि में भौतिक हस्तांतरण पूर्ण होने के बाद "नोट-29" "अन्य आय" में असम सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण पर लाभ के रूप में मान्यता दी गई। कृषि भूमि होने के कारण उपर्युक्त दोनों लाभ आयकर के दायरे से मुक्त हैं और अतः उपर्युक्त लाभों के संबंध में कोई कर देनदारी नहीं मानी गई है।



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट [आईएनडी एस के अनुसार]

नोट 65

कम्पनी ने 01/04/2019 से प्रभावी इंड-एस-116 को निम्नलिखित प्रकार से अपनाया: (क) मानकों को केवल उन्हीं मामलों में लागू किया गया है जहाँ निष्पादित लीज़ अनुबंध और/या संबंधित पट्टेदार सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएँ कम्पनी के पास उपलब्ध हैं और 01/04/2019 को ऐसे लीज़ की शेष अवधि के लिए, सिवाय उन मामलों के जो (ख) में वर्णित हैं। (ख) असम सरकार से असम में चाय बागानों हेतु भूमि पट्टे के मामले में, कम्पनी ने भारतीय चाय संघ के साथ मिलकर ध्यान दिया कि असम भूमि एवं राजस्व विनियमन 1886 की धारा 9 पट्टेदार को उपयोग, अधिवास और अन्य प्रासंगिक अधिकार प्रदान करती है, बशर्ते समय-समय पर भूमि के संबंध में राजस्व, कर, उपकर और दरों का भुगतान किया जाए और इस प्रकार कोई निश्चित अथवा परिभाषित लीज़ अवधि नहीं है। अतः असम के मामले में इंड-एस-116 लागू नहीं होता।

नोट 66

कम्पनी ने 31.03.2025 तक स्वीकृत एवं प्राप्त बैंक ऋणों का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए वे स्वीकृत किए गए थे।

नोट 67

कम्पनी ने किसी भी व्यक्ति/संस्था (विदेशी सहित) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्ति अथवा संस्था में ऋण देने या निवेश करने के लिए कोई धन अग्रिम/ऋण/निवेश नहीं किया है और न ही किसी अंतिम कम्पनी/वित्तपोषण कम्पनी की ओर से कोई गारंटी/सुरक्षा प्रदान की है।

नोट 68

बैंक को प्रस्तुत चालू परिसंपत्तियों के विवरण खातों की पुस्तकों के अनुरूप हैं। सिवाय कम्पनी के इंजीनियरिंग प्रभाग के, जहाँ कोई ऋणदाता बैंक नहीं है, अतः ऐसे विवरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

नोट 69 अन्य विनियामक जानकारी

- ऐसी कोई अचल संपत्ति नहीं है जो कम्पनी के नाम पर न हो।
- कम्पनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जिसके लिए कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ की गई हो या लंबित हो।
- कम्पनी के कोई लेन-देन ऐसी कम्पनियों के साथ नहीं हैं जो समाप्त कर दी गई हों।
- कम्पनी ने अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (87) के अंतर्गत तथा कम्पनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े जाने पर निर्धारित परतों की संख्या का पालन किया है।
- कम्पनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो खातों की पुस्तकों में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पित या प्रकटीकृत किया गया हो (जैसे तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान)।
- कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी क्रिटो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार अथवा निवेश नहीं किया है।
- कम्पनी के पास ऐसी कोई गिरवी अथवा संतोष लंबित नहीं है जिसे वैधानिक अवधि से अधिक समय तक आर.ओ.सी. के पास दर्ज किया जाना शेष हो।

नोट-70

कम्पनी को बैलेंस शीट की तिथि पर किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

[क] कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष के हैं।

[ख] इन खातों में आँकड़ों को रुपये के निकटतम लाख तक गोल कर प्रस्तुत किया गया है।

[ग] पिछले वर्ष के आँकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः व्यवस्थित और पुनः संरचित किया गया है।

एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.नंबर: 302081E
एम्.सी.कोडली
पार्टनर (एम.नंबर: 056514)
स्थान: कोलकाता
तारीख: 29.05.2025
यूडीआईएन: 25056514BMJNFW6220

एण्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड की ओर से

सुचरिता दास
कंपनी सचिव

श्री संजय वर्मा
निदेशक वित्त
डीआईएन: 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03594804

फॉर्म ए.ओ.सी - 1

[धारा 129 की उपधारा (3) के द्वितीय उपबंध के अनुसार तथा कम्पनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाए]

**सहायक या सहयोगी कम्पनियों अथवा संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की
प्रमुख विशेषताओं को समाहित करने वाला विवरण**

भाग - अ : सहायक कम्पनियाँ

(रुपये लाख में)

1.	क्रम संख्या	1	2
2.	सहायक कंपनी का नाम	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
3.	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि इससे भिन्न हो होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि	N.A.	N.A.
4.	रिले की अंतिम तिथि के अनुसार मुद्रा और विनिमय दर की रिपोर्टिंग-विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में वैट वित्तीय वर्ष	INR	INR
5.	शेयर पूंजी	5.00	5.00
6.	भंडार और अधिशेष	(10.84)	(10.12)
7.	कुल संपत्ति	0.06	0.06
8.	कुल देनदारियां	0.06	0.06
9.	निवेश	-	-
10.	कारोबार	-	-
11.	कराधान से पहले लाभ	(0.72)	(0.63)
12.	कराधान के लिए प्रावधान	-	-
13.	कराधान के बाद लाभ	(0.72)	(0.63)
14.	प्रस्तावित लाभांश	-	-
15.	शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	100%	100%

टिप्पणियाँ:

1. सहायक कम्पनियों के नाम जिनका परिचालन अभी प्रारम्भ होना शेष है: लागू नहीं।
2. सहायक कम्पनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया या बेचा गया: लागू नहीं।



Part - B : Associates

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	एसोसिएट्स का नाम	वीडोल कॉर्प, लिमिटेड [पूर्व में टाइड वाटर ऑयल कंपनी (आई) लिमिटेड]
1.	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट तिथि	31st March, 2025
2.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित एसोसिएट के शेयर	
	i. संख्या	4571115
	ii. एसोसिएट में निवेश की राशि (लाख रुपये में)	164.56
	iii. % में होल्डिंग की सीमा	26.23
3.	इसका विवरण कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव है	Refer Note 3
4.	एसोसिएट को समेकित नहीं करने का कारण	Not Applicable
5.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य (लाख रुपये में)	91405.00
6.	वर्ष के लिए लाभ या हानि	
	i. समेकन में विचार किया गया (लाख रुपये में)	2270.99
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	NA

टिप्पणियाँ:

- सहयोगी कम्पनियों के नाम जिनका परिचालन अभी प्रारम्भ होना शेष है: लागू नहीं।
- सहयोगी कम्पनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया या बेचा गया: लागू नहीं।
- शेयरधारण के प्रतिशत (%) के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव है।
- कम्पनी के पास कोई संयुक्त उपक्रम नहीं है, अतः संयुक्त उपक्रम से संबंधित भाग-ख लागू नहीं है।

एन.सी.बनर्जी एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.नंबर: 302081E

एम.सी.कोडली

पार्टनर (एम.नंबर: 056514)
स्थान : कोलकाता
तारीख: 29.05.2025

सुचरिता दास
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या : FCS5159

श्री संजय वर्मा
निदेशक वित्त
डीआईएन: 10373225

श्री अनंत मोहन सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03594804

एण्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड की ओर से



एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
का प्रदर्शन एक नजर में

(रुपये लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष									
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व संचालन से	35,759.86	41,966.72	35,008.18	30,463.06	29,707.98	33,050.79	41,439.28	37,403.60	30,985.38	31,170.97
कुल आय	38,997.73	46,878.76	38,913.50	35,260.32	32,996.23	36,106.65	47,098.14	40,578.87	34,852.66	37,527.38
करों से पहले लाभ	927.36	3,849.95	2,357.32	1,051.12	(2,125.38)	1,470.35	1,120.17	898.23	(7318.10)	(2,849.16)
कर	92.07	589.86	645.73	180.93	(73.37)	(649.39)	1,209.88	780.76	(957.16)	(295.76)
कर के बाद लाभ	835.29	3,260.09	1,711.59	870.19	(2,052.01)	2,119.74	(89.71)	117.47	(6,360.94)	(2,553.40)
अन्य विस्तृत आय	-	(276.26)	205.75	(733.19)	484.34	66.51	73.30	(184.56)	219.30	245.88
कुल अन्य विस्तृत आय	-	2,983.83	1,917.34	136.99	(1,567.67)	2,186.25	(16.41)	(67.09)	(6,202.79)	(2,307.52)
निवल मूल्य (*)	19,813.14	17,571.71	18,900.58	18,802.19	17,234.52	19,420.55	18,720.93	18,660.54	12,423.52	10,123.08

* शुद्ध मूल्य में लंबित आवंटन हेतु शेयर आवेदन धनराशि सम्मिलित नहीं है।

** वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 का विवरण पुनर्निर्धारित खातों के अनुसार माना गया है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड पर लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार है।



एण्डू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड

यूल हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता - 700 001

फ़ोन: 033 2242 8210/8550, फ़ैक्स: 033 2242-9770

वेबसाइट: www.andrewyule.com